राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 2] सप्तम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का 28 वां दिवस [संख्या 16

बृहस्पतिवार,

दिनांक 19 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक म. पू. 8.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द्र बिश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री गोपाल पचेरवाल।

जिला अलवर, भरतपुर व सवाई माधोपुर के डीजल पम्प्स पर डीजल का आवंटन

354. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1 अक्टूबर, 1980 से 30 नवम्बर, 1980 तक छोंकरवाड़े स्थित डीजल पम्प पर संबंधित विभाग द्वारा कितना डीजल अलॉट किया गया और इस अवधि में भरतपुर, सवाई माधोपुर और अलवर जिलों के डीजल पम्प्स पर कितना डीजल अलॉट किया गया ?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : छोकरवाड़े स्थित डीजल पम्प को 1 अक्टूबर, 1980 से 30 नवम्बर तक 233 किलोलीटर डीजल आवंटित हुआ। इस अवधि में भरतपुर, सवाई माधोपुर एवं अलवर जिले के विभिन्न डीजल पम्पों पर आवंटित डीजल की सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

प्रश्न संख्या 355

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्रीराम गोटेवाला।

श्री जर्नादन सिंह गहलोत

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री कैलाश मेघवाल।

मेडिकल कॉलेजेज में स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का अध्यापन

356. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर

(श्री कैलाश मेघवाल)
पूर्व) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के पांचों मेडिकल कालेज में कहां-कहां पर किस-किस विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम का अध्यापन कराया जाता है और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये कितने-कितने स्थान निर्धारित हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु योग्यता सूची अलग-अलग कॉलेज की बनाई जाती है और प्राथमिकता उसी कॉलेज के छात्रों को दी जाती है ? कृपया सम्बन्धित नियम एवं आदेश सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या सरकार राज्य के पांचों मेडिकल कॉलेजेज से उत्तीर्ण स्नातकों को अग्रिम उच्च शिक्षा हेतु समान अवसर देने के लिये एक योग्यता सूची तैयार करेगी या प्रवेश परीक्षा प्रारम्भ करेगी ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) राज्य के पांचों मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एवं डिप्लोमा कोर्सेज का अध्यापन विभिन्न विषयों में कराया जाता है। कालेजवार वांछित सूची संलग्न है।

(2) जी हां। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रथम प्राथमिकता उसी मेडिकल कालेज से पास हुये छात्रों को दी जाती है। गाइड लाइन्स की प्रति संलग्न है।

(3) अभी राज्य सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

(गाइड लाइन के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके द्वारा यह पूछना चाहूंगा कि राजस्थान के पांचों मेडिकल कालेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश का अधिकार मेडिकल में ग्रेजुएट हर व्यक्ति को होना चाहिये, उसको सुविधा होनी चाहिये। यह जो व्यवस्था है उसमें यहीं के स्नातक को प्राथमिकता दी जाती है और इससे ज्यादा जो नम्बर लाता है उसको प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है। तो क्या मंत्री महोदय यह जो असन्तुलन व्याप्त है उस असंतुलन को ठीक करने का प्रावधान करेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग (3) में यह प्रश्न किया गया था और इसका जवाब दे दिया गया है कि अभी राज्य सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। राजस्थान में पांच मेडिकल कालेज हैं और पांचों मेडिकल कालेज राजस्थान के विभिन्न भागों में स्थित हैं जिससे कि राजस्थान के सभी भागों के बच्चों को प्रवेश मिल सके। उदयपुर मेडिकल कालेज में उदयपुर और कोटा डिवीजन के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। अजमेर और जयपुर के मेडिकल कालेजों में जयपुर सम्भाग वालों को और इसी तरह जोधपुर में जोधपुर वालों को प्रवेश दिया जाता है। इस तरह की व्यवस्था है कि सारे राजस्थान के लोगों को आसानी से पास ही एडमिशन मिल सके।

श्री अध्यक्ष : एडमिशन की बात तो आगे की है। जोधपुर वालों को ही वहां प्रवेश दिया जाता है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : हां, सभी मेडिकल कॉलेजो से छात्र निकलते हैं उन सबको पोस्ट ग्रेजुएशन का अधिकार है। वे पोस्ट ग्रेजुएशन करना भी चाहते हैं। जो गाइड लाइन दी हुयी हैं उसमें यह नहीं लिखा है कि जो जोधपुर का लड़का है वह यहां आ ही नहीं सकता है या उदयपुर जा ही नहीं सकता है। यह सही है कि उस पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाता है। जगह खाली होती है तो दूसरों को भी देने पर विचार किया जा सकता है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। खाली प्राथमिकता दी गयी है वहीं से हुये स्नातकों को।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की जो सूची मिली है उसका पूरा जोड़ तो मैं नहीं लगा पाया हूँ लेकिन छात्रों के अनुपात मे पोस्ट ग्रेजुएट की कक्षाओं में जो सीट हैं वह पांच मेडिकल कालेजों में बराबर बराबर नही है। यह सूची में देख सकते है। ऐसी स्थिति में जहाँ पर, सीटें कम हैं वहां का लड़का अच्छे नम्बर लाता हुआ भी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाता है और दूसरी जगह का कम नम्बर लाकर भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाता है इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि जो छात्रों की सख्या है एम० बी०बी०एस० में उसी अनुपात में पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटों का अनुपात नही है। नम्बर एक।

नम्बर दो, सभी तरह की पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा का पांचों मेडिकल कालेजों में प्रावधान नही है। जयपुर कालेज में तो सभी तरह की शिक्षा का प्रावधान है लेकिन दूसरे कालेजों में सभी तरह की व्यवस्था नहीं, यह आपको सूची बता देगी।

नम्बर तीन, डिप्लोमा कोर्स केवल तीन कॉलेजों में ही है बाकी के दो कॉलेजों में डिप्लोमा कोर्स नहीं है। इसमें भी प्राथमिकता तीनों जगहों के ग्रेजुएट को दी जाती है और जो दूसरी जगहों के एम०बी० बी०एस० होते हैं वे प्रवेश नहीं पा सकते हैं। तो क्या मंत्री महोदय इस एनोमोली को ठीक करने का विचार रखते हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अलग-अलग पोस्ट ग्रेजुएशन की संख्या अलग-अलग कालेजों में अलग-अलग है और जयपुर में सबसे ज्यादा है। छात्रों की संख्या डिपेन्ड इस बात पर करती है कि वहां पर कितने स्पेशलिस्ट हैं, कितने पर्टीक्यूलर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, कितने प्रोफेसर हैं और कितने रीडर और लैक्चरर हैं। इसके लिये मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया का एक मापदण्ड है उसी के हिसाब से छात्रों की संख्या निश्चित की जाती है। निश्चित बात यह है कि यहाँ का मेडिकल कालेज सबसे बड़ा है। यहां पर सभी तरह की सुविधा है। दूसरे मेडिकल कालेजों में ऐसी बात नहीं है इसलिये स्वाभाविक है कि यहाँ पर ज्यादा सीटें हैं। माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि कहीं पर कम हैं, किसी विशेष विषय की कक्षा नहीं है तो यह प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर की एक यूनिट होती है उस पर भी वहां पर छात्रों की संख्या निर्भर करती है। जो इन्होंने डिप्लोमा की बात कही तो मैं इस बात को देखूंगा कि उनमें दूसरे लोगों को प्रवेश नहीं देने का प्रावधान है। उनको जो पर्टीक्यूलर फैसेलिटी नहीं है तो उसके संबंध में कुछ कार्यवाही करेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : श्रीमान, मैं ...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता। केवल एक प्रश्न।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। कई स्थानों पर पांचों मेडिकल कालेजों में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रावधान तो कर रखा है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिये वहाँ पर जो स्टाफ होना चाहिये वह पूरा नहीं होने से इस तरह के कोर्स नहीं चल रहे हैं। मेडिकल कौंसिल आफ इण्डियां के हिसाब से जो यूनिट होनी चाहिये लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर्स की वह पूरी नहीं होने के कारण वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासें नहीं चल रही हैं। उस हिसाब से प्रावधान आपने कर रखा है लेकिन स्टाफ पूरा नहीं होने से वहाँ पर क्लासें नहीं चल रही हैं। इसको पूरा करने की कृपा करें।

श्री हीरालाल देवपुरा : छात्र संख्या के हिसाब से जो यूनिट होती है वह छात्रों की संख्या के हिसाब से तय नहीं की जाती है बल्कि यूनिट के हिसाब से छात्रों की संख्या दी जाती है। अगर फिर भी आप बता रहे हैं कि स्टाफ नहीं है तो उसको मैं देखूंगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, ये भुक्त भोगी हैं इनको अवसर दिया जाये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर वालों को जोधपुर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिया जाता है। एम०बी०बी०एस० के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट होता है उसमें प्रवेश की सुविधा बीकानेर में नहीं है। जो लड़का मैरिट में टोप पर आया उसको प्रवेश नहीं दिया गया। उसके बाद वह हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में जाने के बाद में उसको प्रवेश दिया गया। प्रवेश देने के बाद बाद में इन्टर्नशिप करने के बाद में उसको आगे अप्रेन्टिसशिप नहीं करने दी गई। मेरी बात सही है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में वहाँ के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता है।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह पर्टीक्युलर केस है इसको देख लूंगा। हाई कोर्ट में भी गये हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हाई कोर्ट से वापस हो गया है। हाई कोर्ट ने उसको प्रवेश देने को कहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या सरकार कोटा में भी मेडिकल कालेज खोलने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य। मेरी आशंका सही निकली।

अगला प्रश्न। श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) अध्यक्ष महोदय, कई डिपार्टमेन्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन बिल्कुल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : उसका उत्तर दे दिया है, इन्होंने स्वीकार किया है।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 357

श्री सुरेन्द्र व्यास।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हीरालाल आर्य।

ग्राम सीनोता के अनुसूचित जाति के किसानों को काबिज खातेदारी अधिकार देना

358 श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सीनोता तहसील पीपल्दा के अनुसूचित जाति के किसान ख. नं. 227, 228 तथा 230 की करीब 500 बीघा भूमि पर 1970 से पूर्व ही से काबिज चले आ रहे हैं ?

(2) यदि हां, तो उन्हें वन विभाग द्वारा बार-बार परेशान करने का क्या कारण है ?

(3) इतना पुराना कब्जा होते हुए भी तथा आजीविका का अन्य साधन नहीं होने के बाद भी उक्त भूमि को वन विभाग से मुक्त नहीं किये जाने तथा नियमन नहीं किये जाने व खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाने का क्या कारण है ?

(4) क्या सरकार अनुसूचित जाति के इन व्यक्तियों की भूमि को वन विभाग से मुक्त कर, खातेदारी अधिकारी देने के आदेश प्रदान करेगी ?

वन मन्त्री (श्री दुलाराम) : (1) राजस्व विभाग से वन विभाग को हस्तान्तरित खसरा संख्या 227, 228 तथा 230 के भू-भाग पर वर्ष 1970 के पूर्व से अनुसूचित जाति के किसी कृषक का कब्जा नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में यह बताया है कि 70 से पूर्व वहां पर किसी का कब्जा नहीं था जब कि सारे लोग वहां पर पहले से काबिज हैं जिसकी सूचना जिलाधीश कोटा के पास उपलब्ध है। उन्होंने कागजात भी दिये और आप फर्मा रहे हैं कि कोई काबिज नहीं हैं 70 से पहले से। यह गलत सूचना है, अध्यक्ष महोदय। मैं आपकी मार्फत उनसे यह निवेदन करूंगा कि वहां पर सभी काश्तकार अनुसूचित जाति के हैं, बैरवा जाति के हैं और 70 से पहले के काबिज हैं। वन विभाग वाले उनको परेशान कर रहे हैं।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, खसरा नं. 227, 228 और 230 में 112 बीघा और 14 बिस्वा भूमि पर वन विभाग का कब्जा है और 53 बीघा पर राजस्व विभाग का कब्जा है। इसके अलावा यह 21.4.73 को वन विभाग को सौंपी गई है। अगर वह 70 से पूर्व काबिज होते तो रेवेन्यू रिकार्ड में अवश्य होता। उसके बाद भी अगर कोई है तो हम इसकी इन्क्वायरी करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब इसमें कोई पूरक प्रश्न नहीं होगा। अगर आपके पास कोई सबूत हो तो मन्त्री महोदय के समक्ष पेश कर दें।

अगला प्रश्न। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

सलादीपुरा (सीकर) में पाइराइट्स से सल्फरिक एसिड बनाने वाले संयत्र की स्थापना

359. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)** : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सलादीपुरा जिला सीकर में पाइराइट्स से सल्फरिक एसिड (गंध काम्ल) बनाने का संयत्र लगाने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो इस पर कितना खर्चा आयेगा ?

(2) क्या पाइराइट्स पर आधारित खाद का कारखाना लगाने के बारे में सरकार ने कोई विचार किया है ? यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन हेतु सलादीपुरा सबसे उपयुक्त स्थान है ?

राज्य मन्त्री, खनिज (श्री नानालाल) : (1) जी हां, सलादीपुरा में उपलब्ध खनिज पाइराइट से गंधक का अम्ल (सल्फरिक एसिड) बनाने का संयंत्र लगाने की योजना भारत सरकार के प्रतिष्ठान मै० पाइराइट्स फास्फेट एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के पास विचाराधीन है। इस संयंत्र पर करीब रु. 15·00 करोड़ की लागत आने की संभावना है।

(2) सलादीपुरा पाइराइड से उत्पादित सल्फरिक एसिड का उपयोग कर फास्फेट आधारित रासायनिक खाद बनाने की योजना है। मैसर्स पाइराइट्स, फास्फेट एण्ड कैमिकल्स लि० द्वारा गंधक का अम्ल एवं फास्फेटिक फर्टिलाइजर संयंत्र लगाने हेतु विस्तृत आर्थिक तकनीकी सम्भावना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है, जिसमें संयंत्रों के स्थान के सम्बन्ध में भी चुनाव किया जायगा। अभी तक स्थान के बारे में यह कहना सम्भव नहीं है क्योंकि यह कच्चे माल की उपलब्धि, तैयार माल की खपत, बिजली एवं आधारभूत सुविधाओं पर निर्भर रहता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पी.पी.सी.एल. ने इस पर 19 9 से कार्यवाही की थी और 72 में इसकी रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई। उन्होंने कारखाने के लिए उपयुक्त स्थान बताया और जर्मन कन्सल्टेन्ट कम्पनी ने भी इसकी रिपोर्ट दे दी। इसके पश्चात् पिछली सरकार ने एक पाइलट योजना भी इसके लिए तैयार की। वह क्रियान्वित भी होने वाली थी। आप यह कह रहे हैं कि यह विचाराधीन है। आप यह सूचित करें कि अभी तक इसको क्रियान्वित क्यों नहीं किया ? अब कब तक इसको आप क्रियान्वित कर देंगे ?

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, हमारा विचार है, सलादीपुर में कारखाना लगाना चाहते हैं, लेकिन जो इससे पूर्व की आवश्यकतायें हैं, तकनीकी जांच है, यह सब हो जाने के बाद ही लगाया जा सकता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जांच तो हो चुकी है, 69 में, 72 में हो गई। जर्मनी की कन्सल्टेन्ट कम्पनी की रिपोर्ट भी आ गई। 1500 करोड़ का लग रहा है, जांच कौन कर रहा है, यह भी बताने की कृपा करें।

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं जो सूचना उपलब्ध है, उसके आधार पर जिन-जिन चीजों की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, इन सारी चीजों को देखना पड़ता है, तभी संयंत्र लगाया जा सकता है।

श्री महादेवसिंह (खण्डेला) : अध्यक्ष महोदय, सब चीजें उपलब्ध होते हुए भी माननीय मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि इनकी आवश्यकता है। पानी वहां पर उपलब्ध है, बिजली उपलब्ध है, इसके बाद भी कह रहे हैं कि सूचना नहीं है। इसमें सूचना की क्या आवश्यकता है। जर्मनी की रिपोर्ट भी आ गई है, सभी दृष्टियों से जांच हो चुकी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री त्रिलोकसिंह

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, सीकर जिले के सलादीपुरा में खाद के एलिमेन्ट्स हैं, मैटीरियल हैं, वहां पर खाद का एक बड़ा कारखाना लगाया जा सकता है। यह राजस्थान के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। पानी का भण्डार है....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोकसिंह : मैं यह पूछना चाहूंगा कि कोई निश्चित तारीख बताई जावे कि खाद का कारखाना कब तक लगायेंगे ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह साफ बताना चाहता हूं, इस रिपोर्ट में सिक्स पाइन्ट्स डिस्कस किये गये हैं। Availability of raw meterial यह भी मौजूद हैं। Availability of labour यह भी मौजूद है।

Availability of drinking water supply. यह भी है Availability of general transport, including railway and roads. यह भी है। Availability of land and other facilities for the plant. यह भी मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : फिर आप किस बात की जांच कर रहे हैं ?

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, पानी की तकनीकी जांच हो गई है, जितनी क्षमता चाहिये, उतना पानी उपलब्ध है। रेलवे की भी जांच हो गई है। स्टेशन है, मीटर गेज हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। किन्तु यह सब भारत सरकार के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी तरफ से जोरदार सिफारिश कर दीजिये।

श्री नानालाल : हम जोरदार सिफारिश करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पक्ष और विपक्ष दोनों कारखाना खोलना मन्जूर करते हैं। मन्त्री महोदय ने कहा है कि यह भारत सरकार के विचाराधीन है और राज्य सरकार तत्परता से कोशिश करेगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइराइट्स योजना का क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी लेकिन सवाल यह है कि राजनैतिक कारणों से लटकाया गया है। उदाहरण के लिए मुख्य मंत्री की उपस्थिति में माननीय बनवारीलाल ने धौलपुर में भाषण दिया कि खाद का कारखाना धौलपुर में लगेगा। सुखाड़ियाजी ने ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप भी....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : देवपुराजी ने कहा, छठी योजना में एक ही खाद का कारखाना लगेगा। वहां राक फास्फेट का लगेगा, गैस का लगेगा, हमारे यहां कुछ नहीं रखा लेकिन छठी योजना में एक ही खाद का कारखाना लगेगा। इसलिए झगड़ा यही है कि यहां लगाया जाय या वहां लगाया जाय। राजनैतिक कारणों से सीकर को नहीं दिया जा रहा है जब कि भारत सरकार ने इसकी रिपोर्ट दे दी है, आप राजनैतिक कारणों से फैसला नहीं कर सकते। आपका सल्फरिक एसिड का कारखाना हमारे यहां लगायें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

स्थान ग्रहण करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राजनैतिक कारणों से इसको टाला जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। अंकित न हो। श्री आत्मा राम।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न नहीं होंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : पाइलट प्रोजेक्ट क्या होता है ? मंत्री महोदय उत्तर दे दें।

श्री नानालाल : यह अलग से प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ छठी योजना में

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : यह बात न कहें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पाइलट योजना के बारे में बता रहा हूँ । पाइलट योजना बन गई थी ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी पाइलट प्रोजेक्ट के बारे में ।

श्री अध्यक्ष : वह बात छोड़ दीजिए ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं छोड़ सकता....

श्री अध्यक्ष : आप आसन के आदेशों की अवहेलना न करें । अगला प्रश्न ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पाइलट प्रोजेक्ट क्या होता है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ; क्या यह नही है कि स्थान तय कर दिया उसके आधार पर...

श्री अध्यक्ष : श्री आत्माराम ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : भेदभाव हो रहा है, इसका जवाब मंत्री को देना पड़ेगा । जब स्वीकृति हो गई तो इस मामले को क्यों लटकाया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री नाना लाल : अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय अध्यक्ष को अपने आप में विश्वास है, तो आपको विश्वास करना चाहिए । किसी प्रकार का राजनैतिक भेदभाव नहीं बरता जायगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है । आर्डर प्लीज ।

श्री आत्माराम ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । श्री आत्माराम ।

श्री महादेव सिंह : आत्माराम से पहले, हमारी आत्मा पुकार रही है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, पाइलट प्रोजेक्ट....

श्री अध्यक्ष : इसी तरह से खींचातानी होती है । आर्डर प्लीज ।

श्री महादेव सिंह : महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : हजारों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ।

श्री महादेव सिंह : हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मुझे बाध्य न करें ।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोक सिंह : अन्याय हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री भगवानदास शास्त्री।

(व्यवधान)

बाधा उपस्थित कर रहे हैं, माननीय सदस्य। मैं इजाज़त नहीं दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक मिनट भी नहीं।

श्री अध्यक्ष : आधा मिनट भी नहीं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मुझे बाध्य न करें।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं सरकार द्वारा संतोषजनक उत्तर न आने के कारण वाक आउट करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री भगवानदास शास्त्री।

श्री त्रिलोक सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो इस सदन मे हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है, इस बात के खिलाफ वाक आउट करता हूं। यह हमारी जिन्दगी का सवाल है।

(बहिर्गमन)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

प्रश्न संख्या 360.

श्री आत्माराम।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

पहाड़ गंज नई बस्ती (गांधी नगर) के भवनों का नियमितिकरण

361. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या नागरीय विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास प्रन्यास, अजमेर द्वारा वार्ड न० 25 पहाड़गंज नई बस्ती (गांधी नगर) के मकानों को, जो 1971 के पहले बने हैं, तोड़ना चाहती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त बस्ती में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के नागरिकों ने पट्टे के लिए अर्जी प्रन्यास के मांगने पर दे रखी है ? यदि हां, तो फिर इन मकानों को तोड़ने का क्या कारण है ?

नगर आयोजना मंत्री (**श्री बद्री प्रसाद गुप्ता**) : (1) यह सही नहीं है कि यू.आई.टी. अजमेर 1971 के पहले बने हुए मकानों को तोड़ना चाहता है। न तोड़ेंगे न तोड़ने दिया जायगा।

(2) अनुसूचित जाति । जनजाति के व्यक्तियों से कोई आवेदन पत्र नहीं मांगे गये और न कोई मकान तोड़ने का प्रस्ताव है ।

(3) जी नहीं ।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या यह सही है कि धारा 91 के तहत आपने नोटिस भेजे हैं, नोटिस उन लोगों को प्राप्त भी हुए हैं, मकान तोड़ने के लिए अधिकारी आए थे, मुझे सूचना मिली, मेरे आने की सुनकर भाग गए ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : माननीय सदस्य का जो सवाल है, मैं निवेदन करूं कि 1971 से पहले बने हुए किसी मकान को न तोड़ा है न तोड़े जायेंगे और न भविष्य के लिए कोई प्रस्ताव है । आप मुझे बताइए, 1971 के बाद के नाजायज कब्जों की बात दूसरी है, सरकारी मकानों पर कब्जा कर लिया है, वरना 1971 से पहले के मकानों को तोड़ने का अजमेर में तो क्या राजस्थान में कहीं सवाल नहीं ।

श्री भगवानदास शास्त्री : मास्टर प्लान अजमेर का बन चुका है, यह पहाड़गंज का एरिया है । 91 के तहत जो नोटिस दिए हैं उसमें लिखा है । पहाड़गंज के नाले की ओर वे खड्डों पर बसे हुए हैं । फार्म भरवा कर रख दिए हैं यू०आई०टी० ने अपने पास । क्या यह सही है कि मास्टर प्लान बनने के बाद पत्थरों पर या बोर्ड पर लिख दिया जाये कि इस भूमि पर अतिक्रमण न करें, ऐसा क्यों नहीं करते हैं ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : माननीय सदस्य का सवाल साफ है कि 1971 से पहले बने हुए मकान तोड़ रहे हैं ? मैंने फाइल मंगाकर देखी । इस बात की कोई शिकायत नहीं है कि 1971 के पहले के मकान तोड़ रहे हैं । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे मकान न तोड़े है न तोड़े जायेंगे । और क्या चाहते हैं ?

श्री भगवानदास शास्त्री : आपने आश्वासन दिया कि नहीं तोड़ेंगे । क्या यह विश्वास दिलाते हैं कि 30 मकान तोड़ने के जो नोटिस....:

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगला प्रश्न ।

श्री भगवानदास शास्त्री : विश्वास दिलाया जाए ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज ।

ग्राम मान्दोलाई (टोडारायसिंह) के प्रायमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पदस्थापित डाक्टर्स व स्टाफ

362. **श्री चतुर्भुज चौधरी** (टोडारायसिंह) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम मान्दोलाई तहसील टोडारायसिंह स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टर्स व अन्य स्टाफ की पूर्ण व्यवस्था है ? यदि हां, तो कृपया स्टाफ की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या इस स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टर व अन्य कर्मचारी नियमित रूप से कार्य निभा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) जी हां, सूची संलग्न है।

(2) जी हां। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री चतुर्भुज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसके संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूँ, ग्राम आम्दोलाई में जो स्वास्थ्य केन्द्र है वहां पर जितना स्टाफ डाक्टरों का और दूसरे लोगों का है वह स्टाफ वहां पर नहीं रहता है और वह लोग दूसरी जगह पर रहते हैं। उनका पोस्टिंग तो वहां पर होता है पर वह लोग काम किसी दूसरी जगह पर करते हैं जिससे गांव के लोगों को चिकित्सा सुविधा जो मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पाती है। इससे वहां के लोगों को भारी चिन्ता हो रही है। मरीजों की वहां पर कोई सुरक्षा नहीं है। इसके लिये मन्त्रीजी क्या करने जा रहे हैं? यह बतावे।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में वहां जो स्टाफ लगाया गया है वह काम कर रहा है। एक डाक्टर दूसरी जगह पर काम पर लगाया है बाकी स्टाफ यों का यों काम कर रहा है। लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल रही है।

श्री चतुर्भुज चौधरी : वहां पर स्टाफ नहीं रह रहा है। जो प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र की गाड़ी है वह वहां नहीं रहती है। वह वहीं रखी जानी चाहिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो गाड़ी वहीं रहती है पर अगर कोई काम हो दूसरे केन्द्रों पर तो वहां जाती होगी। वैसे वह गाड़ी वहीं रहनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

उदयपुर नगर में प्रति व्यक्ति चीनी व गेहूं का आवंटित कोटा

363. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या खाद्य एवं अ.पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर नगर में जुलाई, 1980 से जनवरी, 1981 तक प्रति यूनिट कितनी शक्कर एवं गेहूँ दिया गया ? कृपया माहवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत कुछ माह प्रति यूनिट दो व तीन किलो गेहूँ दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इसे सरकार पर्याप्त मानती है ?

खाद्य मन्त्री (श्री चन्दनमल बद) : (1) उदयपुर नगर में जुलाई एवं अगस्त, 80 में 450 ग्राम प्रति यूनिट एवं सितम्बर, 80 से जनवरी, 1981 तक 500 ग्राम प्रति यूनिट लेवी की चीनी दी गयी। इसके अतिरिक्त माह सितम्बर, 80 में 500 ग्राम, अक्टूबर, 80 में 600 ग्राम एवं नवम्बर, 80 में 500 ग्राम प्रति यूनिट आयातित फ्री सैल चीनी भी वितरण कराई गई है। गेहूँ जुलाई से दिसम्बर, 80 तक 10 किलो प्रति यूनिट एवं जनवरी, 81 से तीन किलो प्रति यूनिट दिया गया।

(श्री चन्दनमल बैद)

(2) उपलब्धि के आधार पर तीन किलो गेहूँ प्रति यूनिट ही दिया जाना सम्भव हो सका है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि जुलाई एवं अगस्त में 450 ग्राम प्रति यूनिट दी गयी थी उसको बन्द करने का क्या तात्पर्य है ? यह लेवी की चीनी बन्द क्यों की गई ? इसके अलावा क्या मन्त्री जी यह उचित समझते हैं कि तीन किलो ग्राम गेहूँ दिया जा रहा है वह इस महंगाई के जमाने में ठीक है ? पहले जब लोगों को गेहूँ की जरूरत नहीं थी तब तो राज्य सरकार ने जुलाई से दिसम्बर, 80 तक 10 किलो प्रति यूनिट गेहूँ दे दिया जबरदस्ती और अब सिर्फ तीन किलो गेहूँ प्रति यूनिट ही दे रही है यह आपने कौनसी व्यवस्था कर रखी है ? इसके अलावा गांवो में और शहरों में सभी जगह समान वितरण हो रहा है।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, जब बाजार में गेहूँ सस्ता था और हमारे यहां कन्ट्रोल का गेहूँ पड़ा था तब बहुत से लोग दुकानों पर गेहूं खरीदने नहीं जाते थे। तब लोगों को कोटा होने के कारण दस किलो गेहूं दिया जा सका लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जब बाजार में गेहूँ महंगा हो गया तो लोग गेहूँ लेने जा रहे हैं। इसके अलावा मैं यह भी सूचित करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में कम्पलसरी राशनिंग तो है नहीं। जो भी अनाज हमारे पास उपलब्ध है वह हम जितनी मात्रा दे सकते हैं वह दे देते हैं। कम्पलसरी राशनिंग नहीं है जिससे कि सभी को राशन दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने मेरे प्रथम प्रश्न का जवाब नहीं दिया। लेवी की चीनी बन्द क्यों कर दी गयी ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरी पूरी बात सुनें उसने पहले ही तीन चार प्रश्न पूछ लेते हैं तो मैं भूल जाता हू। लेवी की चीनी 6 रुपये किलो के विशेष वितरण की व्यवस्था राज्य सरकार ने की थी अब वह खतम हो गयी है। जो फ्री सेल की चीनी है और कन्ट्रोल की चीनी है वह दोनों मिलती हैं। जब कन्ट्रोल की चीनी आवंटित की गयी तो उसके उठाने में ढील हो गयी। भारत सरकार की मन्शा थी वह रेल के द्वारा उठायी जाय। अगर हम उसको ट्रकों के माध्यम से उठाते तो उसका कस्टमर पर भार अधिक पड़ जाता। रेलों के आने में दिक्कत आ रही थी। चीनी का वितरण जल्दी से जल्दी हो इसके लिये राज्य सरकार ने यह तय कर लिया है कि ट्रकों से भी चीनी मंगा ली जाय। इसमें जो पैसे ज्यादा लगेंगे वह सरकार भुगत लेगी। इसलिये मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हू कि होली पर सभी को समय पर चीनी मिलेगी।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या यह सही है कि कोटा जिले में पिछले कई महीनों से चीनी नहीं मिल रही है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

(14)

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि कोटा जिले में अक्टबर से अभी तक चीनी नहीं मिल रही है। इसका कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सभी एक साथ खड़े होकर बोलने लग जायेंगे और अपने-अपने क्षेत्रों की चीनी के बारे में बात करेंगे तो सभी प्रश्नों का जवाब तो मन्त्री महोदय दे नहीं सकेंगे और मैं आपको अलाऊ भी नहीं करूंगा। आप स्थान ग्रहण करें, मन्त्री महोदय ने जवाब दे दिया।

अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं मन्त्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। अगला प्रश्न ले रहा हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी ने जो जवाब दिया उसके अनुसार जब केन्द्रीय सरकार ने अलाट कर दी चीनी और अधिकारियों की ढिलाई के कारण चीनी नहीं आ सकी उसके लिये मेरा निवेदन है कि आपने अधिकारियों के खिलाफ में क्या कार्यवाही की ? गांवों में पिछले तीन चार महीनों से चीनी मुहैया नहीं हो रही है यह सरकार का काम था कि वह कन्ट्रोल की चीनी लाकर वितरित करती। यह राजस्थान की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। इसके लिये जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ में क्या मंत्री महोदय कार्यवाही करेंगे ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, व्यापारियों की और सरकारी अधिकारियों की मिली भगत के कारण यह चीनी नहीं लायी गयी जिससे कि लोगों को बाजार से महंगी चीनी खरीदनी पड़ी ? तीन चार महीने से राजस्थान की जनता को चीनी नहीं मिल रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

अगर अधिकारियों की लापरवाही से चीनी नहीं मिल रही है तो उसके लिये आप कुछ कहना चाहें तो कह दें।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की जो नीति है, चीनी 3 रुपये 50 पैसे प्रति किलो के अनुसार वितरित की गयी है। जैसा कि मैंने निवेदन किया, ट्रक से लाने की बात थी वह महंगी पड़ती। अब सरकार ने तय कर लिया कि तीन रुपये पचास पैसे प्रति किलो के भाव से ही स्टेचूटरी प्राइस ही ली जायेगी चीनी लाने के अन्दर अधिक पैसे जो लगेंगे, ट्रक के माध्यम से वह पैसे सरकार वहन करेगी। जहां तक सवाल सरकारी अधिकारियों के कसूर का है यह बात सही नहीं। कोई सरकारी अधिकारियों के दोष की बात नहीं है। अब यह तय कर लिया कि किस प्रकार चीनी को लाया जाय। इसके लाने में अधिक खर्चा होगा उसको मैंने कह दिया कि सरकार भुगतेगी।

अब मैं एक बात कहना चाहता हूं वह यह है कि इस बात का इन्तजाम कर लिया

(श्री चन्दनमल बैद)

गया है कि सारे राजस्थान में होली के पहले चीनी का वितरण हो जाये। माननीय सदस्य होली की छुट्टियों में घर जा रहे हैं और मैं उनसे सहयोग की आशा करूंगा कि किसी के इलाके में होली के पहले चीनी का वितरण नहीं हो तो मुझे सूचित करें जिससे कि अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही कर सकूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बात स्पष्ट कर दें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रकों से लाने की इजाजत नहीं है तो सब्सीडी सरकार को देनी पड़ेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले तीन महीने से सब्सीडी देने का क्यों नहीं विचार सरकार ने किया ? स्पेसिफिक क्वेश्चन है मेरा।

श्री चन्दनमल बैद : इसका तो कोई जवाब नहीं हो सकता कि पहले क्यों नहीं दी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़। अगला प्रश्न।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मेरा आरोप है कि सरकार के तत्कालीन अधिकारी लगातार सात बार चीनी के व्यापारियों से सांठगांठ करते रहे इसलिए यह सब हुआ ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अगला प्रश्न। श्रीमती विद्या पाठक !

आर्डर, आर्डर।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, चीनी का तो हो गया लेकिन गेहूँ के लिए भी होना चाहिए ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज़।

(व्यवधान)

अंकित न हो। आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, आपस में बातें न करें।

श्री हंसराज शर्मा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्रीमती विद्या पाठक

जैसलमेर नगर में तोड़े गये भवन व चबूतरे

364. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जून, 1980 से 13 फरवरी, 1981 तक जैसलमेर शहर में कितने भवन व चबूतरे प्रशासन व नगरपालिका के आदेशों से तोड़े गये और क्यों ?

मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जैसलमेर शहर में जून, 80 से 13

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(बद्रीप्रसाद गुप्ता)
फरवरी, 1981 तक पटवों की हवेली के सामने या पटवों की हवेली के रास्ते को चौड़ा करने के उद्देश्य से प्रशासन व नगर पालिका के आदेशों से 25 भवन तथा 18 चबूतरे तोड़े गये। इसके अतिरिक्त नगर पालिका भूमि पर 36 अतिक्रमण भी हटाये गये।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खुद भी पिछले महीने जैसलमेर गयी। यह जो पटवों की हवेली का रेफरेन्स आपने दिया कि इसका रास्ता चौड़ा करने के लिए 25 भवन और 18 चबूतरे तोड़े गये तो मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहती हूँ कि यह पटवों की हवेली के रास्ते में नहीं पड़ते हैं। कुछ भवन पटवों की हवेली के सामने जरूर तोड़े गये जो कि स्वयं में प्रशासन का एक हत्यारापन था। बहुत खूबसूरत बड़ी बड़ी हवेली थीं जो कि आज के दिन बन भी नहीं सकतीं उनको 12 हजार और 18 हजार के बीच का कम्पन्सेशन देकर तोड़ा गया। मुझे बताया गया है कि उनको तोड़ा गया इसलिए कि वहां पार्क बनेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मामूली छोटा सा रास्ता है जिसमें से जीप पास नहीं हो सकती वहां पार्क बनाने की प्रशासन कल्पना करता है तो उसके पीछे उसकी नीयत साफ है ?

दूसरे, बताया गया कि जो रास्ता पटवों की हवेली के लिए तोड़ा गया तो वहां पटवों की हवेली के लिए रास्ता है ही नहीं। दो भवन तोड़े जिनका रेफरेन्स अभी दिया। उसके अलावा तो दूसरे दूसरे रास्ते में भी वन और चबूतरे हैं।

दूसरी बात मैं यह बताना चाहती हूं कि यह जो चबूतरे और भवन तोड़े गये हैं यह पीछे की तरफ हैं जिनका पटवों की हवेली से कोई लेना देना नहीं है। यह पर्सनल, व्यक्तिगत राजनैतिक वैमनस्यता से तोड़े गये हैं। खूबसूरती के नाम पर सिर्फ इमर्जेन्सी की याद दोहरायी गई है। उससे न खूबसूरती बढ़ती है और न रास्ता चौड़ा होता है। जहां से भवन तोड़ा गया है उसी एंगल में बने बिजली विभाग के खम्बे आज भी वहां मौजूद हैं। खूबसूरती के नाम से सिर्फ तोड़ा गया है और अवैध जो स्ट्रक्चरल डवलपमेन्ट हुआ है वह अब बन रहा है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बातों में कई महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : यही बात मैं कह रहा हूँ। आप कौनसी नई बात कह रहे हैं ?

श्रीमती विद्या पाठक : नाजायज कब्जे तोड़े नहीं गये बल्कि बनाये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्या।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि जो आप अतिक्रमण तोड़ने की बात कर रहे हैं वह अतिक्रमणों पर अब बनाये जा रहे हैं। तोड़े उन लोगों के जा रहे हैं जिनकी आवाज सरकार में नहीं है।....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें। मंत्री महोदय !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बातें बताई है मैं उनसे कतई सहमत नहीं हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सारी बातें निवेदन करना चाहता हूं। चीफ सैक्रेटरी और आर्कोलोजिकल डिपार्टमेन्ट के निरीक्षक, कलैक्टर और टाउन प्लानिंग के अधिकारी मौके पर इस क्षेत्र में गये। उन्होंने इसके सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से और अतिक्रमण हैं उनको हटाने की दृष्टि से सारे स्थान का मुआयना किया। उसके बाद अवाप्ति की कार्यवाही की और दफा 4 का नोटिफिकेशन निकाला....

श्री अध्यक्ष : अवाप्ति की कार्यवाही कौन से ईयर में हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : 23-12-76 को। फिर आब्जेक्शन इन्वाइट किये गये। आबजेक्शन्स प्राप्त हुए और चीफ सैक्रेटरी दुबारा मौके पर गये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : दुबारा कब गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : 21 जनवरी, 77 को और उसके बाद 18-10-78 को। जब जनता पार्टी का राज्य था तब गजट में नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसलिए यह कहना गलत है कि कांग्रेस के राज्य में अन्याय हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैंने भी सारी फाइल को देखा और जानकारी की। यह बात कतई निराधार है कि इस तरह की कार्यवाही हमारे राज्य में की गयी। यह तो उस समय कार्यवाही हो गयी थी। धारा 4 का नोटिस निकाला गया, आब्जेक्शन्स इन्वाइट हुए थे। आब्जेक्शन्स प्राप्त भी हुए थे और उसके बाद चीफ सैक्रेटरी दो बार मौके पर गये। जिनके भवन आदि अवाप्त हुए उनको अवाप्ति के एवज में लाखों रुपया मुआवजे का दिया गया। इसमें कुछ लोगों का झगड़ा चल रहा है और उचित कार्यवाही हो रही है। मैं माननीय सदस्या को और सदन को विश्वास दिलाता हूं कि मैंने खुद एग्जामिन किया है। यदि कोई ज्यादती होगी और आप बतायेंगे तो उसको और एग्जामिन कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। आर्डर, आर्डर।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय इत्तफाक नहीं करें तो भी फैक्ट्स तो बदलते नहीं। माननीय मंत्री महोदय ने रिकार्ड ही देखा है लेकिन मैंने तो खुद जगह देखी है वहां न सौन्दर्यीकरण का इफेक्ट पड़ रहा है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

प्रश्न संख्या 365

श्री कुन्जीलाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 366

श्री दीपेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हरीश शर्मा

तहसील रामगंजमण्डी में गेहूं, डीजल व केरोसिन का अभाव

367. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंजमंडी) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील रामगंज मण्डी, जिला कोटा में गेहूं, डीजल व केरोसिन का भारी अभाव है ?

(2) क्या यह भी सही है कि मजदूर क्षेत्र में गेहूं व मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है ? यदि मिलता है, तो भारी दामों में ? क्या यही हाल ग्रामीण क्षेत्र का है ? सरकार इस ओर क्या प्रभावी कदम उठा रही है ?

(3) क्या गांवों में शक्कर व डीजल नहीं मिल रहा है जिससे किसानों की हालत खराब हो रही है ? यदि हां, तो कब तक सामान उपलब्ध होने लग जावेंगे ?

मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी नहीं, तहसील रामगंज मण्डी में गेहूं, डीजल व मिट्टी का तेल उपलब्धि के आधार पर वितरित कराया जा रहा है।

(2) जी नहीं। मजदूर क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी गेहूं व मिट्टी का तेल उपलब्धि के आधार पर सामान्य दरों पर उपलब्ध कराया जाता है।

(3) माह जनवरी एवं फरवरी, 81 की शक्कर प्राप्त नहीं होने के कारण शक्कर वितरण नहीं की जा सकी थी। प्राप्त करने के पूर्ण प्रयास किये गये हैं जिनके परिणामस्वरूप सभी जिलों में चीनी पहुंच गई है जिसका होली के पूर्व वितरण प्रारम्भ किया जा रहा है। बकाया चीनी जैसे जैसे प्राप्त होती जायेगी उसका शीघ्र ही वितरण कर दिया जायेगा। डीजल कृषकों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जा रहा है व 7 मार्च से डीजल की उपलब्धि पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा लिया गया है।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे, क्या यह सही है कि हमारे वहां पर 8 रुपये की एक बोतल मिट्टी के तेल की मिल रही है ? वहां मजदूरों को कोई चीज नहीं मिल रही है और मजदूर भूखों मर रहे हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य होली की छुट्टी पर अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जायेंगे तो उनको मालूम हो जायेगा कि शक्कर का वितरण हो गया होगा वहां पर।

श्री हरीश शर्मा : मैंने बात पूछी उसका जवाब नहीं आया। क्या यह सही है कि मिट्टी का तेल 8 रुपये बोतल मिल रहा है ?

श्री गोपाल पनेरवाल (पाटन) : मंत्री महोदय यह बतायें कि क्या केरोसिन के भाव काफी बढ़ गये हैं इसलिये वहां केरोसिन की काला बाजारी हो रही है और 8 रुपया लीटर के हिसाब से बिक रहा है ?

श्री चन्दनमल बैद : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से डीजल पर से प्रतिबन्ध हटाकर सारे राजस्थान में डीजल उपलब्ध करा दिया है उसी प्रकार से सरकार इस बात पर गम्भीरता से विचार

(श्री चन्दन मल बैद)
कर रही है कि केरोसिन पर से भी प्रतिबन्ध हटाकर सुलभ कर दिया जाये....

श्री हरीश शर्मा : मिट्टी का तेल....

श्री चन्दनमल बैद : केरोसिन का मतलब मिट्टी का तेल।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : डीजल आपने खोल दिया है किन्तु मौखिक आदेश अधिकारियों को डीजल बेचने के बारे में यही दिये हैं कि पुराने तरीके से डीजल दिया जाये, क्या आपके ध्यान में है ?

श्री चन्दनमल बैद : आपने इसकी जानकारी दी है, आपने जो सूचना दी है मैं जानकारी करवा लूंगा। बिना किसी प्रतिबन्ध के डीजल वितरण करने का आदेश वायरलैस द्वारा दिये जा चुके हैं।

प्रश्न संख्या 368

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री देवदत्त तिवाड़ी।

विधवा पेंशन

369. **श्री देवदत्त तिवाड़ी** (बाड़मेर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधवाओं को पेंशन सहायता प्रदान करने के लिये क्या आयु की सीमा निर्धारित है ?

(2) क्या विभाग, विधवाओं को, जिनके कोई संतान नहीं है अथवा जिनकी सन्तान अवयस्क है अथवा लड़की है, जिसकी शादी कर दी गई है, उनके लिये आयु की सीमा बंधन हटाने के लिए कानून में परिवर्तन करने के लिये तैयार है ? यदि हां, तो कब तक ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरसहाय मीणा) : (1) वृद्धावस्था पेंशन नियमों में विधवाओं को पेंशन प्रदान करने के लिये आयु कम से कम 45 वर्ष व देवस्थान के नियमों में आयु सीमा 45 वर्ष है।

(2) ऐसी विधवाओं को देवस्थान विभाग से पेंशन दी जा सकती है।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि विधवाओं को पेन्शन नहीं देते हैं तो क्या परिवार नियोजन का खण्डन नहीं कर रहे हैं ? हम विकलांग वर्ष मना रहे हैं, उसको अर्धांगनी नहीं मानते हैं उसका आधा अंग तो गायब हो जाता है तो हर विधवा को पेन्शन क्यों नहीं देते हैं, कोई भी उम्र हो ?

श्री हरसहाय मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्धांगिनी उसको भी कहते हैं जो सुहागिन होती हैं इसलिये जहां तक विधवा का प्रश्न है उसमें अर्धांगनी का कहां प्रश्न है ?

प्रश्न संख्या 370

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री सूरजपाल सिंह।

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री भैरूंसिह गुर्जर।

बी. एड. प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों को अग्रिम वेतन वृद्धियां

371. श्री भैरूंसिह गुर्जर (खारची), श्री तकीउद्दीन (जोहरी बाजार) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बी०एड० प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर नियमानुसार तृतीय श्रेणी अध्यापक को कितनी अग्रिम वेतन वृद्धियां देय हैं ? क्या पूर्व में 2 वेतन वृद्धियां स्वीकार्य थीं तथा अब यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस कारण ?

(2) क्या सरकार इस व्यवस्था को पुनः लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह नियम पंचायत समिति के अध्यापकों को सरकार के कर्मचारियों की भांति सेवा सम्बन्धी लाभ व अन्य परिलाभ देने का विचार रखती है ?

शिक्षा मंत्री (श्री चन्दन मल बैद) : (1) बी०एड० प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर तृतीय श्रेणी अध्यापकों को वर्तमान में कोई अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने का प्रावधान नहीं है। संशोधित वेतनमान, 1961 में तृतीय वेतनमान में कार्यरत अध्यापकों को बी०एड० प्रशिक्षण प्राप्त करने पर दो वेतन वृद्धियां देने का प्रावधान था, किन्तु यह प्रावधान पुनरीक्षित नवीन वेतनमान, 1976 (प्रभावशील 1-9-76) के अन्तर्गत नहीं रखा गया।

(2) जी हां, मामला विचाराधीन है।

(3) जी हां।

(4) इसका सम्बन्ध पंचायत एवं विकास विभाग से है।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सरकार से पूर्व जो सरकार थी उस सरकार के शिक्षा मंत्री श्री भंवरलाल शर्मा ने घोषणा की थी कि बी० एड० करने वाले अध्यापकों को दो वेतन वृद्धियां दी जायेंगी, उस घोषणा का अब तक क्या हुआ ?

श्री चन्दनमल बैद : किस घोषणा की बात कर रहे हैं ?

श्री भैरूंसिह गुर्जर : आपने जो कहा है कि 1-9-76 से पहले वेतन वृद्धियां दी जाती थीं उनको बन्द कर दिया गया है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने विधान सभा में घोषणा की थी कि बन्द वेतन वृद्धियों को पुनः चालू कर देंगे। उस पर क्या विचार किया गया ?

श्री चन्दन मल बैद : माननीय सदस्य, वह सरकार आई और चली गई। इस पर दुबारा विचार कर रहे हैं।

श्री मती विद्या पाठक : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार के जाने से घोषणायें भी चली जाती है ?

श्री चन्दनमल बैद : अगर गलत घोषणायें करते हैं तो चली भी जाती हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्या मंत्री महोदय, इस घोषणा को निरर्थक समझते हैं?

श्री चन्दनमल बैद : तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सन् 77 में बहुत सी घोषणायें इस सदन में की थीं किन्तु जनता सरकार ने उसका निरादर ही किया था, आदर नहीं किया ...

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। क्या आप इस घोषणा को निरर्थक मानते हैं? यह स्पष्ट सवाल है।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने पहले अर्ज किया है यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्रीमती विद्यापाठक : कांग्रेस सरकार ने जाते हुए जो घोषणायें की थीं उन घोषणाओं के कोई मायने नहीं। घोषणाएं थीं, बजट में प्रावधान नहीं था इसलिये उसके कोई मायने नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : जो घोषणायें बजट भाषण में की थीं, उसका बजट में प्रावधान था। आज भी बहस कर सकते हैं उस साल का बजट जो मैंने पेश किया था और बजट भाषण दिया था दोनों से साबित कर सकता हूं कि जितनी भी घोषणायें हुई थीं उनका बजट में प्रावधान था।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न तो यह है कि क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इस वर्ष के अन्त तक आप कोई समिति बनायेंगे? यदि नहीं, तो क्या वेतन वृद्धि दे दी जायेगी?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि प्रश्न के भाग (4) के उत्तर में जो उत्तर दिया है, क्या समिति बैठाकर पंचायत समितियों के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर सुविधायें देने का 81 के अन्त तक आप कोई निर्णय करेंगे?

श्री चन्दनमल बैद : समिति बैठाने का सवाल नहीं है....

श्री अध्यक्ष : सरकार खुद एक समिति है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : पंचायत समितियों में सेवारत कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर कोई सुविधा नहीं है। आजादी के 35 वर्ष बाद भी उनको राज्य कर्मचारियों के बराबर सुविधायें नहीं हैं। क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे सरकार कब तक उनको इस प्रकार की सुविधायें देगी?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं, पंचायत समितियों का संबंध मेरे से नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

लाल कोठी योजना में अवाप्त भूमि के एवज भू-आवंटन

372. **श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)** : क्या नगर आयोजना एवं नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री नाथूसिंह)

(1) क्या 1964 में लालकोठी स्कीम के तहत जमीन अधिग्रहण की गई थी एवं जिनसे जमीन प्राप्त की थी उनके नाम अवार्ड जारी किया गया था ? यदि हां, तो किन-किन लोगों को ?

(2) क्या जिनको अवार्ड जारी किया था अब उन्हें जमीन दे दी गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(3) क्या 23 दिसम्बर, 1980 को नगर विकास न्यास ने लाटरी द्वारा जमीन अलाट की थी ? यदि हां, तो किन-किन लोगों को ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जिनको अवार्ड मिला था उनमें से कुछ लोगों को अभी तक भी जमीन नहीं दी गई है ? यदि हां, तो किन-किन को ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

नगर आयोजना मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (1) जी हां, लालकोठी स्कीम में जिनको भूमि अवाप्त कर अवार्ड जारी किये गये थे उनकी सूची "अ" संलग्न है।

(2) जिन लोगों को अवार्ड अनुसार भूखण्डों का आवंटन कर दिया गया है उनकी सूची "ब" संलग्न है।

(3) पूर्व में आवंटित भूखण्डों के नये नम्बर योजना के संशोधित मानचित्र के अनुसार लाटरी द्वारा निश्चित किये गये। सूची "स" संलग्न है।

(4) जी हां, सूची "द" संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि जिनको लालकोठी स्कीम में अवार्ड के रूप में जमीन अलाट हुई थी, क्या उन सभी लोगों को भूमि दे दी गई थी ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया है।

श्री नाथूसिंह : सब को आवंटन नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : सूची दे दी है। आप पढ़कर, समझ कर पूछिये।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि कुछ अन्य लोगों को जमीन दे दी और जिनको अवार्ड मिला है उनको नहीं दी। उनको क्यों नहीं दी ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है, अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है ..

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : आज तो ×× जैसे लग रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : आप सुनिये। घबरा क्यों रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया आपस में बातचीत नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : क्या यह सही है कि आई० ए० एस० आफिसर्स के रिश्तेदार और

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किया गया।

(श्री नाथूसिंह)

दूसरे अधिकारियों के रिश्तेदारों को और राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्तियों के संबंधियों को इस भूमि का अवार्ड नहीं मिलने के बाद भी भूमि दी गई है और कई लोगों को चार-चार, पांच-पांच नामों से नाम बदल कर भूमि दी गई है ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है, इसके दायरे में नहीं आता है। यदि आपको कोई आशंका थी तो आपको प्राइवेट तरीके से पूछना चाहिये था।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से पूछा है, क्या एक ही परिवार के व्यक्तियों को अलग-अलग नामों से, नाम बदल कर 5-5, 6-6, प्लाट्स दिये गये हैं ? मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आपके मूल प्रश्न में यह निकलता नहीं है। इसके लिए अलग प्रश्न पूछें, तब सम्भव होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : प्रश्न तो सम्बन्धित ही है, रेलेवेन्ट ही है। अलग से प्रश्न नहीं हुआ। अवार्ड जब मिला तो उससे निकलता है कि किन किनको 4–4, 3-3 दफा जमीन मिली ?

श्री अध्यक्ष : आपने भी पढ़ा नहीं है। माननीय सदस्य, आज उठ कर जल्दी आ गये हैं।

श्री सम्पत राम (खेरवल) : मेरी आपसे गुजारिश है, यह जो व्यवस्था आपने दी है, उसके बारे में नहीं कहता। मैं एक बात आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूँ कि कि ये सारी चीजें एक पर्टीक्यूलर एक्ट के, एक एवार्ड के तहत है जिसकी जमीन ली जायेगी, उसको एक प्लाट दिया जायेगा। अगर उसके बारे में व्यवस्था दी गयी तो प्रश्न सम्बन्धित है। इससे बढ़िया सप्लीमेंट्री हो नहीं सकता। जिनके पक्ष में अवार्ड दिया गया था, उनको प्लाट नहीं दिये गये। जिनके पक्ष में अवार्ड नहीं दिया गया था उनको दिये जा सकते हैं। तो इससे अधिक रेलेवेन्ट हो नहीं सकता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जिनको अवार्ड के मुताबिक जमीन नहीं मिली है, उनको देने का प्रोग्राम है। इसलिए नहीं मिला कि कुछ प्लाट कम थे। अब हाई कोर्ट से स्टे आ गया है, इसलिए वह रुका हुआ है।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि योग राज, श्रीमान, मैं नाम लेकर बताना चाहता हूँ—

श्री अध्यक्ष : प्रश्न जो आपका है, सामने है। यदि आपको यह शिकायत थी कि जिन लोगों को आवंटित करना चाहते थे प्लाट्स, उनको दिये नहीं गये और अन्य लोगों को किसी प्रभाव के कारण दिये गये थे तो स्पेसिफिकली प्रश्न पूछना चाहिए था। आपने कहा है, जैसी साधारण शिकायत थी, अगर शिकायत थी कि उन लोगों को जमीन से वंचित कर दिया गया और अन्य लोगों को दे दिया गया, ये स्पेसिफिकली पूछ लेते। खैर आप पूछिये।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन लोगों के नाम अवार्ड नहीं हैं, ऐसे कितने लोग हैं,

(श्री नाथूसिंह)

जिनको बिना अवार्ड के दूसरी जगह से जमीन दी गयी ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : यह प्रश्न नहीं उठता। आपने पूछा अवार्ड के खिलाफ किनको दी गई, इसका जवाब दे दिया। यह सवाल नहीं है, यह बहुत लम्बी चौड़ी योजना वर्षों से चली आ रही है, उसकी जानकारी आपने मांगी नहीं है। आप पूछेंगे तो बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप पोइन्टेडली पूछ लेते तो सरकार बता देती।

श्री नाथू सिंह : मैंने जो प्रश्न पूछा है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस जमीन के अन्दर भयंकर घोटाले हुए हैं। मेरे पास पूरी सूची है। जिनको जमीन नहीं दी गयी है उसमें क्या घोटाला हुआ है, हाई कोर्ट भी इसमें इन्वाल्व हुआ है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ, माननीय सदस्य।

श्री नाथू सिंह : आप इसको स्थगित कर दीजिए, यह बहुत बड़ा घपला है। अध्यक्ष महोदय, आई०ए०एस० आफिसर्स के रिश्तेदारों को जमीन दी गयी है, जिनका अवार्ड नहीं था। एक अजमेर की महिला है, अन्नपूर्णा देवी, उसको 15 सौ गज जमीन दी गयी है जबकि उसको 325 गज के लिए कहा गया था कि ये ले लें।

श्री अध्यक्ष : इसको पोइन्टेडली तरीके से उठायें, माननीय सदस्य। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

आप मुझसे मिल लीजिये। मुझे समझा दीजिये।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर में विकास प्राधिकरण का गठन

355. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशन-पोल),

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जयपुर शहर के योजनाबद्ध विकास हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण नामक संस्थान का गठन करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ? अब प्राधिकरण का गठन कब तक कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां, 1978 से इस सम्बन्ध में विचार विमर्श किया जा रहा है एवं अन्तिम निर्णय तत्पश्चात् ही सम्भव हो सकेगा।

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के सदस्यों हेतु विकासोन्मुखी योजना

357. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों के लिये कोई विकासोन्मुखी योजना बनाने की सोच रही है ?

(2) यदि हां, तो कब तक योजना को मूर्त रूप दे दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति व जन जातियों के लिये विकासोन्मुखी योजनायें प्रथम पंच-वर्षीय योजना काल से ही चलाई जा रही है ।

(2) प्रावधान के अनुसार योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है ।

डबली मंडी (हनुमानगढ़) में भंडार व्यवस्था निगम के गोदाम का निर्माण कराना

360. श्री आत्माराम (हनुमानगढ़) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डबली मंडी हनुमानगढ़ सबयार्ड में क्या गेहूं व धान की वसूली के उप-केन्द्र हर साल कायम किये जाते हैं ? यदि हां, तो किन-किन सालों में कायम किये गये ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या डबली में राज्य भंडार व्यवस्था निगम की कोई गोदाम बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो गोदाम कब तक बना दिया जायेगा ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) डबली मण्डी में वर्ष 1978-79, 1979-80 एवं 1980-81 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये ।

(2) निगम को पर्याप्त व्यापार नहीं मिलने के कारण गोदाम बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

बामनवास खुर्द में श्री मालदेव जी के मंदिर की भूमि का बेचान

365. श्री कुन्जी लाल (बामनवास) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि देवस्थान के मंदिरों की जमीन पुजारियों ने बेच दी है ? क्या यह भी सही है कि बामनवास खुर्द में श्री मालदेव जी के मन्दिर की भूमि पुजारियों ने बेच दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे वापस ठाकुरजी के नाम करायेगी ?

उत्तर

जी हां । ऐसे मामले ध्यान में आए हैं ।

(देवस्थान मंत्री)

देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिरों की कृषि भूमि का सर्वेक्षण का काम जारी है।

यह सत्य है कि बामनवास पट्टी खुर्द में स्थित श्री मालदेव जी के मंदिर की माफी भूमि पुजारी द्वारा बेच दी गई है? यह मंदिर देवस्थान विभाग के अधीन नहीं है, अतः राज्य सरकार इस मामले में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वैसे समस्त जिलाधीशों को, मंदिरों की कृषि भूमि के अवैध हस्तान्तरण को निरस्त करा कर वापस खातेदारी मूर्ति के नाम अंकित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश पहले से दिये जा चुके हैं तथा तद्नुसार कार्यवाही भी जारी है।

चिकित्सालयों में पागल कुत्ते के काटने का इलाज

366. **श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के कितने सरकारी चिकित्सालयों में पागल कुत्ते के काटने के इलाज की सुविधा उपलब्ध है ?

(2) गत वर्ष में राज्य के चिकित्सालयों में कितने मरीज पागल कुत्तों के काटने का इलाज करवाने आये और क्या इन सब मरीजों का इलाज सरकारी औषधि द्वारा किया गया ?

(3) इस बीमारी के उन्मूलन के लिए स्थाई रूप से क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में 120 सरकारी चिकित्सालयों में पागल कुत्ते के काटने के इलाज की सुविधा उपलब्ध है।

(2) वर्ष 1979–80 में पागल कुत्ते के काटे 65188 मरीजों का इलाज किया गया। सभी इलाज मुफ्त सरकारी औषधि द्वारा ही किया गया।

(3) यह बीमारी आवारा कुत्तों से फैलती है। इसका उन्मूलन तभी संभव हो, जब कि आवारा कुत्तों को समाप्त करने का उत्तरदायित्व नगर पालिका/नगर परिषदों एवं पंचायत समितियां निभायें। शहरी इलाकों में केवल कुछ ही नगर पालिकाए आवारा कुत्तों को पकड़ती हैं और उन्हें नष्ट करती हैं। ग्रामीण एवं छोटे कस्बों में आवारा कुत्तों को नष्ट करने के लिए इन संस्थाओं द्वारा कोई भी सुनियोजित कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है।

ग्रामीण एवं शहरी गृह निर्माण योजनायें

368. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करोली)** : क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

ग्रामीण एवं शहरी गृह निर्माण सम्बन्धी योजनाओं की प्रगति बहुत धीमी है ?

(2) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

(3) प्रदेश में आवासीय समस्या को हल करने के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है।

(2) भाग (1) के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस समस्या को पंचायत, नगर पालिका, नगर विकास न्यास एवं राजस्थान आवासन मण्डल के माध्यम से हल करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीनमाल (जालौर) को यूनिसेफ का वाहन उपलब्ध कराना

370. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भीनमाल (जालौर) को यूनिसेफ का वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीनमाल को यूनिसेफ का वाहन कब तक उपलब्ध करा दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

यूनिसेफ द्वारा वर्ष 1977 के बाद वाहन (जीप) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को देने में असमर्थता प्रकट की है।

(2) यह यूनिसेफ पर ही निर्भर करता करता है कि वे वाहन देना कब से प्रारम्भ करेंगे।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला कोटा की पंचायत समितियों में अध्यापकों के रिक्त स्थान

361. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में जिला कोटा की पंचायत समितियों की शालाओं में कितने अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं ?

(2) ये स्थान कब से रिक्त हैं ?

(3) जिले में कितनी प्राथमिक शालाएं कितने समय तक अध्यापकों के अभाव में

श्री रघुवीरसिंह कौशल

बन्द रहीं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में कोटा जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में अध्यापकों के 198 पद रिक्त हैं।

(2) पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

जिला कोटा के स्वास्थ्य उप केन्द्रों पर एम. एस. डब्ल्यू. के पदस्थापन

362. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंजमण्डी) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा के स्वास्थ्य उप-केन्द्र उण्डवा, खेड़ा, रूढा, गोपन्दा, रिछड़िया इत्यादि में कार्यरत एम. एस. डब्ल्यू. को सरकार ने प्रशिक्षण हेतु भेजा था ?

(2) यदि हां, तो उसके बाद से अभी तक भी इन स्थानों पर किसी को नहीं लगाया गया ? क्या इससे वहां की जनता परेशान है ? अब कब तक इन्हें पुनः पदस्थापित कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) नहीं नहीं।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जिला अजमेर के पोषाहार केन्द्र

363. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अजमेर में कुल कितने पोषाहार केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं ?

(2) ये पोषाहार केन्द्र किन-किन स्थानों पर किस-किस माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि गांधी जनता सेवा समिति आशागंज, अजमेर को वर्तमान में भी पोषाहार केन्द्र, किशनगढ़, नसीराबाद एवं पुष्कर में संचालन हेतु स्वीकृति दे रखी है ? यदि हां, तो क्या यह स्वीकृति नियमानुसार जिलाधीश, अजमेर से भी ली गयी है ?

(4) क्या गांधी जनता सेवा समिति आशागंज, अजमेर पंजीबद्ध संस्था होकर इस कार्य हेतु मान्यता प्राप्त है ? कृपया पंजीयन

(श्री कैलाश मेघवाल) :

प्रमाण-पत्र एवं मान्यता प्रमाण-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या इस संस्था की कार्यकारिणी या पदाधिकारी नियमानुसार चुने गये हैं? कृपया उनकी सूची मय पिछली चुनाव कार्यवाही के सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि गांधी जनता सेवा समिति, आशागंज, अजमेर ने पुष्कर, नसीराबाद व किशनगढ़ में संचालित केन्द्रों पर अजमेर नगर के निवासी रसोइयां व व्यवस्थापक लगाये हुए हैं? कृपया इन सभी केन्द्रों पर लगे रसोइयों व व्यवस्थापकों को सूची मय पतों के सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि इन रसोइयों एवं व्यवस्थापकों में से कुछ की दो-दो स्थानों पर नियुक्ति है?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में वर्तमान में कुल 70 पोषाहार केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं।

(2) सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। पोषाहार केन्द्रों के चलाने के लिये अलग से मान्यता देना आवश्यक नहीं है।

(5) प्राप्त सूचना से यह लगता है कि प्रथम गठन के बाद संस्था की कार्यकारिणी के चुनाव नहीं हुये हैं। पिछले गठन की सूचना संलग्न है।

(6) इस समिति द्वारा चलाये जा रहे केन्द्रों को बन्द कर दिया गया है। अतः सूची का प्रश्न ही नहीं उठता।

(7) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

जनजाति उप योजना क्षेत्र, में नये खोले गये औषधालय

364. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जन जाति विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जन जाति उपयोजना क्षेत्र में वर्ष 1980–81 में कितने नये औषधालय खोले गये? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चालू सत्र में औषधालय खोलने का कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किया गया? यदि हां, तो औषधालय खोलने का आधार क्या रखा गया?

(3) इस सत्र के पूर्व किस किस तहसील में कितने कितने औषधालय चल रहे थे? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(30)

(1) इस क्षेत्र में 14 आयुर्वेद औषधालय खोलने की शासकीय स्वीकृति जारी की गई है, सूची सदन की पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जनजाति उपयोजना क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह औषधालय स्वीकृत किये गये हैं।

(3) इस सत्र के पूर्व दिनांक 31-3-80 तक जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कुल 246 चिकित्सालय/औषधालय संचालित थे। तहसीलवार सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की इन्टरनल टेलीफोन व्यवस्था

365. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में इन्टरनल टेलीफोन एक्सचेंज की सेवायें उपलब्ध हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार इन सेवाओं को अधिक प्रभावी, उपयोगी एवं लाभदायक बनाने हेतु इस इन्टरनल एक्सचेंज को स्वचालित एक्सचेंज के रूप में परिवर्तित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अभी आवश्यकता नहीं है।

जिला सीकर में राशन में दिया गया चावल

367. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अप्रेल, 1980 से जिला सीकर में राशन पर वितरण करने हेतु कितना चावल आवंटित किया गया है ?

(2) किस-किस स्थान पर कितना-कितना चावल वितरित किया गया ?

(3) क्या यह चावल बाजार में इसी किस्म के बिकने वाले चावल से महंगा था ?

(4) क्या यह चावल अब भी बिना बिका पड़ा है ? यदि हां, तो कितना ?

उत्तर

(1) अप्रेल, 1980 से फरवरी, 1981 तक सीकर जिले में राशन पर वितरण करने हेतु 4360 मै० टन चावल आवंटित किया गया है।

(2) सीकर में 22 मै० टन, श्रीमाधोपुर में 19·4 मै० टन, नीम का थाना में 4 मै०

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

टन तथा लक्ष्मणगढ़ में 20·4 मै० टन चावल का वितरण किया गया।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। श्रीमाधोपुर डिपो पर 912 मै० टन, फतेहपुर डिपो पर 227 मै० टन, एवं लक्ष्मणगढ़ डिपो पर 524 मै० टन कुल 1663 मै० टन चावल अब भी बिना बिका पड़ा है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय कपासन के अध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही

368 श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय कपासन के अध्यापक द्वारा एक सात वर्षीय अबोध बालिका के साथ घिनौनी हरकतें करने के मामले में जन प्रतिनिधियों व अन्य ने सरकार को दोषी शिक्षक के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करने का अनुरोध किया है? यदि हां, तो सरकार ने क्या दाण्डिक कार्यवाही की है?

उत्तर

जी हां, इनका स्थानान्तरण अन्यत्र कर दिया है। प्रारम्भिक जांच करवाई जा चुकी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जावेगी। इस मामले की रिपोर्ट पुलिस ने भी दर्ज कर जांच प्रारम्भ कर रखी है।

रामगंज मंडी क्षेत्र में खोले गये नये स्कूल

369. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रामगंज मंडी क्षेत्र में कौन कौन से स्कूल नये खोले गये तथा कौन से नये विषय प्रारम्भ किये गये? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो सम्पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि लाडपुरा पंचायत समिति में दो प्राथमिक विद्यालय ऐसे गांवों में खोल दिये जिस नाम का कोई गांव ही नहीं है इसका संशोधन करने हेतु सुझाव पंचायत समिति, लाडपुरा से सरकार को प्रेषित किया गया था? सरकार ने उस पर क्या कोई कार्यवाही की? यदि हां, तो क्या? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) रामगंज मंडी विधान सभा क्षेत्र में 3 प्राथमिक विद्यालय, दडेड़ा, रिफ्यूजी कोलोनी बानापुरा एवं अथियाखेड़ी में खोले गये हैं। इसके अतिरिक्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चेचट में वाणिज्य वर्ग (बिना टंकण), संस्कृत व भूगोल विषय प्रारम्भ किये गये हैं।

(2) राज्य सरकार को ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये है।

जिला बाड़मेर में शिक्षा विभाग में रिक्त कनिष्ठ लिपिकों के पद

370 श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर के शिक्षा विभाग में 23 कनिष्ठ लिपिकों के पद लम्बे अर्से से रिक्त हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि कि उक्त पदों पर न तो जयपुर से ही कोई व्यक्ति भेजे जाते हैं, और न ही इन पदों को भरने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को एन. ओ. सी. ही दिया जाता है ?

(3) इन पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं और कब तक इन पदों को भरने का विचार है ?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि जिला शिक्षा-अधिकारी, बाड़मेर जिले के अधीनस्थ 23 पद कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त हैं।

(2) जिला शिक्षा अधिकारी, बाड़मेर ने पत्र द्वारा शासन सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से अभ्यर्थी मांगे थे। परन्तु कार्मिक विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी को अभी तक नहीं भेजे हैं।

(3) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा यथाशीघ्र अभ्यर्थी उपलब्ध कराने पर नियुक्ति कर दी जावेगी।

ट्राइबल सब प्लान में खोले गये स्कूल्स

371. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत वर्ष 1980–81 में ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत कितने माध्यमिक विद्यालय खोले जाने थे ?

(2) क्या ट्राइबल सब-प्लान से सम्बन्धित सभी सुविधायें ट्राइबल क्षेत्र में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ? क्या ट्राइबल सब-प्लान के स्कूल उन्हीं क्षेत्रों में खोले गये हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980–81 में ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत 80 प्राथमिक, 20 उच्च प्राथमिक व 20 माध्यमिक विद्यालय खोले जाने थे।

(2) जी हां। इस क्षेत्र में 60 प्राथमिक, 15 उच्च प्राथमिक एवं 19 माध्यमिक विद्यालय खोले गये हैं। सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

उच्च प्राथमिक विद्यालय मदनपुरा, रामगंज मंडी

372 श्री हरीश शर्मा (रामगंज-मण्डी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

रामगंज मण्डी तहसील, जिला कोटा के उच्च प्राथमिक विद्यालय मदनपुरा (काल्या-खेड़ी) में किसी ने आग लगा दी जिससे क्या-क्या क्षति हुई ? क्या अभी तक भी सरकार की ओर से जले हुए स्कूल को ठीक करने हेतु टाट पट्टियां, फर्नीचर, किवाड़, खिड़कियां नहीं दी गई ? यदि नहीं, तो अब कब तक व्यवस्था कर दी जावेगी ?

उत्तर

सामान जलने से 1839–54 रु० की क्षति हुई है। इस वर्ष के बजट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सामान खरीद लिया गया है। अप्रेल के प्रथम सप्ताह तक आवश्यक सामान शाला को उपलब्ध करा दिया जायगा।

बाली नगरपालिका द्वारा आवंटित भू-खण्ड

373. श्री असलम खां (बाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाली नगरपालिका द्वारा धरू जांव व आकावा जांव की भूमि के भू-खण्ड रियायती दर पर आवंटित किये गये थे ? यदि हां, तो अनुसूचित जाति व जन जाति तथा स्वर्णकारों को कितने पट्टे दिये गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि बाली नगरवासियों को जो पट्टे दिये गये थे उनकी रकम उन व्यक्तियों से नगरपालिका द्वारा ले ली गई ? यदि हां, तो उनको अभी तक भूमि नहीं दिये जाने और अन्यथा स्थिति में रकम वापस नहीं करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 29, जनजाति के व्यक्तियों को शून्य व स्वर्णकारों को एक पट्टा दिया गया।

(2) जिन व्यक्तियों को पट्टे दिये गये हैं उन्हें भूमि का कब्जा दिया जा चुका है। जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटन नहीं किया गया व राशि जमा है उन्हें अभी अर्थाभाव के कारण राशि नहीं लौटाई जा सकी है।

बीकानेर नगर विकास क्षेत्र की स्वीकृत योजनाएं

374. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या बीकानेर नगर विकास क्षेत्र में स्वीकृत योजनाओं के नक्शों में स्वीकृति के बाद कोई तबदीलियां की गई हैं ? यदि हां, तो कृपया तत्सम्बन्धी विवरण सदन के पटल पर रखें ?

उत्तर

जी हां। विवरण संलग्न तालिका में अंकित है।

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

श्रीजी की मोरी, जयपुर स्थित प्रिंटिंग प्रेस

375. श्री मनफूल राम (केसरीसिंहपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्रीजी की मोरी के अन्दर त्रिपोलिया बाजार, जयपुर में एक प्रेस जो रतना प्रिंटिंग प्रेस के नाम से

(श्री मनफूल राम)

स्थित है, के संबंध में वहां के नागरिक ने प्रेस के खिलाफ नगर परिषद्, जयपुर में दरख्वास्त दी है ? यदि हां, तो किसने ?

(2) क्या इस प्रेस के खिलाफ नगर परिषद् ने कोई कानूनी कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? नही, तो क्यों ?

(3) क्या इस प्रेस के लग जाने से वहां के नागरिकों को न्यूईन्सेन्स पैदा हो रहा है ? यदि हां, तो उसके खिलाफ कब तक कार्यवाही होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री सुभान खां जनरल सैक्रेटरी माइनोरिटीज वेलफेयर सोसायटी द्वारा पत्र दिया गया था।

(2) मौके पर जांच करने पर यह प्रेस बिना अनुमति के चलाया जाना पाया गया है। इस पर नियमानुसार चालान कर दिया है, विद्युत विभाग को भी उक्त प्रेस का पावर कनेक्शन विच्छेद करने के लिए लिखा जा चुका है।

(3) प्रश्न का उत्तर भाग 2 में आ गया है।

बिहारीगंज मोहल्ला, अजमेर के पार्क व खेल के मैदान

376. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगर परिषद्, अजमेर के सम्मुख बिहारीगंज मोहल्ले में बच्चों का पार्क एवं खेल का मैदान स्थापित करने की कोई योजना विचाराधीन है ?

(2) क्या नवयुवक मण्डल बिहारी पुरम अजमेर द्वारा इस सम्बन्ध में विस्तृत एवं व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं ?

(3) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। परन्तु पार्क हेतु प्रस्तावित भूमि निजी भूमि थी इस कारण इस सुझाव पर विचार नहीं किया जा सका। पुनः उक्त नवयुवक मण्डल ने दिनांक 17-1-81 को अन्य भूखण्ड पर पार्क बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ऐसा ध्यान में लाया गया कि यह भूमि भी निजी भूमि है, इस बारे में जांच की जा रही है।

(3) निर्णय इसी वित्तीय वर्ष में ले लिया जावेगा।

अजमेर के वार्ड नम्बर 35 में अपेक्षित निर्माण कार्य कराना

377. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, अजमेर द्वारा वार्ड नं. 35 में सरस्वती स्कूल के पीछे कालू की ढाणी में गलियों एवं नालियों को पक्की कराने का

(श्री कैलाश मेघवाल)
तखमीना एवं नक्शा बन चुका है ? यदि हां, तो इनकी स्वीकृति कब हो गयी थी और क्या इनके आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो यह निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

उ र

जी हां। कालू की ढाणी कच्ची बस्ती वातावरण सुधार योजना के लिए चुनी गई 60 कच्ची बस्तियों में शामिल है। राज्य सरकार द्वारा बस्ती में वातावरण सुधार योजना के अन्तर्गत 51,600/- की राशि स्वीकृत की गई थी, इस राशि से सड़क व नाली निर्माण हेतु तखमीना न्यास में स्वीकृत हो चुका है तथा वर्ष 1979-80 में सड़कों का कार्य मय डामर के पूर्ण कर दिया गया है। नालियों का कार्य इस वर्ष में पूर्ण हो जावेगा।

ग्राम पंचायत काचरी (कोटा) में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना

378. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की पंचायत समिति अन्ता की ग्राम पंचायत काचरी मुख्यालय में अभी कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है ?

(2) क्या काचरी के लिये स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने हेतु ग्रामवासियों ने भवन भी उपलब्ध करा कर सरकार से मांग की है ?

(3) यदि हां, तो सरकार कब तक काचरी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोल देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार इस क्षेत्र के निवासियों को अकाल मृत्यु से बचाने हेतु यह उप केन्द्र शीघ्र ही खोलने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) काचरी ग्राम में चिकित्सालय नहीं है लेकिन निकटवर्ती क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं।

(2) जी नहीं। माननीय विधायक महोदय ने उप केन्द्र खोलने की मांग की थी।

(3) जिला विकास समिति से इसका नाम अनुमोदित होकर आने पर तथा समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर विचार करना संभव होगा।

(4) प्रश्न के भाग तीन में सूचना दी जा चुकी है।

जवाहर लाल नेहरू हॉस्पिटल का बिजली जनरेटर

379. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर, पूर्व) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय अजमेर में बिजली का जनरेटर स्थित है ? यदि हां, तो वह कब से खराब पड़ा है ?

(श्री कैलाश मेघवाल)

(2) क्या यह भी सही है कि पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से चिकित्सा सेवाओं में बड़ा व्यवधान पड़ता है ?

(3) क्या बिजली की वर्तमान दुर्व्यवस्था को देखते हुए एवं चिकित्सा सेवाओं के महत्व को देखते हुए सरकार इस जनरेटर को चालू करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में 20 के०वी० का एक डीजल जनरेटर है जो चालू हालत में है।

(2) जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, अजमेर को आम तौर पर नियमित बिजली मिल रही है।

(3) प्रश्न संख्या 1 में इसका उत्तर निहित है।

जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में रीडर के रिक्त पद की पूर्ति

380. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर-पूर्व) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर में एनाटोमी विभाग में रीडर का पद कब से रिक्त पड़ा है ?

(2) क्या सरकार इस पद की पूर्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर में एनाटोमी विभाग में रीडर का पद दिनांक 1–4–1979 से रिक्त है।

(2) इस पद को अतिशीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर की लिफ्ट्स

381. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर-पूर्व) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय अजमेर में कुल कितनी लिफ्ट्स हैं और उनमें से कितनी ठीक ढंग से काम कर रही हैं ? कितनी कब से बंद पड़ी हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि लिफ्ट्स के चालू नहीं होने से मरीजों को स्ट्रेचर पर, कंधों पर एवं आर्म्स चेयर पर सीढ़ियों द्वारा ले जाया जाता है जिससे कि उनकी चिकित्सा करने में कई तरह के अवरोध व खराबियां पैदा हो जाती हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि कॉलेज की इमारत 4 मंजिला है और वहां की लिफ्ट खराब होने से चढ़ने उतरने में छात्रों एवं प्राध्यापकों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा कुछ वरिष्ठ प्राध्यापकों के लिये यह बहुत ही कष्टदायक स्थिति है ?

(श्री कैलाश मेघवाल)

(4) क्या सरकार बंद पड़ी लिफ्ट्स को चिकित्सा सेवाओं की उपादेयता एवं तत्परता को बनाये रखने हेतु चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कॉलेज में एक लिफ्ट है जो चालू स्थिति में है । जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में कुल 3 लिफ्ट्स हैं उनमें से 2 लिफ्ट्स सही काम कर रही हैं । एक लिफ्ट पिछले 3 महीने से बन्द पड़ी है ।

(2) जब कभी लिफ्ट खराब होती है तो ठीक कराने में समय लग जाता है । ऐसे समय पर मरीजों को स्ट्रेचर व व्हील चेयर पर ले जाना पड़ता है जिससे उनकी चिकित्सा में कोई व्यवधान नहीं होता है ।

(3) कॉलेज की लिफ्ट चालू है ।

(4) चिकित्सालय की लिफ्ट को ठीक कराने के प्रयास जारी हैं ।

छात्रावासों के निलम्बित अधीक्षक

382. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1980-81 में कितने छात्रावास अधीक्षकों को किन-किन कारणों से निलम्बित किया गया ? कृपया निलम्बित छात्रावास अधीक्षकों की सूची सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

वर्ष 1980-81 में 7 छात्रावास अधीक्षकों को निलम्बित किया गया है । सूची निम्न प्रकार है :—

(निलम्बित छात्रावास अधीक्षकों की सूची)

क्रमांक	अधीक्षक का नाम	निलम्बन का दिनांक	कारण
1	श्री मनमोहन बैरवा (छात्रावास अधीक्षक, हिण्डौन, सवाईमाधोपुर)	जनवरी, 1980	राजकीय राशि के गबन के सम्बन्ध में ।
2	श्रीमती चन्द्रकला गोकडियां (छात्रावास अधीक्षक, गढ़ी, बांसवाड़ा)	11/3/80	स्थानान्तरण आदेशों की अवहेलना के कारण ।
3	श्री भौंरीलाल वर्मा छात्रावास अधीक्षक, पुष्कर, अजमेर)	23/1/81	बिना सूचना अवकाश पर रहना ।

4	श्री सवाईलाल मेहता (छात्रावास अधीक्षक, चित्तौड़गढ़)	16/12/80	कार्य में अनियमितता
5	श्री केसरसिंह (छात्रावास अधीक्षक, चौहटन, बाड़मेर)	जनवरी, 1981	गम्भीर अनियमितता
6	श्री विजयनारायण मल्होत्रा (छात्रावास अधीक्षक, इटावा, कोटा)	12/2/81	अनियमित कार्य
7	श्री सुमेरसिंह यादव (छात्रावास अधीक्षक, जालुपुरा, जयपुर)	16/2/81	कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही व अनियमितता।

प्रदेश के इतिहास पर शोध करने वालों को प्रोत्साहन

383. **श्री दीपेन्द्रसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्रदेश में इतिहास पर शोध के लिए पृथक से कोई शोध संस्थान है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस ओर कोई कारगर कदम उठायेगी ?

(2) प्रदेश में राजस्थान के इतिहास पर प्रमुख शोध कार्य करने वाले व्यक्तियों को सरकारी स्तर पर क्या कोई सुविधायें प्राप्त हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) राजस्थान पर शोध कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या सरकार विशेष सुविधायें प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पृथक से कोई शोध संस्थान नहीं हैं। विश्वविद्यालयों में इतिहास विभाग के अन्तर्गत इतिहास पर शोध कार्य होता है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर में प्राचीन भारतीय भाषाओं उपलब्ध विभिन्न विषयों पर शोध का कार्य निरन्तर चलता रहता है। फिलहाल अलग से कोई शोध संस्थान स्थापित करने का विचार नहीं है।

(2) शोध कार्य करने वालों को सभी विश्वविद्यालयों में पुस्तकों की सुविधा उपलब्ध है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार की तरफ़ से भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(3) फिलहाल कोई अन्य सुविधा देना विचाराधीन नहीं है।

नगरपालिका क्षेत्र सीकर में नये राशन कार्ड बनाने का कार्य

384. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर नगर परिषद् क्षेत्र में नये राशन कार्ड बनाने का काम कब से शुरू किया गया ? क्या नये राशन कार्ड अभी तक वितरित नहीं हुए ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) नये राशन कार्डों के हिसाब से कितने हजार लोगों के नाम दर्ज हुए हैं ?

उत्तर

(1) नये राशन कार्ड बनाने का कार्य दिनांक 15–1–81 से प्रारम्भ किया गया है। फरवरी माह में जनगणना के कार्य के कारण सारे राशन कार्ड अभी तक वितरण नहीं हुए हैं।

(2) कार्य पूर्ण होने पर नये राशन कार्डों के हिसाब से कितने लोगों के नाम दर्ज हुए, यह जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

भू-जल विभाग (बांसवाड़ा) को अपेक्षित धनराशि प्रदान करना

385. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला बांसवाड़ा के भू-जल विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था को पुनर्गठित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में अधिशासी अभियन्ता, भू-जल विभाग का अधिकार उदयपुर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो सक्षम अधिकारी कब तक नियुक्त किया जावेगा ?

(3) क्या जिला बांसवाड़ा के भू-जल विभाग की प्रगति को सीमित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो परियोजना अधिकारी के अधिकार सीमित क्यों किये गये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि गत 8 माह से भू-जल विभाग को पर्याप्त बजट आवंटित नहीं किया गया है जिससे नलकूप नहीं खोदे जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक धनराशि का आवंटन कर काश्तकारों को नलकूप खोदने हेतु राहत पहुंचायी जायगी ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1979–80 में गठित इकॉनामी कमेटी ने माह नवम्बर, 1979 में हुई बैठक में यह निर्णय लिया था कि भू-जल विभाग के परियोजना निदेशालय तथा विभिन्न जिलों में स्थित 6 परियोजना अधिकारी के कार्यालयों को समाप्त कर दिया जावे तथा इसके स्थान पर तीन अधिशासी अभियन्ताओं के कार्यालय स्थापित किए जावें। इस निर्णय के अनुसरण में राज्य सरकार ने आदेश सं० एफ० 13 (29) कृषि/5/79 दि० 22/23–4–80 के द्वारा भू-जल विभाग के परियोजना निदेशालय तथा परियोजना अधिकारियों के कार्यालय को समाप्त कर दिया जिसके फलस्वरूप बांसवाड़ा जिले का परियोजना कार्यालय भी समाप्त हो गया

(४०)

है। तत्पश्चात् इस कार्यालय के केवल परियोजना अधिकारी के केवल एक पद को फरवरी, 81 तक पुराने नलकूपों के विक्रय कार्य हेतु जारी रखा गया।

राज्य सरकार ने आदेश संख्या एफ० 13(29) कृषि/5/79 दि० 24-9-80 द्वारा अधिशासी अभियन्ता के तीन कार्यालयों एवं अधीनस्थ पदों का सृजन किया जिसके अन्तर्गत 6 सहायक अभियन्ताओं के कार्यालय हेतु पद भी सम्मिलित हैं। इन पदों में से एक अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय डूंगरपुर में तथा एक-एक सहायक अभियन्ता डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में स्थापित होगा।

(2) जी हां। अधिशासी अभियन्ता (डी०पी०ए०पी०) डूंगरपुर के रिक्त पद भरे जाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। फिलहाल डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों के कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, भू-जल विभाग, उदयपुर को प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारी एवं उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अधिशासी अभियन्ता, डूंगरपुर का रिक्त पद भर जाने पर संबंधित अधिकारी द्वारा ही डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों के कार्य को निष्पादित किया जायगा।

(3) जी नहीं। जैसा कि प्रश्न के भाग 1 के उत्तर में वर्णन किया जा चुका है कि बांसवाड़ा जिले में परियोजना अधिकारी का केवल एक पद पुराने नलकूपों का विक्रय करने हेतु फरवरी, 81 तक जारी रखा गया है तथा नये नलकूपों के निर्माण का कार्य अधिशासी अभियन्ता, भू-जल विभाग, उदयपुर तथा भविष्य का कार्य नवीन अधिशासी अभियन्ता, डूंगरपुर द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

(4) जी नहीं। विभाग को वर्ष 1980-81 में पर्याप्त बजट आंवटित किया गया है पूर्व में परियोजना अधिकारी, बांसवाड़ा को निम्नांकित धनराशि आवंटित की गई :—

बजट शीर्ष	मार्च तक व्यय	आवंटित धनराशि (लाख रुपयों में)	
305-कृषि (योजना)	स्टाक हेतु	5.00 माह मई, 1980	
,, ,,	,,	0.12 माह नवम्बर, 1980	
	योग	5.12	
306-लघु सिंचाई (गैर योजना)	मोटरगाड़ी	0.30	कार्य निष्पादन हेतु
	अनुरक्षण	0.40	
	सामग्री एवं प्रदाय	0·05	
	योग	0·75	

परियोजना अधिकारी, बांसवाड़ा का कार्यालय समाप्त हो जाने के पश्चात् डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों के कार्य हेतु निम्नांकित धनराशि अधिशासी अभियन्ता, उदयपुर को वर्ष 1980–81 में आवंटित की गई :—

बजट शीर्ष	अब तक व्यय	आवंटित धनराशि (लाख रुपयों में)
306–लघु सिंचाई	मोटरगाड़ी	1·78
(गैर योजना)	अनुरक्षण	1.51
	सामग्री एवं प्रदाय	2.92
	योग	6.21

वर्ष 1980–81 में जनवरी, 1981 तक बांसवाड़ा जिले में सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के तहत कृषकों के लिये 15 नलकूप, तथा अन्य विभागों एवं निजी संस्थानों/व्यक्तियों के लिये 14 नलकूप इस प्रकार कुल 29 नलकूप निर्मित किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1980–81 में जारी किये गये निर्देशानुसार, कृषकों के नलकूप निर्माण के प्रार्थना पत्र जिला विकास अभिकरण द्वारा तैयार करके भू-जल विभाग को प्रेषित किये जाते हैं तब विभाग द्वारा कार्य किया जाता है। वर्तमान में विभाग के पास नलकूप निर्माण हेतु कोई प्रार्थना पत्र बकाया नहीं है।

जिला शिक्षा अधिकारी (महिला) अजमेर द्वारा क्रय किया गया सामान

387. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) सत्र 1979–80 हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (महिला), अजमेर के अधीनस्थ विद्यालयों हेतु फर्नीचर आदि खरीदने के लिये कुल कितनी राशि आवंटित की गई थी ?

(2) इस राशि को किसने व्यय किया एवं क्या-क्या सामान किस-किस विद्यालय हेतु क्रय किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि यह राशि सम्बन्धित विद्यालयों के प्रमुख द्वारा अपनी आवश्यकताओं की प्राथमिकता के आधार पर खर्च करना था ?

(42)

उत्तर

(1) सत्र 1979–80 में जिला शिक्षा अधिकारी (महिला), अजमेर को उनके अधीनस्थ विद्यालयों हेतु फर्नीचर क्रय करने हेतु निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविर/प्राथ./डी/19895/पुस्तक/60/79–80, दिनांक 18–2–80 द्वारा निम्न प्रकार राशि आवन्टित की गयी (आयोजना मद में से)

क्र०स०	अधिकारी का कार्यालय	प्राथमिक विद्यालय (शहरी)		उच्च प्राथमिक विद्यालय	
		विद्यालय संख्या	आवंटित राशि	विद्यालय संख्या	आवंटित राशि
1.	उप शाखा, अजमेर	17	1887	8	4608
2.	,, टौंक	4	444	6	3456
3.	,, सवाई माधोपुर	5	555	6	3456
		26	2886	20	11520

एक अन्य दूसरा आवंटन आयोजना भिन्न मद में से निम्न प्रकार किया गया :

विभिन्न माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय रुपये 1,52,080/–

	प्रा० वि०	उ०प्रा०वि०
उप जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर	24,300	80,000
उप जिला शिक्षा अधिकारी, टौंक	5,500	22,500
उप जिला शिक्षा अधिकारी, सवाई माधोपुर	6,500	64,500

(2) इस राशि को व्यय करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (महिला), अजमेर को ही शक्तियां प्रदान की गई थीं, जो पत्र की प्रति से ही स्पष्ट है। खरीद भी पत्र मे दिये गये निर्देशों के अनुसार निम्न फर्मों से की गई :—

(1) 20 स्टील बुक कुल कीमत 11,500·00 मैसर्स अनमोल इन्टर प्राइजेज बी–5–6 इण्डस्ट्रियल एस्टेट, जयपुर से खरीदा गया जो सी. एस पी. ओ. से अनुमोदित फर्म थी।

(2) 26 स्टाल टैबल कीमत 2,678·00 मैसर्स गनेरीवाल इन्डस्ट्रीज, 6–इण्डस्ट्रियल एस्टेट, जयपुर से खरीदी गयी जो सी. एस. पी. ओ. से अनुमोदित फर्म थी।

दूसरे आवेदन के विरूद्ध निम्न सामान विद्यालयों में छात्राओं के उपयोग हेतु सी. एस. पी. ओ. से अनुमोदित फर्मों फोरेस्ट विभाग, जेल्स विभाग, सीखो कमाओ योजना व खादी भण्डार आदि से खरीद किया गया :—

1–कुर्सियां 2–स्टूल 3–स्टूडेन्ट टेबल 4–लकड़ी की आलमारी 5–टीचर टेबल 6–आइरन सैफ 7–पुस्तकालय आलमारी 8–लो डेस्क 9–दरी पट्टियां (सूची संलग्न है)

(3) जी नहीं। निदेशालय बीकानेर के पत्र जिससे राशि आवंटित की गई थी उसी में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि कौन सा सामान किन विद्यालयों हेतु क्रय करना है, उसी के अनुसार ही क्रय की गई।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

जिला रसद अधिकारी, उदयपुर द्वारा राशन की दुकानों का हस्तान्तरण

388. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जनवरी, 1980 से जनवरी, 1981 तक की अवधि में जिला रसद अधिकारी, उदयपुर द्वारा राशन की दुकानों की व्यवस्था कब-कब किन-किन कारणों से अन्य दुकानदारों को सम्भलाई गई ?

उत्तर

जनवरी, 80 से जनवरी, 81 तक की अवधि में जिला रसद अधिकारी, उदयपुर द्वारा राशन की जिन दुकानों की व्यवस्था अन्य दुकानदारों को सम्भलाई गई उसकी सूची कारण सहित संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

बीकानेर शहर के विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय

389. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीकानेर शहर गंगाशहर, देशनोक नगरपालिका व नगर विकास न्यास बीकानेर ने वर्ष 1980–81 में कहां–कहां सड़क निर्माण, नाली निर्माण, बिजली व पानी की व्यवस्था की है ? इस पर अलग-अलग मोहल्लों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है ? कृपया मोहल्लावार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

नगर परिषद् बीकानेर, नगर विकास न्यास, बीकानेर, नगरपालिका गंगाशहर, भीनासर, देशनोक द्वारा वर्ष 80–81 में किये गए विकास कार्यों का मोहल्लावार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

नगर परिषद् जयपुर द्वारा सफाई कर्मचारियों पर किया गया व्यय

390. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गोपाल पचेरवाल)

(1) गत वर्ष जयपुर नगर परिषद् में सफाई कर्मचारियों पर वेतन के रूप में वार्षिक व्यय कितना किया गया तथा कितना प्रावधित था ? कृपया आंकड़े सदन के पटल पर रखें।

(2) सफाई कर्मचारियों के अतिरिक्त परिषद् के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर वार्षिक वेतन एवं भत्तों के रूप में कितना व्यय हुआ तथा कितना प्रावधित था ? कृपया आंकड़े सदन के पलट पर रखें।

उत्तर

(1) गत वर्ष नगर परिषद् के सफाई कर्मचारियों के वेतन पर, 1,28,58,100/- का व्यय किया गया जबकि 1,32,93,700/- रु० का प्रावधान स्वीकृत था। आंकड़े सदन के पटल पर रख दिए गए हैं।

(2) सफाई कर्मचारियों के अतिरिक्त परिषद् के अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों पर वार्षिक वेतन व भत्तों के रूप में 60,38,700/-रु० व्यय हुए एवं 92,58,400/-रु. का प्रावधान स्वीकृत था।

(आंकड़ों के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

उदयपुर नगरपालिका द्वारा आंशिक समय के लिये रखे गये सफाई कर्मचारी

391. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर नगरपालिका में वर्ष 1978-79, 1979-80 एवं 1980-81 में कितने सफाई कर्मचारियों को आंशिक समय के लिये व कितनों को अधिक समय के लिये लगाया गया ? अब तक इस अवधि में 15 दिन से अधिक काम करने वालों की सख्या क्या है ? कृपया नियुक्ति के आधार सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ को आगे तक कार्य करने दिया गया ? यदि हां, तो कृपया उनकी सूची सदन के पटल पर रखें। निरन्तर कार्य करते रहने की स्वीकृति प्रदान करने का माप दण्ड क्या था ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। नगर विकास न्यास की योजनाओं के अन्तर्गत बसाई गई बस्तियों को नगर परिषद् को सौंपे जाने के कारण सफाई का क्षेत्र बढ़ गया था, इसलिए 1-8-79 से 50 सफाई कर्मचारी दैनिक वेतन पर रखे गए थे। इनमें से 25 को नियमित नियुक्ति दे दी गई व शेष 25 अभी दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहे हैं। इनकी सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

अजमेर नगर का बाढ़ से बचाव

392. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री कैलाश मेघवाल)

(1) अजमेर सिटी फ्लड प्रोटेक्शन स्कीम के अन्तर्गत नगर परिषद्, अजमेर को कौन-कौन से कार्य, योजनाएं सम्पन्न करने हेतु अधिकृत किया गया है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) इन कार्यों एवं योजनाओं में से किन-किन का अभी तक क्रियान्वयन किया जा चुका है ?

(3) कौन-कौन से कार्य अथवा योजना कब से चालू होकर अभी तक अधूरी पड़ी हैं ?

(4) कौन-कौन से कार्य अथवा योजना अभी तक चालू नहीं किये गये हैं ? इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। फ्लड प्रोटेक्शन स्कीम के अन्तर्गत नगर परिषद्, अजमेर को किसी योजना कार्य सम्पन्न करने के लिये अधिकृत नहीं किया गया है।

(2) प्रश्न के भाग एक के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(4) अभी तक कोई कार्य उक्त योजना के अन्तर्गत चालू नहीं किये गये हैं।

बिहारीगंज मोहल्ला, अजमेर में गलियों को पक्का कराना

393. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर-पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् अजमेर द्वारा बिहारीगंज मोहल्ले में गलियों को पक्का करने का कार्य चालू किया गया था ? यदि हां, तो कौन-कौन सी गलियां व स्थल पक्के करने थे ?

(2) यह कार्य कब स्वीकृत हुआ एवं कब किस माध्यम से चालू हुआ और कब तक समाप्त होना प्रस्तावित था ?

(3) क्या यह सही है कि यह कार्य अभी तक अधूरा ही पड़ा है और बिहारीगंज मोहल्ले की चौथी गली की टेकरी से श्री नाथूलाल हेलक के मकान तक की 250 फीट के टुकड़े में तो कुछ भी नहीं हुआ है ?

उत्तर

(1) यह सही है। गली नं० 3 व गली नं० 4 का कुछ भाग नीचा होने की वजह से उसको ऊंचा कर डामर सड़क बनाने का कार्य इस क्षेत्र में लिया गया था।

(2) कार्य का वर्क आर्डर दि० 7-11-78 को ठेकेदार को दिया गया एवं दिनांक 5-1-79 को शुरू हुआ तथा कार्य दिनांक 9-2-79 तक होना था।

(3) यह सही है। इस सडक को ऊंची करने एवं डब्ल्यू०बी०एम० का कार्य मार्च, 79 में ही पूरा हो चुका है। डामर का कार्य डामर के अभाव के कारण पूरा नहीं हो सका है। चौथी गली की टेकरी से नाथूलाल

(46)

हेलक के मकान तक की 250 फीट के टुकड़े का कार्य शामिल नहीं था।

राजस्थान विश्वविद्यालय का वार्षिक खर्च

394. श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय का कुल वार्षिक खर्चा कितना है तथा इसमें से कर्मचारियों के वेतन व अन्य भत्तों तथा सुविधाओं पर कितनी राशि खर्च की जाती है ?

(2) राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति पर वेतन, अन्य भत्ते, सुविधाओं तथा निवास पर एक वर्ष में औसतन कितनी राशि खर्च की जाती है ?

(3) कुलपति सचिवालय पर कुल सभी प्रकार की प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च की जाती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान विश्व विद्यालय के आय-व्यय के अनुमान 1980-81 के अनुसार वार्षिक खर्चा 4,49,72,100/- रुपये है। कर्मचारियों के वेतन अन्य भत्तों तथा सुविधाओं पर खर्चों का प्रावधान निम्नलिखित है। इसमें कुलपति व कुलपति सचिवालय का खर्चा भी शामिल है।

(1) वेतन 1,91,11,350/-

(2) भत्ते 62,58,500/-

(3) भविष्य निधि अंशदान 15,12,500/-

(4) सुविधाओं पर

(अ) चिकित्सा सहायता 3,17,000/-

(ब) चतुर्थ श्रे० क० पर खर्चा 2,10,000/-

(स) टेलिफोन सुविधा पर (28-2-81 तक का खर्च) 53,800/-

(द) अध्ययन भ्रमण 5,000/-

(घ) कर्मचारियों के आश्रितों का शिक्षण शुल्क का पुनर्भरण 10,000/-

(2) कुलपति पर वेतन व अन्य भत्ते, सुविधाओं तथा निवास पर एक वर्ष में औसतन निम्न राशि खर्च होती हैं :—

(1) वेतन 36,000/-

(2) बिजली व पानी, सुविधाओं पर खर्च

(अ) टेलीफोन 12,600/-

(ब) बिजली पानी 2,800/-

कार व निवास की सुविधा कुलपति को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त है।

(3) कुलपति सचिवालय पर औसतन निम्न खर्चा प्रति वर्ष होता है :—

(1) कर्मचारियों का वेतन 94,600/-

(2) टेलिफोन 14,000/-

1,08,600/-

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

वे प्रस्ताव जिन पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा :—

(1) **श्री चाव खां** : कोटा स्थित हजीरा वक्फ सम्पत्ति की भूमि पर नगर विकास न्यास कोटा द्वारा नाजायज कब्जे पर आवंटन प्रारम्भ करने के विषय में।

(2) **श्री हीरा लाल आर्य** : पीपल्दा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत गरीबों व किसानों को ऋण देने से पूर्व फिक्सड़ डिपोजिट खाता खुलवाने की शर्त के विषय में।

(3) **श्री लच्छू राम** : क्षेत्रीय जल योजना लूटू में विजली के अभाव में 42 गांवों को पानी न मिलने के विषय में।

वे प्रस्ताव जिन्हें सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है और स्वीकृति नहीं दी जा रही है :—

(4) **श्री बाल चन्द्र आर्यवीर व श्री अनंगकुमार जैन** : झालावाड़ पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में धरणावद गांव और पिड़ावा कस्बे में गत 6 माह से डाक्टर नहीं होना।

(5) **श्री हरीश शर्मा** : तहसील फलौदी के ग्राम बाप में परगना अधिकारी का कार्यालय हटाने व पीने के पानी की व्यवस्था।

ये कार्य अधिकारी एस० डी० ओ० दफ्तर का नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आपके एरिया का मामला है।

श्री अध्यक्ष : तभी तो मुझे उसकी थोड़ी जानकारी है।

(6) **श्री छोतर लाल आर्य** : बपावर कला की जनसंख्या 5 हजार होने के बावजूद पीने के पानी की कमी के विषय में।

(7) **श्री राम किशोर मीणा** : गत 16 मार्च को ग्राम मित्रपुरा भांडारेज मोड़ तहसील दौसा में कुछ जमीनों के पट्टे वितरित किये जाने के बावजूद असामाजिक तत्वों द्वारा पट्टाधारियों की झोपड़ियां जला देना।

(8) **श्री बंशी लाल पटवा** : भीलवाड़ा नगर व जिले के गांवों में चोरियां।

(9) **श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह** : श्री मंगतराम मित्रका झुंझनूं सत्र न्यायाधीश का लापता होना।

वे प्रस्ताव जो स्थगन प्रस्तावों के विषय नहीं हैं और जिन्हें स्वीकृति नहीं दी जा रही है :—

(10) **श्रीमती उजला अरोड़ा** : कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से बनाई जाने वाली सड़कों के विषय में आयोजना समिति के निर्णय के बावजूद माननीय सदस्या के विधान सभा क्षेत्र में उनका काम पूरा न करना।

(11) **श्री नाथू सिंह** : तहसील बसवा में सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक एवं अन्य बैंकों द्वारा किसानों से जबरन ऋण वसूली।

(48)

(श्री अध्यक्ष)

(12) **श्री गुलाब चन्द कटारिया व श्री नन्द लाल मीणा** : उदयपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में सिंह जांच आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही न होना।

(13) **श्री दाऊ दयाल जोशी** : राज्य में भिक्षा वृत्तिउन्मूलन न होना।

(14) **श्री मोहन लाल मोदी** : गत 30 नवम्बर, 1980 को ग्राम कटारामल जिला सीकर में श्री गोविन्द राम के कतल के विषय में।

(15) **श्री रतन लाल ताम्बी** : भीलवाडा जिले में निम्बाहेडा में बिजली विभाग के ट्रैक्टर ड्राइवर द्वारा एक महिला का अपहरण।

जिनको अस्वीकृत कर दिया है, वे 2–2 मिनट में अपनी बात कह सकते हैं।

श्री बाल चन्द्र आर्यवीर व अनंग कुमार जैन, झालावाड़ पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में धरणावद गांव और पिड़ावा कस्बे में गत 6 मास से डाक्टर नहीं होने के विषय में। दो के बजाय एक ही माननीय सदस्य कह दें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री भैरोंसिंह शेखावत : (नेता, प्रतिपक्ष) अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया था और आपके समक्ष लिख कर भी प्रस्तुत किया है कि राजस्थान में आरक्षण विरोधी आन्दोलन के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सारी घटनाओं से इस विधान सभा को परिचित कराना चाहिए। इस सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये हैं, कई ने एडजार्नमेन्ट मोशन दिये हैं और कई प्रकार के क्वेश्चन इस सदन में प्रस्तुत किये हैं।

यह एक ऐसा गंभीर मसला है, जिस मसले पर सरकारी मौन से मुझे बहुत चिन्ता है। सरकार को स्वतः ही इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहिए था, अच्छा होता कि वक्तव्य देने से पहले विरोधी दलों को भी कांफिडेंस में लिया जाकर सारे पक्षों की ओर से इस सदन में आरक्षण विरोधी आन्दोलन को कण्डम करने के सम्बन्ध में कोई विशेष कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसा ही अन्य विधान सभाओं में भी हुआ था और लोक सभा में भी इस प्रकार की स्थिति बनी है।

मुझे अफसोस है, राजस्थान में किसी प्रकार से कोई चिन्ता नहीं है और न राज्य सरकार सदन को इस सम्बन्ध में कांफिडेंस में लेना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री मण्डल के माननीय साथी यहां बैठे हैं लेकिन मुख्य मंत्री जी ने शायद यह निर्णय कर लिया है कि इस विधान सभा में आ करके कभी बैठने की आवश्यकता उनकी दृष्टि में नहीं है। वे सदन में नहीं आते। अपने चेम्बर में आकर घण्टे दो घण्टे बैठते हैं। यदि उनमें विधान सभा का कोई भय उत्पन्न हो गया हो तो मैं कह नहीं सकता लेकिन पिछले छः दिनों से लगातार मुख्य मंत्री जी की इस विधान सभा भवन में अनुपस्थिति यह सदन का बहुत बड़ा अपमान है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी को बुला

(श्री भैरों सिंह शेखावत)

कर इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने की तैयारी उनकी करवा कर आज ही इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिलाया जावे ताकि सदन को जानकारी हो सके कि इस प्रकार कहां हो रहा है आन्दोलन और इन घटनाओं को किस प्रकार से रोका जा रहा है। क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में किसी प्रकार का भय है. उस भय के निराकरण के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही कर रखी है ? मुख्य मंत्री जी को सदन में बुलाया जावे और बुला कर इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिए उन्हें कहा जावे, इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा (मंत्री, संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय नेता ने अभी आरक्षण विरोधी आन्दोलन के सम्बन्ध में चर्चा की और यह कहा कि सदन में वक्तव्य दिया जावे। जैसा कि आपने भी पूर्व में इस सम्बन्ध में संकेत किया था। कल मुख्य मंत्री जी से हमने सम्पर्क किया है, वे आने पर ...

श्री भैरोंसिह शेखावत : वे आयेंगे नहीं। मुख्य मंत्री जी आते ही नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह आपकी धारणा हो सकती है ...

(व्यवधान)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह आपकी धारणा हो सकती है कि वे नहीं आयेंगे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी आयेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : देवपुरा जी मुख्य मंत्री बनने की तैयारी में हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको सच्चा साबित थोड़े ही करेंगे। आप कह रहे हो कि वे नहीं आयेंगे और वे कह रहे हैं कि आयेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुख्य मंत्री जी सदन में आवें तो उनका हम स्वागत करना चाहते हैं। पहले से सूचना दे दें तो और भी अच्छा रहेगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी के आने पर आपसे विचार करके निर्णय ले लिया जाएगा। जहां तक आरक्षण विरोधी आन्दोलन का सवाल है....

(व्यवधान)

जहां तक आन्दोलन का सवाल है जिस प्रकार से माननीय सदस्य चिंतित हैं उससे ज्यादा सरकार भी चिंतित है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देश में बनती जा रही है जब कि वह स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में आपने विस्तार से फैक्ट्स मांगे हैं, मुख्य मंत्री जी के आने पर जानकारी लेकर वे ही बता सकेंगे। इसलिए उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं, लेकिन जैसा कि विपक्ष के माननीय सदस्य ने कहा है कि मुख्य मंत्री जी छः दिन से इस सदन में नहीं आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं

(श्री हीरालाल देवपुरा)

है। अभी मुख्य मंत्री जी ने सदन में जवाब दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कब आए ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह सही है कि उस समय माननीय सदस्य वाक आउट करके बाहर तशरीफ ले गए थे इसलिए आपने नहीं देखा हो लेकिन सदन में थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस दिन के बाद में मैंने नहीं देखा।

श्री हीरालाल देवपुरा : सदन में मुख्य मंत्री जी आयें या नहीं आयें, सदन की अवहेलना का कोई कारण नहीं है। कोई क्वेशचन अराइज नहीं होता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर आर्डर, उत्तर आने दीजिए।

श्री देवीसिंह भाटी : मुख्य मंत्री जी नहीं हों तो उनकी फोटो रख दी जाए, अध्यक्ष महोदय।

श्री हीरालाल देवपुरा : सदन तो सर्वोच्च है और सदन का सम्मान नहीं करना या उसकी अवमानना करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, पुराने जमाने में खाण्डे से राज चलता था और खाण्डे से शादियां होती थीं। क्या राज्य सरकार भी इस स्थिति में आ गई है कि मुख्य मंत्री जी सदन में नहीं आ सकें तो उनकी अनुपस्थिति में ही सारा काम चले। मेरी समझ में नहीं आता, आखिर मुख्य मंत्री जी इस सदन के नेता हैं, केवल कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं हैं। सदन का नेता पिछले छः दिनों से, जिस दिन उन्होंने भाषण दिया या हमने बायकाट किया उसके बाद से किसी भी माननीय सदस्य ने मुख्य मंत्री जी के दर्शन इस हाउस में किये हों तो बता दें। वे हाउस में आते ही नहीं हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आखिर वे सदन की शोभा हैं। वे चाहे योग्य हों, चाहे अयोग्य हों लेकिन सदन के नेता हैं। नेता होने के नाते सदन में बैठते हैं, सदन की कार्यवाही उनके....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ....ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि आज तो कम से कम एक बार मुख्य मंत्री जी के दर्शन करवा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, कोई मंत्री महोदय उनसे मुख्य मंत्री के पूरे अधिकार प्राप्त कर लें ताकि उनकी तरफ से वे सारी बातें कह सकें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : (मुख्य सचेतक) अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने कहा कि मुख्य मंत्री जी यहां पधारते नहीं हैं, रोजाना पधारते हैं और....

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : एक फोटो लगा लो यहां पर, खेत सिंह जी आप खड़े हो वहां फोटो लगा लो ।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठोड़ (मुख्य सचेतक) : और विरोधी दल के नेता और माननीय सदस्य यहां उनसे मिलते हैं । उनकी डिमाण्ड नहीं आई इस वजह से वे हाउस में नहीं आए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : फोटो लगा लो यहां पर, काम चल जाएगा ।

श्री खेतसिंह राठोड़ : आज आपको अवश्य उनके दर्शन करने का मोका मिलेगा ।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पाइन्ट आफ आर्डर है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वक्तव्य के बारे में क्या हुआ ? क्या आज देंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने निवेदन किया कि मुख्य मंत्री जी आ रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्री जी आ रहे हैं यह कोई सब्जेक्टिव मैटर नहीं है अध्यक्ष महोदय । मुख्य मंत्री जी आयेंगे तो वक्तव्य देंगे । मुख्य मंत्री जी दिल्ली चले जायेंगे तो वक्तव्य नहीं दिया जाएगा ।

श्री हीरालाल देवपुरा : ऐसी बात नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं । आप कहिये कि आज वक्तव्य देंगे या नहीं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आप पूरी बात सुन तो लीजिए ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी सुन ली पूरी बात । आप बता दीजिए कि आज वक्तव्य देंगे या नहीं देंगे ? आप देखिए आपसे सीनियर मंत्री बैठे हुए हैं....

श्री खेतसिंह राठोड़ : आप तो आपस में लड़ाने की कोशिश करते हो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो मैं नहीं लड़ा रहा हूं, आपस में अपने आप ही लड़ रहे हैं ।

श्री खेतसिंह राठोड़ : कोई झगड़ा नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई दिल्ली में बैठा लड़ रहा है कोई यहां बैठा है....

श्री खेतसिंह राठोड़ : अखबारों की खबरों का कोई मतलब नहीं है....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्री जी को हटाया जावे या मुख्य मंत्री जी सरकार में रहें मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है ।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया और मुख्य

(श्री हीरालाल देवपुरा)

सचेतक महोदय ने भी निवेदन किया कि मुख्य मंत्री जी सदन में आने वाले हैं। यह ऐसा अहम् मसला है, स्वयं मे इम्पार्टेंट इश्यू है, इस इश्यू पर चर्चा करके सदन में स्टेटमेंट देने की आप इजाजत देंगे तो वह भी होगा। मैंने यह नहीं कहा कि स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। मैंने यही कहा है कि मुख्य मंत्री जी आ जायं तो आपके साथ बैठ करके चर्चा हो जाय फिर जो भी आप निर्णय करेंगे उसके अनुसार करेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : शुक्रिया साहब। अध्यक्ष महोदय, कल जैसा आपने निवेदन किया था उस समय माननीय मंत्री महोदय भी वहां थे। इन मंत्री महोदय से मैंने निवेदन किया कि मुख्य मंत्री जी से हमारा कांट्रेक्ट नहीं हो सकता लेकिन आप तो किसी भी समय जा सकते हैं। आपके लिए रुकावट नहीं है। आप उनसे इस सम्बन्ध के अन्दर सम्बन्ध बना कर निश्चित रूप से कल हाउस में बतायेंगे कि वक्तव्य दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उस समय शायद मजाक में किसी ने कहा भी था कि और कोई मंत्री जा सकता हो या नहीं जा सकता हो, देवपुरा जी तो बैड रूम में भी जा सकते हैं। यह बात भी उस समय आई थी। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम देवपुरा जी को तो इस बात की जानकारी होगी उन्होंने कंसल्ट किया होगा कि मुख्य मंत्री जी का आज वक्तव्य दिया जावेगा या नहीं। आप इसको सीरियसली लें। मैं समझता हूं कि हम सब मिल कर इस स्थिति को कण्डेम करेंगे तो राजस्थान में उसका असर पड़ेगा। सारे लोगों को यह पता लगेगा कि सरकार, विरोधी पक्ष कोई भी राजनैतिक दल इस प्रकार के आन्दोलन का समर्थक नहीं है। उसका मानसिक असर होता है। सरकार उस अपारचुनिटी को अवेल नहीं करना चाहती, इसका मुझे दुख है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी को आप सूचना दें या खेतसिंह जी सूचना दें या और कोई सूचना दें, एक वक्तव्य तैयार करवा कर इस सम्बन्ध में इस सदन में हो सके तो मैं तो यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सारे सदन की तरफ से एक प्रस्ताव पारित करके जनता के नाम अपील की जावे कि वह इस आन्दोलन से दूर रहे। आरक्षण विरोधी आन्दोलन करने वाले किसी प्रकार से राष्ट्र का हित नहीं कर रहे हैं, गरीबों के साथ किसी प्रकार का न्याय नहीं कर रहे हैं. इस प्रकार का संयुक्त वक्तव्य यदि इस हाउस में दिया जावे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी यही निवेदन किया था कि यह अहम् मसला है। आप जैसा सोच रहे हैं, आरक्षण विरोधी आन्दोलन के लिए, सभी माननीय सदस्य, सभी दलों के इस बात को मानते हैं कि यह आन्दोलन गलत हो रहा है और इस पर चर्चा की जावे। किस तरह से की जावे, क्या प्रस्ताव लाया जावे, क्या विचार किया जावे इसके बारे मे मैंने निवेदन किया कि मुख्य मंत्री जी अभी आने को हैं। अभी सदन तो उठ नहीं रहा है ...

श्री अध्यक्ष : आज जल्दी उठेगा यह पक्का है।

श्री हीरालाल देवपुरा : 8 बजे से तो शुरू हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्री जी तो अभी तक सोकर नहीं उठे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में चर्चा करके अगर इस बात का निर्णय लेंगे कि किस तरह से प्रस्ताव लावें, प्रस्ताव भी लाना है तो वह भी लायेंगे। यह मसला ऐसा है जो सब के लिए चिन्ता का विषय है। सभी को अपील करनी है, सम्बन्धित व्यक्तियों से भी और आम जनता से भी कि इस आन्दोलन से दूर रहें और इस प्रकार का माहौल बनाया जाय कि इस प्रकार की बातें नहीं करें। क्योंकि यह इस प्रकार का मसला है जिससे न केवल राजस्थान बल्कि सारा देश चिंतित है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, आप ऐसी व्यवस्था करें...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

व्यवस्था का प्रश्न
मुख्य मंत्री की सदन में उपस्थिति

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न इसलिए उठा रहा था कि मुख्य मंत्री जी ने जब बजट पर बहस का उत्तर दिया इसी सदन में एक बात उन्होंने कही कि मैं मेरे कक्ष में बैठे-बैठे नोट ले रहा था, कोई चाहे तो मेरे हैंड राइटिंग को तस्दीक कर सकता है। माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने भी कई बार कहा, मुख्य मंत्री जी की बात जब यहां आती है तो कई बार कह देते हैं कि कक्ष में बैठे हैं, यहां बैठे हैं वहां बैठे हैं। इस तरह की चर्चायें अनेक बार सत्ता पक्ष की ओर से इस सदन में की गई। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि इस सदन के कार्य करने की एक पद्धति है, एक प्रणाली है। इस सदन के प्रत्येक सदस्य का स्थान निश्चित है, विशेष रूप से मुख्य मंत्री, जो सदन के नेता हैं, का स्थान निश्चित है। ऐसी स्थिति में आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि इस सदन की कार्य प्रणाली में जो यह बैठने का स्थान निश्चित है इसमें भाग लेने की प्रक्रिया है, उसके अलावा कोई कहीं भी बैठे हों, क्या उसकी उपस्थिति मानी जाय ? बार बार यह तर्क दिया जाता है सत्ता पक्ष की ओर से। क्या आप अपनी व्यवस्था से इस तर्क पर प्रतिबन्ध लगायेंगे। यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, यही व्यवस्था है। इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को, खास तौर से जो व्यक्ति सरकार में हैं उनको अधिक से अधिक समय इस सदन को देना चाहिये।

श्री चाव खां (कामां) : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है ...

श्री अध्यक्ष : अभी दूसरी बात चल रही है, थोड़ा बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक जी को मैं विश्वास दिला दूं अगर वह चाहें कि मुख्य मंत्री यहां रहें उस समय कोई बोले नहीं तो उसके लिये भी तैयार हैं। लेकिन इनकी बैठने की आदत किसी तरह से आप डलवा दें।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : विपक्ष के नेता यह विश्वास दिला देवें कि मुख्य मंत्री के आते ही वह वाक आउट कर जायेंगे तो मुख्य मंत्री फौरन पधार जायेंगे।

श्री रतन लाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, आप ऐसी व्यवस्था कर दें जब मुख्य मंत्री यहां पर नहीं हो तो किसी को अधिकार दिला देवें ताकि रोज रोज की बीमारी मिटे। यह व्यवस्था तो आप करा सकते हैं मध्यस्थता तो आप करा सकते हैं। नम्बर दो, तीन जितने भी हैं किसी को भी दिलवा दें आप।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मुख्य मंत्री की कुर्सी पर जाकर बैठ जाऊं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अधिकारों का झगड़ा है नम्बर दो का तीन का। कभी हनुमान प्रभाकर जी जाकर बैठ जाते हैं, कभी चन्दनमल जी बैठे रहते हैं। इस झगड़े को निपटायें, अध्यक्ष महोदय, कभी हाथापाई नहीं हो जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कुर्सियों का झगड़ा है यह तो शाश्वत है। चलते ही रहेंगे। इस पर निर्णय यहां नहीं हो सकता है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, नम्बर दो यहां पर बैठे या मैं बैठूं, पर विरोधी दल के नेता को नहीं बैठने देगी सरकार।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, झगड़ा यही है। चन्दनमल जी ने बड़ी चतुराई से 'या' शब्द का प्रयोग किया है। अभी तक प्रभाकर जी कहते हैं कि मैं नम्बर दो हूं। आपने या लगा कर अपना क्लेम और कर दिया। इससे डर है कि झगड़ा खड़ा नहीं हो जाय।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। इस समय मैं डग विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। मैंने अपना स्थगन प्रस्ताव रखा है यह पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के बारे में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गरनावद ग्राम और पिड़ावा कस्बे में गत 6 माह से डाक्टर नहीं होने की वजह से वहां की जनता बीमारी से पीड़ित होती है उनको समय पर उपचार नहीं मिल पाने से वह मृत्यु के शिकार होते जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले समय एक व्यक्ति ट्रक से एक्सीडेंट होकर, जब उसमें कुछ जान थी तब उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां डाक्टर उपलब्ध नहीं होने के कारण

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

उसको झालावाड़ भेजा गया और बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री बालचन्द आर्यवीर : कि वह मुझे आश्वासन दें कि गरनावद ग्राम और पिड़ावा कस्बे में डाक्टर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। यह मैं आसन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं। उन डिस्पेंसरीज में जहां डाक्टर काम नहीं कर रहे हैं, खाली पड़ी है, बहुत शीघ्र ही डाक्टर पहुंचाये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री छीतर लाल आर्य।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है मेरा। बघावर कलां की जनसंख्या 5000 है। एक अच्छा कस्बा है तथा वह आवागमन से कस्बा परिपूर्ण है। इस कस्बे की पानी की बहुत बड़ी समस्या है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय में मेरा स्थगन प्रस्ताव है। इस विषय में मैं आपके माध्यम से सदन में चर्चा करना चाहता हूं। इस वक्त साढ़े सात हार्स पावर की मोटर से गांव में 15 सौ फीट तीन इंच पाइप बिछा कर पानी की सप्लाई की जा रही है। वहां पर बिसाऊ कस्बे में यह योजना ग्राम पचायत के अधीन चल रही है। इस 15 सौ फीट लाइन से एक वार्ड को पानी उपलब्ध होता है, बाकि सात वार्ड के व्यक्ति पानी के लिये परेशान रहते हैं। बिजली आने पर पानी की सप्लाई की जाती है, बिजली नहीं आये तो पानी की सप्लाई नही होती है। इस योजना से ग्राम पंचायत द्वारा मकान में 20 कनेक्शन दिये जाते हैं। इस योजना को बड़ी योजना में बदल दिया जाय तो इस गांव में तीन सौ कनेक्शन हो सकते हैं तथा पूरे गांव को पानी की सप्लाई की जाकर नागरिकों को राहत पहुंचाई जा सकती है। यहां पर कितनी ही बार सर्वे हो चुका है और तखमीना बना है। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि इस कस्बे में पानी के लिये नल योजना का बड़ी योजना में परिवर्तन कराया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर मीणा।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, दौसा तहसील के ग्राम पंचायत नोपाड़ा में मित्रपुरा नामक गांव है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत मांडोरेज मोड़ है, वहां पर पंचायत ने आबादी विस्तार हेतु आवेदन किया था। जिला कार्यालय द्वारा 5-6-79 को एक बीघा जमीन आबादी परिवतन करने की इजाजत दी गई थी और उसके तहत 79 में एक बीघा जमीन थी। वह आबादी के लिये आवेदन कर्ता थे उनको आवंटित कर दी थी। इसमें सब जाति के

(श्री रामकिशोर मीणा)

लोग थे। गत 16 मार्च को वहां पर जो जानकारी मिली है, कुछ आदमियों ने शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को भड़का कर कहा कि तुम कब्जा कर लो, हम तुम्हारा कब्जा बहाल करा देंगे। जिनको पहले जमीन दी गई थी, वहां पर उनकी झोपड़िया बनी हुई थीं, उन झोंपड़ियों पर उनके द्वारा कब्जा किया गया और मारपीट की नौबत आने पर वह आग लगा कर भाग गये। उसके बाद यह हालत हुई कि सरपंच और कई गणमान्य व्यक्तियों ने मौके पर पहुंचकर झगड़े को शांत कर दिया। लेकिन ऐसा वैमनस्यता का वातावरण बन गया है कि जिन पट्टाशुदा आदमियों को जमीन दी गई है उनमें आतंक है। कुछ लोगों ने आग लगाने की रिपोर्ट की थी, पुलिस को दबा कर यह कोशिश की जा रही है कि जो सही तथ्यात्मक स्थिति है वह नहीं बतायी जाय। और सिर्फ शिड्यूल्ड कास्ट के नाम पर, शिड्यूल्ड कास्ट के लोग कब्जा करना चाहते थे, उनके नाम से वातावरण बना देना चाहते हैं। आज के समय में आरक्षण का मामला पूरे देश में भयंकर रूप से पनप रहा है, उसमें यह असामाजिक लोग आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जो सही तथ्यात्मक स्थिति है, उसकी जानकारी की जाय, जो काबिज हैं उनको जमीन दी जाय और जिन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं, उनके खिलाफ अविलम्ब कार्यवाही करें। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव भीलवाड़ा जिले में व नगर में चोरियां का तांता लगा हुआ है। पिछले दिनों 10 तारीख को भीलवाड़ा नगर में भंवरलाल चौधरी के मकान में रात्रि तीन बजे ताला तोड़ कर 14 तोला सोना और कुछ नकदी ले गये। और वहां ऐसी घटनाए हो रही हैं जैसे गुलाबपुरा में पिछली जनवरी में 10 डकैतों ने नकाब लगा कर रात के समय किशनलाल सिंधी के घर में घुस गये और रस्सी से बांध कर सारे परिवार को पीटा और नकदी, सोना, जेवर ले गये। इसके पूर्व में भी अनेक चोरियां हुई जिनका पुलिस पता नहीं लगा सकी और पुलिस की निष्क्रियता बढ़ती जा रही है।

यह एक ऐसा प्रश्न है जो सीधा कानून से जुड़ा हुआ है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। निरंतर चोरियां बढ़ती जा रही हैं जैसे माणक नगर में भंवरलाल चौधरी के घर से ताले तोड़ कर 14 तोला सोना और नकदी ले गये करीब 60 हजार की चोरी हुई। गुलाबपुरा में डेढ़ लाख की चोरी हुई जिसको पुलिस ने 15 हजार की आंकी। लेकिन वहां के जानकार सूत्रों ने बताया कि डेढ़ लाख की चोरी हुई है और धीरे-धीरे इतना आतंक फैल रहा है कि भीलवाड़ा जिले में लोग असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इस प्रकार चोरियों तांता पता लगा हुआ है पुलिस की निष्क्रियता से अन्य अपराधवृत्तियों में बढ़ोतरी हो रही है। अभी पिछले दिनों दंगा हुआ और जो भी चोरियां हुई हैं उनकी एफ०आई०आर० देखें सभी में रात के 3 से 4 बजे के बीच की घटना मिलेगी। तो यह निष्क्रियता जो बढ़ती

(श्री बंशीलाल पटवा)

जा रही है, पुलिस पर मैं लांछन नहीं लगाता लेकिन सरकार क्यों नहीं ध्यान देती ? भीलवाड़ा जिले में जब तक पुलिस का माकूल इंतजाम नहीं होगा, कोतवाली चौकियों पर टेलीफोन का इंतजाम नहीं वहां व्यवस्था करवावें और जिन क्षेत्रों में चोरियां हुई उन क्षेत्रों के थानों में भी टेलीफोन की व्यवस्था होनी चाहिये और पुलिस का पैट्रोलिंग बढ़ाया जाय तो निश्चित रूप से असर होगा। तो मेरा निवेदन यह भी है कि जितनी भी चोरियां हुई उनका मुस्तैदी से पता लगाया जाय और उसके साथ ही पुलिस प्रशासन में सुधार किया जाय जिससे चोरियों की रोकथाम हो सके। इसके साथ-साथ जो कानून तोड़ने की अन्य वृत्तियां बढ़ रही हैं उनकी रोकथाम के लिये कुछ प्रयत्न किये जांय यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है और मुझे आशा है कि भीलवाड़ा नगर में, जिले में इस प्रकार की सुधार की स्थिति बनाई जायगी, थाने में पुलिस का स्टाफ होशियार व ईमानदार लगायेंगे।

यदि इस प्रकार के भेदभाव से दूर रख कर कानून और व्यवस्था की दृष्टि से सोचा जायगा तो मैं सोचता हूं कि जो भी व्यवस्था की जायगी वह निश्चित रूप से यथार्थवादी होगी और उसके परिणाम भी अच्छे निकलेंगे। अन्त में मेरा अनुरोध है कि भीलवाड़ा जिले में जो भी चोरियां हुई उसमें पुलिस की निष्क्रियता है उसको दूर करते हुए समूचे प्रशासन को ठीक प्रकार से व्यवस्थित किया जाय ताकि चोरियां और अन्य अपराध वृत्तियों की रोकथाम हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री सम्पतराम।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया कि उन पर कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है जो स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं है। इसलिये बोलने....

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनट बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : वह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है कल जब, दो रोज पहले समाज कल्याण की जिस दिन मांग थी....

श्री दाऊ दयाल जोशी : इस दिन भी उठाया था, केवल दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, जितने भी स्थगन प्रस्ताव मेरे समक्ष प्रस्तुत हुए उनको तीन भागों में विभाजित किया है जिसको मैंने जनहित की दृष्टि से ठीक समझा, सरकार से जानकारी ली, कुछ छोटी केटेगरी के थे उन पर मैंने आवश्यक कार्यवाही की, इस प्रस्ताव के साथ सरकार के पास भेज दिया और आपको 2–2 मिनट का अवसर दे दिया लेकिन जिनको स्थगन प्रस्ताव का विषय माना ही नहीं उनमें इजाजत नहीं दे सकता। उनके लिये मैंने ऐसी व्यवस्था दी है तो इस व्यवस्था में जो विषय आ गये हैं उन पर चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा, कृपया सहयोग दें।

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो रखा है।

श्री अध्यक्ष : आपने जो दिया है उस पर मैं कुछ कार्यवाही करना चाहता हूं, आप उसकी यहां बात कर लेंगे तो मुझे फिर सरकार से उत्तर मांगने की जरूरत नहीं होगी। उसमें मैंने अच्छी व्यवस्था की है, माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा लेकिन उस समय मैं अनुपस्थित था....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरा प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण था, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : वह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है, मेरा ऐसा मत है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैंने ध्याना-कर्षण के माध्यम से भी दिया है।

श्री अध्यक्ष : उसमें व्यवस्था करेंगे लेकिन यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है आयोग का गठन जो है....माननीय सदस्य, आप जानते हैं कई महत्वपूर्ण विषय होते हैं, मैं हमेशा सहानुभूतिपूर्वक विचार करता हूं, लेकिन स्थगन प्रस्ताव को रिजेक्ट करके आपको अवसर दें यह माननीय सदस्य....

श्री नाथूसिंह : मेरा था, अध्यक्ष महोदय, किसानों से जबरन ऋण की वसूली की जा रही है...

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी अब मैं क्या बार-बार दोहराऊं, मैंने उसके ऊपर क्लियर दे दी है कि चर्चा नहीं होगी। आप अनुदान की मांगों पर विचार करें...

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव सभी मुझे जबानी याद नहीं रहते आपने दिया होगा आज या कल, उन पर व्यवस्था दे दी, उनके अलावा कोई हो तो बाद में चैम्बर में....

(व्यवधान)

आपके लिये मैंने सरकार से जानकारी चाही है।

श्री चाव खां : तीन दिन की छुट्टियां आ रही हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके यहां दो मिनट कहने से क्या होगा। मैंने भी सरकार को....

(व्यवधान)

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, भूख हड़ताल हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं....

श्री अध्यक्ष : मेरी बात तो सुन लें मैंने इसके लिये तजवीज यह की है, आप वयोवृद्ध हैं आज का आज जवाब चाहें, लेकिन सरकार हलचल में आ जायगी यह मैं निश्चित कहता हूं....

(व्यवधान)

मुझे जबानी याद नहीं है।

(59)

श्री अहमद बख्श सिंधी (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, एन्क्रोचमेंट होगा। खत्म कर दिये जायेंगे यह मैं सही कहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने सही निर्णय लिया है और सरकार के पास जानकारी के लिये भेजा है।

श्री अहमद बख्श सिंधी : जानकारी तो करेंगे लेकिन इंतजाम नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : इंतजाम करना तो सरकार का काम है, मेरा नहीं है तथ्यों की जानकारी ले सकता हूं। हमारे माध्यम से तथ्यों की जानकारी न लेना चाहें तो मैं रिजेक्ट कर देता हूं आप दो मिनट बोल लें।

श्री अहमद बख्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, इस तरह वक्फ प्रॉपर्टी का नाजायज....

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी नहीं है, मैंने किस स्थगन प्रस्ताव पर....

श्री अध्यक्ष : श्री मंगतराम मित्रुका, इस पर मेरे खयाल से चर्चा करनी ही नहीं चाहिए।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज जुडिशियरी के सैशन जज गायब हो जांय तो क्या होगा? सरकार का वक्तव्य आना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आप अवसर देंगे तो दो मिनट बोलूंगा। उचित तो यह होगा कि सरकार की ओर से इस पर वक्तव्य दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : जुडिशियल अफसर क्या हैं, कैसे हैं इसके बारे में चर्चा आम तौर से यहां नहीं होती है....

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि जब सैशन जज के कैडर का आदमी लापता है तीन दिन से और इस कारण सारी जुडिशियरी भयग्रस्त है....

श्री अध्यक्ष : मैं रात को कहीं चला जाऊं और वापस कल सुबह नहीं मिलता हूं तो उसका क्या होगा?

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब हमारे विधान सभा के अध्यक्ष की यह हालत है तो हमारी क्या होगी?

श्री अध्यक्ष : मैं स्वेच्छा से कहीं चला जाऊं तो इसका आप क्या करेंगे?

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : स्वेच्छा से नहीं गये हैं। मेरे पास उनके घर से टेलीफोन आया है। उनके बच्चों ने कहा है। इस पर मेरा निवेदन यह था कि सरकार की तरफ से वक्तव्य आता, यह आश्वासन आता कि इस पर कार्यवाही होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी आज सैशन जज के कैडर का आदमी गायब हो जाता है, तो जो दूसरे मुन्सिफ मजिस्ट्रेट हैं, उनकी क्या हालत होगी। इससे पूरी जुडिशियरी भयाक्रान्त है। इससे जनता में आम भावना फैल गई है

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

असुरक्षा की कि सैशन जज का भी किडनप कर लिया जाता है तो हम लोगों की क्या बिसात है। यह गंभीर मामला है और इसलिये इसको स्थगन प्रस्ताव के जरिये उठाया था। सरकार की ओर से आश्वासन होता कि इस पर कार्यवाही होगी। जनता में असुरक्षा की भावना फैल रही है....

श्री अध्यक्ष : यह स्थगन प्रस्ताव सरकार के पास सूचनार्थ भेज दिया गया है कि ऐसी दुर्घटना हो गई है....

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : उसके बाद मुझे बोलने का मौका दिया जावे....

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : यह दिल्ली में हुआ है हमारी सरकार ने दिल्ली की सरकार से क्या कहा, क्या कार्यवाही की ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दो मिनट।

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह : अध्यक्ष महोदय, परसों रात को मेरे पास एक टेलीफोन आया झुंझुनूं से–उन्होंने कहा कि यहां पर जो पहले सैशन जज थे और हाल ही में ट्रान्सफर किया गया है उन्होंने पहले यह मांग उठाई थी कि जुडिशियरी में भ्रष्टाचार है। इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, परन्तु मेरा यह निवेदन है कि अगर कोई भी आदमी इस तरह की आवाज उठाता है और उसके बाद में उसको किडनेप कर लिया जाता है तो इसके लिये सरकार को गंभीरता से कार्यवाही करनी चाहिये। आज जुडिशियरी के सैशन जज के कैडर का आदमी गायब हो जाय तो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का क्या होगा ? इसी तरह से डी० एस० पी० का क्या हाल होगा ? यह बहुत ही खतरनाक प्रणाली पड़ जायगी। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इससे जनता में असुरक्षा की भावना फैल गई है, उसको दूर करने के लिये सरकार कोई ठोस कदम उठाये और सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को आश्वासन के रूप में कहा जावे। हम सरकार को इस मामले में सजग करना चाहते हैं, किसी भी तरह से ऐसी कार्यवाही को रोकने में कठोर से कठोर कदम उठाया जाय। मेरा यह कहना है आपके माध्यम से कि यह सरकार जो नाकारा बनी हुई है, उसको जगाने के लिए मेरा स्थगन प्रस्ताव है परन्तु आपसे निवेदन है कि आप दबाव काम में लेकर इसके ऊपर सरकार का वक्तव्य दिलाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के पहले जो मेरा स्थगन प्रस्ताव है उस पर कृपया समय देने का कष्ट करें....आज समय नहीं देंगे तो कब....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

अंकित न हो।

श्री मोहनलाल मोदी : मेरा स्थगन प्रस्ताव है....

श्री अध्यक्ष : मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए इस पर बोलने की इजाजत नहीं है। इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं इसके लिये निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : यह नियम है, आप नहीं कह सकते हैं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल मोदी : मर्डर केस है....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : तीन नवम्बर से लगा कर आज दिन तक चार महीने हो गये अब कैसे यह महत्वपूर्ण हो गया। आर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल मोदी : आप सुन लीजिये....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अवसर दे दूंगा इसमें मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है। हमेशा मेरी इच्छा रहती है कि माननीय सदस्य अधिक से अधिक सदन में चर्चा उठा सकें। जब मैंने यह व्यवस्था दी है तो उसको अन्य किसी तरीके से मौका दिया जा सकता है। कृपया सहयोग दें।

श्री मोहनलाल मोदी : हमारे पास स्थगन प्रस्ताव के अलावा अन्य कोई जरिया नहीं है। इतना बड़ा भयंकर काण्ड मर्डर का केस हो जाय....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं किया जा रहा है। सदन पर कार्यवाही को थोपा नहीं जा सकता है।

श्री मोहनलाल मोदी : इस मामले में भूतपूर्व चिकित्सा मंत्री....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करूंगा।

यह मैं निवेदन कर देता हूं....

श्री मोहनलाल मोदी : मैं नियमों की पालना करने वाला रहा हूं।

इस विधान सभा के अन्दर सहनशील व्यक्ति रहा हूं। डाक्टर द्वारा ऐसे कार्य के ऊपर सरकार को शर्म आनी चाहिये....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतराम।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(62)

श्री मोहनलाल मोदी : श्री बद्री प्रसाद गुप्ता ने पैसा लेकर डाक्टर को ···

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : चार महीने बाद यह महत्वपूर्ण हो गया ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (मंत्री, स्वायत शासन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरा नाम लेकर जो कहा है, मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि पांच साल मैं प्रेसीडेन्ट रहा, साढ़े सात साल विधान सभा का सदस्य रहा और आज भी हूं, अगर एक भी बात माननीय सदस्य साबित कर देंगे तो मैं अभी स्तीफा देकर अपने घर चला जाऊंगा। यह झूंठी बात है। आप गलत आरोप लगा रहे हैं···

श्री मोहनलाल मोदी : यह तो सही है····

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतराम।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी इस आरोप को प्रमाणित करे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें।

श्री मोहनलाल मोदी : मंत्री के घर में····

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप तो बहिर्गमन कर गये थे आप वापस आ गये क्या ?

श्री मोहनलाल मोदी : मैं बहिर्गमन करके वापस आ गया हूं।

श्री अध्यक्ष : तो क्या मंत्री के स्पष्टीकरण के लिये ही किया था क्या ?

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। श्री सम्पतराम।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य जो नाथूसिंह जी उठा रहे हैं एक गम्भीर एवं महत्वपूर्ण मसला है मुझे बताया कि बांदीकुई में सरकारी अधिकारी लोगों का माल जब्त कर रहे हैं। सरकार की ओर से कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाय कि अकाल के मौके पर कोई कार्यवाही न हो····

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, उन्होंने इस प्रश्न को स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उठाया है। वसूलियां कोई स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकती है। माननीय सदस्य अन्य किसी तरीके से उठायें तो इसमें सरकार की ओर से वक्तव्य दिलाया जा सकता है

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

अन्य तजवीजें की जा सकती हैं। इस पर मैंने व्यवस्था दे दी है कि यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता है। इसके बाद यह जिद जो कि नीम का थाने से आने वाले माननीय सदस्य की रही। आपको आसन के साथ सहयोग करना चाहिये कि हम इजाजत नहीं देते हैं, जो भी स्थगन प्रस्ताव आते हैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं और तय करते हैं, कि इसमें अनुमति देनी है इसलिये यह प्रश्न नहीं उठा सकते हैं।

श्री सम्पतराम।

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति का प्रथम व दूसरा प्रतिवेदन

श्री सम्पतराम (सभापति, प्राक्कलन समिति : मैं प्रस्ताव करता हूं कि 1980-81 की प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(1) समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित समिति का प्रथम प्रतिवेदन।

(2) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग विषयक प्राक्कलन समिति, 1973-74 के चौथे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित समिति का दूसरा प्रतिवेदन।

नियम 295 के अन्तर्गत उठाया गया प्रश्न

जयपुर, उदयपुर और सीकर आयुर्वेदिक कालेज में इन्टर्नशिप करने वाले छात्रों को प्रति माह दी जाने वाली राशि

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी। नियम 295 के अन्तर्गत दो मिनट के लिये बोलेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि राज्य सरकार ने यह फैसला किया था कि जयपुर, उदयपुर और सीकर के तीनों आयुर्वेदिक कालेजों में इन्टर्नशिप करने वाले छात्रों को प्रत्येक को ढाई ढाई सौ रुपये प्रति माह राशि दी जायगी। इस संबंध में केन्द्र सरकार को लिखा कि हम ढाई सौ रुपये प्रति छात्र दे रहे हैं। उसी हिसाब से केन्द्र सरकार से अनुदान राशि मिल रही है लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि जयपुर के आयुर्वेदिक कालेज में तो ढाई सौ रुपया प्रति छात्र देते हैं लेकिन सीकर और उदयपुर के आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों को 150 रुपया ही दिया जा रहा है यह बहुत भेदभाव पूर्ण तरीका है। इसके साथ ही सीकर, जयपुर और उदयपुर तीनों ही जगह पर आयुर्वेदिक कालेजों के पास उनके आयुर्वेदिक औषधालय भी हैं जहां वे छात्र इन्टर्नशिप करते हैं तो जयपुर और उदयपुर के छात्रों को तो अपने ही आयुर्वेदिक औषधालयों में इन्टर्नशिप करने दी जाती है जबकि सीकर के आयुर्वेदिक छात्रों को इन्टर्नशिप करने के लिये बाहर भेजा जाता है। सीकर में डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद आयुर्वेदिक औषधालय में 40 बैड हैं जबकि जयपुर के आयुर्वेदिक औषधालय में केवल 15 बैड हैं। एक तरफ जयपुर के छात्रों को 250 रुपया दे रहे हैं और सीकर और उदयपुर वालों को 150-150 रुपया ही दिया जा रहा है। हमारी मांग है कि दोनों को बराबर बराबर दिया जाय और तीनों कालेजों के छात्रों में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाय। इसी तरह सीकर के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लड़के कहीं और इन्टर्नशिप कर रहे हैं जब कि डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद आयुर्वेदिक औषधालय है वहां पर ही इन्टर्नशिप करने दी जाय। कल मांग पर चर्चा की थी कि इसके लिये केन्द्र सरकार मे अनुदान ले रहे हैं। आयुर्वेदिक कालेजों के लिये तो केन्द्र सरकार जब ढाई सौ रुपये दे रही है तो सीकर में 150 रुपया क्यों दे रहे हैं ? अतः मेरी मांग है कि सरकार इस पर विचार करे और सबको समान देने का विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक मिनट....

श्री अध्यक्ष : अब इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री दाऊदयाल जोशी : श्रीमन्, मैं एक मिनट में इस पर अपने विचार रखना चाहता हूं यह आयुर्वेद का मसला है ...

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
जयपुर शहर की आवासीय समस्या

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री श्रीराम गोटेवाला। जयपुर शहर की आवासीय समस्या की ओर नगर आयोजना मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम, 131 के अन्तर्गत राजस्थान के आवासन मंत्री का ध्यान जयपुर शहर की आवासीय समस्या की ओर आकर्षित करते हुये यह अनुरोध करता हूं कि जयपुर शहर के अन्दर जो सन् 1971 के अन्दर जनगणना हुयी थी उसके हिसाब से जयपुर की आबादी 6 लाख मानी गयी थी और अब जो सन् 1981 के आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से जयपुर की आबादी 10 लाख के ऊपर जा रही है। इस साल के दौरान जहां तक जयपुर की आवासीय समस्या का प्रश्न है मैं समझता हूं कि इस समस्या को तीन भागों में विभाजित करना पड़ेगा। एक जहां तक कच्ची बस्तियों का ताल्लुक है 31 अगस्त, 1971 को राज्य सरकार ने कच्ची बस्ती के कोई नियम घोषित किये थे और 31 अगस्त, 1971 तक एक सर्वे करा कर उनको नियमित किया गया था उसके बाद में आज तक लगातार 10 साल में 25 हजार लोगों ने और अपने-अपने झोंपड़े बना कर कच्ची बस्तियां बनायीं और उनको आगे विकसित किया।

दूसरी व्यवस्था आवासन की जयपुर में हाउसिंग, बोर्ड की है। 73 में जो पंजीकरण हुआ था उसमें 18 हजार लोगों ने एप्लीकेशन दी थी और 81 तक 18 हजार में से केवल मात्र जहां तक मुझे अनधिकृत जानकारी है वह बता रहा हूं, अधिकृत जानकारी तो मंत्री जी बतायेंगे, 4 हजार लोगों को मकान दिये गये हैं और आज भी 14 हजार एप्लीकेशन पेंडिंग हैं। तीसरी समस्या है कृषि भूमि की चूंकि नगर विकास न्यास, हाउसिंग बोर्ड और राज्य सरकार इस आवासन की समस्या के प्रति जागरुक नहीं रही है इसलिये लोगों ने हजारो बीघा जमीन

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

अपने आस पड़ोस में कृषि भूमि ली वहां पर मकान बनाये। इन भवनों के बारे में कहूं कि 25 हजार मकान जयपुर में ऐसे अनधिकृत बने हैं उनकी भी एक समस्या है और जो उनके मकान मालिक हैं उनके सिर पर हमेशा तलवार लटकी रहती है। तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूं कि मैं नगर विकास न्यास और हाउसिंग बोर्ड से नम्रतापूर्वक निवेदन करूं कि हुडको से जो 1.50 करोड़ का कर्जा दिया गया था ये उसको भी युटीलाइज नहीं कर पाये और जो आवासीय समस्या के राजकीय प्रयास किये जाने चाहिये वे नहीं किये गये। तो जैसा मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जयपुर की जनसंख्या 6 लाख से बढ़कर 10 लाख हो गयी है अर्थात चार लाख और लोग जयपुर में जुड़ गये हैं उन लोगों के लिये कम से कम सोचकर चलना चाहिये कि हमको एक लाख मकान बनाने पड़ेंगे। उसके लिये कुछ नहीं किया गया। यह सही है कि नगर विकास न्यास ने जमीन को एक्वायर करने के लिये हजारों की तादाद में नोटिस जारी किये, विद्याधर की एक योजना फायरिंग रेंज योजना के नाम से बनायी गयी थी उसको भी काफी प्रभावित किया गया लेकिन उसके बारे में....

(9.59 म. पू.)

(श्री सम्पतराम सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, अब क्या कार्यवाही हो रही है. सरकार वक्तव्य देगी उससे जानकारी प्राप्त हो सकेगी कि कितना काम हुआ है। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे और आवास की समस्या के लिये, इसको हल करने के लिये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि आपको एक लाख मकान बनाये जाने का प्रावधान करना चाहिये। जमीन उपलब्ध है। धन का भी नम्रतापूर्वकनिवेदन करता हूं कि यहां पर जयपुर शहर में मकानों के लिये कोई कमी नहीं रहेगी।

सभापति महोदय, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, इस बात पर, यह आवासन मंत्रालय का बजट 80–81 केन्द्र सरकार का है उसमें उन्होंने अरबन डवलपमेंट के लिये 31.37 करोड़ का प्रावधान किया था। उन्होंने कहा था कि

"Outlay of 20 crores and assistance to State Government's integrated development programme."

मुझे खेद है यह कहते हुये कि राज्य सरकार ने और यहां के आवासन मंत्री जी हैं उन्होंने 31.37 करोड़ में से इस राजस्थान की राजधानी के लिये, गुलाबी नगर के लिये जो योजना थी उसमें धन नहीं लिया। इन शहरों पर दबाव कम पड़े इसके लिये आसपास के बगरू, सांगानेर, आमेर, चौमूं जो विलेज हैं इन विलेजेज को डवलप करके वहां पर अच्छी व्यवस्था की जानी चाहिये। परन्तु इसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया है। इसकी वजह से जयपुर शहर पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके कारण एक और परिवारों को एक छोटे से स्थान पर 10 × 22 के कमरे में पूरे परिवार के साथ गुजारा करना पड़ रहा है, उनको नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। कच्ची बस्तियों

66

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

की हालत अलग खराब है, रिहायशी मकानों की व्यवस्था नहीं है। सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है इसलिये मैंने यह ध्याना-कर्षण प्रस्ताव पेश करके आपका ध्यान आकर्षित किया है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस शहर की आवास की समस्या को दूर करने के लिये तत्काल कदम उठाये जायें, इसके लिये मेरा अनुरोध है, आपको सुझाव है कि कृषि भूमि में जो मकान बने हुए हैं उनको रेगुलराइज करने के लिए, और उनके डवलपमेन्ट के लिए इस बात का प्रयास किया जाय कि कृषि भूमि पर जहां पर कुछ ऐसे लोगों ने सहकारी समितियों के माध्यम से भ्रष्टाचार फैला रखा है, उनको रोकने का प्रयास किया जाय और सहकारी समितियों को और दूसरे जो सही आदमी हैं उनको भूमि उपलब्ध हो सके इस बात का प्रयास किया जाय।

दूसरा, मेरा सुझाव है, कच्ची बस्तियों में जिन जमीनों पर लोगों ने मकान बना रखे हैं उनको रेगुलराइज किया जाय। तीसरा मेरा निवेदन है कि गांवों में लोगों को आज बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और उसका सारा दबाव शहरों पर पड़ता है, यही दबाव राजस्थान की राजधानी इस शहर पर भी पड़ रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं मन्त्री जी को, यहां पर 194`–43 के अन्दर मिर्जा इस्माइल ने अच्छी जमीनों का लेवलिंग कराके वहां पर लोगों को बैठाया। वहां पर हमने नल लगवाये, बिजली लगवाई, सड़कें बनवाईं, उन लोगों को तीन रुपये गज में जमीनें दी गईं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मन्त्रीजी, आज भी हमारे पास बहुत जमीन है, यदि मन्त्री जी हिम्मत कर लें तो हजारों एकड़ जमीन को लेवल करवा के फैसला कर सकते हैं, लोगों के लिए मकान बनवाने के लिए छोड़ सकते हैं तो इस समस्या का हल हो सकता है। इसी प्रकार से मैं फायरिंग रेन्ज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, 1973 में हमने यह सवाल उठाया था, लेकिन पता नहीं सरकार की फाइलों में वह जमीन कहां पर दबी पड़ी है, फायरिंग रेन्ज की जमीन को लेवल करवा के नगर विकास को दिया जाय, हाऊसिंग बोर्ड को दें, या सरकार को दें और उस जमीन के अन्दर रिहायशी मकान बनाने की योजना थी उसके साथ-साथ फायरिंग रेन्ज को दूसरी जमीन देने की बात थी लेकिन 73 से 81 आ गया। इतनी बड़ी जनसंख्या जहाँ चार लाख लोगों के आवास की बात है और यू. आई. टी. ने 1500 भूखण्ड की मालवीया नगर की योजना बनाई है उसके बारे में राज्य-पाल महोदय के अभिभाषण में भी कहा गया कि 1500 भूखण्ड देने का फैसला किया गया है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि केवल मात्र 1500 भूखण्डों का आवन्टन करके आप कौनसी समस्या का हल करना चाहते हैं? सभापति महोदय, हम लोग जिस पार्टी से आते हैं, हमारी पार्टी की सरकार है, चुनाव घोषणा पत्र में हमने वायदे किये हैं कि चार लाख लोगों के रहने की व्यवस्था करेंगे, उनके रोजगार की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करेंगे, चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। मान्यवर, जो हमारी मकान

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

की समस्या है उस समस्या का समाधान किया जाना है। उसके लिये प्रयत्न किया जाना है। इसके अन्दर भारत सरकार का बजट है 21 37 करोड़ का, उसका भी उपयोग नहीं हुआ। हुडको आज भी कहता है कि वह कर्जा देने को तैयार है, लेकिन पहले जो कर्जा दिया उसका ही उपयोग नहीं हुआ तो हम आगे कर्जा देकर क्या करें? यही अनुरोध करते हुए मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप कृपा करके जयपुर शहर में एक लाख मकान तीन साल में बनाये जाने की घोषणा करें और उसके साथ में इन कच्ची बस्तियों का नियमन करवाने की बात करें। उसके साथ-साथ जो कृषि भूमि में मकान बने हुए हैं, उन मकान मालिकों के ऊपर जो तलवार लटक रही है उसको रेगुलराइज करने की बात करें। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनको रेगुलराइज करने से आपको पांच करोड़ की प्राप्ति होगी। आज आपका जयपुर शहर एक तरह से राजस्थान के लिए गर्व है, यह जो गुलाबी नगर है बुरी तरह से सड़ रहा है, गटर नहीं हैं, सड़कें नहीं है, नालियां नहीं हैं, लोग रुपया देने को तैयार हैं। एक तरफ तो लोग रुपया देने को तैयार बैठे हैं, दूसरी तरफ आपने उनके सिर पर तलवार लटका रखी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं आप कृपा करके इनके बारे में जल्दी फैसला करें। मेरा एक प्रश्न भी था, सभापति महोदय, जयपुर विकास अधिकरण की स्थापना के बारे में, मुझे थोड़ी सी गलतफहमी रह गई, इसलिए मैं 11 बजे के हिसाब से आया और मुझे जानकारी मिली मन्त्री जी ने उसके बारे में जवाब दिया है कि इस प्रश्न पर 1978 से विचार-विमर्श किया जा रहा है और अन्तिम निर्णय करने के पश्चात् इसकी स्थापना सम्भव हो सकेगी। मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं, इस शहर का ठीक ढंग से विकास होने देने के लिए यहां के लोगों की आवासीय समस्या को हल करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि विकास अधिकरण की स्थापना की जाय। इसका निर्णय तो बहुत पहले हो चुका है, पता नहीं आपके अधिकारियों ने किस प्रकार से यह सूचना दी कि यह विचाराधीन है। विचार विमर्श तो इस पर पूर्ण हो चुका है, यह तो फाइनल स्टेज पर है केवल हिम्मत करने की जरूरत है घोषणा करने की, आप हिम्मत वाले मन्त्रीजी हैं, पता नहीं आपकी हिम्मत में क्यों कमी आ रही है? जयपुर के विकास के प्रति आप क्यों उपेक्षा कर रहे हैं? मैं तो, सभापति जी, देखकर आया हूं और आप भी गये होंगे, दिल्ली डवलपमेन्ट आथोरिटी ने देहली का कितना विकास किया है और आगे के लिए भी उनके पास दो ढाई लाख मकान बनाने की योजना है। जयपुर शहर में जमीन उपलब्ध है, रुपया भी दे रहे हैं, हुडको दे रही है. जरूरत हो तो अरबों रुपया देने को तैयार हैं। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि कौनसी तकलीफ है जिसकी वजह से फैसला नहीं होता। मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा इन कच्ची बस्तियों में हमारे यहां के गरीब तबके के लोग रहते हैं और बड़ी ही दुःखपूर्ण स्थिति में रह रहे हैं। हम उनको बराबर का नागरिक मानकर चलते हैं, और कहते हैं

(श्री श्रीराम गेटेवाला)

कि बराबर का अधिकार देंगे। उनको जमानत देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसका पट्टा नहीं है इसलिए वह जमानत नहीं दे सकता। अधिकांश लोग गरीब हैं, और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, केवल दस पर्सेन्ट लोग ही ऐसे हैं जो अनुचित मुनाफाखोरी करते हैं और नाजायज कब्जा किये हुए हैं, बाकी अधिकतर गरीब लोग हैं। अगर आप उनकी रहने की समस्या को हल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे ? आपके जिम्मेदारी है, सारे राजस्थान की रहने की समस्या को आपको हल करने का प्रयत्न करना चाहिये। राजस्थान के 19 पर्सेन्ट लोग शहरों में रहते हैं, लेकिन जयपुर में जिसके लिये मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है और उसके जरिये आपसे निवेदन किया है, वहां पर कम से कम सात लाख लोगों के लिये, जहां पर आबादी 6 लाख से 10 लाख हो गई आपकी जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से, उसके हिसाब से जो आबादी यहाँ पर बढ़ी है इसके आवास की आपको व्यवस्था करनी चाहिये। सभापति महोदय, लोगों के रहन सहन और उनकी आदतों में भी परिवर्तन हुआ है। पहले लोग कपड़ा और जेवर पसन्द करते थे। आज वे यह समझकर चलते हैं कि कैसे भी हो एक झोंपड़ी मिल जाय जिससे सिर छुपाने को जगह मिले उसके लिए प्रयत्न करते हैं। मुनाफाखोरों के पास जाते हैं, सहकारी समितियों के पास जाते हैं, कहीं उनको 200 गज जमीन लेनी पड़ती है, कहीं सौ रुपये गज जमीन लेनी पड़ती है, कृषि रूपान्तरण की तलवार उनके सिर पर लटकी रहती है। उनके केसेज रेगुलेराइज नहीं होते। इसके अलावा यहां पर ठिकानों की जमीनें हैं उनमें सैंकड़ों सालों से लोग बैठे हुए हैं, उन पर लैंड के कन्वर्शन की, टैक्स की मार पड़ रही है, उनके केसेज रेगुलराइज नहीं होते। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मैं माननीय मन्त्रीजी का ध्यान जयपुर शहर की समस्याओं की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि ऊपर जो मैंने सुझाव दिये हैं, कच्ची बस्तियों के नियमन के, कृषि भूमि में बने हुए मकानों के नियमितीकरण की तथा अन्य जो योजनायें हैं, 9 हजार एकड़ भूमि के एक्वीजीशन का जो प्रश्न है उसको लेने और इसी के साथ-साथ विद्याधर नगर की योजना को क्रियान्वित करने के लिए मन्त्री जी इस सदन को आश्वस्त करावें।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (आवासन मंत्री) : सभापति महोदय, जयपुर शहर की आवासीय समस्या को हल करने के लिए नगर विकास न्यास तथा राजस्थान आवासन मंडल प्रयत्नशील है। इन दोनों संस्थाओं द्वारा अब तक लगभग 15 हजार भूखंड/आवास भवन जन साधारण को उपलब्ध कराये गए हैं। जयपुर नगर में लगभग 105 गृह निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। उनकी भूमियों को अवाप्ति से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 1976 में ही निर्णय लिया गया था और यह तय किया गया था कि जो सहकारी समितियां निर्धारित शर्तों की पूर्ति करती हैं उनकी भूमियों को अवप्ति से मुक्त कर दिया जावे। राज्य सरकार गृह निर्माण सहकारी समितियों की समस्या के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है और शीघ्र ही कोई ठोस निर्णय लिये जावेंगे।

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

जयपुर शहर में कच्ची बस्ती की समस्या जयपुर राज्य के समय से ही चली आ रही है। दिनांक 21-8-71 से पूर्व नगर विकास न्यास के क्षेत्र में 73 कच्ची बस्तियां और नगर परिषद के क्षेत्र में 36 कच्ची बस्तियां बसी हुई थीं जिनका सर्वेक्षण जिलाधीश के माध्यम से कराया गया था। इन कच्ची बस्तियों में आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए जैसे बिजली, पानी, सड़कें नालियां आदि बनाने में लगभग 1,23,10,367) रु. व्यय किये जा चुके हैं। इन बस्तियों में बिजली पानी और नालियों की सुविधा लगभग उपलब्ध करा दी गई है। कच्ची बस्ती के विस्तार को आगे रोकने तथा अन्य समस्याओं पर विचार करने के लिए मामला मंत्रिमंडल के पास विचाराधीन है और निकट भविष्य में निर्णय लिये जाने की संभावना है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं जानना चाहूंगा, मंत्री महोदय ने जो 1.23 करोड़ बताया है कि व्यय किया जा चुका है, यह कौन से सन् में व्यय किया जा चुका है, क्योंकि मैंने अभी दूसरे फिगर्स दिये हैं। मैंने कहा, 1980-81 में यहां पर, मैंने जो अभी बताया है, उसके, हिसाब से सरकार ने कोई खर्चा नहीं किया। कृपा करके 1.23 करोड़ के फिगर्स बता दें, कौनसे साल में ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अब तक।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसका मतलब 1952 से लेकर 1981 तक का है।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : कच्ची बस्तियों के लिए बता चुका हूं कि 73 यू०आई०टी० एरिया में और 36 शहर में हैं। उनकी सारी सुविधायें उपलब्ध हैं यह निश्चित किया गया था और 1.23 करोड़ अब तक उसमें खर्च किया गया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा सीधा प्रश्न है।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अब यह प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न का जवाब पहले दे चुका हूं और डिटेल्स दे चुका हूं कि इस तरह का खर्चा किया गया। और डिटेल्स····

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह सही है कि 73 कच्ची बस्तियां यू०आई०टी० क्षेत्र में और 36 नगरपालिका क्षेत्र जयपुर में हैं। 21 अगस्त, 1971 को सर्वे हुआ था, मैंने ध्यान आकर्षित किया है, मंत्री महोदय से यही अनुरोध किया है कि 10 साल में जयपुर की आबादी 4 लाख बढ़ी है। आपने जो 1.23 करोड़ के बारे में फर्माया, यह 1.23 करोड़ तो 1976 तक पूरा कर चुके हैं। 1976 से लेकर 1981 तक 5 वर्षों के अन्दर इसमें क्या किया, मैं जानना चाहता हूं और आपने 1980-81 पीरियड में क्या किया, यह भी बता दें ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : निर्णय लिया गया था कि 1971 से पहले की जितनी कच्ची बस्तियां हैं उनका नियमन किया जाय, सुविधायें दी जायं, उस पर सारा खर्चा किया गया है, उसके बाद का मैंने निवेदन किया ही नहीं सवाल ही पैदा नहीं उठता। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य कई बार यह सवाल कर चुके कि क्या सुवि-

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

धायें दी जा रही हैं? मैं कई बार डिटेल में जवाब दे चुका हूं। एक हाई पावर कमेटी, इस सारी समस्या के लिये जयपुर के सिलसिले में कायम कर रहे हैं और उसके निर्णय के अनुसार जल्दी ही मंत्रिमंडल के सामने मामला आएगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं कई बार सवाल कर चुका, लेकिन इस बार आश्वस्त नहीं कर रहे हैं, मेरी भी तकलीफ है।

श्री सभापति : एक सैकंड।

सीधा सा सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है कि इसमें अब तक कितना रुपया खर्च हुआ? जो धनराशि खर्च हुई किन-किन तारीखों और सन् में खर्च की? उन्होंने स्पेसिफिक सवाल किया है। आपके पास आंकड़े हैं तो बता दीजिए नहीं तो कह दीजिए कि इस समय आपके पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जितना रुपया खर्च हुआ है सदन में दे चुका हूं पहले ही प्रश्न के लिखित उत्तर में। इस समय तो यह सवाल नहीं है, 1.23 करोड़ की डिटेल्स दे चुका हूं।

श्री अहमद बक्श सिंधी (जोधपुर) : बारी तो मेरी है। सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि जो कच्ची बस्तियां हैं जिनका आपने जिक्र किया है उनमें क्या-क्या सुविधायें अब तक आपने उपलब्ध कराई हैं, वे बतायें।

श्री सभापति : मंत्री महोदय के पास अभी महकमा आया है, अभी जानकारी करेंगे। आप क्यों उनको....

श्री अहमद बक्श सिंधी : पुराने आदमी हैं।

श्री सभापति : लेकिन तौर तरीके बदल गए, नए तौर तरीके आ गये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मंत्रीजी ने एक पहलू का तो जवाब अधूरा दिया, जैसे भी आप समझें दे दिया लेकिन मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने इनसे कहा है आवासीय समस्या के हल करने के बारे में। मैंने इनसे जमीन के बारे में कहा है, दूसरी बात आवासन मंडल द्वारा मकान बना दिए जाने के बारे में कहा है, कृषि भूमि पर मकान नियमन के लिए कहा है, इन सब के बारे में मंत्री महोदय क्या उत्तर दे रहे हैं, वह कृपा करके अवगत करा दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हाई पावर कमेटी बना दी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हाई पावर कमेटी सुन सुनकर तो मेरे कान थक गए।

श्री अहमद बक्श सिंधी : चेयरमैन कौन हैं?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : चीफ सैक्रेटरी। वह प्रश्न कैबीनेट के सामने आया था, सारा मामला, मैंने निवेदन किया, विचाराधीन है और इस संबंध में जल्दी कार्यवाही की जायगी।

श्री शिव राम शर्मा (बनीपार्क) : 1971 से पहले की जो कच्ची बस्तियां थीं उनको

(श्री शिव राम शर्मा)

रेगलराइज कर दिया और उस पर सवा करोड़ रुपए करीब खर्चा हुआ लेकिन 1971 के बाद से 1981 तक जो कच्ची बस्तियां और बस गई, उनके बारे में कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल के विचाराधीन हैं। सन् 1981, 1978, 1979, 1980, 1981 तक मंत्रिमंडल में विचाराधीन चलता आ रहा है और उन बस्तियों में न पानी की व्यवस्था है न बिजली की व्यवस्था है। क्या जब तक मंत्रिमंडल में निर्णय नहीं होगा, अभी समिति का गठन करने जा रहे हैं, तब तक उनको सुविधायें दी जायेंगी? क्या आप उनको तब तक सुविधायें देने का विचार रखते हैं?

श्री अहमद बक्श सिंधी : जालूपुरा बस्ती की मैं गंदी हालत देखकर आया हूं। वहां पहले का नियमन किया हुआ है और आप कहते हैं बहुत तरक्की दे दी है। बिल्कुल तरक्की नहीं दी है, गंदगी का ढेर है वहां। क्योंकि वहां गरीब लोग रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, इस वास्ते उनकी तरफ तवज्जोह नहीं दी जाती है?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : मैं जानकारी चाहूंगा हाउसिंग एण्ड अर्बन डवलपमेंट निगम ने कितना पैसा जयपुर के लिए दिया और उस पैसे का पूरा यूटीलाइजेशन हो गया? नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ?

श्री सभापति : आपका सवाल जयपुर के बारे में है या और जगह के लिए भी?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जयपुर के लिए।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : मैंने निवेदन किया, बहुत से सवाल सदन में आ चुके हैं। उस संबंध में मैं अलग अलग समय पर जानकारी दे चुका हूं पहले से ही। कैसे कैसे कार्यवाही हुई है सब डिटेल्स तो इस समय नहीं हैं कि क्या कार्यवाही हो रही है। मैंने निवेदन किया मामला कैबीनेट के सामने आया था, हाई पावर कमेटी अपांइट की गई है और जल्दी ही फैसला किया जायगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कमेटी के सदस्यों के नाम बता दें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कच्ची बस्तियों की तरफ ध्यान देने की फुर्सत नहीं है, अपने मकान के आगे पार्क बनाने की फुर्सत है।

श्री नाथूसिंह : आपने जो कमेटी बनाई है उसके टर्म्स आफ रेफरेंस क्या हैं, कौन सदस्य हैं, चेयरमैन कौन हैं, कब तक अपनी रिपोर्ट दे देंगे?

श्री श्रीराम गोटेवाला : मंत्री महोदय ने कमेटी के लिए फर्माया है? उसके अध्यक्ष कौन हैं, सदस्य कौन हैं, किस ढंग की कमेटी है, क्या उसके टर्म्स आफ रेफरेंस हैं? दूसरे, अभी मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया था, पुनः निवेदन करता हूं कि आवासीय समस्या का हल केवल कच्ची बस्तियों की समस्या का हल नहीं है, मैंने और भी बातों के बारे में अनुरोध किया था उसका पूरा जवाब दें। ध्यानाकर्षण का मतलब यह है कि उसके मार्फत सारी समस्याओं की तरफ मंत्री का ध्यान आक-

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

षित कर दें। हम पूरी बात का जवाब चाहते हैं।

श्री सभापति : मंत्रीजी सारे मामले को समझते हैं, उन्होंने हाई पावर कमेटी बना दी जो सहकारी समितियों के बारे में और अनाथोराइज्ड पजेशन के बारे में, डवलपमैंट के बारे में सारे पहलुओं को देखेगी। जयपुर की जो आवासीय समस्या है खास तौर से कच्ची बस्तियों का अनाथोराइज्ड पजेशन, यह तो जबर्दस्त प्रॉबलम है और मंत्री महोदय अगर इसको साल्व कर देंगे तो इनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा लेकिन कर सकें तब।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उनके साथ हम भी अपना नाम काले अक्षरों में लिखवाना चाहते हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं पूछ रहा था कि जो जानकारी है उससे अवगत करा दें, हम इनके तजुर्बे का लाभ उठाना चाहते हैं, क्या हाई पावर कमेटी बनी है, कौन चैयरमैन हैं, क्या कमेटी है····

श्री सभापति : आप बता दीजिये कमेटी के सदस्यों के नाम।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, मैं अभी बताना नहीं चाहता हूं।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : आप क्यों नहीं बताना चाहते हैं? कोई ऐसे नाम हैं कि जो यहां बताना उचित नहीं है? क्या कोई अवान्छनीय तत्व हैं जो कि आप नाम नहीं बताना चाहते हैं?

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, ऐसे कौन से सदस्य है या अध्यक्ष कमेटी हैं जिनके नाम मन्त्री बताना नहीं चाहते हैं। ऐसे क्या गोपनीय नाम हैं जो गुप्त रखे जा रहे हैं?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, यह मामला कैबीनेट के विचाराधीन है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय को स्पष्ट रूप से बताना चाहिये कि कौन कौन सदस्य हैं। पहले मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि एक कमेटी बनायी गयी है। मैंने पूछा है कि कौन सदस्य उस कमेटी में हैं, उसका अध्यक्ष कौन है? ऐसी कौनसी गोपनीय कमेटी आपने बना दी जिसका आप नाम नहीं बताना चाहते हैं? यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कि राजस्थान की सुरक्षा का सवाल हो।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि यह मामला कैबीनेट में है। चीफ सैक्रेटरी को कह दिया गया है वह इस बारे में अधिकारियों से बात करें और बतायें। उसके बाद में कैबीनेट में यह मामला आवेगा तब इस पर निर्णय होगा। जब जयपुर में 25 हजार मकान बन गये लोग धड़ाधड़ अनधिकृत कब्जे कर रहे थे तब तो माननीय सदस्य ने कहा नहीं, आवाज नहीं उठायी, उन्हें रोका नहीं और अब कह रहे हैं कि अनधिकृत कब्जे हो रहे हैं, मकान बन रहे हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर अनधिकृत कब्जे करके मकान बनाये जायेंगे तो उनको तोड़ा जावेगा और जो भी कानूनी कार्यवाही होगी वह करनी पड़ेगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, अनधिकृत कब्जे होते हैं तो राज्य सरकार कानूनी कार्यवाही करती है, मैं इसके लिये मन्त्री महोदय और सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। मन्त्री जी ने कहा कि 25 हजार अवैध मकान बन गये और माननीय सदस्य को कोई चिन्ता नहीं थी तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं लगातार सदन में कहता रहा हूं कि आप इनको रोकिये। जो लोग नियमित रूप से कानूनी रूप से अपना मकान पैसा देकर बनाना चाहते हैं उनको तो नियमित कीजिये। लेकिन आपका प्रशासन ही इसको प्रोत्साहित करता है। सभापति महोदय, मैंने मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। मन्त्री महोदय यह कह देते हैं कि मामला केबिनेट में है और वह केबिनेट में बात करेंगे लेकिन मैं तो यह नहीं कह सकता हूं। मैं तो मेरे मतदाताओं के पास जाता हूं तो मुझे तो उनका सामना करना पड़ता है।

आज सरकारी भूमि पर लोग नाजायज कब्जा कर रहे हैं, यह तो कोई शोभनीय बात नहीं है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो 9 हजार एकड़ जमीन आप एक्वायर करने जा रहे हैं विद्याधर नगर की योजना है, और फाइरिंग रेन्ज की जमीन आप एक्वायर करने वाले हैं यह आप कब तक कर लेंगे और कब वहां पर लोगों को मकान बनाकर दिये जायेंगे? इसके अलावा जयपुर में जो 25 हजार अनधिकृत कब्जे करके मकान बन चुके हैं इसके लिये मैं चुप नहीं रहा। मैंने हमेशा से आवाज सदन में उठायी है और मन्त्री लोगों से मिला हूं। मेरा निवेदन है कि आप नियमित नियमों के अनुसार चार्जेज लेकर कर दें। आज आप उनको तोड़ने जा रहे हैं लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 25 हजार मकान सन् 50 से लेकर अब तक बना चुके हैं। सन् 71 से 81 तक के बीच में जयपुर की आबादी, सभापति महोदय, चार लाख बढ़ चुकी है। लोग जयपुर के आस पास जहां भी जमीन देखते हैं मकान बनाकर बैठ जाते हैं। मेरा यह निवेदन है कि जयपुर बहुत ही सुन्दर शहर है, बहुत ही प्लान्ड वे में बसा हुआ है उसकी सुन्दरता को आप क्यों खतम करने जा रहे हैं? इश्वर घाट की घूणी के पास और नेशनल हाइवे के पास लोग मकान बनाकर बैठ गये हैं। लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं और प्रशासन के लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं इसलिये मैं मन्त्री महोदय से स्पेसिफिकली जवाब चाहता हूं कि आखिर आप इन लोगों को कब तक मकान दे देंगे, कब तक इन लोगों को आप सुविधायें देंगे? हमारे देश की नेता ने 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया था उसके तहत हमें लोगों को मकान देना पड़ेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि आपको गम्भीरता से इन सारे प्रश्नों को लेना पड़ेगा। आखिर आपको राजस्थान की जनता, जयपुर की जनता के लिये मकान की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनके साथ आपको न्याय करना पड़ेगा।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, क्या यह सही है कि हाउसिंग सोसाइटीज ने बहुत से मकान बना रखे हैं? मैं पूछना चाहूंगा....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मन्त्री महोदय के पास जो भी सूचना उपलब्ध थी वह उन्होंने दे दी। अब आप सारी सूचना

(श्री सभापति)

चाहते हैं तो वह तो इनके पास नहीं है। आप कोई स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहें तो पूछें।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से स्पेसिफिक प्रश्न यह है, क्या यह सही है कि सरकार ने इसके लिये कोई कमेटी बनायी है? अगर बनायी है तो उसके टर्म्स ग्राफ रेफरेन्स क्या हैं? आज लोगों ने सहकारिता का सहारा लेकर नाजायज कालोनीज बना रखी हैं, लोगों ने जयपुर के आसपास बहुत सी जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है। इसके अलावा जो हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, क्या यह सही कि हमारे वर्तमान राजस्थान के मन्त्रिमण्डल के सदस्यों में से कुछ ने उन कालोनीज में जमीनों के प्लॉट ले रखे हैं? क्या यह सही है?

(व्यवधान)

क्या यह सही है कि उन अवैध प्लाट्स पर मंत्री महोदयों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं यह सोच कर कि जब उनको रेगुलराइज किया जायेगा तब उनकी जमीन भी रेगुलराइज कर दी जावेगी?

श्री सभापति : मैंने पहले ही माननीय सदस्य को कह दिया है कि जो भी सूचना मन्त्री महोदय के पास थी वह उन्होंने स्टेटमेन्ट में दे दी। अब सारी डिटेल तो उनके पास नहीं है। अब जो कमेटी बनी है उसके बारे में क्या डिटेल आप पूछना चाहते हैं?

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है, क्या यह सही है कि जो जयपुर में गृह निर्माण सहकारी समितियां बनी हुई हैं उन्होंने कृषि भूमि खरीद ली है और उनके द्वारा लोगों को जमीनें बेची जा रही हैं। ऐसी ही गृह निर्माण सहकारी समिति में हमारे मन्त्री श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर ने दो प्लोट्स ले रखे हैं और कमला जी राजस्व मन्त्री ने भी दो प्लाट लिये हैं।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैंने कोई दो प्लाट नहीं लिये हैं। यह गलत है।

श्रीमती कमला : मैंने भी कोई प्लाट नहीं लिया है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से दो चार प्रश्न पूछना चाहूंगा। अभी किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि जयपुर में और जयपुर के आसपास लोगों ने सरकारी जमीन पर और कृषि भूमि पर अनधिकृत कब्जे कर रखे हैं। यह बात बिलकुल सही है। यह जयपुर की बहुत बड़ी समस्या है। यहां पर लोगों ने भूखण्डों पर अनधिकृत कब्जे कर रखे हैं। इसका कारण यह है कि जयपुर के यू० आई० टी० और हाउसिंग बोर्ड इस समस्या को सुलझा नहीं पा रहे हैं और न ही इस ओर कोई प्रयास कर रहे हैं। समय-समय पर राज्य सरकार ने भूमि एक्वायर की। भूमि एक्वायर करने के बाद में भूमि इन्हें दी। फिर स्कीम इम्पलीमेन्टेशन इनके द्वारा हुआ है। हाउसिंग बोर्ड को भी जमीन इन्होंने ही दी। मैं यह पूछना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने गंगवाल पार्क की जमीन एक्वायर करने के लिये कोशिश की और उसमें अड़चनें आयीं ? क्या यह सही है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में गयी। वहां लड़ते-लड़ते सरकार के पक्ष में फैसला हुआ। उसके बाद में सरकार ने वह जमीन एक्वायर की। उस समय किसी ने भी कोई आब्जेक्शन रेज नहीं किया था पर बाद में सरकार ने किन्हीं कारणों से उस पर स्टे आर्डर दे दिया।

दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि सन् 1976 में टोंक फाटक से लेकर अजमेर रोड तक जमीन का एक्वीजीशन करने के लिये नोटिसेज दिये और उससे कितने लोगों ने अपने क्लेम्स सबमिट किये ? कितनी हाउसिंग सोसाइटीज ने अपने दावे प्रस्तुत नहीं किये ? यह सारी जमीन गवर्नमेन्ट में वेस्ट करनी चाहिये। उसके बाद में सरकार ने दूसरा नोटिफिकेशन इश्यू नहीं किया और सरकार उस फाइल को दबा कर बैठ गयी।

तीसरा प्रश्न में यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि कालवाड़ ठाकुर साहब की भूमि जिसको राज्य सरकार ने एक्वायर किया जिस जमीन के ऊपर सरकार का अपना अधिकार था और जिस समय उसके ऊपर अनाथोराइज्ड कन्सट्रक्शन्स चल रहे थे और स्थानीय यू०आई०टी० ने और स्थानीय अधिकारियों ने उन मकानों के तुड़वाने की कार्यवाही की उस समय राज्य सरकार ने स्टे दे दिया और उसके बाद वहां अनधिकृत रूप से निर्माण काम कार्य चल रहे थे वह अनधिकृत निर्माण कार्य चल रहे हैं और स्टे आर्डर इस प्रकार से बरकरार हैं तो मैं मोटे रूप से यह जानना चाहूंगा कि लैण्ड एक्वीजीशन की कार्यवाही करने के बाद में अब तक सरकार ने डी-एक्वीजीशन करने के संबंध में क्या निर्णय लिया है, क्या धारणा बनी है ? क्या इस प्रकार की भूमियां जो आज गृह निर्माण समितियां अपने पास ले रही हैं उन सारी भूमियों का डी-एक्वीजिशन करेंगे और एक्वीजीशन की कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं होगी ? इस संबंध में आप उत्तर दे दें। मैंने तीन पर्टीक्यूलर इन्सटान्सेस दिये हैं और आप चाहें तो मैं 20-25 इन्सटान्सेस ऐसे हैं जो दे सकता हूं। मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं एक जानकारी करना चाहता हूं कि जिस समय लैण्ड एक्वीजीशन की कार्यवाही चल रही थी उसमें सरकार की तरफ से कहां कहां गतिरोध पैदा किया गया ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, विपक्ष के नेता महोदय इस मामले से ज्यादा वाकिफ हैं कि इस शहर में कितने सालों से यह कार्यवाही चल रही है। शायद पिछले कई वर्षों से चल रही है। 76 के बाद से 3 साल जनता पार्टी का राज रहा इस समय इनको रोकने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी और बल्कि यह ज्यादा हो गयी। अब जब सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि इस तरह की कार्यवाही है तो मैंने कहा कि सरकार उस पर गम्भीरता से विचार कर रही है, इस संबंध में जो भी उचित कार्यवाही होगी वह अवश्य की जायगी और इस समस्या को हल करने की कोशिश की जायगी। आपने डिटेल में कुछ

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

बातें पूछी हैं तो डिटेल में जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री सभापति : एक सूचना विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने पूछी है। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि जिन जमीनों का एक्वीज़ीशन हो चुका है क्या राज्य सरकार उनका डी-एक्वीजीशन कर रही है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके पास सूचना नहीं होगी तो उसकी आपसे क्या कार्यवाही होगी या नहीं होगी, लेकिन नीति संबंधी प्रश्न है कि जगह का एक्वीज़ीशन हो गया क्या राज्य सरकार के द्वारा किसी कायदे कानून के अनुसार डी-एक्वीज़ीशन की भी कार्यवाही हो रही है ? वह कार्यवाही मंत्री महोदय की बिना स्वीकृति के सम्भव नहीं है। वैसे तो होनी नहीं चाहिए और जिस भी आर्गेनाइजेशन के लिए राज्य सरकार व्यवस्था करती है एक्वीज़ीशन करने की जब तक वह इन्स्टीट्यूशन नहीं लिखे तब तक राज्य सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर सकती लेकिन फिर भी जो कुछ हुआ होगा वह आपकी जानकारी से हुआ होगा। वह आप बता दें।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : मेरी जानकारी के हिसाब से कोई ऐसी डी-एक्वीजीशन की कार्यवाही नहीं हो रही है''''

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी जानकारी मे आप क्यों उत्तर दे रहे हैं ? क्या आपके विभाग में इस प्रकार की कार्यवाही हुई है जिसमें स्टे आर्डर हुआ हो या डी-एक्वीजीशन के लिए कार्यवाही चलाई हो ?

श्री सभापति : आपकी जानकारी में नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां, नहीं हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, एक आश्वासन आपकी मार्फत मंत्री जी से चाहता था कि आप तो हाई पावर कमेटी बता गये थे जो कि मेरे ख्याल से बनी नहीं है। ऐसी हाई पावर कमेटी बनी तो क्या ऐसी कमेटी में जन प्रतिनिधियों को शामिल किया जायेगा ? प्रशासनिक अधिकारियों से समस्या का समाधान कराना तो सम्भव नहीं होगा तो क्या जन प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जायेगा उस हाई पावर कमेटी में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने बहुत साफ बात कही है कि यह मामला कैबिनेट के विचार के लिए आया था उस समय चीफ सैक्रेटरी को कहा गया था कि संबंधित अधिकारियों से बात करके कैबिनेट के सामने आयें कि क्या करना चाहिए ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह हाई पावर कमेटी नहीं है। इसका मतलब हाई पावर कमेटी नहीं है और इन्होंने चीफ सैक्रेटरी को ही आदेश दिये हैं कि अधिकारियों से सम्पर्क करके कैबिनेट मीमो पेश करें।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : इस सम्बन्ध में सारे मामले के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ...

श्री सभापति : अभी इस पर काफी वादविवाद हो चुका है और सारे फैक्ट्स सदन के सामने आ चुके हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, मेरा पहला प्रश्न यह है कि पापुलेशन का भार काफी बढ़ता जा रहा है तो पड़ोस में जो कस्बे हैं उनको एक्वायर क्यों नहीं किया जा रहा है ? सरकार इस बारे में क्या सोच रही है ? उनका विकास किया जाये।

(व्यवधान)

दूसरी बात यह है कि यू०आई०टी०, हाउसिंग बोर्ड यहां के व्यक्तियों को बसाने में बिल्कुल असफल रहे हैं तो सरकार क्या सोच रही है ? दिल्ली की तरह सहकारी समितियों के माध्यम से इनको सही ढंग से कन्ट्रोल करके जनता की मांग के अनुसार आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री सभापति : यह सारे मामले मंत्री महोदय ने स्टडी किये हैं और स्टेटमेन्ट भी दिया है। यह सरकार के विचाराधीन है इसलिए बहुत ज्यादा सप्लीमेन्ट्री प्रश्न करेंगे तो उससे क्या नतीजा निकलेगा ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं मंत्री महोदय को एक सुझाव देना चाहता हूं। एक तो स्लम क्लियरेन्स बोर्ड की स्थापना इस राजस्थान में की जानी चाहिए यह कोई अकेले जयपुर शहर की प्राब्लम नहीं है बल्कि राजस्थान के विभिन्न शहरों की यह प्राब्लम है। स्लम क्लियरेंस बोर्ड को भारत सरकार की तरफ से रुपया भी काफी मिलता है और सारी व्यवस्थायें होती हैं। दूसरी बात, जो मैंने मंत्री महोदय से अनुरोध किया है वह यह है कि जयपुर शहर के आसपास के जो छोटे-छोटे कस्बे हैं उनको डवलप करने के लिए भी सरकार कुछ सोच रही है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चौमूं....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमुवा रामगढ़) : आपके यहां जाते हैं तो चौमूं बीच में आता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हां, भारद्वाज साहब भी उधर जाते हैं और वहां के प्रधान हैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं कई बार देखती हूं हमें किसी नगर के नाम को अपमानजनक ढंग से नहीं बोलना चाहिए। लोग चौमूं चौमूं करके चिल्लाने लगते हैं जो कि बहुत ही आपत्तिजनक बात है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यहां पर इस प्रकार से किसी नगर के नाम को उपहास के तौर पर नहीं बोला जाये। नहीं तो जगह का नाम बदल दिया जाये और उनके नाम से ही कर दिया जाये लेकिन यह उपहास बरदाश्त नहीं किया जायेगा।

श्री सभापति : चौमूं का नाम लेना तो गर्व को बढ़ाना है। इसलिए चौमूं का कोई अपमान नहीं है।

(श्री सभापति)

(व्यवधान)

यदि ऐसी बात होगी तो चौमूं में रहने वाले लोग अपने नगर का नाम बदल लेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : चौमूं नाम लेकर श्री भारद्वाज जी को भी कुछ कहा है। मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आपकी व्यवस्था चाहती हूँ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : यह तो मजाक में कहते हैं। और यह मजाक तो उर्दू शब्द है। मजाक का शब्द है मजा देने वाला तो फिर इससे चौंकते क्यों हैं ?

(व्यवधान)

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) : इनको दुःख है कि इसका विकास क्यों हो रहा है

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको मालूम है कि उसका नाम चौमूं क्यों पड़ा ? उसका नाम था चमूवाहिनी यानि वहां पर सारी सेनायें इकट्ठी रहती थीं और उसका नाम इसलिए ही चौमूं पड़ा है। उसका गलत नाम देना और उपहास बनाना इस स्थिति के लिए मेरी आपत्ति है। मैं चाहती हूँ कि सदन में इस तरह की चर्चा नहीं होनी चाहिए।

श्री सभापति : यह सही कह रही हैं। होली का दिन है।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ) : सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय सदस्यों ने कुछ सवालात पूछे और मंत्री जी ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हाई पावर कमेटी नियुक्त कर दी गई है और फिर उसी बात से वे मुकर गये। मंत्री जी ने जो गलत इन्फार्मेशन दी है इसलिए हाउस को गलत इनफार्मेशन देने के सम्बन्ध में, उनके खिलाफ प्रोसिडिंग्स देख कर हाउस की ओर से कार्यवाही की जानी चाहिए। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, क्या व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री जी, आप जानते हैं, हमेशा ही ऐसे ही जवाब देते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। सारा स्पष्टीकरण कर दिया जयपुर की आबादी के लिए आवासीय व्यवस्था का सवाल है इतना आसान नहीं है जल्दी से हल कर दें। जो सारे मुद्दे उठाये गये हैं उससे राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित हो चुका है। बहुत सी बातें आपकी जानकारी में हैं। अब तो यही है कि सरकार अगर करे यह बहुत आवश्यक है। बढती हुई आबादी को जिस तरीके से वह चल रही है उसको यदि न रोका गया तो बड़ी समस्या पैदा हो जायगी। पहले भी सरकार रही लेकिन दुर्भाग्य से इसका हल अब तक नहीं निकल सका। जितना राज्य सरकार जल्दी कर सके वह करे। अकेले मंत्री जी यह कर सकते हों, यह संभव नहीं है। सारी केबिनेट को इश्यू बना कर चलना होगा। जन प्रतिनिधियों को भी साथ में लेना होगा। गोटेवाला जी आपका

(श्री सभापति)
नाम निश्चित रूप से होगा नहीं तो जयपुर का विकास कैसे होगा।

वन मंत्री जी।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ) : सभापति महोदय, मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है ...

श्री श्रीरामगोटेवाला : सभापति महोदय, शहर के बाद एकदम जंगल में चले गये।

शासकीय वक्तव्य

प्रतापगढ़ के आदिवासी किसानों की झोंपडियों को वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा जला दिया जाना

वन मंत्री जी।

श्री दूलाराम :(वनमंत्री) श्रीनन्दलाल मीणा सदस्य, राजस्थान विधान सभा द्वारा तहसील प्रतापगढ़ की कुछ पंचायतों के आदिवासी कृषकों के वन विभाग के कुछ कर्मचारियों द्वारा झोंपड़े जला देने, मारपीट करने एवं जमीन से बेदखल कर अपमानित करने आदि के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

इस सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर, जिलाधीश, चित्तौडगढ़ एवं मुख्य अभियन्ता, माही बजाजसागर परियोजना, बांसवाड़ा से जानकारी प्राप्त की गई।

वन मण्डल प्रतापगढ़ के क्षेत्राधिकार में चित्तौडगढ़ जिले की तहसील प्रतापगढ़ छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी एवं उदयपुर जिले की तहसील धरियावाद तथा तहसील बल्लभनगर का कुछ भाग सम्मिलित है। इस वन मण्डल का कुल घन वन क्षेत्र 1733-250 वर्ग किलोमीटर है। प्रतापगढ़ वन मण्डल का क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। तहसील प्रतापगढ़ में दो रेन्ज देवगढ़ एव प्रतापगढ़ स्थापित हैं। रेन्ज प्रतापगढ़ में दिनांक 1-1-71 के बाद 545 एवं रेन्ज देवगढ़ में 933 कुल 1478 कृषकों द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया।

वन भूमि के कृषि हेतु आवंटन किये जाने एवं अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विचार किया गया है। इस विषय में गहन रूप से विचार किया जाकर दिनांक 22-2-1977 को यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 1 जनवरी, 1971 के पूर्व जिन व्यक्तियों को वन भूमि का कृषि हेतु आवंटन कर दिया गया था, उनको उनके आधिपत्य की भूमि से बेदखल नहीं किया जाकर उनका आधिपत्य कायम रखा जावे और उनके आधिपत्य की भूमि को राजकीय अभिलेख में राजस्व लगान वसूल कर ली जावे एवं उनसे कोई भी शास्ती वसूल नहीं की जावे और अगर ऐसे व्यक्तियों से कोई शास्ती की राशि राजस्व अथवा वन विभाग द्वारा वसूल कर ली गई हो तो उसका समायोजन कर लिया जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि अगर किन्हीं व्यक्तियों द्वारा दिनांक 1-1-71 से पूर्व वन भूमि पर कोई अतिक्रमण किया

(श्री दूलाराम)

गया हो तो ऐसे अतिक्रमण का नियमन कर दिया जावे जब कि अतिक्रमण की गई भूमि में 1–सघन वन सम्पदा न हो अथवा 2-उक्त भूमि सघन वन अथवा वृक्षारोपण से घिरी हुई न हो, अथवा 3–ऐसी भूमि कृषि-भूमि अथवा आबादी के निकट स्थित हो अथवा 4–उक्त भूमि में कोई सुधार का कार्य यथा कुएं अथवा मकान का निर्माण कर लिया गया हो।

उक्त आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि नियमन किये जाने वाले मामलों में वन भूमि पर किये गये अतिक्रमण की दिनांक से राजस्व लगान वसूल की जावे लेकिन कोई शास्ती की राशि नियमन के पूर्व वसूल नहीं की जावे।

दिनांक 1-1-71 के बाद वन भूमि पर किये गये अतिक्रमण के मामलों में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अनुसार बेदखली आदि की कार्यवाही किये जाने का प्रावधान उक्त आदेश में किया गया। वन भूमि पर अतिक्रमण के मामलों के नियमन के सम्बन्ध में जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का भी गठन किये जाने के आदेश दिये गये। जिसमें जिला प्रमुख एवं सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी को सदस्य मनोनीत किया गया।

अतिक्रमण के मामलों में नियमन के सम्बन्ध में आने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा पुनः विस्तृत रूप में विचार किया जाकर दिनांक 8 जनवरी, 1979 को यह निर्णय लिया गया कि जिस अतिक्रमी के पास सन् 1971 के पूर्व के निरन्तर अतिक्रमण के अभिलेखीय प्रमाण-न हो तो उस अवस्था में मौखिक साक्ष्य के आधार पर भी जिलाधीश द्वारा उस अवस्था में नियमन किया जा सकेगा जब कि 1-अतिक्रमण की गई भूमि पर स्थायी सुधार का कार्य यथा कुआं, भवन या पक्के खाले सन् 1971 से पूर्व निर्माण किये गये हों अथवा 2-1971 से पूर्व ऐसी भूमि पर काश्त के सम्बन्ध में किसी बैंक अथवा सहकारी समिति से बीज, खाद व ऐसे निर्माण हेतु कोई ऋण लिया हो अथवा 3-ऐसी भूमि पर 1971 से पूर्व किसी वर्ष में उसके अतिक्रमण के बारे में अभिलेखीय प्रमाण हो चाहे 1971 से पूर्व के निरन्तर अतिक्रमण का प्रमाण न भी हो अथवा 4-ऐसे अतिक्रमी के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भूराजस्व-अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई हो अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा 1-1-71 से पूर्व अतिक्रमण के नियमन हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हो, इस प्रकार का नियमन, कीमत, पैनल्टी व क्षेत्रफल इत्यादि सम्बन्धी उन्हीं शर्तों पर किये जाने का प्रावधान रखा गया जो अन्य नियमन पर लागू होता है। इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि अगर अतिक्रमित भूमि मण्डल वन अधिकारी की राय में वन क्षेत्र के ऐसे स्थान पर स्थित हो, जहां उसके बने रहने से वनों को क्षति की सम्भावना हो तो अतिक्रमण का नियमन उसी अवस्था में किया जा सकेगा जब कि अतिक्रमी उस वन के छोर पर मण्डल वन अधिकारी द्वारा बताई जाने वाली भूमि को

(श्री दुलाराम)

लेने को तैयार होगा। ऐसी भूमि में अगर कुएं इत्यादि का निर्माण अतिक्रमी द्वारा अपने खर्चे से अथवा ऋण प्राप्त करके किया गया हो तो उसे दूसरी भूमि दी जाने की अवस्था में ऐसे निर्माण का जिलाधीश द्वारा निर्धारित मुआवजा भी देय होगा।

तहसील प्रतापगढ़ के 22 गांवों में 224 व्यक्तियों को 1737 बीघा 19 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 1-1-71 से पूर्व किया जाना पाये जाने से उक्त भूमि का आवंटियों के नाम अमल बरामद करने का जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। इसी प्रकार 10 गांवों के 64 अतिक्रमण के मामलों में दिनांक 1-1-71 से पूर्व अतिक्रमण किया जाना पाया जाने से उन अतिक्रमियों के आधिपत्य का 612 बीघा भूमि का उन अतिक्रमियों के नाम नियमन करने का भी उक्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया। तहसील प्रतापगढ़ की रेन्ज देवगढ़ के सर्वे किये गये 10 वन खण्ड में वर्ष 1980 तक 948 अतिक्रमियों द्वारा 8433 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया जिनमें से 15 अतिक्रमियों का अतिक्रमण दिनांक 1-1-71 से पूर्व का पाये जाने से उनके मामलों का नियमन कर दिया गया। इसी प्रकार तहसील प्रतापगढ़ रेन्ज प्रतापगढ़ के सर्वे किये गये 11 वन खण्डों में वर्ष 1980 तक 594 व्यक्तियों द्वारा 2684 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया जिनमें से 49 मामलों में दिनांक 1-1-71 से पूर्व का अतिक्रमण किया हुआ पाये जाने पर उन मामलों का नियमन कर दिया गया।

जिन व्यक्तियों द्वारा दिनांक 1-1-81 के बाद तहसील प्रतापगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है उनमें से जिला बांसवाड़ा के 326 व्यक्तियों द्वारा जिला डूंगरपुर के 25 व्यक्तियों द्वारा तथा गुजरात प्रान्त के जिला पंचमहल के 44 व्यक्तियों द्वारा, अर्थात् 395 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया जाना एवं शेष अतिक्रमी जिला चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर के निवासी होना पाया गया है। बांसवाड़ा जिले के जिन 326 अतिक्रमियों द्वारा तहसील प्रतापगढ़ की वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया; जांच पर यह भी पाया गया कि उनमें 45 अतिक्रमी ऐसे हैं जिनकी भूमि माही बांध की डूब क्षेत्र में आ जाने से विस्थापित हुए थे। इन 45 अतिक्रमियों को उनकी भूमि के माही की डूब क्षेत्र में आने से राज्य सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाकर उनको जिला बांसवाड़ा में अन्यत्र कृषि हेतु भूमि का आवंटन भी किया जा चुका है। इसी प्रकार डूंगरपुर जिले के जिन 25 अतिक्रमियों द्वारा तहसील प्रतापगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित वन भूमि पर अतिक्रमण किये गए, उनमें से 12 अतिक्रमी कडाना परियोजना के डूब क्षेत्र के विस्थापित हैं और इन सभी 12 अतिक्रमियों को राज्य सरकार द्वारा मुआवजा की राशि का भी भुगतान किया चुका है जिनमें से 11 विस्थापितों को जिला डूंगरपुर में कृषि हेतु भूमि का भी आवंटन किया जा चुका है एवं एक विस्थापित के पास अन्य भूमि उपलब्ध होने से आवंटन

(श्री दुलाराम)

नहीं किया गया। अतः यह प्रकट है कि माही एवं काडना के उक्त विस्थापितों द्वारा राज्य सरकार से उनकी डूब में आई भूमि का मुआवजा प्राप्त कर लेने और अपने पक्ष में कृषि हेतु भूमि का आवंटन उन जिलों में हो जाने के पश्चात् भी प्रतापगढ़ तहसील के वन क्षेत्रों में अतिक्रमण किया गया है।

इसी प्रकार तहसील प्रतापगढ़ में दिनांक 1-1-71 के पश्चात् वर्ष 1980 तक 1478 अतिक्रमियों द्वारा विभिन्न वन क्षेत्रों में वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। चूंकि ये अतिक्रमण दिनांक 1–1–71 के पश्चात् किया जाना पाया है अतः इनके मामलों में अतिक्रमण को नियमन किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

इन अतिक्रमियों में से वर्ष 1980 तक 1306 व्यक्तियों के विरूद्ध न्यायालय सहायक वन संरक्षक चित्तौड़गढ़ में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत किये गये हैं। इसमें से उक्त न्यायालय द्वारा 881 मामलों में निर्णय दिये जा चुके हैं तथा शेष 425 मामले न्यायालय में अभी भी विचाराधीन हैं। उपरोक्त न्यायालय में प्रस्तुत किये गये 1306 परिवादो में से रेन्ज प्रतापगढ़ के 563 मामलों में से 300 मामलों में उच्च-न्यायालय द्वारा अतिक्रमियों को बेदखल करने एवं उनसे शास्ती वसूल किये जाने के आदेश दिये गये तथा उनमें से 49 प्रकरणों में शास्ती वसूल करने तथा बेदखल करने की कार्यवाही की जा चुकी है। इस प्रकार रेन्ज देवगढ़ से सम्बन्धित 743 मामलों में से 581 प्रकरणों में उक्त न्यायालय द्वारा अतिक्रमियों से शास्ती वसूल करने एवं उनको बेदखल किये जाने के आदेश पारित किए गये, जिनमें से 156 प्रकरणों में अतिक्रमियों से शास्ती वसूल की जाकर उनको बेदखल किये जाने की कार्यवाही की गयी। बकाया निर्णित मामलों में अभी तक बेदखली आदि की कार्यवाही की जाना शेष है।

मुख्य वन संरक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन से यह भी प्रकट है कि किसी भी अतिक्रमी के साथ मार पीट करने या उनके झोपड़े आदि जला देने के आरोप सही नहीं हैं। जिलाधीश चित्तौड़गढ़ द्वारा भी यह बताया गया है कि उनके समक्ष अथवा अधीक्षक, आरक्षी के समक्ष आदिवासियों की झोंपड़ियां जलाये जाने अथवा उनके साथ मारपीट की जाने की कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं हुई है और न ही कोई मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। जिलाधीश द्वारा यह भी बताया गया कि उप खण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा भी उक्त क्षेत्र का कुछ समय पूर्व भ्रमण किया गया था लेकिन आदिवासियों की झोंपड़ियों को जलाये जाने का कोई तथ्य दृष्टिगत नहीं हुआ। जिलाधीश के स्वयं के प्रतापगढ़ के भ्रमण पर वन विभाग के अधिकारियो द्वारा भूमि से बेदखल किये जाने की ही आदिवासियों द्वारा शिकायत की गयी थी लेकिन उनकी झोंपड़ियों जलाये जाने अथवा उनके साथ किसी प्रकार की मारपीट किये जाने की कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं हुई।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) इतना बड़ा वक्तव्य है यह।

श्री दुलाराम : सुन लें।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : वक्तव्य दे रहे हैं या प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, डिपार्टमेंट की।

श्री बुला राम : यह जो आप समझ रहे हैं, वही पढ़ रहा हूं।

श्री सभापति : देखिये मन्त्रिमण्डल में आप नये आये हैं, अपना विस्तृत वक्तव्य दे रहे हैं, जंगल का एरिया भी तो बहुत बड़ा होता है, इसलिए जंगल का वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री बुला राम : अतः अतिक्रमी आदिवासियों के साथ कोई अनुचित व्यवहार किये जाने का प्रश्न ही नहीं है। वरन् जिन मामलों में बेदखली की अथवा शास्ती वसूल किये जाने की जो कार्यवाही की गई, वह न्यायालय के निर्णयों की पालना में ही नियमानुसार की गयी है।

राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पूरे क्षेत्र का 33 प्रतिशत भाग वनों के अन्तर्गत होना चाहिए, लेकिन इस राज्य में राज्य के कुल क्षेत्रफल का 10.56 प्रतिशत भाग ही वनों के अन्तर्गत उपलब्ध है। जिसमें से भी ज्यादा भाग पथरीला एवं पहाड़ियों का भाग है और वास्तविक वन सम्पदा का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। राज्य के दक्षिण जिलों में ही विशेष रूप से वन सम्पदा विद्यमान है। चित्तौड़गढ़ जिले का प्रतापगढ़ वन मण्डल का क्षेत्र बहुमूल्य वन सम्पदा का क्षेत्र है जिसमें मूल्यवान वन उपज यथा बांस, सागवान, खैर व टिमरू इत्यादि पाये जाते हैं। प्रतापगढ़ तहसील के जिस क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। उसका अधिकांश भाग सीतामाता अभ्यारण्य का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में इन अतिक्रमियों द्वारा किये गये अतिक्रमण के फलस्वरूप उस क्षेत्र की एक ओर वन सम्पदा को नुकसान पहुंचाया गया है तो दूसरी ओर वन्य प्राणियों को सुरक्षा प्रदान किये जाने की दृष्टि से इस क्षेत्र को जो अभ्यारण्य घोषित किया गया था, उस उद्देश्य की प्राप्ति में भी बाधा पहुँचायी गयी है, एवं वन्य प्राणियों के प्रजनन एवं विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 25-10-80 से पूरे क्षेत्र में वन (संरक्षण) अध्यादेश 1980 से प्रभावशील किया गया है। उक्त सम्बन्धित विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा विगत अधिवेशन में पारित भी किया जा चुका है। उक्त अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार कोई राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति बिना किसी रक्षित अथवा आरक्षित वन क्षेत्रों को न तो डी-रिजर्व ही कर सकती है और न ही किसी वन भूमि को वनारोपण के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में उपयोग में लिये जाने की स्वीकृति ही प्रदान कर सकती है। राज्य में वनों के घटते हुए क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रतापगढ़ तहसील के वन क्षेत्रों में जो अतिक्रमण दिनांक 1–1–71 के बाद किये गये हैं उन मामलों में वन भूमि को कृषि हेतु मुक्त करने का राज्य सरकार के समक्ष कोई औचित्य प्रकट नहीं होता।

(10·55 म० पू०)

(श्री सफीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : सभापति महोदय, जैसा कि वन मन्त्री जी ने

(श्री दुला राम)
अभी मेरे द्वारा रखे गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपना वक्तव्य दिया। मैं जो कुछ तथ्य मेरे पास हैं, सभापति महोदय, इसके माध्यम से निवेदन करना चाहाता हूं कि ये समस्या पैदा क्यों हुई, जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया कि ये लोग बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले से हैं और कुछ लोग गुजरात से हैं। सभापति महोदय, बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर का निर्माण लम्बे समय से चल रहा है। इस माही बजाज सागर बांध पर जो प्रभावित लोग हैं, उनकी संख्या 5258 है, जो खातेदार कृषक हैं और इनमें से 4700 आदिवासी कृषक प्रभावित हो चुके हैं। इस प्रकार 4489 खातेदार कृषकों को कृषि भूमि का आवंटन, जो किया जाना चाहिए, जो माही बाजाज डैम से प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने उनको आवंटित नहीं की। परिणामस्वरूप वे लोग बेदखल हुए हैं और इसी प्रकार से 264 लोग खांडू क्षेत्र में जो प्रभावित हुए हैं, उनको भी कृषि भूमि आवंटित नहीं की गयी है। यह है बांसवाड़ा की स्थिति।

इसी प्रकार डूंगरपुर जिले से लगा हुआ गुजरात में कडाना बांध बना हुआ है, कडाना बांध से बांसवाड़ा और डूंगरपुर के कितने लोग प्रभावित हुए हैं, इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। डूंगरपुर जिले में 7242 कृषक परिवार प्रभावित हुए और इसी प्रकार कडाना से बांसवाड़ा के 2670 परिवार प्रभावित हुए। 8-8-80 को, सभापति महोदय, विधान सभा में इस बात की घोषणा की गयी थी, सिंचाई मन्त्री द्वारा कि 584 परिवारों को जो डूंगरपुर जिले के हैं, जो लापता है, उनको न तो मुआवजा दिया गया न ही उनको किसी प्रकार का पर्नवास किया गया है। यह स्थिति वहां है। 18-3-81 को मेरा एक प्रश्न था. उसमें यह जवाब दिया कि 54 परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है, जो कडाना डैम में प्रभावित थे, पहले तो बताया गया था कि यह लोग लापता हैं और मार्च में बताया गया कि 54 लोग आ गये हैं. यह लापता कौन हैं ? इसके बारे में आगे निवेदन करना चाहता हूं, अब स्थिति यह है कि यह लोग ज जो माही बजाज सागर बांध से और कडाना बांध से डूंगरपुर जिले में प्रभावित हुए, उनको मुआवजा नहीं मिला, जमीन एक्वायर कर ली गयी, या डूब में चली गयी। परिणामस्वरूप यह लोग बाल बच्चो को पालने के लिए, अपनी उदर पूर्ति के लिए, चले गये, वह लोगो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ तहसील में जंगल का इलाका, जो काबिल काश्त है, पर खेती करने के लिए चले गये, मैं आसन से निवेदन करना चाहता हूं मेरा खयाल है सन् 55 से पहले माही बजाज सागर बांध का कार्य प्रारम्भ हो गया था और इसी प्रकार से कडाना बांध का भी सन् 60 के पहले से निर्माण कार्य चल रहा है, तो वे जब से प्रभावित हुए है और जब से डूंगरपुर और बांसवाड़ा से आये हुए हैं, स्थिति यह हुई कि यह लोग प्रतापगढ़ तहसील के उन गांवों में आकर बसे। इनका नाम मैं आवश्यक समझता हूं कि दूं। एक तो है माण्डल कलां, पाटिया पास, खलालिया, दलाई पास, बिसली, पाल, मांडकलाँ, बराड़ा, भूरीतलाई, मोगिया अम्बार, भाड़ोल—

श्री दुला राम : माननीय सभापति जी, मैं एक निवेदद करूं—(व्यवधान)

(श्री दुलाराम)

मेरा एक निवेदन तो सुन लें। सभापति महोदय जी, मेरा निवेदन है कि जो वन विभाग से सम्बन्धित हो "(व्यवधान)"

निवेदन तो सुनें। माही बांध से, बजाज बांध से कृषकों को मुआवजा दिया या नहीं दिया, इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरा सम्बन्ध तो यह है कि उस वन सम्पदा पर जो अनाधिकार कब्जे हो रहे हैं, अगर 1-1-71 से हैं तो मैं आपको निमंत्रित करता हूँ आप मुझे सूचित करिये, हम उनको कर देंगे। इसके बाद माही में आने के बाद कहां गए, कहां नही गए, कहां चले गए, इससे मेरा, इस विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री नन्दलाल मीणा : मेरा स्पष्टीकरण करने का मतलब, सभापति महोदय, यह है कि उन लोगों ने किन परिस्थितियों में सरकार की जंगलात की भूमि पर कब्जा किया क्योंकि उनको बेदखल किया जा रहा है....

श्री दुलाराम : इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री नन्दलाल मीणा : सम्बन्ध है।

मैं निवेदन कर रहा हूँ कि प्रतापगढ़ तहसील की जंगलात में जो कृषक परिवार बसे हैं उन गांवों के नाम हैं, माण्डकला, पाटिया-पाल, बलालिया, तलाईपाल, रीछड़ीपाल, पाल, माण्डकला, रान, पालूभरी तलाई, मोगिया आम्बा खलेड़, रीछड़ीपाल, बड़ी-लांक, कमलाकुंडी, सोतरिया, ग्यासपुर, चिवलाड, रतनपुरिया, कोटवाल, आमोदा, दतीयार, वियारा, जौलर और मगरी। इस प्रकार लगभग 24 गांव ऐसे हैं जिसके अंदर, सभापति महोदय, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से आने वाले 336 लोग प्रभावित हुए हैं। और इसी प्रकार से गुजरात से आने वाले, जैसा मंत्री महोदय ने बताया है, 37 लोग प्रभावित हुए। अब यह गुजरात से कैसे आये, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। गुजरात से हमारा क्या ताल्लुक है? मेरा इस पर यह निवेदन है कि इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की? सभापति महोदय, विधान सभा के चुनाव के पश्चात् यह लोग मेरे निर्वाचन क्षेत्र के हैं; मुझ से मिले। मैंने वन मंत्री जी को, चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट और जिलाधीश महोदय को इस बारे में पत्र लिखे। माननीय मंत्री महोदय को सारे हालात से अवगत कराया। इसके पश्चात् बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य भी मौके पर जाकर उनसे मिले और समय-समय पर सभी अधिकारियों को, मंत्रियों को निवेदन किया कि इनकी समस्या का समाधान किया जावे परन्तु सभापति महोदय, हुआ क्या? राजस्थान सरकार ने किस तत्परता से कार्य किया? राज्य सरकार का, 4-11-80 को और 30-12-80 को गवर्नमेंट आदेश हुआ, वन संरक्षक उदयपुर को कि जिन आदिवासी किसानों ने प्रतापगढ़ तहसील में जंगलात की जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है उनको बेदखल नहीं किया जावे।

सभापति महोदय, राज्य सरकार की, मंत्री महोदय की आज्ञा का कहां तक पालन होता है, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि दिसम्बर में इस प्रकार का आदेश हुआ परन्तु, सभापति महोदय, उसकी पालना, क्रियान्विति कब से प्रारम्भ हुई? 2 मार्च, सन् 81 को उप मुख्य वन संरक्षक ने उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ को पत्र

(श्री नन्दलाल मीणा)

लिखा कि राज्य सरकार का आदेश जो दिसम्बर महीने में हुआ है, उनकी पालना की जावे। मुझे बताया गया है कि बागीडोरा के विधायक ने इस प्रकार की शिकायत की कि उन लोगों को जंगलात विभाग के कर्मचारी बेदखल कर रहे हैं, उनकी झोंपड़ियां जला रहे हैं, न मालूम किस प्रकार बर्बरता से कार्यवाही कर रहे हैं इसलिए उनकी कार्यवाही स्थगित की जावे। इसके साथ सभापति महोदय, एक बात और हुई कि 1980 में, दिसम्बर, 1980 में जब घमोत्तर के भू-अभिलेख निरीक्षक को तहसीलदार प्रतापगढ़ ने यह आदेश दिया कि तुम मौके पर जाओ और वस्तु स्थिति का जायजा लेकर उसकी रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत करो। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिए निवेदन करना चाहता हूँ और उन्होंने गम्भीरता से यह उत्तर दिया है कि सन् 71 के पहले के कब्जे थे उनको रेगूलेराइज कर दिया जायगा, परन्तु, सभापति महोदय, राजस्व विभाग का अधिकारी मौके पर गया और उसने राज्य सरकार को जो प्रतिवेदन दिया उसमें क्या लिखा, दो लाइनें इसकी निवेदन करना चाहता हूँ :

"जिन लोगों ने वन भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है वे सन् 1970 से पूर्व डूंगरपुर और बांसवाड़ा के गांवों में बसे हुये थे जो गांव कडाणा और माही बांध के डूब में आये हैं। डूब में आने वाले गांवों में से इनको हटाया गया और यह लोग बेघर हो गये तथा उनकी भूमि डूब में चली गई। सरकार ने इनके बसने का कोई प्रबन्ध नहीं किया जिससे ये लोग नष्ट हो गये और निवास करने योग्य भूमि एवं स्थान की तलाश में इस वन खण्ड की तरफ आने शुरू हुए और यहां बसने शुरू हो गए। लोगों ने पूछताछ के दौरान यह बताया कि हम सन् 1970 से यहां बसे हुए हैं और तत्कालीन वन अधिकारियों ने उन्हें यहां कब्जा करने एवं काश्त करने की अनुमति दी थी। सन् 1970 में वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने खेती करने की काश्तकारों को मजूरी दी थी। उसके बाद भी तत्कालीन वन अधिकारी इनसे जुर्माने के रूप में रकम वसूल करते रहे हैं पर उसके प्रमाण स्वरूप कोई विधिवत् रसीदें उपलब्ध नहीं हैं पर यह तथ्य की बात है कि बिना मिली भगत के इतने लम्बे समय तक नाजायज कब्जा रहना मुश्किल था।

माननीय सभापति महोदय, यह भू-अभिलेख निरीक्षक घमोत्तर पाल के खण्ड की रिपोर्ट है जो राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है, सभापति महोदय, कि जो काश्तकार डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के मूल निवासियों ने कब्जे कर रखे हैं उन इलाकों में उन्होंने कब्जे सन् 70 से पूर्व से कर रखे हैं और उनके पास रिकार्ड नहीं है। अभी भी मंत्री महोदय ने इस बात की और एक घोषणा की कि सन् 79 में इस बात का फैसला किया गया था कि मौके पर जाकर साक्ष्य के आधार पर इसका फैसला किया जाएगा। सभापति महोदय, मैं तो अभी 80 में चुन कर आया हूं, उसके पहले भी तो मंत्री थे, इस प्रकार की कोई कार्यवाही उसमें आगे नहीं हुई और हुई तो कितने मामले आए यह बतायें? या तो माननीय मंत्री

(श्री नन्दलाल मीणा)

महोदय ने जो वक्तव्य दिया है वह सही है या जो भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है वह सही है। यह स्पष्ट होता है कि बागीडोरा के माननीय विधायक वहां पर दो तीन बार गए और उनके साथ एक व्यक्ति और गया था। उसका पत्र भी मेरे पास आ चुका है, सभापति महोदय। यह सही बात है कि मैं जब माडकलां की मीटिंग में गया, मोगिया अम्बा की मीटिंग में गया और सीरा महुड़ी की मीटिंग में गया, वहां पर जब मैं गया तो वहां के किसानों ने बड़ी शिकायत की इस बात के लिए कि उनकी जंगलात की भूमि पर कब्जे हैं और जंगलात विभाग के कर्मचारी बड़े परेशान कर रहे हैं, इसका समाधान होना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मैं इस बारे में राज्य सरकार को जानकारी दूंगा कि उचित कदम उठाये जायं, इसकी व्यवस्था हो। परन्तु सभापति महोदय, हुआ क्या? उन लोगों से किस प्रकार से रुपया वसूल हुआ? एक आदमी, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले से था, की जमीन जायदाद, पेड़, मवेशी छीन ली गई और उसको बेघर कर दिया गया। उन लोगों ने आज प्रतापगढ़ तहसील में आकर शरण ली है। जो कुछ बचा खुचा उनके पास था, पैतृक सम्पत्ति उनके पास थी। सभापति महोदय, कांग्रेस-आई के विधायक के साथ, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, वे ईमानदार हैं, परन्तु उनके एक और युवक कांग्रेस का अध्यक्ष जो बांसवाड़ा जिले के आनन्दपुरी गांव का है, जिसको भूमियां भी कहते हैं, गांव के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिखा है, मुकाम काला खेत पाटियापाल को कि हम उदयपुर जा रहे हैं। तत्कालीन वन मंत्री श्रीमती कमला जी आ रही हैं, जहां पर आदिवासी और जंगलात की समस्याओं पर विचार किया जाएगा। आप वहां से बेदखल नहीं हों। अगर सरकारी अधिकारी, वन कर्मचारी अत्याचार करें तो उसका प्रतिशोध लेना होगा। यह पत्र मिला और जब मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा सभापति महोदय, कि यह जंगलात के कर्मचारी लोगों को परेशान कर रहे हैं वह तो है ही लेकिन उसके साथ ही उन महाशय, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष जो माननीय बागीडोरा के सदस्य के साथ थे, द्वारा पचास रुपये से लेकर डेढ़ सौ रुपये तक प्रति परिवार से लिया गया।

परिवारों की संख्या के बारे में मैं पूर्व में निवेदन कर चुका हूं कि वहां पर 360 परिवार बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले और दीगर इसी प्रकार के पांच सौ परिवार हैं। मंत्री महोदय ने अभी स्वीकार किया है कि 1700 परिवार प्रभावित हैं, कांग्रेस आई के कार्यकर्ता बागीडोरा के विधायक का संरक्षण लेकर के कर रहे हैं, बागीडोरा के माननीय विधायक की मंशा यह नहीं है कि उनको बेदखल किया जावे, उनको उजाड़ा जावे या उनके घर बार बर्बाद किये जावें परन्तु उनकी आड़ में हजारों रुपये वहां इकट्ठे कर लिए और इसके साथ क्या हुआ, सभापति महोदय, जो मुख्य मुद्दे की बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता था वह रह गई। वह यह है कि जब दिसम्बर के महीने में राज्यादेश पहुंचा और राज्यादेश पहुंचने के बाद लागू कब होता है मार्च में। उप वन संरक्षक अधिकारी उदयपुर ने वन विभाग प्रतापगढ़ को लिखा।

(श्री नन्दलाल मीणा)

फिर क्या हुआ इसकी जानकारी देता हूं। 8-3-81, गत 8 मार्च को राज्यादेश हुआ। राजेन्द्रकुमार डिप्टी रेंजर लगे हुए हैं और गेम्स सैंकचुरी फारेस्टर लक्ष्मणसिंह और वहां के मोहनसिंह नाकेदार और 15–20 मजदूर किराये के, सभापति महोदय, हथियारों से लैस हो करके वहां मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंच कर उनके दो झोंपड़े जला दिये। एक झोंपड़ी जला दी। झोंपड़ियां तोड़ी गयी, उनको मारा गया। सभापति महोदय, जब लोग परेशान हो गये तो उन्होंने सरकार से कहा। राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ? जैसा कि मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे कि एक भी झोंपड़ी नहीं जलायी, बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रार्थना पत्र माननीय मंत्री महोदय को पेश किया है, उसमें एक रिमार्क लिखा जो मैं पढ़कर सुनाता हूं। "इस सम्बन्ध में हमने कई बार निवेदन किया, पहले से ज्यादा परेशान किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है मकान जलाये जा रहे हैं। अतः निवेदन है कि सरकार तत्काल कार्यवाही करे। अधिकारियों का आदेश प्रदान करे। अशान्ति और मारपीट होने का अन्देशा है।" सभापति महोदय, मैं विपक्ष का सदस्य हूं, सत्ता पक्ष के सदस्य भी कह रहे हैं कि वहां पर ऐसी स्थिति है कि खून खराबा हो सकता है। आज उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। सभापति महोदय, जिन लोगों के मकान जलाये, उनके नाम निवेदन करना चाहता हूं। हमारे पास 8–10 पत्र प्राप्त हुए हैं।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : ध्यान आकर्षित हो गया है।

श्री नन्दलाल मीणा : ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। बहरे हैं, गूंगे हैं, ××× सब

सभापति महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा। मंत्री महोदय मुझ से मिले, हमारी वार्ता हुई। मैंने कहा कि एक स्टेंडिंग कमेटी का गठन किया जाय, वह कमेटी मौके पर पहुंचे और मौका देख कर जो जमीन पर काबिज हैं, जिनका कब्जा है, उनको रेगूलेराइज करें। परन्तु आज तक मंत्री महोदय क्या करते रहे ? सभापति महोदय, आज राजस्थान में रहने वाले आदिवासी, राजस्थान में रहने वाले गरीब तबके के लोग सुरक्षित नहीं हैं। उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उनकी रोजी छीनी जा रही है। उनकी झोंपड़ियां जलायी जा रही हैं, पैसा छीना जा रहा है, धोखाधड़ी दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं, सभापति महोदय, सरकार से क्या आशा कर सकता हूं। कम से कम बसाने की व्यवस्था तो की जाय, जो लोग बेघरबार हैं। 70–71 के पहले से कब्जा है, जैसा सरकार का निर्णय है, उस आधार पर उनका फैसला किया जाय। मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया, सभापति महोदय, एक अहम् बात है, उनका कहना ठीक है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री नन्दलाल मीणा : आधा घंटे तक मंत्री महोदय ने वक्तव्य पढ़ा है। कम से कम दस मिनट का समय दें।

श्री सभापति : दस मिनट आपने ले लिये।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किया गया।

श्री नन्दलाल मीणा : 15 मिनट। व्यवहारिक बात निवेदन करना चाहता हूं। वन विभाग के कर्मचारी कितने दूध के धुले हुए हैं, यह आप भी जानते हैं, सब अच्छी तरह से जानते हैं। वह लोग मौके पर पहुंचे। कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है, हट जाओ। उन्होंने ले लिया। इस प्रकार जो लोग सन् 70 से पहले काबिज थे, उन लोगों को बेदखल करने के लिये राज्यादेश जारी हुए हैं। इससे इस बात की बू आती है कि उन अधिकारियों और कर्मचारियों में महज एक धारणा थी, जो लोग गरीब लोग, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में आये उनको जब चाहा तब उनको चूसा, धन निकाला। उन लोगों ने अपने मकान बना लिये। बाड़े बना लिये और आज मंत्री महोदय कहते हैं इस जमीन पर उनका कब्जा ही नहीं है। अंत में मेरा निवेदन यह है कि, सभापति महोदय, इन लोगों को जो 70 से पहले के काबिज हैं, उन लोगों ने समय समय पर वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों की सेवा की है, यह मेरा चार्ज है, इसी का परिणाम है उन लोगों को समय पर बेदखल नहीं किया। मेरा चार्ज है सरकार पर यदि इस बात का निष्पक्ष रूप से, बिना भेदभाव के फैसला करना चाहते हैं तो एक कमेटी बना दी जाय, मंत्री महोदय वहां आकर मौका देखें, मैं भी साथ चलूंगा अगर इस मानवीय प्रश्न का समाधान करना चाहते हैं।

श्री दुलाराम : माननीय सभापति जी, जो इन्होंने भावना प्रकट की है, जिस तरह की स्थिति में जोश में आये, इससे मैं इसलिये सहमत नहीं हूं कि जो इन्होंने कहा है सारी बात सत्य ही हो। लेकिन मैं माननीय सदस्य से जरूर निवेदन कर सकता हूं कि जिस तरह भीलों की इस कमजोरी का, जिस तरह माननीय सदस्य ने कहा और राजनैतिक....

श्री नन्दलाल मीणा : आप भील मत कहिये।

श्री दुलाराम : मैं भील हूं। जाति हमारी नायक है। आपको भी जानते हैं। जिन्होंने भीलों के साथ अन्याय किया है, मैं एक ही निवेदन कर सकता हूं, साथ चलने को तैयार हूं, आन दी स्पाट मौका देखने को तैयार हूं, अगर इसके बाद भी 71 के नहीं मिले तो क्या कहेंगे ?

श्री नन्द लाल मीणा : क्या कहेंगे क्या कोई आपके....

श्री दुलाराम : उसके बाद उन्होंने माही का नाम लिया वहां से कौन बेदखल हैं ? जनता सरकार ने कोई गुनाह किया तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं आ सकती है। उनको बसाना चाहिये था, जमीन देनी चाहिये थी, सारी व्यवस्था करनी चाहिये थी ताकि वे लोग वन की भूमि पर कब्जा करने पर आमदा नहीं होते। जिस राजनैतिक तरीके से वन सम्पदा पर कब्जा करने की, भड़काने की कोशिश करना चाहते हैं, वन सम्पदा के लिये जिस तरह से देश की प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा है कि देश के 33 प्रतिशत भागों में वन सम्पदा हो, जिससे हरियाली हो उनकी नीति सही है, कामयाब नहीं हो रही है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं वहां के

(श्री दुलाराम)

सरपंच का लिखा हुआ है कि इसके बारे में कार्यवाही की जाय। मैं पढ़ कर सुना दूं मेरे पास लिखा हुआ है। इन्होंने कहा कि "उपरोक्त विषय में निवेदन है कि हम निम्न लिखित ग्राम के निवासीयान की यह....

(व्यवधान)

पहले आप सुनलें।

निवेदन है कि हमारे गांव के आस-पास वन विभाग की भूमि है जिसमें काफी वन लकड़ी खड़ी है उसको बाहर से आदिवासी लोग आकर नाजायज वन काट कर भूमि पर कब्जा कर रहे है, इस प्रकार अभी तक करीब तीन सौ परिवार यहां आकर अनधिकृत बस गये हैं।"

मैं निवेदन करूं, सभापति महोदय, सरपंच ग्राम पंचायत चिकलाड़ है, उन्होंने भी लिखा है, "उपरोक्त विषय में निवेदन है कि कूप भर रेंज देवगढ़ में आदिवासी लोग काफी संख्या में आकर बस रहे हैं। वे वन को काट कर काबिल काश्त बना रहे हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि इन लोगों से नाजायज जंगल कटिंग रोकावें व ग्राम मगरी, कमलाकुडी व चिकलाड़ के बीच में जो जंगल शेष हैं व मामूली काश्त है वहां प्लान्टेशन बना दिया जावे ताकि वहां पर अनधिकृत लोग प्रवेश न होकर जंगल को नुकसान नहीं पहुंचावें।"

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है, मैं निवेदन करूं अकेले नाथूलाल जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, आपने कहा लोगों को यहां से बेदखल नहीं किया जाय हमारी जिम्मेदारी है, हम आपकी तरह....

(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री दुलाराम : आज राजस्थान की सरकार कांग्रेस की बन गई है, उसके बाद ऐसी स्थिति हुई हो ऐसी बात नहीं है। यह स्थिति आपके जमाने से बनी हुई है। उस स्थिति में इस तरह कांग्रेस शासन को बाध्य होना पड़ा उन आदिवासियों को बेदखल किया गया।

मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे आदिवासियों को जिनके पास रहने की जगह नहीं है, ऐसे आदिवासियों को जिनको जमीन नहीं दी गई, रकम नहीं है। ऐसे को नहीं जिनको जमीन दी हुई है, जिनके पास रहने को जगह है, उनको दुबारा बसाया जाय, ऐसे को राज्य सरकार संरक्षण नहीं दे सकती है। ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है, जो 71 के पहले के काबिजदार हैं, उनको राज्य सरकार जरूर संरक्षण देगी। इतना ही मैं निवेदन कर सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : अभी सदन का जो कार्यक्रम है....

एक माननीय सदस्य : स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा। मंत्री महोदय ने कहा कि जनता पार्टी की सरकार ने यह गुनाह किया है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : मेरा निवेदन है माननीय सदस्यों से कि आज सदन का....

(व्यवधान)

आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा, मंत्री महोदय का वक्तव्य आया, आपने अपना स्पष्टीकरण किया मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया। अब दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, श्री घासीराम जी यादव।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: सभापति महोदय....

(व्यवधान)

श्री सभापति : इसमें काफी चर्चा हो गई, अब आप क्या कहेंगे ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरा सुझाव है, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय के वक्तव्य का स्वागत करता हूं....

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : पाइन्ट आफ आर्डर, सभापति महोदय।

श्री सभापति : मैं इतना निवेदन कर दूं माननीय सदस्य, पाइन्ट आफ आर्डर नियमों के उल्लंघन के सिलसिले में ही रेज्ज किया जाता है। कोई ऐसी बात हो जिसमें किसी नियम का उल्लंघन किया गया हो तो वह माननीय सदस्य कोट करें, ऐसा कोई नियम ही नहीं है....

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

श्री चतुर्भुज : यह बेमतलब का टाइम खराब किया जा रहा है।

श्री सभापति : सिर्फ माननीय सदस्यों ने कहा है कि मैं सुझाव रखना चाहता हूं....

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : सुझाव हम भी रख सकते हैं। मेरे सुझाव भी सुनिये....

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपने मुझे इजाजत दी, धन्यवाद। मैं मंत्री महोदय की इस बात का स्वागत करता हूं, उन्होंने कहा कि आज दी स्पाट जाने के लिये तैयार हैं तो आप वहां पधारें, माननीय विधायक को भी साथ लें और स्थिति को देख लें....

श्री दुलाराम : विधायक को साथ लूं इसके लिए मैं बाध्य नहीं हूं ।।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री नंदलाल मीणा : पाइन्ट आफ आर्डर । मंत्री महोदय ने यह कहा कि मैं साथ ले जाने के लिये बाध्य नहीं हूं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । श्री बनवारीलाल जी ।

(व्यवधान)

मैंने मन्त्री जी को आवाज दे दी है। आसन पैरों पर है। आर्डर प्लीज । मेरी सुन लीजिए मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री बी.डी. कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदय, ये स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। इनको मौका दीजिये। विरोधी पक्ष ने माननीय सदस्य के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाया है इसलिए इनको स्पष्टीकरण का मौका दें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है। मैंने यह भी निवेदन कर दिया कि आज का जो हाउस का प्रोग्राम है वह बहुत टाइट है, माननीय सदस्य को जो सुझाव रखना था वह आधे मिनट से भी कम समय का था। इसलिए उनको इजाजत दी, आप किस चीज का स्पष्टीकरण चाहते हैं आर्डर प्लीज ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों को खदेड़ा जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जब आप लोग ही सदन की व्यवस्था को बिगाड़ेंगे, अगर सदन चलाने में आप ही लोग बाधा डालेंगे तो हम दूसरों से क्या आशा कर सकते हैं ?

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, आप विरोधी पक्ष को बोलने दें और हमें न बोलने दें तो यह अन्याय होगा, सभापति महोदय।

(व्यवधान)

श्री नाथूराम (डूंगरपुर) : सभापति महोदय, वन विभाग के विवाद का मेरे क्षेत्र का प्रश्न है, हमारे क्षेत्र में कडाणा से वागीदोरा विधान सभा क्षेत्र में 40 गांव प्रभावित हुए सरकार ने जमीन वन विभाग को दी है वह बिलकुल पथरीली है, अन्य लोगों को जमीन दी नहीं है। 50 लोग टेकरियों पर पड़े हुए हैं जमीन देने पर आबाद होंगे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा के लोग जो कि कडाणा तथा माही बांध से प्रभावित हैं, प्रतापगढ़ तहसील की वन भूमि में 17 वर्ष से आबाद हैं, उनको मार-मार कर वे दखल किया जा रहा है। ग्राम सोतरिया, बड़ी लाख में दिनांक 8-3-81 को गोतम, जीवणा, बादरिया, दीपला- इन चारों के मकान वन कर्मचारियों ने जला दिये, गरीब किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है, झगड़ा और आपस में बड़ी

(श्री नाथूराम)
लाठियां वगैरह चलीं तो सरकार की जिम्मेदारी है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आयुर्वेद मंत्री जी अब वक्तव्य देंगे।

गत 5 मार्च, 1981 से विधान सभा भवन के बाहर धात्री उप वैद्य द्वारा किया जा रहा आन्दोलन

श्री घासीराम यादव (राज्य मंत्री आयुर्वेद) सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से मैं वक्तव्य पढ़ रहा हूं। दिनांक 12-8-80 को माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय के कक्ष में धात्री उपवैद्य संघ की 28 सूत्री मांगों के संबंध में संघ के प्रतिनिधि व राज्याधिकारियों की एक बैठक हुई थी। स्वीकृत मांगों के संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है :—

(11·30 म.पू.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष,पदासीन

मांग संख्या 6,8,9, के बारे में राज्य सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि जनवरी, 1981 में शुरू हुए एक साला विभागीय प्रशिक्षण समाप्त होने पर ढाई साला प्रशिक्षण शुरू किया जायगा तथा उसमें मैट्रिक पास आशार्थियों को ही प्रवेश दिया जाय। इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश तत्काल जारी कर दिये जायेंगे।

मांग संख्या 2 व 4 के सम्बन्ध में एक समिति का गठन कर दिया गया है। संघ की एक नई मांग है कि इस कमेटी में उनका भी प्रतिनिधित्व हो, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।

मांग संख्या 3, 19 व 21 वेतन आयोग से सम्बन्धित है। अतः उन पर विचार आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही किया जायगा।

मांग संख्या 15 वित्त विभाग को भेज कर, उनकी राय प्राप्त कर इस बारे में आदेश प्रसारित कर दिये जायेंगे।

मांग संख्या 5 के बारे में एक महीने में आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

मांग संख्या 7, निर्णयानुसार विश्व भारती, सरदारशहर संस्थान में प्रिन्सिपल महोदय द्वारा दर्शायी कमियां 31-5-81 तक दूर कर दी जायेंगी और इसके साथ ही विभाग से प्रस्ताव भी 31-5-1981 तक मंगा लिये जायेंगे।

मांग संख्या 10 के बारे में यह तय किया गया है कि प्रशिक्षण हेतु प्रवेश योग्यता मात्र मैट्रिक होगी तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश शीघ्र ही जारी कर दिये जायेंगे।

मांग संख्या 11, एक वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स वाले और 8 वर्षीय कार्यानुभव वाले धात्री, उपवैद्यों को वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के योग्य मान लेने के सम्बन्ध में है। एक माह में इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

मांग संख्या 12 भारत सरकार के सलाहकार भारतीय चिकित्सा पद्धति की राय के अनुसार मानने योग्य नहीं है।

मांग संख्या 13 को यथावत मान लिया गया है तथा वरिष्ठता सूची तीन माह के अन्दर यथा संभव प्रकाशित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(श्री घासीराम यादव)

मांग संख्या 14 व 27 के बारे में संघ से और जानकारी मांगी गई है, जो अपेक्षित है।

मांग संख्या 17 व 22 यथावत मान ली गयी है और शीघ्र ही कार्यवाही की जावेगी।

मांग संख्या 16, 18, 23, 25 के बारे में अनुपालनार्थ दिनांक 6.9.80, 25.11.80. 29.10.80, 25.11.80 को निदेशक द्वारा परिपत्र जारी किये जा चुके हैं।

मांग संख्या 24 को ड्राप कर दिया गया है।

मांग संख्या 20 के बारे में चिकित्सा विभाग के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

मांग संख्या 28, एक्ट में संशोधन की कार्यवाही की जा रही है।

मांग संख्या 28–ए को यथावत मान लिया गया है तथा इस पर कार्यवाही की जा रही है।

अतः स्पष्ट है कि धात्री, उपवैद्य संघ की 28 सूत्री मांगों के सम्बन्ध में राज्य सरकार और संघ के प्रतिनिधियों के मध्य हुए समझौते के अनुसार कार्यवाही की जा रही है या कर दी गई है। इस सम्बन्ध में मैंने संघ के प्रतिनिधियों से वार्ता कर उन्हें आश्वासन भी दिया है कि राज्य सरकार समझौते के अनुसार मानी हुई मांगों को पूरा करने में तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करेगी। मुझे आशा है कि उपरोक्त वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए संघ अपनी हड़ताल को आज ही समाप्त कर देगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, जो मांगें मान ली गई है या जिनकी आपने अभी घोषणा की है, वे काफी सीमा तक मान ली गई हैं उसके लिये तो बहुत बहुत धन्यवाद····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले आप इसका अध्ययन तो करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैंने इसको पूरा पढ़ लिया है। यह जो 28 मांगे हैं, वे मेरे पास में हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह की बात आज माननीय मंत्री महोदय ने कही है, यह आन्दोलन जिस बात को लेकर हुआ है, उस बात को रेफरेन्स की ओर मैं ले जाना चाहता हूं। यह जो रेफरेन्स दिया है, 12 अगस्त, 1980 को जो फैसला हुआ था, उस समय के आयुर्वेद मंत्री, सम्बन्धित सचिव, विभाग के सारे डायरेक्टर उपस्थित थे, उप शासन सचिव, वित्त विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। उनके सामने जैसा आज आपने वक्तव्य दिया है वैसा का वैसा एक लिखित समझौता हुआ था और उसमें संघ के अध्यक्ष, महासंघ के अध्यक्ष भी मौजूद थे, 16 लोग उपस्थित थे और एक रिटन समझौता किया गया है उसके आधार पर मंत्री महोदय ने इनका अनशन तुड़वाया था और वह आन्दोलन समाप्त हुआ। जिस भाषा में यह पूर्व का समझौता लिखा गया था वैसी की वैसी भाषा आज आप कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं यह ढाई साल के प्रशिक्षण शुरू किये जाने की बात पहले भी मानी गई थी और आज भी मानी गई है। परन्तु आज दिन तक इस सम्बन्ध में आदेश प्रसारित नहीं किये गये हैं। वरिष्ठता सूची तीन महीने के अन्दर प्रसारित करने का लिखित में समझौता हुआ था और आज भी वही बात कह रहे हैं। ये छोटी-छोटी मांगें हैं। इन मांगों को मान लिये जाने से कोई आर्थिक भार सरकार पर नहीं पड़ने वाला है।

श्री अध्यक्ष: मैं निवेदन कर दूं प्रश्न इतना सा ही है कि पुराने वाला और नया वाला जो वक्तव्य है, जो घोषणा मंत्री महोदय ने की है, उसका सरकार पालन कर देती है तो आप सन्तुष्ट हैं। मंत्री महोदय, जो आपने घोषणा की है उसका आप

(श्री अध्यक्ष)

पालन करेंगे तिथि, मियाद घोषणा के अनुसार।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, कई का तो पालन कर दिया गया है और बहुत सी बातों पर कार्यवाही चल रही है....

श्री अध्यक्ष : अब जो आपने घोषणा की है उसका पूरा पालन किया जायगा।

श्री घासीराम यादव : पूरा पालन किया जायगा।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : जो कल्पद है उस सम्बन्ध में क्या होगा ?

श्री घासीराम यादव : उसको उपवैद्य लगाया जायगा। इसके आदेश जारी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। मांगों का प्रस्तुतिकरण।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था....

श्री अध्यक्ष : यह तो हो गया। दूसरा विषय पुकार लिया गया है। तालियां बज गई। ठीक हो गया। इसके बाद में क्या कठिनाई रह गई ? कठिनाई की कोई बात हो तो कहें। भाषण नहीं।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर जो उत्तर दिया गया है, वह गोलमाल है, फलां कमेटी गठित कर दी जायगी। फलां तारीख से कर दिया जायगा। यह जो फैसला हुआ है उसमें मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि क्या इसको क्रियान्वित कर दिया जायगा, इस बात का आश्वासन दे दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय ने मान लिया है। आश्वासन दे चुके हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह आश्वासन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब के पक्का है।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप विश्वास दिला रहे हैं ?

श्री घासीराम यादव : मैं यह निवेदन करूंगा माननीय सदस्य कि पहले जो मंत्री महोदय ने समझौता किया था, वह लागू नहीं किया गया, ऐसी बात नहीं है। 28 मांगें हैं, उनमें से आधी मांगें पूरी हो गई हैं। जो होने लायक थीं उसमें डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कोताई नहीं की गई है। कुछ में कार्मिक विभाग से कार्यवाही की जानी है तो वैसी कार्यवाही हो रही है। कुछ में इण्डियन मेडिसिन बोर्ड से राय ली जानी है तो वह राय ली जा रही है। कोई एक बात को लेकर पूछें कि कौनसी कार्यवाही नहीं हो रही है तो मैं बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : इनको भी याद नहीं है।

श्री रतनलाल ताम्बी : फलां महीने में कर दी जायगी....

श्री अध्यक्ष : वह भी कर दिया जायगा।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं कल मैंने पांच घंटे, चार बजे से 9 बजे तक, उनकी मांगों के सम्बन्ध में लगाये है। इनकी मुख्य मांग कल्पद की जगह उपवैद्य बनाया जाय, जिसके लिए एलान कर दिया गया है कि उनको बनाया जायगा। इसी तरह से ढाई साला प्रशिक्षण शुरू किये जाने की बात है, उसके लिये एक जुलाई से जैसा एग्रीमेंट हुआ था ऐसा होगा। उनकी एक मुख्य मांग और यह थी कि फर्जी प्रमाण पत्र को आयुर्वेद में न माना जाय सिर्फ मैट्रिक को लिया जाय, इसके लिये आदेश प्रसारित किये जा रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय एक मांग उनकी यह थी····

श्री अध्यक्ष : इससे गलतफहमी हो जायगी। विषय समाप्त हो गया है।

श्री अध्यक्ष : मांगों का प्रस्तुतिकरण।

एक माननीय सदस्य : इस तरह के आश्वासन तो कागजों में ही रहते हैं····

अनुदान की मांगें

मांग संख्या-8 राजस्व, **मांग संख्या** - 37 कृषि व मांग संख्या 39-पशु पालन एवं चिकित्सा

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मांगों का प्रस्तुतिकरण।

मांग संख्या-8

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या-8 राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,20,97,000 रुपये (बारह करोड़, बीस लाख, सत्यानवे हजार रुपये) तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या-37

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या-37- कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 22,64,99,000 रुपये (बाइस करोड़ चौसठ लाख, निन्यानवे हजार रुपये) तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या -39

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या -39, पशुपालन एवं चिकित्सा के संबन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,90,53,000 रुपये (आठ करोड़, नब्बे लाख, तरेपन हजार) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 8 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-8, मुख्य शीर्षक राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

1. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र का भूमि बन्दोबस्त पुन: व्यवस्थित रूप से कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

पटवारियों द्वारा किसानों-को परेशान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

3. कृषकों से तकावी की वसूली करने में कृषकों को परेशान करने पर चर्चा के लिये ।

4. बीकानेर डिवीजन में बन्दोबस्त कार्य पुन: कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

5. जिला बीकानेर की तहसील लूणकरणसर के 34 गांवों में प्रस्तावित फौजी अभ्यास के लिये क्षेत्र महाजन के बजाय सुझाये गये अन्य प्रस्तावित वैकल्पिक स्थानों की जांच करने एवं उक्त क्षेत्र के किसानों द्वारा मांगों के संबंध में दिये गये ज्ञापन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

6. भू-राजस्व प्राप्तियों एवं वसूलियों के पुनर्निर्धारण एवं सुधार कर नवीन ढांचा बनाने पर चर्चा के लिये ।

7. तकावी वसूली पद्धति में सुधार एवं ऋण वितरण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

8. भू-राजस्व की वसूली में आवश्यक सुधार हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

9. सवाईमाधोपुर में टाइगर प्रोजेक्ट की वजह से लोगों को दूसरी जगह बसाया है, उनको खातेदारी अधिकार न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

10. कृषि भूमि पर जो लोग आबाद हैं उन बस्तियों को आबादी में परिवर्तन करने सम्बन्धी आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

11. सैटलमेन्ट का कार्यालय अलवर से स्थानान्तरित कर सवाईमाधोपुर में किये जाने पर चर्चा के लिए ।

12. सवाईमाधोपुर जिले की तुरन्त चकबन्दी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

13. सिकराय व दौसा तहसील की पंचायत की आबादी विस्तार की फाइलों का लम्बे समय से निपटारा न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)

14. राज्य सरकार पटवारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये ।

श्री चन्द्रवीरसिंह (जैसलमेर)

15. नहरी क्षेत्र में आवंटित भूमि के भू-धारकों को खातेदारी अधिकार दिलाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

16. कोटा जिले के ग्राम कनवास एवं ग्राम बड़ौद में तहसीलें कायम करने बाबत चर्चा के लिए ।

17. राजस्व कानून में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता सम्बन्धी सुझावों पर चर्चा के लिए ।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा)

18. राजस्व अभियान के अन्तर्गत नियमानुसार आवंटित भूमि पर अलाटीज का कब्जा दिलवाये जाने तथा बिना सूचना खाते की भूमि को चरागाह भूमि दर्ज कर दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

19. किसानों का ऋण व लगान अकाल पड़ने के कारण माफ किया जाय इस पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

20. भू-राजस्व के मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु पंचायत स्तर पर कैम्प लगाये जावें व मौके पर मामलों का निपटारा हो इस पर चर्चा के लिये ।

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़)

श्री भालू खां (चूरू)

21. भू-बन्दोबस्त कार्य को परिवर्तित परिस्थितियों में पुनः शीघ्र कराये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर)

22. भीनमाल सांचौर तहसील में गोचर पड़त और नाड़ियों की खातेदारी दी जाती है व उसी अधिकारी द्वारा भूमि की किस्म बदली जाती है जो भारी अनियमितता है इस पर चर्चा के लिये ।

श्री अमीन खां (शिव)

23. बाड़मेर जिले में एक नई तहसील व एक उप तहसील बनाने पर चर्चा के लिये

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी)

24. बाड़मेर जिले की बाड़मेर तहसील में 385 ग्राम बहुत बड़े आकार के होने से गुढ़ामालानी उप तहसील को तहसील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

25. बाड़मेर जिले के अतिक्रमियों का नियमन का आधार राजस्थान के अन्य जिलों के आधार पर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

26. गरीब काश्तकार को भूमि क्रय करने पर फ्रेगमेन्टेशन नियमों से छूट देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

27. अन्त्योदय के लोगों को जो जमीन अलाट हुई वह जमीन पटवारियों द्वारा नाप कर नहीं बताई गई और उन जमीनों पर अन्य लोगों ने कब्जे कर रखे हैं इस पर चर्चा के लिए।

श्री भैरूलाल (उदयपुर ग्रामीण)

28. कृषकों के पुराने कर्ज माफ कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

29. राजस्व वसूली में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर)

30. समाज की परिवर्तित परिस्थिति में काश्त की भूमि का पुनः बन्दोबस्त करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

31. तहसील प्रतापगढ़ ग्राम राजपुरिया में खेतों की सीमा विवाद के निपटारे के सम्बन्ध में विलम्ब पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

32. भू-राजस्व गरीबों एवं अमीरों से समान रूप से वसूल नहीं करने एवं किसानों की नकलें नहीं मिलना तथा आवंटन समिति के बाद भी पट्टे नहीं देने पर चर्चा के लिये।

33. कोटा जिले के चेचट एवं मडाना में उप तहसील खोलने, अकाल क्षेत्र में भू-राजस्व वसूली के अविलम्ब रोकने व चरागाह अतिक्रमण पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

34. लगान वसूली में अधिकारियों द्वारा की जा रही मारपीट एवं दमनात्मक कार्यवाहियों से जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

35. भूमिहीनों को कृषि भूमि का आवंटन हेतु चर्चा के लिये।

36. सीलिंग कानून के अन्तर्गत सख्ती के साथ भूमि का अधिग्रहण करने हेतु चर्चा के लिए।

37. सीलिंग कानून के अन्तर्गत अधिग्रहित भूमि का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के भूमिहीनों को आवंटन करने हेतु चर्चा के लिये।

38. केशोरायपाटन में सहायक जिलाधीश राजस्व न्यायालय स्थापना हेतु चर्चा के लिये।

39. राजस्व कर्मचारियों की पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर ध्यान नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

40. हर पटवार हल्के में पटवारी आवास एवं पटवारघर निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

41. लाखेरी में राजस्व की सब-तहसील स्थापना हेतु चर्चा के लिये।

42. प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा भूमि पर गैर कानूनी कब्जा करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. सीलिंग से बचने के लिये फर्जी नामांतरण को सख्ती से रोकने एवं निष्पक्ष जांच करने हेतु चर्चा के लिए।

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना)

44. नामान्तरकरण के कार्य में शिथिलता बरतने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

45. कई वर्ष निकल जाने पर भी सर्वेक्षण व बन्दोबस्त कार्य न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) बाजार, जयपुर)

46. परिवर्तित परिस्थितियों के कारण भूमि बन्दोबस्त पुनः कराये जाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद)

47. राज्य में कृषि भूमि पर अलाभ कर सीमा तक की भूमि पर लगान माफ किया जाने बाबत चर्चा के लिये।

48. काश्तकारों को कर्जे माफ करने व भूमिहीनों को भूमि आवंटित करने पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची)

49. पटवारियों द्वारा निरीह किसानों एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों का शोषण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

50. कोटा जिले में कृषि भूमि के आवन्टन से घोर अनियमितताएं किये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये।

श्री नानूराम कुमावत (आसीन्द)

51. राजस्व भूमि की प्रणाली में सुधार पर चर्चा के लिये।

श्री चेतराम मीना (टोडाभीम)

52. राजस्व अधिकारा जिला सवाई माधोपुर द्वारा जान बूझकर खरीफ की गिरदावरी गलत तौर पर करके ज्वार की चरी एवं अन्य जिन्सों को गलत इन्द्राज करने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना)

53. गोचर व गैर मुमकिन भूमि की किस्म जमीन बदलने पर चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं)

54. चौमूं में तहसील की स्थापना न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा)

55. गुढ़ा में सब-तहसील की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

56. पीपलू में उप-तहसील कार्यालय की स्थापना हेतु चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

57. अतिक्रमण रोकने व इन्द्राज दुरूस्ती करने एवं सीलिंग के विवाद को निबटाने तथा भूमि आवन्टन करने में हुयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण)

58. पटवारियों को सरपंच के अधीन रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द आमलिया (चौरासी)

59. तहसीलदार डूंगरपुर का कार्यालय डूंगरपुर में होने से कृषकों में उत्पन्न हुई परेशानियों के बारे में चर्चा के लिये।

श्री माणकलाल मेहता (पाली)

60. पाली जिले में चल रहे सैटलमेन्ट कार्य में भ्रष्टाचार के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांता राम गढ़)

61. ग्राम पलसाना में सब-तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा)

62. पटवारियों को सरपंचों के अधीन दिये जाने की बाबत चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर)

63. राज्य सरकार द्वारा बांसवाड़ा जिले के राजस्व सम्बन्धी कार्यों में ढिलाई बरतने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

64. बांसवाड़ा जिले में पटवारियों आदि द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों पर चर्चा के लिये।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)

65. राज्य सरकार बांसवाड़ा में भूमिहीनों को भूमि आवंटन करने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

66. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में पटवार भवन बनवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

67. किसानों की समस्याओं को दूर करने हेतु राजस्व अभियान प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

68. इन्द्रगढ़ नायब तहसील का भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री हीरालाल आर्य)

69. नायब तहसील इन्द्रगढ़ को पूरी बमूलिया आदि ग्राम पंचायतों के किसानों को उनकी भूमि पर से नाजायज बेदखल किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

70. पीपल्दा क्षेत्र की बालूपा, जटवाड़ा, ककरावदा, फूसोद, मोहनपुरा, बमूलिया आदि ग्राम पंचायतों के किसानों को उनकी भूमि पर से नाजायज बेदखल किए जाने हेतु चर्चा के लिये।

71. भूतपूर्व महाराजाओं से खरीद की गई जमीन पर किसानों के नाम खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री **भैरुंलाल भारद्वाज** (जमवारामगढ़)

72. सीलिंग की संपूर्ण जमीन को गरीब तबके के भूमिहीन कृषकों व खेतीहर मजदूरों को वितरण किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

73. तहसील सवाईमाधोपुर के ग्राम, भगवतगढ़ में अलाट शुदा जमीन पर कब्जा नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री राजबहादुर (भरतपुर)

74. चम्बल के दोनों किनारों पर दूर दूर तक फैले हुये खादरों (रेवीन्स) के नीचे दबी हुई लाखों एकड़ भूमि का बेकार पड़ा रहना और राज्य सरकार द्वारा इन खादरों को तोड़ने एवं उक्त भूमि को कृषि एवं अन्य विकास कार्यों योग्य बनाने के प्रति उदासीनता अथवा असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानसिंह (भादरा)

75. भूमि सुधार कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता संबन्धी सुझाव पर चर्चा के लिये।

श्री भैरुंलाल (मनोहर थाना)

76. कृषकों द्वारा लगाये गये राजस्व भूमि के पेड़ों पर कृषकों को मालिकाना हक दिये जाने हेतु चर्चा के लिये।

77. पटवारियों द्वारा फोती नामान्तकरण में की जाने वाली देरी से कृषकों के सामने आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवारी (बस्सी)

78. राजस्व के विचाराधीन मामलों के शीघ्र निपटारे के लिये हर माह गिरदावर हैडक्वाटर पर जन प्रतिनिधियों के साथ कैम्प आयोजित करने के क्रम में चर्चा के लिये।

79. ग्राम फार्म पड़ासीली एवं बडवा तहसील बस्सी की सीलिंग में अवाप्त भूमि को भूमिहीन लोगों को आवंटित किये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बांरा)

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद)

80. 3 अगस्त, सन् 1980 को ग्राम नारायणखेड़ा तहसील शाहबाद जिला

कोटा में भूमि का नाजायज अलाटमेंट करने के विषय में चर्चा के लिये ।

(श्री दाऊ दयाल जोशी)

81. तहसील अटरू जिला कोटा के ग्राम मोतीपुरा के किसानों को जिन्होंने 1958 में भूमि खरीद कर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये थे, वेदखल करने की चर्चा के लिये ।

82. ग्राम पंचायत समरानियां तहसील शाहबाद के ग्राम रोडीपुरा में नाजायज आवंटन के संबंध में (अगस्त, सन् 1980 के आंवटन में) चर्चा के लिये ।

83. 3 अगस्त, सन् 1980 को ग्राम केलवाड़ा तहसील शाहबाद जिला कोटा 'में नाजायज भूमि आवंटन करने संबन्धी चर्चा के लिये ।

84. ग्राम गदरेटा तहसील शाहबाद जिला कोटा में नाजायज अलाट करने विषयक (3 अगस्त, सन् 1980 के आवंटन में) चर्चा के लिये ।

85. ग्राम वलोनिया तहसील शाहबाद जिला कोटा में भूमि आवंटित करने विषयक (अगस्त सन् 1980 के आवंटन में) चर्चा के लिये ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

86. ग्राम गदरेटा तहसील शाहबाद जिला कोटा में नाजायज आवंटन के संबन्ध में (दिनांक 3 अगस्त, 1980 के आंवटन में) चर्चा के लिये ।

श्री लच्छूराम (मण्डावा)

87. भूराजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत अनाधिकार कब्जों पर नोटिस न दिये जाकर उन्हें नियमित किये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

88. राजस्व विभाग में व्याप्त गिरदावरों व पटवारियों में भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

89. अकाल पड़ने के बावजूद भी किसानों से जबरन लगान वसूल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 37 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 37 मुख्य शीर्षक कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण)

1. फसल बीमा योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

2. चित्तौड़गढ़ जिले में कृषकों को कपास का खराब बीज वितरण से पचास हजार कृषकों को क्षति हुयी तथा प्रतापगढ़ तहसील में समय पर खाद, बीज एवं कीट-

104

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

3. कृषि विस्तार योजना को व्यापक बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

4. विभाग द्वारा कृषकों को समय पर उन्नत किस्म के बीज व रसायनिक खाद उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

1. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

2. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

3. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

4. श्री छीतरलाल शार्य (अटरू)

5. श्री जीतमल जैन (अलवर)

6. श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन

7. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

8. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां)

9. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

10. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

11. श्री बालचन्द्र आर्य वीर(डग)

12. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

5. फसल बीमा योजना अतिशीघ्र लागू की जाय जिससे राजस्थान के गरीब किसानों को सहयोग मिल सके इस पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

6. नया कृषि विश्वविद्यालय श्री गंगानगर में खोलने तथा कृषि अनुसंधान परिषद् की स्थापना करने हेतु चर्चा के लिए

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

7. काश्तकारों को बीज, खाद दवाइयों एवं तकनोकी सहायता समय पर उपलब्ध नहीं होने से उनको होने वाली कठिनाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर)

8. कृषि उपजों के समर्थन मूल्य अत्यधिक कम होने से कृषकों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

9. फसल बीमा योजना अविलम्ब लागू किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)

10. सरकार कृषि हेतु उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

11. अलवर कृषि उपज मण्डी के निर्माण कार्य में विपणन बोर्ड द्वारा बरती जा रही शिथिलता के सम्बन्ध में बोर्ड को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

12. अलवर जिले में कीटनाशक दवाइयों में हुये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

13. कृषि विभाग अलवर में हुई अनियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

14. अलवर जिले में कृषि विभाग कार्यालय में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पद पर अप्रेल, 1971 में किसी नियोजन कार्यालय से नाम मंगाये बिना व बिना किसी प्रतियोग्यता के पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई अवैध नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

15. कृषि उत्पादन पर ध्यान देकर कृषि संयंत्रों की कीमत घटाई जाय एवं किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाया जाय इस पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

16. प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर किसान सेवा केन्द्र स्थापित किया जावे जहां न्यूनतम किराये पर ट्रैक्टर थ्रेसर, एवं अन्य उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें इस हेतु चर्चा के लिये।

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़)

श्री मालू खां (चूरू)

17. रसायनिक खाद व बीज का किसानों को विभाग द्वारा समय पर वितरण नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

18. कृषि विभाग द्वारा कृषि मण्डियों को खाद, बीज, उपकरण आदि उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

19. कृषि विभाग द्वारा किसानों की की गई उपेक्षा के संबंध से चर्चा के लिए।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा)

20. ग्रामीण क्षेत्र के गरीब कृषकों को समय पर उन्नत बीज व रसायनिक खाद पर्याप्त मात्रा में उधार उपलब्ध कराया जावे इस पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

21. कृषि विकास को प्राथमिकता दी जावे इस पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

22. किसानों को अच्छे बीज व खाद देने की व्यवस्था हेतु अधिकारियों को चुस्त करना चाहिये जिससे कर्मचारियों द्वारा

श्री बाल चन्द्र (आर्यवीर)
किसानों को बिना खाद बीज लिये ही उनके नाम पर कर्जा लिखे जाने को रोका जा सके इस पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर)

23. कृषि उत्पादन के ह्रास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

24. खाद व बीज वितरण में हुयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये

25. नये कृषि विश्व विद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

26. कृषकों के लिये डीजल, विधुत खाद आदि दिलाने में विभागीय असफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

27. कोटा जिले की रामगंज मंडी तहसील के ग्राम रानी, मोतीपुरा, अम्हा का छापरा को कृषि भूमि खराब होने के कारण वर्षों से उत्पादन नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

28. कृषि उत्पादनों का बीमा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. कृषि उत्पादनों के मूल्य निर्धारण में किसान के श्रम को जोड़ने हेतु चर्चा के लिये।

30. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों को कृषि उपकरणों के लिए कर्ज दिलाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री समर्थलाल (राजगढ़)

31. कृषि उपज मण्डी, राजगढ़ (अलवर) के निष्क्रिय होने से दिए जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना)

32. डीडवाना क्षेत्र के गांवों में कृषकों को समय पर बीज व खाद नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

33. कृषि फसलों का बीमा किया जाना आवश्यक है इस पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार, जयपुर)

34. रासायनिक खाद्य एवं उन्नत के बीजों का समय पर वितरण नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

35. आइ. सी. ए. आर. द्वारा एन. ए. आर. पी. के लिए उदयपुर विश्वविद्यालय को स्वीकृत राशि को राज्य सरकार द्वारा उपयोग नहीं करने पर चर्चा के लिए।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह)

36. टोडारायसिंह एवं देवली क्षेत्र में कृषि विकास के बारे में चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

37. कृषि के विकास के लिए किसानों को अच्छे किस्म के बीज ऋण के रूप में ऋतुओं के अनुसार उपलब्ध करवाये जायें। कृषि खाद की समुचित वितरण व्यवस्था करवा कर कृषि उत्पादन में सहयोग दिया जाय इस पर चर्चा के लिये।

38. बीज वितरण प्रणाली में किसानों को ज्यादा से ज्यादा भागीदार बनाया जाय व किसानों को बीज वितरण के लिए लाइसेन्स ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध करवाये जायें ताकि बीज वितरण प्रणाली को सरल बनाया जा सके इस पर चर्चा के लिए।

39. कृषि उत्पादन का उचित मूल्य दिलवाने के लिए व किसानों के काम में आने वाले औजारों को उचित मूल्य पर दिलवाने की समुचित व्यवस्था की जाय इस हेतु चर्चा के लिये।

40. कृषि उपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिये बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं को कृषि उपज पर (Secured) सुरक्षित ऋण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाय इस पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह (बारां)

41. कृषि उपज के उचित मूल्य निर्धारित कराने के लिए महाराष्ट्र के पैटर्न पर राज्य में एक आयोग बनाने सम्बन्धी चर्चा के लिए।

42. विभाग द्वारा नियुक्तियों में घोर पक्षपात किये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिए।

43. कृषि विद्यालयों में किसानों के पुत्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश देने विषयक चर्चा के लिये।

44. कोटा जिले में सब्जी उत्पादन योजना को क्रियाशील बनाने विषयक चर्चा के लिये।

45. चित्तौड़ में केले की जड़ों की नाजायज बिक्री पर चर्चा के लिये।

श्री नानूराम कुमावत (आसीन्द)

46. सिंचाई हेतु किसानों को सहायता दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. कृषि प्रसार कार्यक्रम को गतिशील बनाएं जाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री चेतराम मीणा (टोडाभीम)

48. कृषि के लिए किसानों को बीज उर्वरक, कीटनाशक दवायें आदि की समय पर व्यवस्था न होने के कारण किसान को परेशानी होती है और राज्य की पैदावार पर विपरीत असर पड़ता है। इसकी व्यवस्था हो इस पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

49. कृषि की पैदावार बढ़ाने हेतु विभाग को सक्रिय किया जाय इस पर चर्चा के लिए।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं)

50. जिला कृषि अधिकारी का एक कार्यालय चौमूं में भी स्थापित किए जाने पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढा)

51. उदयपुरवाटी एवं झुन्झुनु में कृषि उपज मंडी समिति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

52. कृषकों को खाद-बीज अच्छे किस्म के देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द आमलिया (चौरासी)

53. कृषि विभाग में कृषि में रुचि रखने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्तियां नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जेठमल बखड़ (परबतसर)

54. परबतसर तहसील में कृषि भूमि का विकास करने के सम्बन्ध के चर्चा के लिये।

श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़)

55. खेती के लिए समय पर खाद-बीज दिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर)

56. कृषि प्रणाली में आधुनिक तकनीकी के अनुसार सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा)

57. कृषि विभाग को गतिशील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम)

58. कृषि विकास हेतु तकनीकी ज्ञान अपनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर)

59. राज्य सरकार द्वारा बांसवाड़ा जिला में कृषकों को समय पर खाद, बीज और दवाई उपलब्ध न कराने पर चर्चा के लिये।

60. राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कीट नाशक दवाइयां समय पर न देने पर चर्चा के लिये।

61. बांसवाड़ा जिला में ग्रामीण क्षेत्रों में काश्तकारों को कृषि साधन उपलब्ध न कराने पर चर्चा के लिये।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)

62. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिला में अन्न उत्पादन बढ़ाने के साधन जुटाने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कुमार (सराड़ा)

63. सराड़ा तहसील में कृषि के लिये कर्जे उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामधन चौधरी (लाडनू)

64. बीजों में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

वैद्य श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़)

65. कृषि को उद्योग घोषित करने एवम् उद्योगों के अनुरूप सुविधा दिये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़)

66. रतनगढ़ में कृषि मंडी उपज समिति की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क, जयपुर)

67. किसानों को उपयुक्त समय पर अपेक्षित मात्रा में रसायनिक खाद व उन्नत बीज नहीं मिल पाने से कृषकों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

68. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा व उदयपुर जिले की कृषि हेतु खाद, बीज आदि उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

69. समय पर खाद, बीज, दवाइयां उचित (निर्धारित) दर पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

70. कृषि फार्म बहस वहवण्डा खुर्द तहसील खण्डार तथा कृषि फार्म सवाईमाधोपुर और अलारना डूंगर तहसील बौंली की उपज आमदनी को इंचार्ज अधिकारियों द्वारा खा जाने पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल (मनोहरथाना)

71. जिला झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत कस्बा अकलेरा नगरपालिका क्षेत्र होते हुए भी उक्त ग्राम में कृषि उपज मण्डी समिति के अभाव के संबंध में चर्चा के लिये।

72. आधुनिक कृषि औजारों के उपयोग हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अनुदान दिया जाने हेतु चर्चा के लिये।

73. जिला झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत कस्बा अकलेरा-मनोहरथाना में कृषि मंडी के अभाव में कृषकों को होने वाली हानि पर चर्चा के लिये।

(श्री भैरूंलाल)

74. कृषि बाहुल्य क्षेत्र में कृषि प्रयोगशाला स्थापित किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

75. प्रदेश के हर जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय पर माध्यम से (खाद्यान्न, दाल व तिलहन के उन्नत किस्म के बीज बुजाई से) पूर्व कृषकों को उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

76 कृषि विभाग द्वारा भूमिहीन मजदूर, सीमान्त कृषक एवं लघु कृषकों को खाद व बीज हेतु अनुदान दिये जाने हेतु चर्चा के लिये।

77. राज्य में कृषि फसल बीमा योजना लागू की जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर)

78. ग्वार की फसल के विकास हेतु काश्तकारों को अनुदान दिया जाय इस पर चर्चा के लिये।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क, जयपुर)

79. दूदू क्षेत्र को जयपुर कृषि उपज मंडी में सम्मिलित किए जाने के विरोध के प्रबंध में चर्चा के लिये।

श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

80. बस्सी (जयपुर) में यार्ड मण्डी यथाशीघ्र बनाये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री शिवराम शर्मा (बनी पार्क, जयपुर)

81. जयपुर में फल सब्जी मण्डी के निर्माण पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

82. कृषकों को सस्ती सिंचाई सुविधा सुलभ कराने सम्बन्धी चर्चा के लिये।

83. दौसा जिला कृषि अधिकारी के कार्य क्षेत्र में पंचायत समिति फागी, चाकसू सांगानेर एवं बस्सी को भी सम्मिलित कर दिया गया जबकि इस क्षेत्र के किसानों के लिये जयपुर कार्यालय होना हर दृष्टि से सुविधाजनक है अतः जनहित में इन पंचायत समितियों को दौसा से हटा कर जयपुर के अन्तर्गत करने हेतु चर्चा के लिये।

84. लघु एवं सीमान्त कृषकों को उन्नत व आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक पंचायत स्तर पर कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना कर कृषि सेवा केन्द्र के माध्यम से ट्रैक्टर दवा छिड़कने के यंत्र आदि उपलब्ध कराये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला मीणा (सागवाड़ा)

85. कृषि अनुदानों को वितरित करने में पक्षपात तथा समयानुसार वितरित न होने पर चर्चा के लिये।

श्री भंवर लाल मेघवाल (सुजानगढ़)

86. कृषि प्रगति के लिए योजना बनाकर उन्हें क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लच्छू राम (मण्डावा)

87. समता मूल्य व खाद, बीज व कीटनाशक दवाओं पर चर्चा के लिये।

श्री नाथू सिंह बान्दीकुई)

88. तहसील बसवा में कृषि विस्तार केन्द्र की निष्क्रियता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

89. कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

90. अलवर जिले के कृषि विभाग में हुई अनियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मांग संख्या 39 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 39 मुख्य शीर्षक पशुपालन एवं चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

1. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

2. प्रतापगढ तहसील के पशु चिकित्सालय का भवन राज्य सरकार द्वारा अब तक निर्मित नहीं कराने बाबत चर्चा के लिये।

3. बमोतर ग्राम में पशु चिकित्सालय भवन न बनवाने के कारण उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

4. राज्य में घोड़ों की संख्या में प्रति वर्ष गिरावट आने व उसे रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर)

5. बीकानेर क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

श्री जीतमल जैन (अलवर)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन)

सुश्री पुष्पा (आमेर)

श्री महावीर प्रसाद (टोंक)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री रघुवीरसिंह (बारां)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

6. राजस्थान पशुधन को दृष्टि से भारत में एक प्रमुख स्थान रखता है लेकिन

112

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
पशुओं को दशा बहुत ही सोचनीय है इस पर चर्चा के लिये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

7. सीकर नगर डेयरी विकास कार्य–क्रम के अन्तर्गत नये दुग्ध केन्द्र खोलने एवं दुग्ध वितरण केन्द्र बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये ।

8. सीकर में कोलोड़ा ग्रांम में पशु चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

9. पशुपालन एवं पशु चिकित्सालय की सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में योजना बद्ध तरीके से उपलब्ध नहीं हो रही हैं जिस पर चर्चा के लिये ।

श्री राम किशोर मीणा (सिकराय)

10. सिकराय पशु चिकित्सालय न होने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)

11. सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करने में अक्षम रही है इस पर चर्चा के लिये ।

श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर)

12. जिला जैसलमेर में पशु चिकित्सकों और कम्पान्डरों की कमी से बन्द पड़े सेन्टर्स के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

13. जिला जैसलमेर में डेयरी विकास के अन्तर्गत मिल्क चिलिंग प्लान्ट खोलने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

14. पशुपालन विभाग में कृषि विभाग की ही भांति ग्राम ग्राम में श्वेत क्रान्ति हेतु ग्राम सेवकों का नया पदस्थापित करने बाबत चर्चा के लिये ।

15. विभाग द्वारा जो नये अस्पताल खोले जा रहे हैं उनमें पक्षपात व कर्मचारियों की नियुक्तियों में गड़बड़ियों को रोकने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा)

16. पशुओं की संख्या और सम्बंधित क्षेत्र में पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है अथवा नहीं इस आधार पर पशु चिकित्सालयों की स्थापना नहीं की गयी इस पर चर्चा के लिये ।

श्री नाथू सिंह (बांदीकुई)

17. राज्य में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर उनकी नस्लें सुधारी जाय इस पर चर्चा के लिये ।

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़)

श्री भालू खां (चूरू)

18. चूरू व डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्रों में पशु चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

19. प्रत्येक पांच मील पर पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. अमेरिका, स्पेन आदि विदेशी पशु से प्रदेश के पशुओं की नस्ल सुधारने हेतु चर्चा के लिये।

21. मत्स्य उद्योगों में आय की सीमा 80% मिल जाती है अधिकारियों की मिली भागत के कारण सस्ते भाव में मत्स्य के ठेकों की नीलामी करवाकर भ्रष्टाचार फैलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

22. मछली जो कि मानसून के समय तालावों में अधिक मात्रा में पायी जाती है अतः उस अवधि में मछली पकड़ने पर रोक लगाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री अमीन (शिव)

23. बाड़मेर जैसलमेर जिलों में पशु चिकित्सालय के भवन बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

24. प्रदेशमें पशु चिकित्सालय और अधिक खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

25. डग विधान सभा क्षेत्र में दुधालिया ग्राम में पशु चिकित्सालय नहीं होने से कई बार पशु दवाइयों के अभाव में मर जाते हैं इस पर चर्चा के लिए।

26. झालावाड़ जिले में दूध की डेयरियां खोलकर जनता को सुविधा देने हेतु चर्चा के लिए।

27. डग विधान सभा क्षेत्र के पास छोटी चंबल नदी में कुछ लोगों द्वारा बिना स्वीकृति के ही मछली मारने से उत्पन्न स्थिति चर्चा के लिए।

श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा)

28. भेड़ों को चिकित्सा हेतु बाड़मेर जिले में चिकित्सालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर)

29. सीकर जिले में डेयरी विकास विभाग के रिक्त पड़े पदों की भर्ती के संबन्ध में चर्चा के लिए।

30. श्री माधोपुर (सीकर) क्षेत्र में डेयरी विकास के लिए योजना को सुचारू रूप से शुरू किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

31. श्री माधोपुर (सीकर) में डेयरी विकास के लिए चिलिंग प्लान्ट की स्थापना करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

32. कोटा जिले की रामगंज मण्डी एवं लाडपुरा तहसीलों के बारावास, रानपुर, उण्डवा, जुल्मी, खेड़ाअद्धा, मोड़क, पीपल्या गांवों में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

33. केशोरायपाटन क्षेत्र में डेयरी विकास हेतु चिलिंग प्लांट लगाने हेतु चर्चा के लिये।

34. केशोरायपाटन क्षेत्र में पशु चिकित्सालय की स्थापना हेतु चर्चा के लिये।

35. पशुपालन के नाम पर अनेक सुविधाएं प्राप्त कर उनके दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिये।

36. ग्रामीण पशुपालकों को कम कीमत पर चारे की व्यवस्था हेतु चर्चा के लिये।

37. केशोरायपाटन क्षेत्र में नस्ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापना हेतु चर्चा के लिये।

38. केशोरायपाटन क्षेत्र में पशुपालन हेतु पशुपालकों को ऋण दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

39. डीडवाना क्षेत्र के ग्रामों में पशु चिकित्सा को उचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिए।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना)

40. डेयरी का विकास ग्रामीण लोगों के लाभ के अनुरूप नहीं हो पा रहा है इस पर चर्चा के लिए।

41. नागौरी नस्ल सुधारने हेतु विशेष ध्यान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42. पशुपालन में योजनाओं को पशुपालकों की आवश्यकता के अनुरूप बनाये जाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार, जयपुर)

43. किशनपोल निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामी क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)

44. अजमेर डेयरी की सोचनीय स्थिति व उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

श्री सी.पी.जोशी (नाथद्वारा)

45. सन् 1981-82 में खमनोर पंचायत समिति मुख्यालय में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

46. छठी पंचवर्षीय योजना में सायो का खेड़ा गांव में पशु चिकित्सालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

47. ग्राम बज्जू तहसील कोलायत में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. ग्राम बज्जू तहसील कोलायत में चिलिंग प्लांट का कार्य शीघ्र चालू करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह)

49. टोडारायसिंह एवं देवली क्षेत्र में पशु चिकित्सालय खोलने के बारे में चर्चा के लिए।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची)

50. विभिन्न क्षेत्रों में पशु संख्या के आधार पर पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिए।

51. तहसील स्तर के पशु चिकित्सकों को जीप आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

52 रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिए।

53. हर दस किलोमीटर के क्षेत्र में पशु चिकित्सालय खोला जाय इस पर चर्चा के लिए।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (पचपदारा)

54. कोटा जिले के अन्ता पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक संबंधी चर्चा के लिए।

55. कोटा जिले में खुरपका मुहपंदा (Foot and mouth)) बीमारी के लिए दवा उपलब्ध न होने संबंधी चर्चा के लिए।

श्री नानूराम कुमावत (आसीन्द)

56. डेयरी योजना में सुधार कर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में दुग्ध उपलब्धि हेतु पशुपालकों को प्रोत्साहित करने हेतु चर्चा के लिए।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं)

57. चौमूं विधान सभा क्षेत्र में ग्राम चौथवाड़ी में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिए।

58. चौमूं में दुग्ध अवशीतन केन्द्र स्थापित करने पर चर्चा के लिए।

श्री चेनराम मीणा (टोडाभीम)

59. नादौती पंचायत समिति में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिए।

60. राजस्थान में विशेषकर सवाई माधोपुर में पशुपालकों को दुग्ध की सही कीमत नहीं मिल पा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भोले भाले किसानों से दूध की क्वालिटी के नाम पर ठगी की जा रही है। डेयरी कर्मचारियों का व्यवहार भी सौम्य नहीं है इस पर चर्चा के लिए।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

61. पशु पालकों को पशुपालन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए चिकित्सा सुविधा एवं ऋण, अनुदान आदि उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा)

62. पं.सं. उदयपुरवाटी (झुंझुनू) क्षेत्र में पशु चिकित्सालय एवं डेयरी विकास अभाव होने के क्रम में चर्चा के लिए।

(116)

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

श्री बालचन्द्र ग्रार्यवीर (डग)

63. पशुओं के चिकित्सालय के लिये गांवों में सब सेन्टर खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द ग्रामलिया (चौरासी)

64. डूंगरपुर जिले के पशु चिकित्सालयों में डाक्टर्स की नियुक्ति नहीं होने से उत्पन्न हुई स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)

65. ग्राम खाटू में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर)

66. चिकित्सा की समुचित व्यवस्था न होने से प्रदेश में दिनों दिन पशु धन का ह्रास हो रहा है इस पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा)

67. जानवरों के उपयोग में ग्राने वाली दवाइयां सस्ती उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर)

68. रेवदर तहसील, जिला सिरोही में पशु चिकित्सालयों एवं पशु चिकित्सकों की कमी से, पशु धन के स्वास्थ्य में गिरावट के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (शानपुर)

69. राज्य सरकार ग्रादिवासियों को पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में ग्रसफल रही इस पर चर्चा के लिये।

70. राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पशु पालकों को राहत देने में ग्रसफल रही है इस पर चर्चा के लिए।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)

71. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिला में डेयरी फार्म खोलने, पशुग्रों के लिए चारा पानी, दवाई के लिए चिकित्सा केन्द्र कायम करने में ग्रसफल रही है इस पर चर्चा के लिए।

श्री लच्छूराम (मण्डावा)

72. पशु चिकित्सालय मण्डावा (झुंझुनू) को क्रमोन्नत न करने पर चर्चा के लिए।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं)

73. पशुपालकों को ग्रधिक सुविधा एवं पशुग्रों के ग्रच्छे मार्केट बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

74 पशु चिकित्सालय, उप प्रधान जिलों में ग्रौर ग्रधिक खोले जाने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

75. पशु धन के संरक्षण को प्रभावशाली बनाने तथा बाहर ले जाने हेतु रोक के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

76. पीपल्दा क्षेत्र में दुग्ध विकास का व्यापक वातावरण है अतः इस उद्यम को विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

77. पीपल्दा में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

वैद्य भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़)

78. पशुओं की दशा सुधारने, न्यूनतम पांच पंचायतों में एक पशु चिकित्सालय खोले जाने का प्रावधान किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़)

79. पड़िहारा में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क, जयपुर)

80. बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

81. पशु चिकित्सा एवं पशु पालन की योजना में गतिशीलता नहीं है इस पर चर्चा के लिये।

श्री देवव्रत तिवाड़ी (बाड़मेर)

82. बाड़मेर जिले में पशुधन की समुचित देखरेख न होने पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

83. मुर्गे एवं सूअर पालन केन्द्र की स्थापना टौंक में किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

84. जिला टौंक में (पोलिक्लिनिक) बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

85. डेयरी विकास के लिए कर्जे आसानी से उपलब्ध हो इसके सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

86. टौंक में अवशीतन केन्द्र की स्थापना हेतु चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

87. पशु चिकित्सालय खोलने से पूर्व जन प्रतिनिधियों को राय प्राप्त करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

88. ग्राम बहारावण्डा बला, तलावड़ा, बडौद, शिकड वडवास तहसील–खण्डार जिला सवाई माधोपुर में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

118

श्री शोभराज मल (चित्तौड़गढ़)

89. पशु चिकित्सालय खोलने हेतु पशु धन बाहुल्य क्षेत्र का मद्दे नजर रखने हेतु चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल (हिण्डोली)

90, हिण्डोली क्षेत्र में पशु चिकित्सा का अभाव होने से पशुधन के ह्रास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानसिंह (भादरा)

91. पशुधन को बढ़ावा देने के लिए पश्चिमी राजस्थान में आवश्यक सुविधा जुटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल (मनोहरथाना)

92. नस्ल सुधार की दृष्टि से हर पशु बाहुल्य क्षेत्र के पशु चिकित्सालय में उन्नत नस्ल के सांड, भैंसा, बकरा रखने हेतु चर्चा के लिये।

93. पशुपालन बाहुल्य क्षेत्र की दृष्टि से पंचायत समिति मनोहरथाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चन्दीपुरा में पशु चिकित्सालय की स्थापना हेतु चर्चा के लिए।

94. पशुपालन बाहुल्य क्षेत्र की दृष्टि से पंचायत समिति बकानी क्षेत्रान्तर्गत मालता ग्राम में पशु चिकित्सालय की स्थापना हेतु चर्चा के लिए।

श्री भैरूलाल (उदयपुर ग्रामीण)

95. पशुपालन के लिए सरकार की ओर से ऋण एवं अनुदान दिया जाता है परन्तु उनके पशुओं की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की जाती जिससे पशु बीमारी से मर जाते हैं अतः पशु चिकित्सालयों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

96. क्षेत्रीय पशुधन अनुसंधान केन्द्र बस्सी (जयपुर) में सेवारत अधिकारियों, कर्मचारियों के लिये पर्याप्त आवसीय सुविधा सुलभ कराने में विभाग की विफलता के संदर्भ में चर्चा के लिये।

97. जयपुर में हर शनिवार को लगने वाला पशु हटवाड़ा जो राज्य में अन्य पशु मेलों में पशुओं के विक्रय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है उसको समुचित व्यवस्था कर क्रेता व विक्रेता को वर्तमान में हो रहे शोषण से मुक्ति दिलाने तथा मेला स्थल का विकास किये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

98. पंचायत समिति बस्सी क्षेत्र में पशुओं के लिये उन्नत किस्म का चारा-दाना उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

99. भेड़ व ऊन विकास के अन्तर्गत जयपुर जिले की बस्सी एवं चाकसू पंचायत समिति में भेड़ों को संक्रामक रोगों से बचाने के सघन कार्यक्रम सामान्य उपचार नस्ल सुधार आदि कार्य करने पर चर्चा के लिये।

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

100. बस्सी (जयपुर) में भेड़ पालकों की सुविधा के लिये कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किये जाने एवं चाकसू जमवारामगढ़ एवं बस्सी क्षेत्र में भेड़ व ऊन विकास की गतिविधियों और प्रवृत्तियों के संचालन एवं क्रियान्वयन के लिये बस्सी में भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

101. भेड़ की स्वास्थ्य रक्षा और उसके रोगों का पता लगाकर भेड़ों में फैलने वाले रोगों की रोकथाम के लिये बस्सी में एक भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने के संदर्भ में चर्चा के लिये ।

102. पशुपालकों को चिकित्सा सुविधाएं अधिक से अधिक सुलभ कराने के लिए जयपुर जिले के कस्बा बांसखोह एवं कोटखावदा में पशु चिकित्सालय तथा जटवाड़ा, बडवा, लालगढ़, कानोता, सांभरिया, देवगांव व रुपाहेड़ी में पशु स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

103. पशुधन के विकास के लिए उचित आहार व्यवस्था हेतु चर्चा के लिये ।

श्रीमती कमला (सागवड़ा)

104. सागवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिए।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

105. राजस्थान के पशुपालन विभाग में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सुरक्षित स्थानों का कोटा पूरा करने हेतु की गई नियुक्तियों के आधार पर विभिन्न स्थानों पर कार्यरत 84 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाएं पद उपलब्ध होने के बावजूद दिनांक 9-3-81 के आदेश से समाप्त कर पुनः नई नियुक्तियों अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को टाल कर की जाने से उत्पादन स्थिति पर चर्चा के लिए।

106. अजमेर जिला पशुपालन विभाग में कार्यरत कुक्कुट परिचारकों को दीर्घकालीक सेवा में रहने पर भी स्थायी नहीं करने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिए।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

107. पशुपालन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या 8, 37 व 39 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल।

तैयारी न हो तो किसी अन्य माननीय सदस्य का नाम बोल दूं ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां): माननीय अध्यक्ष महोदय मैं किसान हूं और किसान के लिये बोलने को हमेशा तैयार हूं।

माननीय, अध्यक्ष महोदय यह वर्ष किसान आन्दोलन का वर्ष रहा है किसान प्रदर्शन का वर्ष रहा है चाहे किसान प्रदर्शन असली हो या नकली हुये हों किन्तु सरकार का ध्यान किसान की ओर पहली बार आकर्षित हुआ क्योंकि आज तक सभी राजनैतिक दलों की यह मान्यता रही कि किसान

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

संगठित नहीं हो सकता है। उसे खेती के काम से फुरसत नहीं है इसके कारण ही जो संगठित वर्ग थे उन्होंने ही सारा लाभ उठाया। इस सबके पीछे कारण क्या है? किसान क्यों संगठित हुआ है और आज किसान क्यों सड़कों पर आया है? इसके पीछे कारण क्या है? यह किसी ने सोचने का प्रयत्न नहीं किया है। आज किसानों की गाँवों में बड़ी दयनीय स्थिति हो रही है जो आदमी शहरों में रहते हैं वह इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आज किसान जिसक दुहाई हर व्यक्ति देता है प्रत्येक राजनैतिक दल देता है आज चिंता नहीं करता विधान सभा और लोक सभा में किसानों की कोई लाबी नहीं है। जब कभी बात करते है किसानों के बारे में तो दर्द की बात करते हैं किसान एम. एल. ए. हैं किसानों की हमदर्दी की बात करते है किन्तु जब किसानों की मांगों का प्रश्न आता है तो राजनैतिक बाधा खड़ी हो जाती है। किसान हैं यह भूल जाते हैं।

अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कई सदस्य बता रहे थे कि किसानों को स्वर्ग का आनन्द प्राप्त हो गया है। किसान को साधन मिल गये डीजल मिल गया बिजली मिल गई और लम्बी चौड़ी बातें कही गयी उनसे बाहर जाकर बात की तो कहने लगे कि बोलना तो यही पड़ता है कारण क्या है बहुतायत में हम जो विधान सभा के सदस्य हैं, लोक सभा के सदस्य हैं, जो किसान हैं वे पार्टी से ऊपर उठ कर किसान की समस्या के बारे में विचार कर सकें ऐसी उनकी स्थिति नहीं है। सड़क नहीं है उचित गांव में रहने वाले लोगों के पास रहने को मकान नहीं है। उनकी शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था नहीं है कल माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि पंचायत समितियों के अन्दर 5 हजार अध्यापकों की कमी है पांच हजार में से 4900 अध्यापक गांव में कम हैं। पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो सकती है क्योंकि अध्यापक नहीं हैं।

(11.44 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुंडावत सभापति, पदासीन)

किसी कम्पीटिशन में नहीं बैठ सकते हैं। पेयजल की व्यवस्था नहीं है रोज अखबारों में आता है कि फलां जगह पीने के पानी का अभाव है। किसानों को भरपेट भोजन नहीं मिलता है अगर उसकी बात को छोड़ भी तो पेयजल की व्यवस्था भी नहीं हो सकी है। वहां पानी का कैसा विकास किया जा रहा है? किसानों की तरफ कितना ध्यान दिया जा रहा है। किसानों को डीजल चाहिये तो गांवों में पैट्रोल पम्प नहीं है इसलिये उसको ड्रम से डीजल लेना पड़ता है जिसमें केरोसिन मिला हुआ होता है जिससे कि उसके इंजन खराब होते हैं टैक्टर खराब होते हैं। चीनी नहीं मिल रही है यहां एक-एक करके अगर उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान दिया जाय तो गाँवों की हालत चिंतनीय है पीने का पानी तक नहीं है। उन किसानों की इस हालत की ओर ध्यान नहीं दिया गया है और उसकी जो उपज आती है उसके बारे में अगर थोड़ा सा भी भाव बढ़ जाता है तो सारे देश में हल्ला मच जाता है बड़े-बड़े लोग चिल्लाने लगते हैं कि गेहूं के दाम ऊंचे हो गये हैं किसान जो अपनी मेहनत करता है उसको आप भरपेट रोटी तो दे दें। कृषि मूल्य

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

ग्रायोग बना उसमें कुछ किसानों का भी चयन किया गया। जबसे कृषि मूल्य ग्रायोग बना है, माननीय सभापति महोदया बड़े दुख की बात है कि वहा जितने किसान लोग ग्रपने–ग्रपने विचार देने के लिये ग्राते हैं उन पर ग्रायोग ध्यान नहीं देता। पिछले ग्राठ साल की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है उसमें किसानों ने ग्रपने दुख दर्द रोये किन्तु उस कृषि मूल्य ग्रायोग ने उसकी उपज का लाभप्रद मूल्य नहीं दिया। वह प्लानिंग कमीशन के दबाव में ग्राकर वह गवर्नमेंट के दबाव में ग्राकर जो कास्ट ग्राफ प्रोडक्शन ग्राती है उस कास्ट ग्राफ प्रोडक्शन से भी कम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है जितनी लागत वह लगाता है उतना भी उसको नहीं मिल पाता है यही कारण है कि किसान की हालत दिनोंदिन कमजोर होती जा रही है।

श्रीमान, जो शहरों की पर केपिटा इनकम सन् 60 में 391 रुपया थी वह 76 में बढ़कर 800 रुपये हो गयी यानि की दुगुनी हो गयी ग्रौर 60 में गांवों के किसानों की मजदूरों की जो पर केपिटा इनकम थी वह थी 198 रुपये ग्रौर यह 76 में जाकर हुयी है 200 रुपया यानि कि केवल 2 रुपये बढ़ी है जबकि शहर वालों की पर केपिटा इनकम दुगुनी हो गयी है। 391 से 800 रुपये हो गयी है यह दृश्य है किसानों के साथ जो ज्यादती हुयी है उसका एक नमूना है।

माननीय सभानेत्री महोदया मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि कृषि मूल्य ग्रायोग जो मूल्य निर्धारित करता रहा है उसका एक नमूना ग्रापके सामने पेश करूं। कृषि मूल्य ग्रायोग ने जो कीमत तय करी है ग्रौर जो गवर्नमेंट ने की है। सन् 1974-75 में कृषि मूल्य ग्रायोग ने सिफारिश की थी कि गेहूं का समर्थन मूल्य 95 रुपये प्रति क्विन्टल रखा जाय उस रिपोर्ट पर सरकार ने प्लानिंग कमीशन को देने के बाद तय किया कि समर्थन मूल्य 105 रुपया प्रति क्विंटल रखा जाय ग्रौर 1976–77 में सिफारिश कृषि मूल्य ग्रायोग ने 105रुपया प्रति क्विंटल की तो सरकार ने तय किया समर्थन मूल्य 110 रुपया प्रति क्विंटल ग्रौर जब 78–79 में कृषि मूल्य ग्रायोग ने समर्थन मूल्य का सिफारिश 110 रुपये का तो सरकार ने तय किया 112 रुपये 50 पैसे की तो कृषि मूल्य ग्रायोग जितनी सिफारिश करता है सरकार उससे ज्यादा कीमत तय कर रही है फिर भी कास्ट ग्राफ प्राडक्शन से कम है कितना हितैषी है कृषि मूल्य ग्रायोग किसान का, हरियाणा में 76–77 में गेहूं की कास्ट ग्राफ प्रोडक्शन 114 रुपया 7 पैसे प्रति क्विंटल ग्रायी थी ग्रौर तब तय किया गया समर्थन मूल्य 110 रुपया प्रति क्विटल जो कास्ट ग्राफ प्रोडक्शन से भी कम थी ज्यादा की तो बात ही ग्रलग है ग्रर्थात् सरकार का किसानों को लाभकारी मूल्य देने का विचार नहीं है जबकि कास्ट ग्राफ प्रोडक्शन ही नहीं मिलता है तो प्राफिट देने की बात तो दूर है।

पंजाब यूनिवर्सिटी ने 77–78 में गेहूं की कास्ट ग्राफ प्रोडक्शन 125 से 135 रुपये बतायी उस साल सरकार ने 112 रुपया 50 पैसे कीमत तय की थी किसान ही एक मात्र एक ऐसा व्यक्ति है जो ग्रपनी उपज का भाव तय नहीं करता है जिसका भाव कृषि मूल्य ग्रायोग तय करता है ग्रौर वह क्या तय करता है जो कास्ट ग्राफ प्रोडक्शन है उससे कम। क्योंकि उनमें यह सोचा जाता है कि उपभोक्ता क्या करेगा उपभोक्ता कितना बचा उसमें गरीब भी है ग्रौर समृद्ध भी है ग्राज क्या उपभोक्ता को राहत किसानों की कीमत पर दी जायगी। एक तरफ किसान को कास्ट ग्राफ प्रोडक्शन भी नहीं मिलती है, दूसरी तरफ ग्राप उसकी कीमत

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

पर उपभोक्ता को लाभ दे रहे है तो जब शक्कर की दोहरी नीति है तो गेहूं की भी दोहरी नीति बनानी चाहिये।

गरीब को सस्ता मिले और अमीर को ज्यादा कीमत पर मिले। केवल उपभोक्ता को राहत देने के लिये गेहूं का मूल्य कम करके किसान का शोषण किया जाय यह बात सर्वथा अनुचित है। और सभापति महोदय आज गांव की स्थिति क्या है? गांवों में आज जो कृषि मजदूर है वहां उस को पूरी मजदूरी नहीं मिलती है। किसान का एक बेटा जो गांव में मजदूरी करता है उसको 6 रुपये मिलते हैं।

वह भी प्रतिदिन की मजदूरी की गारन्टी नहीं और आज उसका दूसरा बेटा शहर में आ जाता है तो फैक्टरी में उसको 20/–रु. रोज मिलता है, उसको छुट्टी मिलती है, बोनस मिलता है। यह अन्तर शहर और गांवों का बढ़ता जा रहा है और इस कारण से किसान दयनीय स्थिति में है। इसलिए गांवों में किसान और मजदूरों को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता गांव के किसानों पर मजदूर निर्भर हैं। जब तक किसान को लाभ नहीं होगा वह मजदूर सुखी नहीं रह सकता और इसी कारण आज किसान और मजदूर एक साथ पिछड़ गये हैं।

माननीय सभापति महोदया, आज यदि किसी इण्डस्ट्री का कोई प्रोड्यूस है तो उसका भाव तय करने के लिये क्या क्या आधार बनाये जाते हैं उसके लिये टैरिफ बोर्ड बना है, कास्ट आफ प्रोडक्शन निकालने के लिये, अपने प्रोडक्शन की कीमत को तय करने के लिये पूंजी पर ब्याज, उसका टैक्स उसकी मजदूरी, उस पर छीजत, साहब लोगों के बंगले, हवाई जहाज की मशीनरी यात्रा, टेलीफोन व्यय, यहां तक कि आज कल तो अनुष्ठान करते हैं, तान्त्रिक का खर्चा भी उसमें जोड़ा जायगा। फिर भी उद्योगपति का पेट नहीं भरता इसलिए वह कृत्रिम अभाव उत्पन्न करके मुनाफाखोरी करने का प्रयत्न करता है और यह सब बातें आंकी जाय तो, सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करूंगा गेहूं के भाव 15, 20 रु. किलो तक आ जायेंगे। किन्तु किसान मुनाफाखोरी में विश्वास नहीं करता है, यह किसान संस्कृति के विपरीत है कि वह शोषण करे। वह यह तो चाहेगा कि उसकी जो लागत है उस पर उसको मार्जिनल प्राफिट मिले किन्तु ऐसा नहीं हो रहा है।

आज हरित क्रान्ति की बात की जा रही है। हरित क्रान्ति की सिंचित एरिया में कल्पना की जा सकती है लेकिन हमारे प्रदेश के अन्दर सिंचित एरिया है कितना, 1/4 एरिया है इसके आधार पर हरित क्रान्ति की बात करें, यह उचित नहीं लगती है। असिंचित क्षेत्र हमारे यहां पर 3/4 है। हर तीसरे साल एक प्राकृतिक विपदा हमारे यहां पर आती रहती है कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी बाढ़, कभी सूखा और उसके बाद भी यदि कुछ फसल खलिहान में आ जाय तो पानी गिर जायगा और सारी फसल नष्ट हो जायगी। गत वर्ष हमारे कोटा जिले में सोया बीन में थोड़ा पानी गिर जाने के कारण सारी फसल नष्ट हो गई। बीज भी उनको मोल लेना पड़ा। यह सारी विपदायें किसानों पर आती हैं और हर दूसरे तीसरे साल आती हैं, कभी अनावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी बाढ़, इन सब समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ता है। लेकिन फसल का भाव तय करते समय ये बातें ध्यान में

(रघुवीर सिंह (कौशल)

नहीं रखी जाती। भाव तय करते समय किसान का प्रतिनिधि होना चाहिये, कृषक समाज का प्रतिनिधि होना चाहिये जो कृषि उपज का समर्थन मूल्य तय करे।

हमारे मुख्य मन्त्री जी को अभी कृषि मन्त्री जी ने दिल्ली बुलाया, वह गये, सारे प्रदेशों के मुख्य मन्त्रियों अपनी अपनी बातें रखीं, हमारे मुख्य मन्त्री जी कुछ नहीं बोले गेहूं, चावल के बारे में। बोले जौ का भाव बढ़ना चाहिए। ऐसा लगता है वैर में जौ होता है पता नहीं मुझे, उन्होंने केवल जौ के भाव बढ़ाने की बात किस आधार पर की। मैं उनकी आलोचना तो इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उनका खेती से सम्बन्ध भी क्या है लेकिन स्वयं को जानकारी नहीं हो तो जानकारी ली जा सकती है। सभापति महोदया, महाराष्ट्र में एक एग्रीकल्चरल प्राइस बोर्ड बना हुआ है। मैं कृषि मन्त्री जी को आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि केवल किसान का कास्ट आॅफ प्रोडक्शन कितना आता है , किसान को मार्जिनल प्राफिट कितना मिलना चाहिये उनकी क्या-क्या समस्यायें हैं, इसके लिए एक एग्रीकल्चर प्राइस बोर्ड बनाया जावे तो आपको अनुभव होगा कि किसानों की स्थिति क्या है।

आज हर किसी को यह लगता है कि कृषक समृद्धि है लेकिन उसको अपनी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाता है इसलिए मेरा निवेदन है कि महाराष्ट्र के पैटर्न पर एग्रीकल्चर प्राइस बोर्ड की स्थापना की जावे जिसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर हों, फूड मिनिस्टर हों, रेवेन्यू मिनिस्टर हों, इन सबका एक बोर्ड बनाया जाय। उसमें किसानों को भी समान रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाए। वह बोर्ड किसानों की समस्याओं पर विचार करेगा तो आपको पता लगेगा कि देश में किसानों की क्या समस्यायें हैं ? उसकी फसल में लागत कितनी लगती है और उसको मिलती कितनी है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के पैटर्न पर एक एग्रीकल्चर प्राइस बोर्ड बनाना चाहिए जो किसानों की सारी समस्याओं पर विचार कर सके।

किसानों की समस्यायें एक नहीं अनेक हैं। सभी समस्याओं को एक साथ हल नहीं कर सकते, आपको उनके बारे में विचार करना पड़ेगा कि उसकी कास्ट आॅफ प्रोडेक्शन के लिये क्या किया जाय ? आज ही गेहूं का समर्थन मूल्य 130 रु. घोषित किया गया है। लोग खुश हुए होंगे किन्तु सचमुच अगर कास्ट आॅफ प्रोडक्शन पर विचार किया जाए तो 130 रु. कम है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने 75–76 में गेहूं का कास्ट आॅफ प्रोडक्शन 130 रु. बताया था। आज कृषक के काम आने वाली वस्तुओं के भाव दुगुने तिगुने हो गये हैं। लेकिन गेहूं का भाव नहीं बढ़ा। यदि हम हरित-क्रान्ति के भ्रम में हैं तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि–अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद ने कहा है कि 1982 में गेहूं की काफी कमी होगी हालांकि इस वर्ष 47 करोड़ टन रिकार्ड उत्पादन होगा। 1982 में गेहूं की खपत का अनुमान लगभग 46 करोड़ टन का है और इसकी पूर्ति के लिए आवश्यक है कि 1981 में उत्पादन 1980 के मुकाबले 25 करोड़ टन अधिक होना चाहिए इसलिए अगर हम हरित क्रान्ति के भ्रम में रहे तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे देश में गेहूं की समस्या फिर से खड़ी न हो जाय।

(१२४)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

गेहूं की पैदावार कब बढ़ी जब गेहूं का भाव ठीक हो गया बाजार में। किसानों ने गेहूं का उत्पादन शुरू कर दिया और यदि गेहूं का भाव कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं मिला तो किसान गेहूं की खेती करना ही छोड़ देगा, कमर्शियल क्राप्स करेगा और जिसका नतीजा देश को भुगतना पड़ेगा।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इसलिए मैं समय रहते चेतावनी देना चाहता हूं आपको इस स्थिति से अवगत होकर आप किसानों की समस्याओं पर विचार करें। अकाल पड़ रहा है। किन्तु रेवेन्यू, तकावी इस अकाल में किसानों को नहीं मिल रही है। यहां पर घोषणा की जाती है कि वसूली नहीं कर रहे हैं लेकिन वहां यह कहा जा रहा है कि केवल इस साल की वसूली रोकी जा रही है। उसके साथ साथ उनकी जमीनों को कुर्क किया जा रहा है। कोटा जिले में आज भी जमीनें कुर्क हो रही हैं।

किसानों को लोन मिलता है सहकारी बैंक से, कुएं खोदने के लिए उनके पास बैंक के पास भुगतान विभाग की किताब होती है उसमें देखते हैं कि यहां पानी है या नहीं, उसी आधार पर उनको कुएं का लोन दिया जाता है। मेरे सांगोद क्षेत्र में 35 कुए ऐसे हैं जिनके लिए भूमि विकास बैंक से लोन मिला, उससे कई गुना खर्चा हो गया लेकिन पत्थर आ जाने से पानी नहीं मिला, किसका कसूर, किसान का? उन्होंने देखकर बताया, विशेषज्ञों से जानकारी लेकर पैसा दिया और कुएं में पानी नहीं निकालने के कारण से सारा पैसा बरबाद हो गया। वह पैसा वसूल करने के लिए उनकी जमीनें कुर्क की जा रही हैं। यह कई जिलों की स्थिति है। विशेष तौर से मैं सांगोद क्षेत्र की बात कह रहा हूं जहां पर किसानों की जमीनें कुर्क की जा रही हैं और भी जितने अकालग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें वसूली नहीं रोकी गई है क्योंकि किसान संगठित होकर मुकाबला नहीं कर सकता, यह निरन्तर होता आया है। यही नहीं, पटवारी, तहसीलदार, थानेदार जो उसके रक्षक कहलाते हैं वे ही भक्षक बन रहे हैं।

इसलिए मैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की समस्याओं के बारे में विचार किया जाय। स्कूल खोले जा रहे हैं, कालेज खोले जा रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं आपने एग्रीकल्चर विषय कितने कालेजों में या कितने स्कूल्स में खोलाने आप कहते हैं हमारा देश हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश है प्रदेश है। आज किसानों के लड़कों को नौकरी नहीं मिलती तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होने के कारण एन. पी. के समझ तो जायगा नाइट्रेट क्या होता है, फास्फेट क्या होता है, पोटास क्या होता है किन्तु इस ओर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम कमाण्ड में क्षेत्र जितने हाई स्कूल हैं। उनमें यदि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट खोल दो तो किसानों के लड़कों के साथ उपकार होगा। राजस्थान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने प्रयास किये और ऐसा लगता है कि आपको सफलता मिल रही है, उसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

कृषि महाविद्यालयों में बी. एस सी. (एजी) एम. एस सी. (एजी) पास करके बैठे हैं उनको नौकरियां नहीं मिलीं। वे अपने खेतों से पेट भर सकते हैं, उनको वैज्ञानिक ज्ञान होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विशेष रूप से इस ओर ध्यान दें।

सभानेत्री महोदया, किसानों की गरीबी दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि गांवों में उद्योग लगाये जायं ···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरी पार्टी का समय है। मुझे 5 मिनट दिये जायं।

श्री सभापति : ऐसा कोई नियम नहीं है कि सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाय।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : ज्यादा से ज्यादा नहीं। मेरी पार्टी के 8 आदमी बोलेंगे, उनकी सूची है ···

श्री सभापति : आपने 8 आदमियों की सूची दी लेकिन टाइम होगा तो। 2 बजे तक सब लोगों को मौका देना है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सभानेत्री महोदया....

श्री सभापति : दूसरी पार्टी वालों को भी समय देना है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : 5 मिनट।

श्री सभापति : 5 मिनट ज्यादा होंगे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : किसानों की परिस्थिति का वर्णन करूंगा। क्या अब विभाग किसान....

श्री सभापति : किसान का वर्णन सभी लोग करेंगे। औरों के लिए भी टाइम....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं निवेदन कर रहा हूं....

श्री सभापति : आपको 15 मिनट से अधिक हो चुका। अब क्षमा करें, मैं आपको समय नहीं दे सकूंगी। दूसरी पार्टियों वाले....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं पूरा करता हूं।

काश्तकार की स्थिति के बारे में विभाग क्या कर रहा है? विभाग किसान के पास पहुंचकर उसके ज्ञान वर्द्धन का काम नहीं कर रहा है। विश्व बैंक से एक स्कीम कृषि विस्तार की आई है लेकिन आज विभाग कृषि विस्तार का कार्य नहीं करके किसानों को चूसने का काम करता है। चितौड़गढ़ डिप्टी डाइरेक्टर, एग्रीकल्चर व्यापारी बना हुआ है। केले लेने के लिए ए०ई०ओ० को महाराष्ट्र भेजा जाता है। महाराष्ट्र से केले की गांठें ए. ई. ओ. कन्हैयालाल और ए०ई०ओ० छगनलाल ले आते हैं। महाराष्ट्र से एक ट्रक में 200 रुपये की गांठें लेकर 300 परिवहन व्यय कुल 1500 में यहां पहुंचा है और 30 पैसे की गांठ होती है, 1½ रुपए मे गांठ बेची जा रही है। 40 हजार रुपए का गड़बड़ घोटाला है। यह डिपार्टमेंट अपनी जीपें से

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

सामान पहुंचाता है, किसान से पैसा वसूल करते है, रसीद मेरे पास मौजूद हैं जिसकी ग्राम सेवक रसीद देता है, रसीद पेश करने को तैयार हूं। इस प्रकार मुनाफाखोरी का धंधा डिपार्टमेंट कर रहा है, व्यापार करता है। वहां डिप्टी डाइरेक्टर, ए०ई०ओ० इस धंधे में माहिर हैं। विभाग का कोई कर्मचारी सीधे कोई वस्तु नहीं बेच सकता।

इसके अलावा एक डिपार्टमेंट नर्सरी है। उस नर्सरी में एस० एम० एस० कपासन को 70 हजार के पौधे गए किन्तु 70 हजार में से नर्सरी में पौधों की एन्ट्री है न एस० एम० एस० के यहां एन्ट्री है। सारा पैसा ऊपर से ऊपर गोलमाल हो गया। कहीं भी रेकार्ड नहीं है जब कि किसानों से यह पैसा वसूल किया जा चुका है। जीपों में जो पौधे पहुंचाए गए हैं, पैसा आ गया इसका कच्चा रेकार्ड हिसाब में है। कच्ची रोकड़ बनी हुई है जिसमें पैसा ऊपर से ऊपर गोलमाल हो गया।

उदयपुर से राजस्थान कृषि केन्द्र से 50 क्विंटल सरसों 6½ रुपए के भाव में खरीदी, 8 रुपए में बेच दी, अपने थैलों में पैक करके। मार्केटिंग सोसाइटी से 40 क्विंटल सरसों खरीदी 450 रुपए प्रति क्विंटल और 600 रुपए प्रति क्विंटल बेच दी। इस प्रकार चित्तौड़गढ़ का डिप्टी डाइरेक्टर व्यापारी हो गया, व्यापार कर रहा है। किसानों से दुगुना तिगुना पैसा लिया जा रहा है, रसीद मेरे पास मौजूद है। लेकिन उसे रोकने वाला कोई नहीं है। उनका कहना यह है कि मंत्रीजी की मेरे ऊपर,

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

कृपा है जिससे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता चाहे कोई भी मेरी शिकायत कर दे। कपास के बीज खरीदे गए, बीज उगा नहीं लेकिन उसके पैसे वसूल किए गए।

मैं अन्तिम बात कह रहा हूं कि विभाग में नियुक्तियों कैसे होती हैं।

श्री सभापति : आप न मालूम किन विषयों पर पहुंच जायेंगे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अन्तिम बात है। मार्च, 1980 में रिसर्च असिस्टेंट्स का इन्टरव्यू हुआ, एडीशनल डाइरेक्टर एग्रीकल्चर, और विषय के विशेषज्ञ उसमें बैठे। 7 लोगों का चयन किया। लेकिन सातों में मंत्री की इच्छा के अनुसार एक भी नहीं था, इन्टरव्यू कैंसिल किया गया। जनवरी, 1981 में फिर से रिसर्च असिस्टेंट का इन्टरव्यू हुआ। उसमें एक तो डिप्टी डाइरेक्टर बैठ गए जो आपके चहेते थे, उन्होंने उन सातों लोगों को नहीं लिया जो....

श्रीमती कमला : सभानेत्री महोदया, इन लोगों की शायद आदत पड़ गई है।

(व्यवधान)

सरासर गलत और झूंठी बात है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपने उन सातों का चयन कैंसिल किया या नहीं? आपने दोनों डिप्टी डाइरेक्टर और जोइंट डाइरेक्टर को लिखकर दिया है और दुर्भाग्य की बात है कि जिनके पास पैसा नहीं है....

(व्यवधान)

(श्री रघुवीर सिंह कोशल)

पैसा लेने के लिए रिसर्च असिस्टेंट नियुक्त किया है, इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । आप एक घंटा बोलेंगे ? और लोगों को भी समय देना है या नहीं । मैं आपसे निवेदन करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों अवसर को मिल सकें इसलिए आप कम से कम समय लें, मुद्दे की बात आपने कह दी, ताकि सभी लोग बोल सकें ।

श्री राम सिंह विश्नोई ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : आज राजस्व, कृषि, पशुपालन और डेयरी की मांगों पर विचार होना है और ये चारों विषय ऐसे हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं, हिंदुस्तान में राजस्थान ही एक ऐसा प्रांत है जहां कृषि और पशुपालन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है । यहां के पशुओं की नस्ल ऊंट, गाय, भैंस, बकरी, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विख्यात है । यह नसल राज्य सरकार के करने या कृषि विभाग या पशुपालन विभाग के प्रयत्नों से नहीं, यह प्राकृतिक कारणों से है और हमारे जो पुराने तजुर्बेकार लोग थे उन्होंने बहुत ही अथक प्रयत्न करके इस नस्ल को राजस्थान में जीवित रखा । लेकिन सभापति महोदया, पशुपालन और डेयरी की जो स्थिति आज राजस्थान में है, उससे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है, जब हम इस पर विचार करते हैं । आज दुनिया के अन्दर गाय का प्रतिदिन का औसत दूध 30-40 किलो जहां पर है वहां हमारा केवल 2, 3 या 5 किलो दूध ले पाते हैं और ले सकते हैं, ले सकने की स्थिति में हैं । इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है । आज करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद हमारे बड़े बड़े टेक्निशियन्स जो आई० ए० एस० अधिकारी हैं जो बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं सुपर टाइम स्केल वाले व्यक्ति जहां लगे हुए हैं उन्हें पशुपालन का, कृषि का ज्ञान नहीं है केवल किताबी ज्ञान से हमारी समस्याओं का हल करना चाहते हैं, यह संभव नहीं है । आज पिछले 25-30 साल के कार्य से हमें विदित हो गया है ।

सभापति महोदया, कृषि और पशुपालन दोनों के बीच चोली दामन का साथ है । आज कृषि अगर एक किसान करता है और उसके एक बीघे के अन्दर 10 मन गेहूं पैदा होता है तो आज मौजूदा स्थिति में जो भाव हैं उसमें किसान को एक पैसा भी नहीं बचता ।

सभापति महोदया, किसान को एक गाय और एक भैंस से अगर पांच किलो दूध मिलता है तो उस किसान को रत्ती भर भी फायदा नहीं हो सकता है । जब किसान को अपनी जमीन से या अपने पशुओं से कोई फायदा नहीं होता है तो वह धन्धा क्या करेगा ? यह तो घाटे का धन्धा हो गया, सभापति महोदया, इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार किसान की माली हालत सुधारना चाहती है तो इस प्रकार से तो किसान की माली हालत नहीं सुधर सकती है । सभापति महोदया, राज्य सरकार कृषि विभाग के ऊपर या यों कहिये कि उसके प्रशासन के ऊपर करोड़ों रुपये खर्च करती है । मैं अगर यह कहूं कि कृषि

(श्री रामसिंह विश्नोई)

विभाग के डाइरेक्टर से लेकर गांव के ए. ई. ओ. तक ऊपर अगर खर्च का लेखा जोखा देखें तो आपको पता लगेगा कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वह सिवाय अपनी तनख्वाह लेने अपना टी. ए. डी. ए. बनाने या अपनी बीमारी के मेडिकल बिल बनाने के और अगर कहीं उनका ट्रान्सफर या प्रमोशन हो जावे तो सिवाय अपने बिल बनाने के छदाम भर काम नहीं करते हैं। आज हमारी केन्द्रीय सरकार और विश्व बैंक के माध्यम से हमारी राजस्थान सरकार करोड़ों रुपये किसानों के भले के लिये उनके विकास के लिये खर्च करती है लेकिन जब तक आप इन लोगों को नहीं हटायेंगे या इनकी पूरी की पूरी कम्पनी को नहीं हटायेंगे तब तक किसान का कोई भला हो जाय वह बात नहीं हो सकती है। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कृषि मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप इनकी पूरी कम्पनी को हटा देंगे तो पशुपालकों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको ठीक कहता हूं कि आपने यानि हमारी सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च करके जो यह योजनायें या स्कीम्स बनायी हैं इसमें आपने क्या किया, आपने डाइरेक्टर, स्पेशल सैक्रेटरी और बड़े बड़े अफसरों की भर्ती करदी है। एक एक व्यक्ति पर आप पचास पचास हजार रुपये खर्च कर रहे हैं। इनको हटाकर अगर यह रुपया राज्य सरकार अच्छी नस्ल के पाड़े, अच्छी नस्ल के सांड, या अच्छी नस्ल के बकरे, या अच्छी नस्ल के मीड़े खरीद कर किसान को दे तो उनको फायदा होगा अन्यथा करोड़ों रुपये विश्व बैंक से या केन्द्रीय सरकार से लेकर राजस्थान सरकार ने योजनायें बनायी हैं वह पैसा बेकार जा रहा है। यह लोग उस पैसे से ऐशो आराम कर रहे हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अगर आप इनको हटाकर, जैसा मैंने सुझाव दिया, उन पर पैसे खर्चे तो आप किसान, हमारे देश और हमारे देश के पशुओं का विकास कर सकते हैं। सभापति महोदया, आप राजस्थान के गांवों से परिचित हैं मुझे याद पड़ता है कि आज से चार पांच साल पहले पश्चिमी क्षेत्रों में राजस्थान सरकार ने दूध उत्पादक संघ का सबसे पहले श्रीगणेश किया था उस वक्त एक लाख लीटर दूध विभिन्न स्रोतों से नागौर जिले, बाड़मेर जिले, जैसलमेर जिले, और पाली जिले, से प्राप्त हुआ। डेयरी के प्रति जब लोगों की भावना थी इसलिये लोग दूध देते थे। उनके मन में यह भावना थी कि सरकार शायद हमारे लिये अच्छे कार्यक्रम कर रही है जिससे हमारा विकास होगा। इसलिये किसान ने सोचा हमें भी प्रोत्साहन करना चाहिये। तो, सभापति महोदया, वहां से एक लाख लीटर दूध रोज देते थे लेकिन इन्होंने कुछ भी काम किसानों के लिये नहीं किया। इन पांच सालों में ऐसी हालत करदी है जिससे कि हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। सभापति महोदया, राजस्थान सरकार के करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी आज यह स्थिति है कि अगर आप इसको सभी जगह से वाइन्ड अप करना चाहें तो कर दें। मैं तो यह जानता हूं, मन्त्री महोदया, आप इनको तो वाइन्ड अप कर नहीं सकेंगे चाहे आप कुछ भी कर लें, यह तो रहेंगे। लेकिन जो करोड़ों रुपये खर्च आप इन पर कर रहे हो किसान के नाम पर वह बन्द हो सकते है। होगा यह कि जो पशुपालक दूध आज

(श्री रामसिंह विश्नोई)

डेयरी को दे रहे हैं वह एक रत्ती भर दूध देने को तैयार नहीं होंगे। इसका कारण यह है कि किसान बड़ी मुश्किल से अपने पशुओं से दूध घी तैयार करता है। वह अपने बच्चों को दूध घी पिला नहीं सकता है। इससे उनको फायदा होता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि पशुओं का विकास हो और किसानों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं दूध के लिये, तो आपको दूध के भाव पांच रुपये प्रति लीटर रखने चाहिये। नहीं तो किसान को आपकी डेयरी से मिलता क्या है। इतना दूध देने के बाद किसी किसान को कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि आप तो उनसे दूध लेते हैं एक रुपया किलो, 12 आना किलो डेढ़ रुपये किलो। तो इतने पैसे में क्या मिलेगा। किसान को वह कीमत पड़ती नहीं। लेकिन आपने किया क्या है कि पश्चिमी राजस्थान में 40–40 मरसडीज गाड़ियां खरीद कर रख लीं। आप एक गाड़ी से लाते क्या हैं, 500 लीटर दूध। सभापति महोदया, एक गाड़ी 8 बजे सुबह जाती है और 11 बजे तक वापस दूध लेकर आती है। इसमें सिर्फ 250 किलो दूध आता है, सभापति महोदया, 100 मील से दूध लेने आवे और उसमें सिर्फ 250 लीटर दूध ले जावे तो आप अन्दाज लगा सकते हैं कि यह डेयरी आपकी कैसे चलेगी? आप करोड़ों रुपये खर्च करते हैं तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या आपके इन अधिकारियों ने कभी यह नहीं पूछा कि पहले इतना दूध क्यों आता था और अब इतना कम क्यों आता है? इसमें कहां खामियां है? खामियों को दूर करने के लिये आपके इन अधिकारियों ने क्या किया? सभापति महोदया, आज से पांच साल पहले एक रास्ते से, एक गांव से, एक मार्ग से जहां पर एक हजार, पांच हजार लीटर और चार चार हजार लीटर दूध मिलता था वहा आज स्थिति ऐसी बना दी है कि दूध बहुत कम मिलता है। सिर्फ 500 लीटर दूध मिलता है। तो कृषि मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप चाहे लाख कोशिश कर ल मुझे मालूम है। आप इन लोगों को हटा नहीं सकेंगे, क्योंकि कोई तो भसीन साहब का सिफारिशी है कोई भसीन साहब की मेहरबानी से बैठा है। जब तक आप इनको नहीं हटायेंगे तब तक आप पश्चिमी राजस्थान में किसी तरह का विकास नहीं कर सकेंगे। वहां कुछ होने जाने वाला नहीं है। जब तक पंजाबी लाबी राजस्थान पर छायी रहेगी तब तक राजस्थान के किसानों का विकास नहीं होने वाला है। इसलिये कृषि मन्त्री जी से मैं कहना चाहूंगा, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि आप जब तक इनको हटायेंगे नहीं तब तक कोई विकास नहीं होगा। आप हटायेंगे नहीं क्योंकि आपके पास इनके सिवाय कोई दूसरा आल्टरनेटिव नहीं है तो फिर हम सब्र करके बैठ जावें कि यह तो हटने वाले नहीं हैं और जो विश्व बैंक से और भारत सरकार से आपने करोड़ों रुपये इनके लिये ले रखे हैं उनका उपयोग किसान के लिये होने वाला नहीं है। अगर आप विकास करना चाहते हैं तो आपको मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आपको इसमें तब्दीली लानी होगी। भसीन साहब के लिये मैं कहू कि जो स्थिति बनायी है उस पर आपको विचार करना होगा आपको गांव गांव जाकर किसानों से उनकी समस्याओं के लिये पूछना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने गांवों में जाकर

(१३०)

(श्री राम सिंह विश्नोई)

किसानों की समस्याओं के बारे में पूछा ? आप नहीं पूछेंगे तो जो एक वक्त लाख लीटर आपको पश्चिमी राजस्थान दूध से मिलता था वह अब कम हो गया। किसान आपको दूध नहीं देंगे। आपने करोड़ों रुपये विश्व बैंक से योजनाओं के नाम पर, पशुओं के विकास के नाम पर और किसानों के विकास के नाम पर ले लिये और उनके स्थान पर आपने बड़ी बड़ी इमारतें बना ली हैं, नयी नयी गाड़ियां खरीद ली हैं, वातानुकूलित कमरे बना लिये हैं और अपने कमरों के अन्दर रेफ्रिजरेटर्स लगा लिये हैं। यह बड़ी बड़ी दो दो लाख लाख रुपये की डेयरी खड़ी कर दी है। इन सब के द्वारा आपने किसान का शोषण किया है और किसान को बर्बाद किया है। आपको अगर सुधार करना है तो गांवों में अच्छी नस्ल के सांड, अच्छी किस्म, नस्ल के पाडे, अच्छे किस्म के बकरे लाकर देने होंगे।

इसके साथ, सभापति महोदया, इन्होंने जो कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले हैं उनके लिये मैं इतना कह सकता हूं कि सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च किये हैं। सभापति महोदया, मेरे घर के पास ही एक अस्पताल है वहां कृत्रिम गर्भाधान होता है। बिलाड़ा की आबादी 25 हजार है वहां पर, सभापति महोदया, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उन्होंने उस गर्भाधान केन्द्र से एक भी अच्छी गाय पैदा करके नहीं दी। सभापति महोदया, मैं खुद बहुत बड़ा पशुपालक हूं मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उन्होंने वहां पर कुछ नहीं किया है, सिवाय इसके कि सैंकड़ों ही नहीं हजारों गायों और भैंसों को बांझ कर दिया है उनको बर्बाद कर दिया है। सीमन के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं किया। उनको ज्ञान ही नहीं, सभापति महोदया, किसी भी तरह का इसलिये मैं आपके माध्यम से कृषि मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि वह अपने अधिकारियों को कहें कि अच्छी नस्ल के सांड और अच्छी किस्म, के नस्ल पाड़ों और अच्छी किस्म के बकरों की व्यवस्था करें।

जहां तक डेयरी का मामला है एक एक गांव में जाकर देखें कि वहां क्या कठिनाई है। 200-200 रुपये प्रति गाड़ी दूध लाने ले जाने पर खर्च करते हैं। मैं कहता हूं कि आप उनको बंद कर दीजिए। 200 लीटर दूध गांव का एक किसान साइकिल पर ला सकता है और बेच सकता है। दो ड्रम होते हैं और आप देखते हैं कि उसको लेकर वह आता है। तो क्यों आप राष्ट्रीय सम्पत्ति, जो डीजल है और इसकी वजह से खेती प्रोग्राम बन्द पड़े हैं, को इस तरह से बर्बाद करते हैं। इस तरह के प्रोग्राम फेल हो जायेंगे और हमारी व्यवस्था बिगड़ जायेगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि बातें,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो बहुत कहनी हैं लेकिन, माननीय सभापति महोदया, आप उचित समझती हैं तो मेरा निवेदन करना यही है कि जो कृषि विभाग है और इस डेयरी की फेडरेशन है और जब से फेडरेशन बना है हमारे बीकानेर, जोधपुर और बीकानेर में डेयरी का भट्टा बैठ गया है। यह समझते नहीं हैं। यह जो दूध पैदा करते हैं हिन्दुस्तान के अन्दर कहां कहां बटर, घी और अच्छी अच्छी चीजें कहां पर सप्लाई हो सकती हैं यह व्यवस्था इनको करनी चाहिए न कि

(श्री राम सिंह विश्नोई)

हमारे प्रशासनिक मामलों में इनको पड़ना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह जब तक रहेंगे और जब तक भसीन साहब रहेंगे हमारी डेयरी का, राजस्थान को, पशुपालकों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कृषि मंत्री महोदया से कि जो मौजूदा व्यवस्था है इसको जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक हमारा बोलना, हमारा यहां सुझाव देना कोई मायने नहीं रखता और जो करोड़ों रुपया आप इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं मैं कहता हूं कि एक बार इनको फारेन कन्ट्री भेज दीजिए, अरब कन्ट्रीज में सारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट को, डेयरी को ट्रेनिंग के लिए बाहर भेज दीजिए इससे भारत सरकार को तो आमदनी होगी ही और इनके रखने में यहां पर जो खर्चा होता है वह पशुपालकों के ऊपर और उनकी अच्छी नस्ल पैदा करने पर और दूसरे कामों पर खर्च कीजिए ताकि किसानों को लाभ हो सके और भारत का उत्थान हो सके।

जयहिन्द

श्री सभापति : श्री गोविन्द सिंह।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : सभापति महोदया, आज की विचारार्थ मांग पर अपने कटौती प्रस्तावों के समर्थन में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं राजस्व के ऊपर केवल मात्र इतना निवेदन करना चाहूंगा कि जो लैण्ड सीलिंग का लॉ है और उसमें जो खामियां हैं उन खामियों को जल्दी से जल्दी दूर करके जो बहुत सारी जमीन बड़े बड़े सेठों, पूंजीपतियों, राजा महाराजाओं और दूसरे लोगों के पास पड़ी हुई है उस जमीन को वह बेच बेच कर दूसरे लोगों को दे रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं और मैंने अभी सुना है, पढ़ा भी है कि सरकार भी ऐसे बेचान को, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने अपनी जमीन को सीलिंग से बचाकर बहुत धन कमा लिया है रेगूलेराइज करने के लिए विधेयक पेश कर रही है। मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि अगर ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है तो वह नहीं होनी चाहिए बल्कि वह जमीन ऐसे भूमिहीनों और गरीबों में बांटी जानी चाहिए जो कि सरकार के प्रति कई सालों से आस्था लगाये बैठे हैं कि हमें भी दो गज जमीन मुहैया होगी।

इसके साथ ही साथ टिनेन्सी एक्ट पर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे साथ माणक मल जी मेहता बोलेंगे। यह आब्सोलीट हो चुका है और इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है इसलिए इस पर विस्तृत कमेटी बैठाकर सम्पूर्ण टिनेन्सी एक्ट को प्रस्तुत किया जाय और उस पर कार्यवाही की जाय।

सभापति महोदया, मेरे अजमेर जिले में 1973-74 से लेकर 80 तक पार्शल आपरेशन सैटलमेन्ट हुआ था। मैंने गत विधान सभा में भी अपने एक प्रश्न के माध्यम से यह प्रश्न उठाया था और उस समय सूचना दी गयी थी उसके अनुसार करीब 20 लाख रुपया इस आपरेशन के ऊपर खर्च हो चुका है और 1980 में जब कि यह फाइनल स्टेज पर था और आब्जेक्शन्स को दर्ज करके ही

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

तय करना था तो सरकार ने किन्हीं लोगों के प्रभाव से वापिस खोल दिया और कम्पलीट सैटलमेन्ट कराने के लिए वहां योजना बनाई जा रही है। उसके लिए काफी कदम भी उठा लिये हैं। मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि यह 20 लाख रुपया जो सरकार का खर्च हुआ है वह सब बेकार चला जायगा जो सारा काम दस साल तक बड़ी मेहनत के साथ हुआ है वह सारा काम बेकार चला जायगा और यह जो नया सैटलमेन्ट आप कराने जा रहे हैं इसमें पता नहीं दस साल लगेंगे या ज्यादा लगेंगे जब कि पार्शल सैटलमेन्ट में ही आठ नौ साल लग गए। तो कम्पलीट सैटलमेन्ट में तो मेरे खयाल से बीस साल लग जायेंगे। ऐसी परिस्थिति में मैं राजस्व मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि जो पहले सैटलमेन्ट हो चुका है उसी सैटलमेन्ट में आब्जेक्शन हियर करके जो आज सैटलमेन्ट में कार्यवाही हो रही है उनमें खामियां हैं उनको दूर करके और इसीको आधार मानकर ही तैयारी करें और यह जो पार्शल सैटलमेन्ट में सरकार का 20 लाख रुपया खर्च हो चुका है और नया कराने पर पता नहीं कितने करोड़ खर्च होगा उससे सरकार को बचाया जाय।

सभापति महोदया, इसके साथ ही साथ मैं अब डेयरी विकास के लिए कुछ निवेदन करना चाहूंगा। अभी काफी इस विषय पर मेरे भाई रामसिंहजी ने आपके सामने निवेदन किया। बड़े ही खेद की बात है कि जहां हम इस देश में श्वेत क्रांति लाने की बात करते हैं वहां इसका सारा काम ऐसे लोगों पर छोड़ दिया गया है जिन्होंने गाय और भैंस तो दूर बकरी भी नहीं रखी होगी और ऐसे आदमियों से केवल किताबी ज्ञान के आधार पर हम यह उम्मीद करें कि वह इस देश में श्वेत क्रांति करा देंगे तो यह हमारी हवाई सपना होगा और राजस्थान में जो हालत है डेयरी विकास की वह इतनी गम्भीर है कि मैं आपको, सभापति महोदया, वर्णन नहीं कर सकता।

मैं शुक्रगुजार हूं कृषि मंत्री महोदया जी का कि उन्होंने दूध के भाव बढ़ाने की पैरवी की और दिल्ली जाकर बातचीत की और गाय के दूध के भाव बढ़े लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारे जिले में जो दूध भैंस का है उसका भाव बढ़ाने के बजाय और कम कर दिया है। सभापति महोदया, 12–2–81 के पहले भैंस के दूध के भाव मेरे जिले में 1 रुपया 80 पैसे थे उसको 17–2–81 को नया सर्कूलर निकाल कर 1 रुपया 77 पैसे कर दिये और इसी के बाद उसके थोड़े दिन बाद ही 1–3–81 को 1 रुपया 75 पैसे कर दिये गये। सभापति महोदया, दूध काश्तकारों के यहां गाय का भी होता है, भैंस का भी होता है, बकरी का भी होता है और अन्य जानवरों का भी होता है और गलती से थोड़ा सा भी दूध गाय का दूध में मिल गया तो यह जो बढ़ा हुआ पैसा है उससे वह महरूम रह जायगा और भैंस का दूध पैदा करने वाले लोगों को राहत के बजाय नुकसान कर दिया गया है।

सभापति महोदया, इसी तरह से हमारे से हमारे यहां अभी जब फीड कैटल्स को देना होता है उसके भाव निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उस भाव के अनुपात में जो दूध को

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

रेट बढ़नी चाहिए वह नहीं बढ़ी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि वह राज्यस्तर पर सस्ते चारे के डिपो खोलकर या सब्सिडी देकर चाहे वह डेयरी विकास निगम में दे या और कोई दे उनको चारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

सभापति महोदया, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां जो अजमेर डेयरी है उसमें चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद जब पहली सभा हुई तो उसमें जो चुनकर आये हुए वहां के डाइरेक्टर्स थे उन्होंने पहला एतराज किया कि क्योंकि आडिटेड बैलेन्स शीट प्रस्तुत नहीं की गयी है इसलिए इसको मानने के लिए तत्पर नहीं हैं। सभापति महोदया, बड़ा ताज्जुब होगा आपको सुनकर कि चुने हुए मण्डल की आज तक एक भी बैठक नहीं बुलाई। इससे ज्यादा अशोभनीय बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। जहां इस जनतंत्र के गीत गाते हैं हम जन प्रतिनिधियों की बात करते हैं वहां जन प्रतिनिधियों को आपके जो शासक हैं, सरकारी तबके के लोग हैं वह उनके साथ बैठकर बात करना अपनी शोभा की बात नहीं समझते और अनाप शनाप आब्जेक्शन और आरोप लगाकर उस मण्डल को भंग कर दिया गया है। आप ताज्जुब करेंगे कि 1975-76 से आज 80 हो गया है अभी अजमेर डेयरी का आडिट नहीं हुआ है। सभापति महोदया, अगर आज वहां आडिट हो जाय तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वहां फिजीकल स्टाक वेरीफिकेशन आज तक नहीं हुआ और करीब 500 केन आज वहां कम हैं और उन 500 केन की कीमत आज करीब 2 लाख रुपये होगी लेकिन कोई उसके ऊपर तवज्जोह देने की कोशिश नहीं करता जब हम कहते हैं, जन प्रतिनिधि चुनकर आते हैं तो उनको वहां बैठने नहीं दिया जाता।

इसी तरह से, सभापति महोदया, हमारे यहां अजमेर डेयरी में पहले घी निकलता था शायद अब भी निकाला जाता है, सन् 1976 से 1979 तक जो घी निकाला गया उसका कोई रिकार्ड डेयरी में उपलब्ध नहीं है। कितना दूध बेचा, कितना घी बेचा, कितनी फैट निकाली, सभापति महोदया, अगर इस बात की पूरी जानकारी की जाय तो कम से कम 10 लाख रुपये का घोटाला है सारे अधिकारी इसमें लिप्त हैं और मशीन साहब लिप्त हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, और सदस्यों के लिये भी छोड़ दें, बहुत हो गया।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : सभापति महोदया, प्लास्टिक माइको शीट्स के टेण्डर हुए उसमें जो रेट था 25 रुपये 50 पैसे का था। सभापति महोदया, आपको ताज्जुब होगा, मैं खुद हैरत में हूं, वहां मिस्टर तनेजा थे उसकी जो बिल्टी आई टेण्डर की, उस पार्टी का चालान आया, 25 रुपये 50 पैसे के हिसाब से आया, मंत्री महोदय को मैंने फोटो स्टेट कापी लाकर दी है तनेजा साहब ने अपने घर से फोनोग्राम किया कि 25 रुपये 50 पैसे की बजाय 30 रुपये की दर से अपना बिल भेजा। जब मैंने यह सारी बात, सारी सूचना, मंत्री महोदय को

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

दी तो उन्होंने मेहरबानी की वह तो अच्छा हुआ सौदा हो नहीं सका नहीं तो एक दिन में 50-60 हजार का नुकसान दिलाने के लिये तनेजा साहब ने फोनोग्राम कर दिया। सभापति महोदया, इसके बावजूद क्या हो गया। जब इस तरह की हम शिकायत करते हैं तो होता यह है कि उस अधिकारी को दण्ड देने की बजाय वहां से दूसरी जगह भेज दिया जाता है,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ताकि उस पर कोई कार्यवाही न हो। बड़े ताज्जुब की बात है। मंत्री महोदय के ध्यान में लाकर डेयरी विकास के जो सैक्रेटरी हैं उन सैक्रेटरी के पास मैं खुद गया उनको सारे दस्तावेज दिये लेकिन बड़े दुःख की बात है कि वे दस्तावेज आज भी उनकी टेबल पर पड़े हुए हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, क्षमा करें।

एक माननीय सदस्य : जानकारी करना बहुत जरूरी है। असलियत पर बोल रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : इसी तरह सभापति महोदया, जहां तक मेरी जानकारी है, दूध के भाव जो किसान को मिलने चाहिये, जो उनके उत्पादन की लागत है, उसको नहीं दिलाने में भसीन साहब का हाथ है। अलवर में डालमिया नाम की एक डेयरी है भसीन साहब के ताल्लुकात हैं। सरकारी दूध के भाव को यदि बढ़ाया जायगा तो डालमिया डेयरी को जो कृषक दूध देते हैं उनके भाव भी बढ़ाने पड़ेंगे। इस प्रकार से डालमिया डेयरी से मिलकर काश्तकारों कोउन के उत्पादन की लागत का दिलाने से वंचित रखा जा रहा है। सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि तर्क यह दिया जाता है कि भसीन साहब बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भसीन साहब केवल मात्र एक पशु चिकित्सक हैं और बेहतर यह होगा कि मंत्री महोदय जल्दी से जल्दी ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर को निकालकर कृषकों को राहत दिलायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : सभापति महोदया, आज का विषय बहुत लम्बा है और समय कम है।

श्री सभापति : इसलिये आप भी जरा कम बोलें।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदया, सबसे पहले मैं कृषि मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, भूमि सुधार कानून जो लागू नहीं किया गया है भूमि सुधार कानून को लागू किया जाय और सीलिंग के अन्तर्गत आज लाखों बीघा जमीन बेकार पड़ी हुई है और जिन लोगों को जमीन दी गई थी वह लेकर वापिस सामन्तों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। शेष भूमि उनसे लेकर भूमिहीनों में बांट दी जाय। सीलिंग का कानून सख्ती से लागू किया जाय। पुरजोर शब्दों में मांग करना

(श्री मेघराज तावड़)

चाहता हूं इस ओर जरूर ध्यान दिया जाय।

तीसरा सभापति महोदया, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जो जमीन है, जो गैर आदिवासी हैं लेकिन इसके बावजूद आज सैकड़ों, हजारों बीघा जमीन उन लोगों के पास है।

सभापति महोदया, चौथा जिनका 12 साल का कब्जा है उनका खातेदारी का अधिकार मान लिया जाता है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे मदेरणा साहब करेक्ट करेंगे, मुझे जानकारी मिली है और आपसे मांग करना चाहता हूं अगर ऐसा है तो कानून में संशोधन करके जो आदिवासी और हरिजन की जमीनें थीं, 12 साल से ज्यादा की काबिज हैं तो कानून में संशोधन करके वह जमीनें उन्हें वापिस दिलाई जाय। सभापति महोदया, इसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि पहले भी इस तरफ मैंने ध्यान आकर्षित कराया था, जो छोटे काश्तकार हैं, हरिजन, आदिवासी हैं, दस बीघा कम से कम जमीन है उनके जितने पुराने कर्ज हैं चाहे भूमि-विकास बैंक के हों चाहे सहकारी समितियों के हों वे माफ किये जायं हमारा पहाड़ी इलाका है आज दो बीघा जमीन होना कौन सी बड़ी बात है। तो सभापति महोदय 10 बीघा जमीन वालों को उसमें ले लिया जाय।

सभापति महोदया, एक बात और कहना चाहता हूं, सरकार एक तरफ तो यह कहती है कि अकाल का समय है हम किसी भी तरह की वसूली नहीं करेंगे लेकिन अफसोस है आज भी वसूलियां हो रही हैं। या तो यह माना जाय कि यहां का जो प्रशासन है वही सरकार है जो सरकार शोषण कार्य करती है कौनसा सही समझें, समझ में नहीं आता। यहां से घोषणा की जाती है कि अब वसूली नहीं होगी लेकिन आज भी दनादन वसूलियां हो रही हैं।

मेरे दूसरे साथियों ने भी विचार रखे, यह छुपी हुई बात नहीं है। किसानों और गरीबों को खुश करने के लिये कहते हैं उन लोगों का कर्जा स्थगित कर दिया। ऐसे पुराने कर्ज माफ किये जायें। आज जो वसूलियां की जा रही हैं उनकी जांच की जाय। खाने के लिये उनके पास अनाज नहीं, उनके बर्तन नीलाम किये जा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। हरिजन और आदिवासियों की बात करती है यह सरकार ? कुम्भलगढ़ इलाके से मंत्री महोदय आते हैं उनको मालूम है सहकारी समिति वालों ने नीलाम कर दिया। मै चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आज मंत्री महोदय ध्यान दें और जो वसूलियां की जा रही हैं उनको तुरन्त रोका जाय और पुराने कर्जों की तरफ मंत्री महोदय ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

सभापति महोदया, जहां किसानों को बीज और खाद की व्यवस्था है वहां किसान तो हमारा अन्नदाता है। आप और हम और ये जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, अगर किसान को साधन नहीं मिलेगा, किसान की परेशानियों को दूर नहीं किया जायगा तो, सभापति महोदया, अन्नदाता तो वह है, हम लोग तो दूसरों को

(श्री मेघराज तावड़)

मानते हैं, ये महलों में बैठने वाले अन्नदाता नहीं हैं। धरती माता का पेट फाड़कर अनाज पैदा करने वाला, हव अनाज लेकर मण्डी में जाता है आप और हम सब खाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी खाते हैं, महलों और बंगले वाले खाते हैं। इसलिए, सभापति महोदया, आज किसान की हालत क्या है, आज अलाटमेन्ट जो छोटी मोटी भूमि पर कब्जे किये, अलाटमेंट का प्रावधान उनको मिलता है या तो नेता को मिलने वाला है या जिसके पास पैसा है पटवारी और तहसीलदार को कुछ खिला सकता है, घी की पीपियां दे सकता है उनको जमीन अलाट हो जाती है लेकिन वास्तव में जमीन जिसके पास नहीं है, जो भूमिहीन हैं, जिनको जमीन की आवश्यकता है उनके पास जमीन नहीं है। सभापति महोदया, मैं चाहूंगा कि जहां भी अलाटमेन्ट होता है, अलाटमेन्ट में सबसे पहले उन लोगों का प्रोविजन किया जाय, उन लोगों को जमीन दी जाय जिनके पास जमीन नहीं है। बीज और खाद की व्यवस्था। खाद का इतना ऊंचा भाव है कि जो किसान खरीद नहीं सकता और आज हम कहते हैं, आज किसानों के लिए चाहे गेहूं का भाव बांध दें, चाहे गन्ने का भाव बांध दें। सभापति महोदया, लेकिन उन्हीं बड़े बड़े किसानों को, जिनके पास सैंकड़ों बीघा जमीन है, फायदा है जो छोटा किसान है, चाहे सीमान्त कृषक है उसको फायदा नहीं मिलता उसको फायदा नहीं होगा। जब तक यह चीजें, खाद बीज उसको सस्ते मुहैया नहीं कराये जाते तब तक छोटे किसानों को फायदा नहीं हो सकता है सही बात ये है कि हमारे कोटा से, बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि गावों में किसी तरह के पैट्रोल पम्प, डीजल पम्प नहीं हैं। सभापति महोदया, एक किसान को 5 लीटर डीजल के लिए अपने सिर पर पीपा रखकर जाना पड़ता है। 5 लीटर तो उसको डीजल मिलेगा और 15 रुपये आने जाने का किराया खर्च करेगा उसके बाद भी डीजल नहीं मिलेगा और वापस खाली लौट जाता है। जो सड़कों पर डीजल के टैंक जाते हैं, सभापति महोदया, आज मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूं सप्लाई मंत्री महोदय अगर आप जायेंगे, रास्ते में वह डीजल रह जाता है, वह डीजल केरोसिन ट्रैक्टर के लिए वास्तव में सूदखोरों को भी दिया जाता है, उन तस्करों को दिया जाता है। वहां से कालाबाजारी होती है, वहां पांच रुपये लीटर के हिसाब से डीजल का कालाबाजारी देते हैं और रतनपुर से, उदयपुर से आने वाले बीच के जो स्टेशन आते हैं, वहां जाकर सप्लाई वाले छापा मारें कहीं एक रात को बैठकर चैक करे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितने लीटर डीजल उनके लिए टैंकों से निकालकर कालाबाजारियों को देते हैं, जहां से कालाबाजारी होती है।

सभापति महोदया, मैं यह भी मांग करना चाहूंगा कि आज तक आदिवासियों की जमीन सवर्णों के पास 10 साल से है। आज तक कितनी जमीन उनके पास है? आप अगर आंकड़े देखेंगे और सरकार के कानून के बावजूद भी आज भी रजिस्ट्रियां होती हैं। राजस्व मंत्री जी अगर आप तहसीलवाइज इनके आंकड़े डेटा कलैक्ट करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका कानून आने के बाद भी आज हजारों की तादाद में रजिस्ट्रियां हुईं। मैं चाहूंगा कि

(श्री मेघराज तावड़)

ऐसी रजिस्ट्रियों को रद्द किया जाय । सभापति महोदया, मैं कर्जों के बारे में थोडी बात और कह देना चाहता हूं कि छोटा किसान जो कर्जा लेने जाता है, इतनी उलझनें, आपका कानून इतना उलझा हुआ है, आसानी से किसान अपना कर्जा बैंक से, एस. एफ. डी. सी. से नहीं ले सकता । आज जो लोग बैठे हुए हैं. मैं तो चाहूंगा कि माननीय यहां बैठे हुए कोई भी सदस्य अगर अपने नाम नहीं बताये और साधारण किसानों के कपड़े पहन कर जायं, किसी भी अधिकारी के पास, अपनी मांग लेकर जायं, चाहे कर्जा लेने का फार्म लेकर जायं, पटवारी के पास जायं, जब तक उसको पैसा नहीं दिया जायगा, तब तक न तो रिपोर्ट करेगा, न कर्जा मिल पायेगा । मैं चाहूंगा, सभापति महोदया, कानून में इस तरह की सरलता अपनायी जाय ताकि किसान को पैसा मिल सके । पटवारी से लेकर ग्राम सेवक तक लगातार इनके जो बैंकों के अधिकारी जायेंगे, बीच में आधा पैसा वहीं चला जायगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

फिर इसके साथ साथ मेरी पूरी बात नहीं हुई उसका कर्जा है, किसान वह पैसा मांगता है, वह सेठ सूदखोर पीछे चला जायगा और सारी कार्यवाही वह करायेगा। पैसा किसान के हाथ में नहीं आयेगा । सभापति महोदय, और वह अपने खाते जमा करेगा । इसलिए आज जितनी वसूलियां नहीं हो रही हैं, चाहे वो सहकारी बैंक हो, या भूमि विकास बैंक, हो वसूलियां नहीं हो रही है, उसका कारण क्या है, उसका प्रोडक्शन नहीं हुआ, उसका उत्पादन नहीं हुआ, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, वह पैसा कहां से देगा । सभापति महोदया, आपने घण्टी बजा दी । मैं पशुपालन के बारे में दो मिनट कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा ।

श्री सभापति : आप दो मिनट ही लेंगे, विशेष तो नहीं लेंगे ?

श्री मेघराज तावड़ : जी हां, ज्यादा नहीं लूंगा । हमारे गांव में पहाड़ों में, मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, आप पशुपालन और पशु सुधारों की बातें करना चाहते हैं। मुझे, सभापति महोदया, मन्त्री जी ये बता दें कि एक एक कस्बे में जहां हमारा पहाड़ी इलाका है, 40-40 मील दूर जाने पर कहीं भी पशु चिकित्सालय नहीं है और एक जगह कहीं पंचायत समिति में उनके डाक्टर और कम्पाउण्डर लगे हुए है, वह समय पर नहीं जायेंगे, रिपोर्ट करने के बावजूद भी वहां नहीं पहुंचेंगे, हजारों पशु उसके अभाव में खतम हो जाते हैं, कोई देख रेख करने वाला नहीं और फिर कम्पाउण्डर पहुंच गया तो दवाई नहीं । इसलिए उस किसान को अलग से दवाई का पैसा देना पड़ेगा, बाजार से किसान को दवाई लानी पड़ेगी । और तो और, सभापति महोदया गांवों में जिस तरह से गांव के लोग सांडों को पालते थे, गांव के लोग उनको अपनी सम्पत्ति समझते थे आज वे सांड नहीं हैं । आज सांड छूटा हुआ गांवों में नहीं है, कहीं है भी तो लोग अपने काम में, खेती के काम में लेते हैं, वे सांड उपयुक्त नहीं होते हैं और पंचायत समिति की ओर से, सरकार की ओर से ऐसा कोई सांड नहीं, कहीं सांड

(श्री मेघराज तावड़)

दिया भी है तो उसके पालन पोषण की व्यवस्था नहीं की गयी, वह भटक भटक कर खेतों में जाता है, लोग मारते हैं, पीटते हैं, वह दम तोड़ देता है। आज हमारी नस्ल की हालत क्या है, आज हमारी नस्ल खतम होती जा रही है। डेयरी का सवाल है, सभापति महोदया, जहां पर पानी है, जहां पर नहरी इलाका है, उस इलाके में ज्यादा डेयरी को महत्व देना चाहिए। वहां नहीं दिया गया है। सभापति महोदया, आप मेरी तरफ देख रही हैं।

मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले एक बात और कह देना चाहता हूं, सभापति महोदया, कि हमें जो कृषि में ट्राइब्स और कास्त के लोग हैं, उनको सुविधायें नहीं मिल रही हैं, वह दिलायी जायं। इसके लिए सरकार पूरी तरह से अगर कृषि कानून लागू करती है तो ठीक है और गांवों में जंगलात में, सभापति महोदया, पुराने कब्जे हैं, वे ऐसी उलझन में पड़े हैं, आज तक उनको खातेदारी अधिकार नहीं मिले हैं। इस ओर खातेदारी अधिकार दिये जायं। जंगलात में बेदखली करने के बजाय उनको रेगुलेराइज किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री चेतराम।

(अनुपस्थित)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, मैंने नाम दिया था।

श्री सभापति : नाम आयेगा तो मैं बोलूंगी। श्री राम धन। मैं नाम क्रमानुसार बोलती जा रही हूं। आपका नाम, अन्त में है, आने पर बोलूंगी।

श्री रामधन चौधरी (लाडनू) : सभापति महोदय, मांग संख्या 8, 30 व 49 पर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज किसानों के लिए हम बात करते हैं यहां, तो हमें अफसोस होता है कि राजस्थान में 80 प्रतिशत लोग गाँवों में बसते हैं और उसमें से गाँवों में रहने वाले लोगों में 90 प्रतिशत किसान हैं। किसानों के लिए क्या सुविधायें होनी चाहिए, इस बजट में तो मुझे असम्भव दिखता है।

यह जो बजट कृषि के लिए रखा गया है, बहुत ही कम लगता है। सभापति महोदया राजस्थान में कृषि मुख्य धन्धा है और राजस्थान का किसान अधिकतर गरीब किसान है। इसलिए उनके लिए जितनी भी सहायता और सहयोग सरकार देती है, सरकार की तरफ से जो मिलता है उसका भी बहुत मिसयूज होता है। क्योंकि जैसे किसानों को या अन्त्योदय परिवारों को लोन देना है, एक मुख्य बात है उसमें कि उसके रास्ते इतने टेढ़े हैं कि साधारण किसान वहां तक पहुंच नहीं सकता। उसको वहां तक पहुंचने के लिए बिचौलिये बनाने पड़ते हैं और बिचौलिये उस किसान को जो सरकार की तरफ से लोन मुहैया कराना चाहते हैं वह उस तक पहुंच नहीं पाता है। बतौर उदाहरण मैं बताऊं कि मैंने अभी एक असेम्बली क्वेश्चन दिया था नीडी जोधा ग्रामीण आंचलिक बैंक नागौर के बारे में जिसमें 65 हजार रुपये की कुओं की सब्सिडी के बकाया निकाले जो किसानों को देने के

(श्री रामधन चौधरी)

बजाय बैंक वालों ने उसे अपने पास रख ली। न तो उनसे फार्मेलिटी पूरी करवाई न उनके खातों में सब्सिडी का रुपया जमा किया गया। इस तरह की घटनायें किसानों के साथ घटती हैं। इसलिए लोन लेने की समस्या है. इसको सरल बनाया जाय। पटवारी के पीछे घूमते फिरें किसान, तहसीलदार के पीछे घूमते फिरें, दो दो तीन तीन दिन तक आफिसों में चक्कर काटते रहें और खर्चा भाड़े में ही उनकी आधी रकम बर्बाद हो जाती है।

कृषि के लायक जो उन्नत बीज हम देते हैं, वह किस साल के बीज को तीन साल बाद वितरण कर दिया जाता है उससे अच्छी फसल की आशा नहीं रहती। कृषि ऐसा धन्धा है कि इस साल का बीज अगर इस साल बोते हैं तो वह कामयाब होता है और वही बीज अगर तीन साल बाद बोते हैं तो उतना कामयाब नहीं होता है। इसलिए कृषि के लिए बीज मिलता है कब जब कि बाजरे की फसल बोई जाती है अषाढ़ में और बीज मिलता है भादवे में, वह किसान के लिए किस काम का ? वह किसान तो वही पुराना बीज देता है। उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारे लिए बीज लाये हैं ले जाओ, तो उसका क्या उपयोग होगा ?

दूसरी बात है कि किसानों के लिए जो कृषि उपज मंडियां बनाई गई है, बहुत सी जगह मंडियां तो हैं लेकिन उसकी व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं है। क्योंकि मकान नहीं बने, जमीन ली हुई पड़ी है लेकिन उसका सुचारू रूप से सचालन नहीं होता है। कहीं कृषि मंडियां बनी नहीं हैं। जैसे हमारे डीडवाना और लाडनू को मिला कर एक कृषि उपज मण्डी है जिसकी आय के हिसाब से दोनों जगह अच्छी आमदनी होने के बावजूद कृषि उपज मंडी डीडवाना में है, लाडनू में नहीं है। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा आपके मार्फत से कि लाडनू में कृषि उपज मण्डी की स्थापना करावें। किसानों की जो तकलीफें हैं, हमारा नागौर जिला विशेषकर पशुपालकों में प्राथमिक रहा है। नागौर जिले में, सभापति महोदया, आप जानते हैं कि नागौरी नस्ल के बैल प्रसिद्ध हैं। उसके बावजूद वहां पर आज तीन मेले, फेमस मेले रहे हैं, परवतसर, नागौर, डीडवाना। मुझे दुख होता है कि इन मेलों से जब कि लाख दो लाख की इनकम हर साल होती है, उसमें पच्चीस हजार रुपया मेलों की व्यवस्था के लिए, पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था के लिए हर साल फण्ड रखें तो उन मेलों में सुधार हो सकता है। मेले के मौके पर, सभापति महोदया, वहां किसान जाते हैं, पशुओं को तो क्या उन किसानों तक को पीने के लिए पानी नसीब नहीं होता है। क्योंकि उसी तालाब से किसान पानी लाकर पीता है जिस तालाब में पशुओं को पिलाया जाता है। बड़े दुख की बात है कि वर्षों से चलने वाले और लाखों की तातांद में पशु वहां क्रय विक्रय होते हैं और उसके बावजूद भी आज उन मेलों के लिए एक पर्सेंट भी खर्चा राज्य सरकार नहीं कर रही है। जो इनकम होती है उसमें से ही अगर 25 परसेंट खर्चा करें तो वहां पीने के पानी की कम से कम व्यवस्था हो जावे।

(श्री रामधन चौधरी)

सभापति महोदया, पशुपालकों को जब तक हम सुविधा नहीं देंगे तो होता क्या है कि हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर जाते हैं वहां ईनाम वितरण करके आते हैं। मगर जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि अगले साल आपके लिए व्यवस्था कर देंगे। 15 साल से मैं लगातार वातावरण देखता आ रहा हूं। चाहे किसी का राज हो, चाहे कौन सा मंत्री जावे, यह आश्वासन किसानों को जरूर मिलता है, परन्तु यह तीन फेमस मेले जो पचासों साल पुराने लगे हुए चल रहे हैं, उनमें किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। इसलिए मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन पशु मेलों के लिए कम से कम वहां पीने के पानी और बिजली की व्यवस्था तो करावें।

आज किसान की हालत क्या है यह आप और हम सभी जानते हैं। क्योंकि जब हमारे चुनाव आते हैं तो अपने एम०पी० और एम०एल०ए० जितने खड़े होते हैं आदमी, वोट जिसको चाहिए, जब पार्टियों के जाते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं लेकिन उसके बाद उन किसानों की समस्या क्या है उसकी तरफ हमारा ध्यान तनिक भी नहीं जाता है। यहां पर जयपुर की चर्चा चलती हैं, जोधपुर की चर्चा चलती है, बीकानेर की चर्चा चलती है, लेकिन जो बैकवर्ड किसान हैं और पिछड़े हुए इलाके हैं, जहां हरिजन और किसान किस तरह से तकलीफ पाते हैं, गांवों की जल योजना हम बनाते हैं लेकिन अधिकारी लोग आफिसों में पंखों के नीचे बैठे हैं, उनके कर्मचारी उनके बार बन्द कर देते हैं और गांव वालों को गर्मी के दिनों से लोग प्यासे मरते हैं. उनको उनसे मिलने की फुरसत नहीं है कि गांव वाला काहे को कूकता है। अभी एक बात मेरी समझ में माननीय सदस्य ने जो कही थी, मेरा भी दिल उसका समर्थन करता है कि वास्तव में अगर धोती पहन कर, साफा बांध कर और अंगरखा पहन कर अफसर के पास जावे तो अच्छी तरह से इज्जत नहीं मिलती। किसान धरती का अन्नदाता है और उसकी अगर हम इसी तरह से बेकद्री करते रहेंगे तो बड़े दुःख के साथ कहता हूं कि हमारा भविष्य अंधकारमय रहेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आखिर में एक बात और कहना चाहता हू कि जो रेगिस्तानी इलाके हैं जहां पर आए साल अकाल पड़ते हैं तो कम से कम फसल बीमा योजना लागू की जावे ताकि वह किसान यह समझ सकें कि हमारी सरकार जो है यह हमारी रक्षक है। क्योंकि एक ही फसल होती है उसमें भी कभी जानवर लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, असेम्बली में पहले भी कई बार चर्चा चली थी कि कातरे की बीमारी होती है। जो बरसात होती है उससे कातरा लग जाता है और वह कातरा फसल को काट देता है। यहां पर यह भी कहा जाता है कि दवाइयों का प्रबन्ध करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो दवाइयों का वितरण किया जाता है उसमे कातरा मरता नहीं है। यह एक्सपेरीमेंट करा करके देखा गया है। इसलिए फसल का बीमा किया जावे और उसके साथ साथ रसायनशाला में उसको बराबर देख कर जो दवाई क्वालिटी की नहीं हो तो उसकी दुबारा

(श्री रामधन चौधरी)

जांच करा कर उसकी व्यवस्था की जावे।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सभापति महोदया, इस सदन का समय तीन बजे तक के लिए बढ़ाने का निवेदन करता हूं।

श्री सभापति : क्या सदन की सम्मति है कि सदन की बैठक का समय तीन बजे तक के लिये बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन की बैठक का समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 8, 37 व 39 पर विचार

श्री रामधन चौधरी : हमारे भेड़पालक जो पशुपालकों की श्रेणी में आते हैं और नागौर जिला भेड़पालकों में प्रथम रहता है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनट में समाप्त करता हूं। बहुत जरूरी बात है।

वहां पर समय पर दवाइयां नहीं मिलती हैं और वे भेंड़पालक अजमेर जाते हैं। नागौर के भेड़पालक अजमेर जाकर दवाइयां खरीद कर लाते हैं। वहां के अधिकारियों के पास जाते हैं तो वे स्लिप लिख देते है, उनके पास दवाई नहीं होती हैं, पैसा लेकर भी समय पर दवाई नहीं दे सकते हैं। इसलिए भेड़पालकों के लिए वहीं पर दवाई की व्यवस्था कराई जावे। वहां पर बड़े-बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, सरकार का खर्चा लगता है, उसके बावजूद भी हमारे पशुपालकों को दवाई नहीं मिले तो बड़े दुख की बात है।

सभापति महोदया, हमारे जो भेड़पालक ऊन कतरते हैं और हमारे राजस्थान में जो ऊन का एरिया है, पूरे भारत-वर्ष की 45 प्रतिशत ऊन राजस्थान में होती हैं उसके बावजूद भी आज हालत यह है कि जब पशुपालक मण्डी में ऊन ले जाता है बीकानेर में, बीकानेर ऊन की सबसे बड़ी मण्डी है लेकिन वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए वहां पर किसान को लूटा जाता है। ढाई पर्सेंट आड़तिया लोग कमीशन ले लेते हैं, कहीं चुंगी लग जाती है और कहीं और कुछ लग जाता है। इस तरह से भेड़पालकों को ऊन का आधा पैसा मिल पाता है। इसलिए मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि बीकानेर में ऊन की मण्डी का निर्माण कराया जावे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री प्रभुलाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण

(अनुपस्थित)

श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : सभापति महोदया, राजस्व विभाग और पशुपालन विभाग दोनों की डिमाण्ड पर मेरे व्यक्तिगत क्षेत्र का, जिले का इस विधान सभा

(श्री ग्रमीन खां)

में प्रतिनिधित्व करना, मैं ग्रपना कर्त्तव्य समझता हूं ।

सभापति महोदया, वर्ग क्षेत्र के हिसाब से पहले नम्बर पर जैसलमेर जिला है, जो 38,400 वर्ग किलोमीटर है ग्रौर दूसरे नम्बर पर बाड़मेर जिला है, जो कि 28,900 से कुछ ग्रधिक वर्ग किलोमीटर में फैला हुग्रा है । राज्य सरकार ने बजट में भी प्रावधान किया है कि इस वर्ष सात नयी तहसीलें बनायी जायेंगी ग्रौर 27 उप तहसीलें बनायी जायेंगी, यह बहुत ही ग्रच्छा बजट में प्रावधान है । उसमें बाड़मेर तहसील मेरे खयाल से राजस्थान में सबसे बड़ी तहसील है । वहां एक नयी तहसील गूढा-मालानी तहसील बनायी जाय ग्रौर शिव तहसील जिला बाड़मेर का हिस्सा वर्ग क्षेत्र में फैला हुग्रा है उसमें एक तहसील गडरा रोड या राणासर बनायी जाय ।

इसके ग्रलावा, राजस्व मंत्री महोदय, वहां पर गरीब से गरीब ग्रौर छोटे किसानों की समस्याएं पांच सात साल से हैं । वहां करीब 70 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग मारे जा रहे हैं । उनके लिये स्पष्ट तौर से नियमों में जो पाबन्दी लगी हुई है उसमें दुरुस्ती की जाय । वह इसलिये है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने डेजट की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें डी. पी. ए. पी. के प्रोग्राम को कामयाब करने के लिये किसी प्रकार के ग्रलाटमेंट करने की नियमों में पाबन्दी लगी हुई थी, इससे लोगों में संतोष था क्योंकि एक तो वहां पर लोग पशु पर ग्रपनी जिन्दगी गुजारा करते हैं, भूमिहीनों ने सहन किया ग्रौर सोचा कि सरकार पशुपालकों के लिये व्यवस्था कर रही है तो ठीक है मगर उसके बाद उस पाबन्दी को हटाकर काफी ग्रादमियों को करीब चार हजार परिवारों को सरकारी भूमि का ग्रलाटमेंट हो गया । ग्रौर एक हजार बत्तीस किसान हैं, जो भूमिहीन हैं, सरकारी भूमि पर काबिज हैं, उनके ऊपर बराबर मुकदमे करके सजा दी जाती है, दंडित किया जाता है, उन लोगों को विशेष तौर से नियमों की पाबन्दी हटा कर भूमिहीन किसान हैं, उनका नियमन किया जाय ।

पशुपालकों के लिये मैंने पिछली बार भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये जिक्र किया था । उस पर मंत्री महोदय ने, जैसा भाई रामसिंह जी ने कहा किताबों के कीड़े हैं, वह वास्तव में हमारी समस्याग्रों को नहीं समझ सकते हैं । हमारे एरिया में लोग 90 प्रतिशत से ज्यादा पशुग्रों में साथ रहते हैं । रात को सोते हैं तो भी पशुग्रों में रहते हैं तो उनको ग्रानन्द ग्राता है, घर में नहीं सोते । उस एरिया में जो गोचर भूमि का प्रावधान है उसमें सिर्फ गाय के लिये ग्राधा बीघा प्रति गाय का है । हमारे वहां हजारों की तादाद में गांवों में भेड़, बकरी ग्रौर ऊंट हैं । जब ऊंट नहीं रखते हैं, तो भेड़ बकरियों के बच्चों को पानी पिलाने के लिये किसानों के पास कोई साधन नहीं हैं । ग्रलवर, भरतपुर, जयपुर, नागौर के किसान तो केवल खेती पर निर्भर हैं, उसी प्रकार बाड़मेर, जालौर ग्रौर जैसलमेर क्षेत्र के पशुग्रों के लिये, गोचर का प्रावधान विशेष रूप से होना चाहिये । राजस्थान के कानून में यह लागू होने में दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन वहां पशुपालक ग्रपनी जिन्दगी

(श्री अमीन खां)

पशुओं पर व्यतीत करते हैं, उनके लिये भेड़, बकरी, और ऊंट की गोचर में व्यवस्था होनी चाहिये।

पशुपालक लोग पशुओं पर अपना धंधा करते हैं। उनके पीछे भेड़ जिस जगह रात में बैठती है, उस जगह गाय सुबह घास नहीं चरती है। गाय भूख से मरते हुए, मजबूरन चर ले तो बात दूसरी है अन्यथा नहीं चरती है, क्योंकि भेड़ के पेशाब से गाय सूंग करती है। जहां भेड़ बैठती है, वहां गाय सुबह चरती ही नहीं है। एक गांव में हजार बीघा भूमि है तो पाच सो बीघा चरने के लिये दे दी। लेकिन मेरे जहां हजारों गायें हैं और पांच सो भेड़े हैं तो गाय क्या खायेगी। दो फसली एरिया है जहां कीमती जमीन है। हमारे यहां तो बीघा में मन अनाज भी पैदा नहीं होता है, सरकार की जो भूमि पड़ी हुई है उस जमीन में भेड़, बकरी का प्रावधान किया जाय ताकि पशु-पालक को भय नहीं हो कि हमारा धंधा समाप्त हो जायगा।

वन विभाग का भारी विस्तार किया जा रहा है। लेकिन वन विभाग की तरक्की आज आंकड़ों से देखी है। सभापति महोदया, सरकार से कहना चाहता हूं कि जो वनों की जमीन थी, कुदरती लगे हुए हैं, उसमें भी कमी हुई है। वढ़े नहीं हैं। इससे किसानों की जमीन गई वह तकलीफ में हैं और लाखो करोड़ों रुपया सरकार का खर्च हुआ मेरे समझ में नहीं आया। इतने आदमियों के रोजगार का प्रावधान है। डिपार्टमेंट कायम है। कई गजेटेड आफिसर कायम हैं। यू. डी. सी. हैं, फारेस्टर हैं उनकी संख्या रोजगार से समझें तब तो संतोष है। मगर वहां के पेड़ों को देखा जाय और किसानों के सुधार को देखा जाय तो वहां वन विभाग ने जैसलमेर बाड़मेर में परेशान किया है, सुधार नहीं किया है।

पशुओं के इलाज के लिए, जैसा भाई राम सिंह जी ने कहा, हमारा दर्द है। यह डिपार्ट मेंट, अफसर, गाड़ियां, जीपें इनसे हम लोगो को फायदा नहीं है। न हमारी तकलीफ और दर्द इनको मालूम है। हमें तो भेड, गाय के बैल, भैंस के सांड यह सब सरकार दे। चार पांच पंचायत सेन्टर पर एक पशु चिकित्सालय होना चाहिये, उसमें तमाम पशुओं के लिए दवाइयां मिलनी चाहिये। जहां जानवरों का घरघस हो जाता है, वहा वेटरनरी हॉस्पिटल खोलने चाहिये। हॉस्पिटल पास के उस एरिया में खोलने चाहिये जिस जगह हजारों पशुओं की तादाद दिखती है। मैंने देखा है, अभी हमारे इलाके में, मंत्री महोदय ने जैसा यहां बताया, हास्पिटल खुले हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। पहले पशु चिकित्सालय ऐसी जगह खोले जहां कोई पशु नहीं हैं पशुपालक नहीं हैं, सब बिजनेस मैन हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां पशु ज्यादा रहते हों वहा वेटरनरी हॉस्पिटल होना चाहिये। उसमें दवाइयों की सुविधा होनी चाहिये। डी.पी ए.पी. के तहत पाबन्दी लगी हुई है, 1032 भूमिहीन किसानों को 91 में दंडित किया जा रहा है। उनका नियमन किया जाय और अगर भविष्य में जरूरत है तो डी.पी ए पी. की पाबन्दी रखी जाय। जैसेलमेर, बाड़मेर जालौर में पशु का विशेषकर धंधा है। राजस्थान में संख्या बता दें एक हिस्से में दो तीन डिस्ट्रिक्ट के पूरे सब पशु आ जायेंगे। वहां गोचर गाय के

(144)

(श्री अमीन खां)

लिये आधा बीघा है उसमें भेड़ बकरी और ऊंट को शामिल किया जाना चाहिये। गायों को आधा बीघा छोड़ कर भेड़ बकरी ऊंट का शामिल किया जाय नहीं तो जो पशु हैं उनकी हालत खराब हो जायगी और पशुओं के बिना पश्चिमी राजस्थान में आप कितना ही विकास का काम करना चाहो, वह नहीं कर सकते, इंडस्ट्री वहां आप लगा नहीं सकते, दूसरा कारखाना वहां लगा नहीं सकते। इसलिये आज आप इसको नहीं देखेंगे तो वहां के जो लोग शांत हैं व सड़कों पर राजनैतिक सहारा लेकर नारेबाजी में आ जायेंगे। इसलिये मेरा सुझाव है कि आप मेहरबानी करके पशुओं के लिये जमीन का विशेष रूप से इंतजाम करें और जो भूमिहीन किसान हैं उनको जो नियमन 1-1-75 से रोका गया है उसको मेहरबानी करके अमल कराया जाय। इतना ही कह कर मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री कनकराज।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर) : सभापति महोदया, मैं आपके सामने माग संख्या 8 पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरा निवेदन यह है कि हमारे इलाके में काफी अर्से से राजस्व भूमि पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं उन मुकदमो की पैरोकारी के लिये राज्य की तरफ से कोई व्यवस्था न होकर जो नायब तहसीलदार, तहसीलदार होते हैं जिन्हें न तो कानून का ज्ञान होता है, न उन्होने कभी मुकदमों में पैरोकारी की है उनको कैसे मुकर्रर कर दिया जाता है ? और जो 91 मुकदमे दर्ज किये जाते हैं, उनमें अमूमन देखा गया है यह जमीन या तो गोचर होती है, यहां पड़त होती है। आज रेवेन्यू कानून बने 25 साल हो गये लेकिन अभी तक न तो 91 लैंड रेवेन्यू एक्ट मुकदमों का अन्त आया है, न नियमन किया जा रहा है। आज 25 साल से 91 के केसेज पड़त, गोचर पर चलाये जा रहे हैं तो क्या कारण है कि इनसे छुड़ाई गई जमीन राज्य सरकार को प्राप्त हुई या नहीं ? अगर हुई है, तो उसकी व्यवस्था राज्य की तरफ से किस ढंग से की जा रही है यह भी कोई आंकड़े राज्य सरकार के पास प्राप्त नहीं हो रहे हैं। मेरी मान्यता है कि ये जो मुकदमे चलाये जा रहे हैं इनकी न तो कोई कानूनी व्यवस्था है, न कानून की परिपाटी राज्य सरकार द्वारा ले आउट की गई है न उनकी पालना की जा रही है। रेवेन्यू अधिकारी मौके पर मिसलें लेकर जाते हैं, न तो 91 का मुकदमा बनाया जाता है न मौका देखते हैं, न नाप होता है, न नक्शा होता है और बताया यह जाता है कि इस भूमि पर 91 का मुकदमा चलता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह कार्यवाही रेवेन्यू अथोरिटी अपने मनमाने ढग से कर रही है और इससे क्या होता है, गरीब काश्तकार का शोषण होता है और उनसे पैसा लिया जाता है। तो मेरी मान्यता है कि जो पड़त भूमि है, गोचर भूमि पर क्या राजस्व अधिकारियों को पूरी तरह से छूट दी जाय कि वे मनमाने ढग से एक्सप्लाइटेशन काश्तकारों का करें और मनमाने ढंग से ई सालों से जो मुकदमे चल रहे हैं उनका फैसला नहीं करते हैं और कई सालों से मुकदमे चलते हैं उनको रेगूलराइज नहीं करते हैं न निर्णय करते हैं। तो यह बहुत बड़ी समस्या है, और जो असिस्टेंट कलेक्टर हैं उनको यह

(श्री कनकराज मेहता)

कार्य सौंपा गया है, वे उन मुकदमों का निर्णय करते हैं। समझ में नहीं आता कि किस ढंग से ये मुकदमे किये जाते हैं।

कभी कभी ऐसा होता है कि जो पट्टा गोचर भूमि का देते हैं उनसे रेवेन्यू अधिकारी सांठ गांठ कर लेते हैं और उस सांठ गांठ के आधार पर अपनी जेब गर्म करके खातेदारी अधिकार दिये जाते हैं। राजस्व रिकार्ड में लिखा हुआ है कि यह गोचर भूमि है, नाड़ी भूमि है या पड़त भूमि है। क्या गोचर व नाड़ी का पट्टा दिया जाता है? तो सभापति महोदया, यह एक ऐसी अव्यवस्था है जिसकी तरफ न तो रेवेन्यू आथोरिटीज का ध्यान गया है, न इंस्पेक्शन होता है न सरकार के ध्यान में लाया गया है। यदि आज नाड़ी की जमीन आप मान रहे हैं तो वह कई सालों से पड़त होनी है और गोचर होती है वह बड़ी कीमती होती है काश्तकार उसको खरीदने के लिये चाहे जितना पैसा अधिकारी मांगते हैं वह दे देता है लेकिन राज्य को क्या प्राप्त होता है? मैं तो यह मानता हूं, राज्य को एक पैसा भी प्राप्त नहीं होता। वे अधिकारी लोग, जो कि इस भूमि का नियमन करते हैं या खातेदारी देते हैं, सारा पैसा उनकी जेबों में जाता है और ऐसे निर्णयों की समय पर अपील भी नहीं होती। कारण उसका यह है कि ऐसे मुकदमों की जो पैरोकारी की जाती है वह नायब तहसीलदार करता है या तहसीलदार करता है जो असिस्टेंट कलेक्टर के मातहत होते हैं वह उनके सामने न कुछ कह सकता है न उनकी बात काट सकते हैं, और समय पर अपील भी नहीं होती।

मेरे इलाके में कम से कम 100-150 मुकदमे गोचर भूमि, पड़त, भूमि और नाडी की भूमि के निर्णित हुए हैं जिनमें आज तक न तो समय पर अपील हुई है और अपील भी हुई है तो 5-7 केसेज में हुई है। राज्य सरकार गुपचुप बैठी है तो क्या उसने सांचोर तहसील में ऐसे अधिकारियों को छूट दे रखी है कि तुम इलाके में जाओ और मनमाने तरीके से फैसला कर अपनी जेबों में पैसे रखो? मेरे खयाल से यह काश्तकारों के हित और राज्य के लिये बड़ा विचारणीय विषय है, मुझे बड़ा अफसोस है, कि इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और अमूमन यह होता है कि जो 91 के मुकदमे होते हैं उनका न तो कहीं इन्द्राज होता है, न पेशी रजिस्टर मेन्टेन किया जाता है न इस प्रकार के जो निर्णय होते हैं उनकी जमीन कितनी राज्य सरकार को प्राप्त हुई और उस जमीन की किस ढंग से व्यवस्था की गई। मेरे खयाल से इस पर राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं देती है, काश्तकारों के शोषण को रोकने हेतु सेक्शन 91 है उसको बिलकुल खतम किया जाय काश्तकारों का जिस ढंग से कब्जा है उसको नाप करके उनका नियमन करके उसे काश्तकारों का दी जाय तो मेरे खयाल से काश्तकारों में खुशहाली आयेगी और 91 के कानून से जो काश्तकारों का शोषण किया जा रहा है वह बन्द हो जायगा।

एक बात और है, हमारे यहां पर पैमाइश काफी अर्से से नहीं हुई है और कई चक बहुत बड़े बड़े हैं जिनके अन्दर भूमि लीजों को आवंटन किया गया है लेकिन उस जमीन के जो भूमिहीन काश्तकार हैं उन्हें आज तक कब्जे नहीं मिले हैं। जो जागीरदारों की

(146)

(श्री कनकराज मेहता)

सीलिंग में भूमि को छुड़ा कर आवंटन किया जाता है उस पर उनका कब्जा नहीं हो पाता है और इस कारण से काश्तकार मारे मारे फिरते हैं। न तो म्युटेशन होता है न मौके पर जाकर पटवारी कब्जा दिलाने के लिये तैयार होता है। इसके अलावा उनको जो जमीन बताई जाती है वह ऐसी जमीन बताई जाती है जो खेती के उपयोगी नहीं होती, खड्डे की जमीन होती है या बिलकुल बेकार होती है जिसके ऊपर खेती नहीं की जा सकती। ऐसी जमीन का आवंटन किया जा रहा है। इस तरह से काश्तकारों का शोषण हो रहा है इसको बन्द करने की व्यवस्था नहीं की गई तो ये आवंटन कागजों तक ही सीमित हो जायेंगे और भूमिहीन को भूमि देने की जो व्यवस्था है वह बिलकुल खतम हो जायेगी।

तो मेरा निवेदन है कि बड़े बड़े चक सांचौर तहसील में हैं उनकी जल्दी से जल्दी पैमाइश करके फिर आवंटन किया जाय और मुकदमों में जो अधिकारी इस तरह की अनियमितताएं करते हैं, और सरकार के विरूद्ध निर्णयों की समय पर अपील नहीं होती, तो जिस अधिकारी ने अपील नहीं की उसको पूछा जाय कि उसमें उनका क्या रहस्य है, ऐसी मिलीभगत जो है अधिकारियों की है उसे चैक किया जाना बहुत जरूरी है। इस पर चैक नहीं किया जायगा तो राज्य को बराबर नुकसान होता रहा है और होता जायगा। इस व्यवस्था को चैक करना मेरी राय में बहुत उपयुक्त है। राजस्व अधिकारी यहां बैठे हैं मैं उनको कह रहा हूं कि मेरे यहां पर 100-200 मुकदमे हुए हैं लेकिन आज तक न तो उनकी छानबीन की गई न कोई लेखा जोखा है, न कोई व्यवस्था है, न कोई अधिकारियों पर अंकुश है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध एक्शन लिया जाना बहुत जरूरी है अगर एक्शन नहीं लिया जायगा तो उनकी हिम्मत बढ़ेगी और यह शोषण चलता रहेगा। जो बड़ी बड़ी पड़त भूमि, गोचर व नाडी की भूमि है उसके ऐसे बेचान के जो गैर कानूनी तरीके किये हैं उनसे राज्य का भी नुकसान होगा।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : माननीय सभापति महोदया, आज राजस्व, कृषि और पशुपालन की मांगों पर विचार हो रहा है। 80 प्रतिशत किसानों से इसका सम्बन्ध है। ग्रामीण क्षेत्र से इसका सम्बन्ध है और इस विषय पर काश्तकार वर्ग के लोगों, गांव में रहने वाले लोगों को समय और मौका दिया जाय तो वे वहां के क्षेत्र वे लोगों की भावना और जो खामियां हैं उस ओर सरकार का ज्यादा ध्यान आकर्षित कर पायेंगे....

(1·20 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

राजस्व अभियान आने वाले टाइम में शुरू किया जाने वाला है जिसमें काश्तकारों पर जो पुराने मुकदमे हैं, उलझे हुए हैं उनको नियमित करने के लिए यह अभियान चलाया जाता है। मगर सरकारी अधिकारी इस काम को उस भावना और तत्परता से नहीं निपटाने की कोशिश करते हैं कभी ऐसी कोशिश नहीं करते हैं। अगर निपटाने की कोशिश की जाय तो यह मामले नहीं रहे। बार बार

(श्री महाराम चौधरी)

राजस्व अभियान चलाने की जरूरत नहीं रहे। पहले कांग्रेस सरकार ने यह अभियान चलाया था, जनता सरकार ने चलाया था और इस वक्त के जो राजस्व के मामले हैं काश्तकारों के साथ वे यों के यो उलझे पड़े हैं। डी.पी.ए.पी. का कर्यक्रम जिन जिलों में घोषित किया गया है, जहां पर यह विकास कार्यक्रम चलते हैं उनमें तो और यह बन्दिश लगा दी है की उन क्षेत्रों के अन्दर जहां पर डी. पी. ए. पी. के कार्यक्रम चलते हैं सवा छः बीघा से ज्यादा जमीन, चाहे भूमिहीन हो, चाहे कैसी हो, चाहे पुराना कितने ही अर्से का कब्जा चला आ रहा है, पहले से उलझा हुआ हो, उसको निपटाने के अन्दर सरकार ने एक प्रतिबन्ध लगा दिया है। अतः राजस्व मंत्री महोदया से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह सरकार की तरफ से आदेश निकाला गया है, इस आदेश के सम्बन्ध में आप पूरी जांच करावें, 14–11–1978 को डिप्टी सैक्रेटरी रेवेन्यू ने यह आदेश निकाला है। इसको आप स्वयं देखें। वहां पुराने कब्जे के हिसाब से उलझे हुए मुकदमे हैं उनको आप सुलझावें।

सीलिंग कानून कितने अर्से पहले बना था लेकिन आज तक किसी तरह की कार्यवाही नहीं की जा रही है। पिछले समय के अन्दर सीलिंग सीमा के अन्दर जितने भी मुकदमे निपटाये गये थे, उन सब को जनता पार्टी के राज में वापस खोल दिया गया है। यह कतई ध्यान नहीं दिया गया कि वाजिब कौनसा है और गैर वाजिब कौनसा है? वाजिब और गैर वाजिब मामलों को भी, जो वाजिब केस थे, जो निपट गये थे, उनको भी साथ कर दिया है क्योंकि बहुत से जागीरदारों के खिलाफ इस तरह के सीलिंग कानून की सीमा में जमीन जा रही थी, उनको उलझाया गया है।

व्यवस्था का प्रश्न
विभाग के प्रगति विवरण का
सदस्यों को वितरण

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय सभापति महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो राजस्व की मांग पर चर्चा हो रही है उसका 1980–81 का प्रगति विवरण अभी भी नहीं मिला है। राज्य सरकार इसको कब देगी? इसके बाद देगी? मैंने पहले भी यह व्यवस्था चाही थी कि यह प्रगति विवरण पहले ही दे दिया जाय किन्तु अभी तक यह वितरित नहीं किया गया है। यह इस सचिवालय के पास भी नहीं आया है। यह क्या व्यवस्था है? इस ओर व्यवस्था दें।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : सभापति महोदया, विभाग से यह भेज दिया गया है। हो सकता है वितरण के अन्दर गलती हुई हो। मैं मालूम करके इस बारे में बता देती हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आग्रह करूंगी कि जितनी जानकारी प्राप्त करनी चाहिये थी इधर उधर से डे, थे तक मैंने मालूम किया, जहां तक मेरी जानकारी है, राजस्व विभाग की प्रगति रिपोर्ट इस सचिवालय को नहीं मिली है। मंत्री महोदय

(१४८)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

ने जैसा कहा वे जानकारी कर लें। यह सरकार से नहीं आई है।

श्री सभापति : विभागीय विवरण सरकार को निश्चित समय पर उपलब्ध करा देना चाहिए। इस विषय में सरकार को कहा जाय।

श्रीमती कमला : यह काफी समय पहले भेज दी गई है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सभापति महोदया, यह मांग 24 तारीख को ली जाने वाली थी....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदया आप पूछवा लें।

श्रीमती कमला : सभापति महोदया, मांग को रखे जाने बावत सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय किया है। यह कोई जबर्दस्ती आज के दिन नहीं रखी गई है...

श्रीमती उजला अरोड़ा : कई मुद्दे हैं। इसकी प्रगति रिपोर्ट नहीं आई है। आप मंत्री महोदया सरकार से जानकारी प्राप्त करलें। अब भी मिल जाय तो उसकी दो-चार लाइन मैं पढ़ लूं।

श्री सभापति : समय पर सूचना भिजवाने की व्यवस्था कर दें। इस पर सरकार ध्यान दे।

माननीय श्री महाराम चौधरी।

मांग संख्या 8, 37 व 39 पर विचार

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदया, सीलिंग कानून के सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा था। इस तरफ विशेष ध्यान दें। इससे जो बहुत से 50 के पहले के जो काश्तकार थे, उनके केसेज को रिओपन किया गया है। 60–70 साल के जो आदमी थे, बाप, दादा, पड़दादा की जमीन थी, बेटों के नाम नामान्तरण नहीं की जा सकी, उन आदमियों को नोटिस दे दिया गया। इसलिए किसानों को परेशानी हो रही है। उनके पास सीलिंग सीमा से ज्यादा जमीन है और पांच-पांच बेटों में यह दे दी जाती है पांच-पांच बीघा तो यह केसेज रि-ओपन करने का समझ में नहीं आया है। यह इसलिये किया गया कि उस वक्त कांग्रेस शासन के समय जो मुकदमे निपट गये थे, और जो थोड़े से मुकदमें रह गये थे, वे जागीरदारों के खिलाफ ही रह गये थे। इनकी और संख्या इकट्ठी करने से वह भी उलझ गये हैं और वैसे के वैसे रह गये हैं। इससे किसानों को परेशान कर दिया गया है। जिनका फैसला होना चाहिए था, उनका फैसला न होकर जमीन को और उलझा दिया है...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

यह व्यवस्था का प्रश्न भी क्या इसमें शामिल कर दिया है।

श्री सभापति : संक्षेप में कहें।

श्री महाराम चौधरी : संक्षेप में कहूंगा। मैं छोटी और सीधी बात कहना चाहता हूं चिकनी चुपड़ी बात करने की मेरी आदत नहीं है। आपके जिला लेवल पर,

(श्री महाराम चौधरी)

एस. डी. ग्रो. लेवल पर नियमन करने के लिये कोई कमेटी नहीं है। उनको ग्रादेश जारी करावें जिससे कि मुकदमे निकल जाय।

पशुपालन ग्रौर एग्रीकल्चर इन दोनों का ग्रापस में गहरा सम्बन्ध है ग्रौर 80 प्रतिशत कृषि, पशुपालकों की समस्या रोज ग्राती है। मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों की काफी समस्या सुलझ जायगी। ग्रापके यह जो कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र हैं यह सारी जो विकास योजनाएं हैं, इन पर जो खर्चा सरकार की तरफ से किया जाता है, वह ग्रधिकारियों तक ही सीमित रह जाता है। इससे कोई विशेष फायदा नहीं होता है। मेरे गांव में यह कार्यक्रम तीन साल से चल रहा है। नागौर में चल रहा है लेकिन किसी भी गांव में कृत्रिम गर्भाधान से बछड़ा नहीं हुग्रा है। इस योजना के ग्रन्दर बछड़ों की जो फिगर दी गई है, वह ग्रांकड़ा गलत है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में समाप्त करें।

श्री महाराम चौधरी : डेयरी विकास कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत जो योजनाएं चलती है श्वेत क्रांति के लिये, वह काश्तकार ग्रौर पशुपालकों के लिये हित में नहीं हैं। मेरे खुद के गांव में, ग्रासपास के गांव में, जिसको ठीक समझ कर शुरू कराई थी, लेकिन जो सरकारी ग्रधिकारियों का काम है, वे इसमें कोई दिलचस्पी लेकर काम नहीं करना चाहते हैं। उनमें से ग्रधिकतर जो ग्रधिकारी हैं, पशु डाक्टर हैं उनको पशुग्रों के इलाज के लिये गांव में जाना चाहिये, कहीं भी सहकारी समिति में वे ग्राज तक नहीं गये हैं। सहकारी समितियों के मार्फत सहकारी विभाग को खतम कर दिया गया है। इसके ग्रन्दर डालने से लोग ग्रौर भड़कने लगे हैं

श्री सभापति : ग्रब समाप्त करें।

श्री महाराम चौधरी : एक बात कहना चाहता हूं। कृषि विभाग ग्रौर पशुपालन विभाग के ग्रन्दर जो ग्रधिकारी काम करते हैं, वे भावना से, तत्परता से ग्रामीण क्षेत्र के ग्रन्दर काम करने की इच्छा नहीं रखते हैं। इस विभाग के ग्रन्दर, शिक्षा के ग्रन्दर शुरू से ही काश्तकारों, गांव में रहने वाले ग्रादमी जो कम्पीटिशन में नहीं ग्रा सकते हैं।

कोई विशेष जिम्मेदारी या कुछ ऐसा नियम बना दे जिससे इन संस्थाग्रों में शिक्षा देने के लिये उस क्लास में ज्यादा ग्रा सकें तो किसानों को उस क्षेत्र में काम करने के लिये ग्रौर ज्यादा विकास की व्यवस्था हो सकती है। बस यही कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री हेमाराम

श्री हेमाराम चौधरी : (गुढामालानी) सभापति महोदया, मैं पहले राजस्व के बारे में मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे बाड़मेर जिले के ग्रन्दर कुल पांच तहसीलें हैं जिसमें बाड़मेर तहसील इतनी बड़ी है कि शायद राजस्थान के ग्रन्दर उतनी बड़ी कोई दूसरी तहसील नहीं होगी, बाड़मेर तहसील क्षेत्रफल ग्रौर जनसंख्या दोनों की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी तहसील है। बाड़मेर तह-

(श्री हेमाराम चौधरी)

सील का जो क्षेत्रफल है वह ग्रामीण क्षेत्रों में 12 हजार 25 और नगरीय क्षेत्र में 10.3 कुल 12 हजार 33 वर्ग किलोमीटर है कुल इसका क्षेत्रफल ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : बहुत बड़ा है ।

एक माननीय सदस्य : जैसलमेर जिले का होगा ।

श्री हेमाराम चौधरी : बाड़मेर तहसील में कुल 385 गांव हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़े गांव हैं । बाड़मेर तहसील जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ी है । ग्रामीण क्षेत्र में 3 लाख 23 हजार 243 व नगरीय क्षेत्र में 38 हजार 830 कुल मिलाकर 3 लाख व 61 हजार 873 जनसंख्या है। यह 1971 की जनगणना के अनुसार है और जो आज की जनसंख्या है वह तो अलग है

एक माननीय सदस्य : अरे भाई जैसलमेर जिले का होगा ।

श्री हेमाराम चौधरी : नहीं तहसील के हैं । बाड़मेर जिले की कुल जनसंख्या का 43.6 प्रतिशत बाड़मेर तहसील में है और बाड़मेर में कुल पांच तहसील हैं । तो बाकी में 56.3 प्रतिशत जनसंख्या रहती है । तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि अन्य तहसीलों की अपेक्षा बाड़मेर तहसील कितनी बड़ी है ।

एक माननीय सदस्य : आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री हेमाराम चौधरी : मैं कहना यह चाहता हूं–इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन है कि बाड़मेर तहसील को कम से कम दो भागों में विभक्त किया जाय और बाड़मेर की दो तहसीलें कायम करें जिससे कि दूर-दूर से 100–100 किलोमीटर से तहसील के काम के लिये आना पड़ता है उसको कम दूरी पर जाना पड़े और किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके । इसलिये निवेदन कर दूं कि इस वर्ष के बजट में जो नयी तहसीलें खोलने का प्रावधान किया गया उसका लाभ मेरे जिले को भी मिले ।

एक और मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा जैसा कि मेरे साथी अमीन खां ने निवेदन किया कि राजस्थान के जो 1/1/75 से पहले से काबिज थे सरकारी जमीन पर काबिज थे, अतिक्रम थे उनका किसी तरह नियमन करने के लिये सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला था लेकिन इसके अन्दर बाड़मेर जैसलमेर दो और जिले हैं वहां पर इसको रोक दिया गया और 1/1/75 के नियम को बन्द कर दिया गया । राजस्थान के अन्दर कानून बनाया नोटिफिकेशन निकाला लेकिन उसको हमारे जिले में लागू नहीं किया गया जैसलमेर और बाड़मेर जिले के लोगों पर लागू नहीं किया गया । मैं चाहता हूं कि हमारे इन किसानों के साथ, जो भूमिहीन हैं और जो 75 से पहले से काबिज हैं । और काश्त कर रहे हैं उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है । इस ओर मंत्री महोदय ध्यान दें और सभी जिलों के काश्तकारों को जो लाभ मिल रहा है वह लाभ हमारे काश्तकारों को भी दें । मैं चाहता हूं कि हमारे साथ भी न्याय हो ।

(श्री हेमाराम चौधरी)

एक और मंत्री महोदय निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को एक बड़ी भारी तकलीफ होती है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्दर जो बन्धन है कि किसान अपनी जमीन को छोटे छोटे टुकड़े करके नहीं बेच सकता है उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो सीमा है उसको या तो बढ़ाया जाय या फिर बिलकुल समाप्त किया जाय। सरकार भी, जो भूमिहीन किसान हैं, उनको भूमि अलाट करती है किसी को पांच बीघा किसी को दस बीघा भी आवंटित करती है तो जिस गरीब किसान को आप भूमि नहीं दे सकते हैं और अगर कोई गरीब किसान अपने पैसे से खरीद कर खेती करना चाहता है तो वह खरीद नहीं पाता है। जमीन की कीमत बढ़ गई है बाड़मेर जिले की बात करता हूं वहां पर 300 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की कीमत है। जमीन है परन्तु वह ज्यादा तो खरीद नहीं सकता है और कम वह कानून के कारण खेती करना चाहता है तो भी खरीद नहीं पाता है। ज्यादा पैसा तो उसके पास है नहीं कि वह 50 बीघा का खेत खरीद सके हमारे यहां पर 50 बीघा की सीमा है। वह कम खरीदना चाहता है क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं इसलिए वह खरीद नहीं पाता है। यही नहीं कोई आज से पहले की बात भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज से पहले हजारों किसानों ने इस तरह की जमीन खरीद ली, किसानों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि 50 बीघा से कम जमीन खरीद सकते हैं या नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदया, थोड़ा टाइम दें। किसानों को जानकारी नहीं थी किसान अनपढ़ हैं और पढ़ नहीं सकता है वह तो खेतों में काम कर सकता है कानून नहीं जानता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि मैं खुद वकील हूं और मैंने सात आठ साल तक वकालात की है लेकिन इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है तो वकीलों को भी ध्यान नहीं है इस तरह के कानून की तो काश्तकारों को कैसे हो सकती है ? नहीं हो सकती किसानों को तो हिन्दी पढ़ना भी नहीं आता है उसको कानून की जानकारी नहीं होती है। अगर इस तरह की सीमा थी तो यह सब रजिस्ट्रार की ड्यूटी थी कि वह रजिस्ट्री ही नहीं करता आखिर उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी थी कि इस तरह की कानूनी रुकावट है। हजारों लोगों ने खेत खरीद लिये और आज सरकार ने 1975 के राजस्थान खातेदारी नियम के तहत उनको बेदखल कर दिया है और आज भी करना जारी है। इस तरह से वह जमीन न बेचने वालों की रही है और न खरीदने वालों की रही अब उसका मालिक सरकार बनना चाहती है, कई मामलों में आदेश जारी कर दिये हैं उस जमीन को खालसा घोषित कर दिया है और सरकार ने ले लिया है। मैं कहना चाहता हूं कि जो अन्याय नहीं जानते हैं उनके साथ भारी अन्याय हो रहा है। इसलिये व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर इसको देखें। जो कम से कम स्पष्ट है कि रजिस्ट्रार की भी गलती है उसको भी पता नहीं है कि ऐसा कानून है। इसलिये सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस तरह की जो सीमा है उसको

(श्री हेमारामचौधरी)

समाप्त किया जाय और जो 50 बीघा की सीमा है उसको घटाकर 20 या 10 बीघा किया जाय। गरीब किसान ही नहीं खरीद सकते हैं पैसे वाले तो खरीद सकते हैं 200-300 बीघा भी खरीद सकते हैं जिनके पास 2 बीघा जमीन नहीं है, पैसा नहीं है वे 10-10 बीघा लेकर अपना जीवन यापन करना चाहते हैं तो फिर सरकार भी इसको सही मानती है स्वयं भी। 10-20 बीघा से कम हजारों अलाटमेंट हमारे यहां भी हुये हैं और दूसरी जगहों पर भी हुये हैं जब सरकार दे सकती है तो किसान ले सकते हैं लेकिन पैसे से नहीं खरीद सकते हैं इस तरह की बात है इसकी ओर आप विशेष ध्यान दें यही मेरा आपसे निवेदन है।

पशुपालन के बारे में मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि हमारे बाड़मेर और जैसलमेर में राजस्थान के अन्दर पशुओं की संख्या ज्यादा है। इसलिए पशुओं के अस्पताल ज्यादा से ज्यादा गांवों के अन्दर खोलें डाक्टर नहीं, मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है कि कम्पाउण्डर ही दें, हर 20-20 किलोमीटर की दूरी को ध्यान में रखते हुये दे दें तो किसानों को भारी राहत मिल सकती है। किसान के पशु मरने से बच सकते हैं कई बार पशु बीमार हो जाता है तो डाक्टर नहीं जाता है वह कम्पाउण्डर को भेज देता है और पशु बच जाता है यह मेरा प्रेक्टिकल अनुभव है इसलिए ज्यादा हॉस्पिटल नहीं खोलें तो कोई बात नहीं है एडहाक पोस्ट आप 20–20 किलोमीटर की दूरी पर एक कम्पाउण्डर लगा दें तो पशुओं को बचाया जा सकता है। इससे किसानों को ज्यादा राहत मिलेगी। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री छोगा राम।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया का ध्यान अपने कुछ सुझावों के माध्यम से कृषि और पशु-पालन के बारे में आकर्षित करना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं सिरोही जिले में कृषि के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे यहां सिरोही में अनुसूचित जाति के 40 पर्सेन्ट लोग हैं और 90 पर्सेन्ट गरीब तबके के लोग हैं। यह बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। उसके अलावा उनकी माली हालत बहुत कमजोर है। मैं सरकार से सर्वप्रथम निवेदन करूंगा कि अनुसूचित जाति और गरीब तबके के लोगों को बीज खरीदने के लिये सब्सिडी दी जानी चाहिये और मैक्सिमम सब्सिडी के तौर पर उनको बेनीफिट दिया जाना चाहिये। यह प्रावधान आप सिरोही डिस्ट्रिक्ट के लिए विशेष तौर पर करें। और राजस्थान में सभी जगह यह बेनीफिट दिया जावे ताकि किसान ऊंचा उठ सके और ज्यादा से ज्यादा पैदा कर सके और उसका लाभ हमको मिल सके। ताकि कृषि के लिये राजस्थाज अग्रसर हो सके।

दूसरा, मेरा सुझाव है कि कृषि के जो औजार लाये जाते हैं वे किसानों को सब्सिडी-डाइज्ड रेट्स पर दिये जाने चाहिये। जिससे गरीब किसानों को फायदा मिले और गरीब किसानों को यदि आप छूट देंगे तो वे अच्छे औजार खरीदकर खेती में तरक्की कर सकते हैं और अच्छे प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय

(श्री छोगाराम बकोलिया)

का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं वे अपनी तरफ से यह छूट दिलाने की घोषणा करें।

फ्रूट्स प्लान्ट की तरक्की के लिए सिक्स्थ प्लान में प्रावधान रखा गया है। मैं निवेदन करूंगा कि 1981-82 में इस ओर ध्यान देवें और फ्रूट्स प्लान्टेशन के डवलपमेंन्ट के लिए मैक्जीमम सब्सिडी की घोषणा करके विशेष ध्यान देवें।

इसके साथ ही मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हू कि एग्रीकल्चर पर कभी अकाल के कारण से और कभी दूसरे कारणों से फसल को नुकसान पहुचता है। पिछले सदन में भी इसकी पुरजोर मांग की गई थी इस बार भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फसलों के बीमा करने की योजना शुरू की जावे जिससे कि किसानों को लाभ मिले। इस कार्यवाही को करने से पूर्व में आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि विद्युत बोर्ड में फसल होने से पहले नोटिस दिया जाता है कि कितने समय तक बिजली अवेलेबल होगी। ऐसी सूरत में सारे किसानों को, जिनको विद्युत की कमी के कारण नुकसान उठाना पड़ता है, मुआवजा दिलाया जाय, यह मैं आपसे प्रार्थना करता हूं।

इसके अलावा मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर के मामले में थोड़ा बहुत आगे बढ़ना चाहता है। ऐसी सूरत में राजस्थान में एग्रीकल्चर कालेज खोले जा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट में भी एक एग्रीकल्चर कालेज खोला जाय, बॉर्डर एरिया होने के नाते, गुजरात और अन्य जिलों के लोगों को इससे फायदा होगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इसलिए ऐसी सूरत में मेरी मांग है कि एक एग्रीकल्चर कालेज सिरोही में खोला जाय।

इसके अलावा एग्रो–इण्डस्ट्री को काफी एडवान्स मिल रहा है उसमें कई टेक्नोक्रेट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और उसमें टेक्नोक्रेट्स के लिए 384 एग्रो सेन्टर्स सेट अप किये हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि ये 384 एग्रो सर्विस सैन्टर्स वास्तव में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं? यदि नहीं, तो मन्त्री महोदया इसकी निगरानी करें और विशेष मदद देकर इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें ताकि जो टेक्निकल पर्सन्स आते हैं उनकी मदद मिलने से आगे बढ़ सकें।

(1.44 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

इसके साथ साथ मैं सिरोही डिस्ट्रिक्ट के लिए एक निवेदन करना चाहता हूं एग्रीकल्चर के बारे में चूंकि राजस्थान में कभी शिड्यूल्ड ट्राइब्स को, कभी शिड्यूल्ड कास्ट्स को या कभी जिनमें हर तरीके का पिछड़ापन होता है इनमें से हर एक को ऊंचा उठाये जाने के लिए प्रयत्न किया जाता है। मैं आपके माध्यम से उस क्षेत्र, जहां मैक्जीमम किसान लोग रहते हैं, की ओर माननीय मन्त्री महोदया का ध्यान दिलाना चाहता हूं, उनके

(श्री छोगाराम बकोलिया)

नाम हैं बाड़मेर, जैसलमेर, और बीकानेर जो कि डेजर्ट एरिया हैं, लू चलती है और किसानों को कोई तरह की फसल अच्छी तरह से नहीं मिल पाती है और ऐसे हिसाब से रहते हैं कि उनके लिये जीवन व्यतीत करना दुर्लभ होता है। ऐसी स्थिति में उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और चूंकि दूसरी जगह प्रिविलेज देकर लोगों को ऊंचा उठाया जा सकता है और वे लोग इससे वंचित रह जाते हैं इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उन लोगों को जो हार्डशिप से जीवन व्यतीत करते हैं, उनको विशेष प्रावधान के तौर पर अनुदान दिया जाय ताकि वे लोग अपने आपको ऊंचा उठा सकें और बराबर की लेवल पर स्टेटस को मेन्टेन कर सकें।

इसके अलावा मैं पशुपालन के बारे में कुछ अपने विचार रखना चाहता हूं। वह यह कि हमारे सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पास ही में रानीवाड़ा क्षेत्र है जहां पर डेयरी का कार्य चल रहा है लेकिन सिरोही में पशुओं की बहुत कमी रहती है, ऐसी सूरत में मै माननीय मन्त्री महोदया से आपकी मार्फत यह निवेदन करूंगा कि सिरोही जिले में अधिक से अधिक पशुपालन हो सके उसके लिए लोनिंग का ज्यादा से ज्यादा प्राविधान किया जाए। अभी हो तो रहा है लेकिन बहुत ही कम हो रहा है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदया से निवेदन करूंगा कि इस तरफ विशेष ध्यान देवें ताकि गाय और भैंस मैक्जीमम खरीद सकें और श्वेत क्रान्ति पाइन्ट आफ व्यू से अच्छा लाभ मिल सके।

इसके साथ ही मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं हमारे यहां पर पशु चिकित्सालयों की बहुत कमी है, उसके साथ साथ पशु चिकित्सकों की भी कमी है। मेडिसिन नहीं होने से और चिकित्सकों की कमी के कारण से पशुओं को समय पर अटेन्ड नहीं किया जाता है और कई पशु मर जाते हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेडिसन की बहुत कमी रहती है या तो उनको उपलब्ध नहीं कराई जाती या बाजार में बिकती है, इस ओर भी मैं माननीय मन्त्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इस तरफ विशेष ध्यान दिलावें। यदि मेडिसन की कमी है तो उनको उपलब्ध कराई जावे और यदि बाजार में बिकती है तो उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। पशुओं के लिए मैक्जीमम मेडिसन दी जाय जिससे गरीब लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके और नस्लों में सुधार हो सके।

इसके साथ ही मैं कैटल फेयर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में भी इसके लिए प्रोविजन रखा गया है। इस तरफ अगर ध्यान नहीं दिया जायगा तो अच्छी नस्ल की जो गायें हैं उनमें सुधार नहीं हो सकेगा और पशु पालन करने वालों को पूरा लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी सूरत में विशेष तौर से कैटल फेयर किया जाय ताकि नागौरी बैल, मालानी घोड़े, राठी और थर पारकर की गायें, सिरोही और मारवाड़ी ब्रीड की बकरियां के लिए अगर अच्छी तरह से कैटल फेयर करेंगे तो सबको पूरा दाम मिल सकता है और मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस ओर वे

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

विशेष तौर से ध्यान देवें और इसके लिए जो 1.50 लाख इस साल प्रोविजन है मेरे खयाल से सिक्स्थ प्लान में था, वह इस बजट में नहीं लिया गया है, उसको दिलाया जाय ताकि फायदा हो सके।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है एक्स्टेन्शन की विलेज स्कीम कई जगह चल रही है और कहीं पर बहुत ही कम। ऐसी सूरत में यह निवेदन करूंगा कि इस प्रोग्राम को थ्रू आउट राजस्थान में एक्सटेन्ड करके ट्राइबल में भी लागू करें। अभी तो केवल आबू रोड में चल रही है लेकिन उसमें भी भवन निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ और न होने जा रहा है उसके दफ्तर भी बाहर लगा रहे हैं और अननेसेसरली पैसा दफ्तरों पर वेस्ट होता है और वहां पर कान्ट्रेक्टर काम पूरा नहीं करना चाहता है तो विशेष तौर से कम्पेल करके पूरा करायें ताकि उन्नत औजार वहां पर लाए जा सकें और पशुओं की नस्ल सुधारी जा सके।

छठी योजना में पशुपालन जो प्रपोज्ड है उसके अनुसार देखा जाय तो वेटरनरी ग्रेजूएट्स की कमी रहेगी क्योंकि छठी योजना में 657 वेटरनरी ग्रेजूएट्स की आवश्यकता है लेकिन उस दौरान हम केवल 60 प्रतिशत ही पूर्ण कर सकेंगे। ऐसी सूरत में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक वेटरेनरी डाक्टर्स को तैयार कराया जाय ताकि केवल 60 प्रतिशत ही नहीं सेंट परसेंट पूर्ति हो सके। और मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान इस साल दिया जाये ताकि आने वाले सालों में इसकी पूर्ति हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल जैन।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता है क्योंकि 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है और आजादी के 30 वर्ष बाद भी आज किसान की क्या स्थिति है वह आप और हमसे छिपी हुई नहीं है। उनकी कई समस्यायें हैं जो माननीय सदस्य किसान परिवारों से आए हैं, उनकी समस्याओं पर ठीक प्रकार से चरित्र चित्रण कर सकते हैं। मेरा तो इस संबंध में केवल एक ही निवेदन है और मैं अपने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से अलवर के अंदर वर्तमान जिला कृषि अधिकारी हैं, उन्होंने अपने 20 साल के कार्यकाल में किस प्रकार की अनियमिततायें अपने विभाग में बरती हैं, उनमें से कुछ बातें मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारे वर्तमान जिला कृषि अधिकारी श्री शिव सिंह गत 20 साल से अलवर के कृषि विभाग में कार्य कर रहे हैं। अलवर जिले के अलावा राजस्थान का और कोई हिस्सा अपने 20 साल के कार्यकाल में नहीं देखा है। अगर वहां उसके अनुरूप कोई पोस्ट नहीं थी तो अनुरूप पोस्ट क्रिएट करवाने में सफल हुए हैं। इस तरह से वह सामान्य नहीं, बल्कि असामान्य व्यक्ति हैं। 1961 से 1981 तक आज तक वह अलवर जिले में विद्यमान हैं। एक बार उनका प्रमोशन हुआ डवलपमेंट अधिकारी के पद पर तो $4\frac{1}{2}$ महीने का अवकाश लेकर बैठ रहे और जब सहायक निदेशक की पोस्ट क्रिएट हो गई तो उस पद पर जोइन किया,

(श्री जीतमल जैन)

अपना स्थानान्तरण नहीं किया । उनका नवम्बर, 1979 में पुनः स्थानान्तरण हुआ, 23 दिन छुट्टी पर चले गए और फिर अलवर में जब कृषि अधिकारी का पद खाली हुआ तो वहां आये । उसके बाद पुनः उनका असिस्टेंट इकानामिक आफिसर के पद पर स्थानान्तरण हुआ लेकिन फिर 113 दिन की छुट्टी पर रहे और अलवर में जिला कृषि अधिकारी बनकर आ गए । मैं निवेदन कर रहा था कि यह सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। इनके ऊपर कुछ बड़े अधिकारियों का राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है । इस कारण से 20 साल से लगातार अलवर जिले में कार्यरत हैं । उनकी बहुत अनियमिततायें हैं जो मेरी जानकारी में आई हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय तक पहुंचाना चाहता हूं कि इन्होंने किस प्रकार से भाई भतीजावाद फैलाकर अपने रिश्तेदारों की अनियमित तरीके से नियुक्तियां की हैं । उसका एक उदारहण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । श्री उधम सिंह, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, आपके कृषि विभाग में कार्यरत हैं । 1971 में इनकी नियुक्ति की गई जिस समय हमारे श्री शिव सिंह, जो आज जिला कृषि अधिकारी हैं उस समय जिला उपनिदेशक तिलहन थे और उन्होंने इनकी नियुक्ति की । आप आश्चर्य करेंगे । मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं आप फाइल मंगायें और देखें उसके अंदर अपाइंटमेंट लैटर नहीं है किसी भी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति होती है उस समय फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता है. वह भी फाइल में नहीं है । यह आश्चर्य की बात है । उनके एकेडेमिक क्वालीफिकेशन्स के बारे में सत्य प्रतिलिपि संलग्न नहीं हैं । आज यह भी कहना मुश्किल है कि उस पद के लिए जिस प्रकार की योग्यता चाहिए वह व्यक्ति योग्य भी हैं या नहीं ।

उधम सिंह, शिव सिंहजी के सगे भतीजे हैं । आप आश्चर्य करेंगे 7 महीने से उस व्यक्ति को वहां रखकर उसके बाद भीलवाड़ा ट्रांसफर करवा दिया और उनकी जो सर्विस बुक और पर्सनल फाइल है वह अलवर में नहीं रही भीलवाड़ा में बनी और एक तथ्य और आने वाला है । अप्रेल के अंदर अपाइंटमेंट होता है और अप्रेल से लेकर जब तक अलवर में रहे, वह बराबर टी. ए. बिल बनाते रहे : अप्रेल में 155, मई में 144, जून में 184·55, 124·85 जुलाई, में 160.35 और अगस्त, में 174·05 । ये सब फर्जी बिल हैं । आप आश्चर्य करेंगे कृषि अधिकारी की नियुक्ति होती है तो उसका जो कार्य करने का क्षेत्र है, केवल एक तहसील होता है लेकिन ये सारे जिले में घूमते रहे और फाइल में कारण बताया गया है कि वहां पर केवल प्रशासनिक कार्य के बतौर भेजा गया ।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह 1971 का उदाहरण है । उसके बाद सन् 1981 आ गया, उनका यह अनियमित कार्य था किसी के सामने नहीं आया, उसको उत्साह मिला और उसके बाद 1977 में उन्होंने फिर तीन नियुक्तियां गलत तरीके से कीं । एक लाखन सिंह जो उनके रिश्तेदार हैं । दूसरा लाखनलाल जो उनके चाचा के लड़के हैं, तीसरे बलवीर सिंह जो उनके भतीजे हैं । आप आश्चर्य करेंगे कि लाखनसिंह की नियुक्ति होती है

(श्री जीतमल जैन)

1–11–77 को, लाखनलाल की 1–12–77 को और बलबीर सिंह की 1–12–77 को। इस संबंध में क्या हुआ ? पहले हमारा कृषि निदेशक तिलहन विभाग अलग था, जब एक्सटेन्शन स्कीम आई तो इस विभाग को कृषि विभाग के साथ मिलाने की बात हुई और इसके अंदर जितनी पोस्टिंग्स थीं, स्टाफ था, उसका समायोजन इसी विभाग में हुआ। जब उसको इसकी जानकारी लगी तो बैक डेट में एन्ट्री करके रजिस्टरों में इस प्रकार की नियुक्तियां कीं। आज उन सब की फोटो स्टेट कापीज मेरे पास हैं, अगर मंत्री महोदया देखना चाहें तो फोटो स्टेट कापीज दिखा दूं कि किस प्रकार से स्कैंडल कृषि विभाग में उन्होंने किया है। इस प्रकार से तीन नियुक्तियां की एक ही दिन में। दो नियुक्तियां 1–11–77 को हुई हैं। इसके बाद इनके उच्च अधिकारी हैं प्रीतम सिंह, जिनका सालों से संबंध हैं, उनके साथ सांठ-गांठ है, उनको कहकर स्थानान्तरण एक डेढ़ महीने में करवा दिया। आप आश्चर्य करेंगे श्री लाखनलाल और बलबीर सिंह का अपाइंमेंट हुआ है उस समय ओवर-स्ट्रेंथ थी, इस विभाग में थी, उसके बाद रिकार्ड जाने वाला नहीं था। तिलहन विभाग जो कृषि विभाग के साथ मिल गया, सारा रिकार्ड वहीं रह गया इसलिए असलियत का किसी को पता नहीं चल सका।

इसके बाद एक दूसरे अधिकारी ने जिसका जिक्र मैंने किया प्रीतमसिंह, भी तीन नियुक्तियां इसी प्रकार से की हैं, श्री सूरत सिंह, श्री चरण सिंह और सदन खान। तीन अधिकारियों की नियुक्ति केवल 1–11–77 को हुयी है और जहां तक मेरी मेरी जानकारी है, मैं आपसे कह सकता हूं इसके अंदर जो हमारी अपाइंमेंट करने की पद्धति है एम्पलायमेंट एक्सचेंज से नाम मंगाने चाहिए, किसी अखबार के अंदर विज्ञापन दें, लोग एप्लीकेशन्स दें उसके बाद इन सारे नियमों को ताक में रखकर इन दो अधिकारियों ने इस प्रकार गलत और फर्जी काम किए हैं और उसके साथ टी०ए०, डी०ए० उठा रहे हैं। यह बहुत बड़ा स्कैंडल है। लेकिन आश्चर्य की बात है इसके साथ मैंने जैसा निवेदन किया सूरत सिंह जो उनके रिश्तेदार हैं, एल०डी०सी० कृषि विभाग में हैं, यहां पर मेरे पास रजिस्टर की फोटो स्टेट कापीज हैं, आप आश्चर्य करेंगे कि वह आफिसर दफ्तर में आया, दस्तखत किये उसके बाद दस्तखत को काटकर 'टी' लिख दिया गया। 'टी' का मतलब टूर से है इस प्रकार से मेरे पास जुलाई, 197? से 5-6 महीने का रिकार्ड अक्टूबर तक का है। अगर मंत्री महोदय चाहें तो मैं रिकार्ड दिखा सकता हूं और इसके आधार पर हजारों रुपए टी०ए० बिल के सरकारी कोष से झूठे बिल बनाकर लिए हैं। इतना ही नहीं आप रिकार्ड देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा वहां टूर दिखाया गया है, 7 बजे जयपुर जाना दिखा रहे हैं और कहीं जाना दिखा रहे हैं यह सारी स्थिति इस प्रकार की है, उनके कारनामे हैं जो आपके सामने रख रहा हूं।

इसके साथ साथ एक बड़ा जोरदार कारनामा है जो उन्होंने किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं

(188)

(श्री जीतमल जैन)

कि जब वहां के अधिकारियों ने यह सुना कि विभाग की ओर से कीटनाशक दवाओं का वितरण किया जा रहा है तो, अध्यक्ष महोदय, अलवर जिला में सरसों की फसल होती है। उसमें सरकार 70 प्रतिशत सब्सिडी देती है लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि जो दवायें यहां पर आयीं उनको उन्होंने अलवर जिले के बाहर ले जाकर बेच दिया। अध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि यह जो दवा एक लाख 85 हजार रुपये की बेचने की सीमा थी, इन लोगों ने पांच लाख 75 हजार रुपये की दवाइयां बेचीं और जो सब्सिडी के पैसे थे वह अधिकारियों ने अपनी जेब में रख लिये। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के कृषि अधिकारी आपके अलवर में बैठे हैं और यह उनके कारनामे हैं। जब उनको यह पता चला कि उनकी शिकायत की जायगी तो उन्होंने यह कहा कि आप चाहे जितना विधान सभा में बोल लो, चाहे आप इन प्रश्नों को उठाओ मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है, मुझे कोई चिन्ता नहीं है क्योंकि मेरे ऊपर राज्य सरकार का हाथ है मुझे तो राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत बड़ा स्कैण्डल है। इसमें भाई भतीजावाद और भयंकर अनियमिततायें हुई हैं, इसमें लाखों रुपये के घोटाले हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा मन्त्री महोदय को कि जब वह अपनी मांगों के बारे में जवाब दें तो इस बात का जवाब दें कि इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है। आज दुर्भाग्य से यह दोनों अधिकारी प्रीतमसिंह और दूसरे अधिकारी अलवर में आज भी विद्यमान हैं और राज्य सरकार को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं।

इसके साथ साथ मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर एक बहुत बड़ी मण्डी है। वहां पर कृषि उपज मन्डी बनाने का पिछली जनता सरकार के समय में काम शुरू हुआ था। मैं समझता था कि इसके महत्व को देखते हुए इस मण्डी का निर्माण का कार्य दो तीन साल में पूरा हो जायगा लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अब मण्डी के निर्माण का कार्य शिथिल हो गया है। मैं कृषि मन्त्री को आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि मण्डी के निर्माण के कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करावें। आज आप अपने आपको किसानों का भला करने वाली कहती हैं तो फिर जब तक मण्डी नहीं बनेगी तब तक किसानों को इसका फायदा कैसे पहुंचेगा? बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

सूचना
आरक्षण विरोधी आन्दोलन के बारे में वक्तव्य

श्री हीरालाल देवपुरा (चिकित्सा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, आज सवेरे आरक्षण विरोधी आन्दोलन के संबंध में विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने राज्य सरकार से आग्रह किया था कि राज्य सरकार की तरफ

(श्री हीरालाल देवपुरा)
से इस बारे में स्टेटमेन्ट आना चाहिये। इसके लिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार की तरफ से 23 तारीख को इसके बारे में स्टेटमेन्ट दिया जावेगा।

मांग संख्या 8, 37 व 39 पर विचार

श्री अध्यक्ष : ठीक है। श्री जगतार-सिंह।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट का समय चाहता हूं, मैं कुछ मुद्दे की बात निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री जगतारसिंह।

श्री जगतार सिंह (करणपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत राजस्व, पशुपालन विभाग और कृषि विभाग की मांगों पर मेरे कटौती प्रस्तावों की तरफ मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जिस तरह की समस्यायें हैं उन समस्याओं के बारे में विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं कृषि के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं मन्त्री महोदय दूसरे विभागों के तो यहां नहीं है, इसलिये मैं कृषि विभाग के बारे में बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट कृषि के लिये जितना महत्व रखता है उतना ही राजस्व के मामलों में महत्व रखता है। लेकिन गंगानगर जिले के राजस्व के मामले पर कभी भी मन्त्री महोदय ने आज दिन तक ध्यान नहीं दिया है। आज गंगानगर जिले का किसान राजस्व के मामलों को लेकर बहुत ही परेशान है। इसका कारण क्या है? अध्यक्ष महोदय, सन् 27 में जब गंगानगर जिले में गंग केनाल आयी थी तो उस समय के महाराजा गंगा-सिंह जी ने किसानों को उस इलाके में पैसे लेकर जमीन बेच दी थी। इस प्रकार लोगों ने पैसे देकर जमीन खरीद ली और वह उसके मालिक बन गये। जब वह मालिक बन गये तो उनके नाम का खतौनी में इन्द्राज कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, जब वह खतौनी बनायी गयी तो उसमें एक कालम रखा गया जिसमें उनका नाम मालिक लिख दिया गया। वह जमीन किसानों को ही दी गयी। किसानों को मालिकाना हक दे दिया गया। सन् 1962 में राजस्व में मालिक शब्द को डेफिनेशन में जमींदार के बराबर कर दिया। जब स्टेट्स रिज्यूम हुई उस वक्त राजस्थान बनने के बाद ज्यों ही जमीं-दारों के खिलाफ में कार्यवाही की गयी तो गंगानगर में भी किसान, जो कि मालिक था जमींदार मान लिया गया। उसको जमींदारी से संबंधित करने की वजह से, क्योंकि जमीं-दारों की जमीनें सरकार के पास चली गयी सरकार ने उसको रिज्यूम कर लिया तो इसी तरह दूसरी जगह की तरह गंगानगर में भी कलेक्टर को सभी जमीनों का मालिक बना दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप कलेक्टर ने 15 बीघा, 20 बीघा, 30 बीघा जितनी भी जमीनें लोगों की थीं सभी को नोटिसेज दे दिये। नोटिसेज इसलिये दिये गये कि वह जमीन सरकार की प्रापर्टी हो गयी। इसलिये वहां का किसान आज बहुत परेशान है वहां पर बड़ी भारी अव्यवस्था फैली हुई है और किसानों में बहुत

(श्री जगतार सिंह)

भारी आक्रोश है। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद में सन् 1963 में राजस्व मन्त्रीजी ने इस पर स्टे लागू कर दिया। जब यह कानून बनाया गया था उसकी डेफिनेशन पर विचार करने के लिये कार्यवाही हुई पर उसके बाद में ज्यों ही जनता पार्टी की सरकार आयी सन् 1976 में, त्योंही उसने उसे स्टे को हटा दिया और वापस कलेक्टर को उस जमीन का मालिक घोषित कर दिया। इस तरह आज वहां पर किसानों को परेशान किया जा रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सन् 76 में जनता पार्टी की सरकार नहीं थी 78 में आयी।

श्री जगतार सिंह : हां मैडम, सन् 78 में।

इसके साथ साथ राजस्व में जमीन हैं दो चार पांच बीघा जमीन अगर कहीं पर बची हुई है तो वह टी. सी. में आती थी अत: उस जमीन के लिये सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जो जमीन टी.सी. की है उसके पास के किसानों को बेचान कर दिया जाय। मगर इसके साथ राजस्थान के कानून में नया संशोधन कर दिया जाय कि मण्डी एरिया से आठ किलो मीटर के एरिया में जो भी जमीन है चाहे वह जयपुर की मण्डी का एरिया हो, चाहे वह केसरीसिंहपुर का एरिया हो, चाहे गजसिंहपुर का एरिया हो, गजसिंहपुर में तो 25 हजार की आबादी है, सभी जगह की मण्डियों की जमीन के पास की जमीनों के भाव चौगुने कर दिये। उनके भाव बढा दिये गये हैं। सरकार के इस आदेश से वहां के लोगों में बहुत भारी रिजेन्टमेन्ट है, जिन भूमिहीन किसानों के पास दो, चार, आठ बीघा जमीन है वह सभी जमीन खारिज कर दी गई। सरकार ने उनके भाव भी बढा दिये हैं। इसके साथ ही इसके लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि शहरों में सरकार ने एग्रीकल्चर भूमि, जिसे शहरी भूमि में कन्वर्ट कर के, प्लाट काट कर बेच दिये हैं, लोगों ने उस पर मकान भी बना लिये हैं। मगर बदकिस्मती यह हैं कि किसान की जमीन का उसको पैसा बहुत कम मिला है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उसको पैसे बाजार भाव से दिये जायं। इसके अलावा जमीन जिस किसान की है वह उसी के द्वारा बेची जायं और उसको बाजार भाव से पैसे दिये जायं ताकि किसानों को लाभ हो सके। मास्टर प्लान के अन्तर्गत किसी किसान की जमीन आवे तो उस जमीन को बेचने का अधिकार भी किसान को ही दिया जावे ताकि जो वह अपनी जमीन से महरूम हो जाते हैं वह अपनी जमीन को बेचकर ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकें।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि हांलाकि सीलिंग का कानून सरकार ने बनाया था पर हमारे यहां पर उसका उतना असर नहीं पड़ा जैसा कि और जगहों पर पड़ा। न्यूनतम सीमा जो पांच बीघा जमीन की निर्धारित राज्य सरकार के द्वारा की गयी है उसमें अगर किसी किसान के पास पांच बीघा जमीन है और उसकी फेमिली में पांच बच्चे हैं तो वह बच्चे अपने बाप के एक्सपायर होने के बाद अगर उस जमीन को आपस में बांटते हैं तो एक एक बीघा जमीन उनके

(श्री जगतारसिंह)

हिस्से में आती है तो उसका म्युटेशन तो होता ही नहीं। और राज्य सरकार के आदेश के अनुसार वह लोग उस जमीन को बेच भी नही सकते हैं। उसकी रजिस्ट्री नहीं होती है। इसके साथ ही सरकार यह भी चाहती है कि जमीन का फ्रेगमेंटेशन नहीं हो क्यों कि उससे खेती के लिए कोई फायदा नही हो सकता है।

पर जितना भी छोटा किसान जो पैसा बचाकर एक बीघा, दो बीघा उसके साथ लगती हुई जमीन खरीदना चाहता है इस कानून के आ जाने से उसको वंचित रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत, इन सब समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं इसमें यह नहीं यहां की बात यहीं छोड़ दी जाय....

श्री अध्यक्ष : मुझे ऐसा ही लग रहा है, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब हैं नहीं।

श्री जगतार सिंह : रेवेन्यू सैक्रेटरी भी नहीं हैं।

इसके साथ, अध्यक्ष महोदय, सीलिंग लागू की गई। बड़ी खुशी की बात है। सीलिंग होनी चाहिये हम अपोज भी नहीं करते, हमारी सरकार और हमारी नीति प्रगतिशील है परन्तु यह कहीं भी नहीं सुना कि एक कलेक्टर चला गया और दूसरा आ गया तो पहला कलेक्टर भी आदेश देगा और नया कलेक्टर भी आदेश देगा। पहला मंत्री भी आदेश दे रहा है और नया मंत्री भी आदेश दे रहा है। राजस्थान में, बड़ी खुशी की बात है, विकास तो होना चाहिये चाहे किसी बात का हो। किसानों को मारने के लिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, दो सीलिंग कानून लागू कर रखे हैं उसके गले में कहीं फंदा डालें। चाहे आप भूमि किसी भी सीमा तक निर्धारित करें, केसेज किसी तरह का बनायें, पर कानून एक तो हो। ओल्ड सीलिंग एक्ट भी चला रहे हैं और नया सीलिंग एक्ट भी चला रहे हैं। किसी में भी खोले जा सकते हैं और कभी भी खोले जा सकते हैं। इसका मतलब यह है किसानों को....

श्री अध्यक्ष : कढ़ाई से कूदो तो भट्टी पर पड़ जाओ, यह हो गया।

श्री जगतार सिंह : क्योंकि आप भी इस समस्या से वाकिफ हैं। माननीय मंत्री महोदया भी किसान के नाते इस प्रकार हमारा दर्द समझती हैं, हम यह चाहते हैं कि सीलिंग एक्ट एक ही हो ताकि हमको पता चले। परन्तु 61 की पोजिशन को ले रहे हैं। एक तरफ तो सरकार बाहर वालों को जमीन अलाट करने जा रही है, शहरों में प्लाट दे रही है, उनको वोट का अधिकार दिया जा रहा है। वोट का अधिकार 18 साल पर आ रहा है पर 1961 की पोजिशन देख रहे हैं। ओल्ड सीलिंग एक्ट में सारे केसेज री–ओपन किये जा रहे हैं। कोई कानून नहीं है। वह तो आफिसर के सोचने पर डिपेन्ड करता है कि उसकी रजिस्ट्री को माने, बेचान को माने या न माने। अध्यक्ष महोदय, इस के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मान लो 10 बीघा जमीन मेरे पास है उसको बेचकर 15 बीघा जमीन ले ली और 15 बीघा को बेचकर 20 बीघा जमीन ले ली क्योंकि किसान की ज्यों-ज्यों फेमिली बढ़ती है

(162)

(श्री जगतार सिंह)

वह सोचता है मेरी जमीन भी बढ़े। आपके अधिकारियों द्वारा यह किया जाता है दस बीघा जमीन जो ओरिजनल है उसमें 15 और जोड़ दी, 15 और 10 पच्चीस और 20 फिर जोड़ दी, उस खरीदी हुई जमीन को लास्ट पांइट तक गिनते जाते हैं जिससे सीलिंग में लेकर किसान को परेशान कर रहे हैं। इसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारी जमीनें सरकार द्वारा अलाट की गई हैं। बीस साल अलाटमेंट के बाद खातेदारी राइट्स आटोमेटिकली दिये जाने चाहिये थे मगर जब कुछ किसानों ने वह जमीन खरीद ली, बेचान कर दिया, आज उन जमीनों के बारे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अपना रिसीवर बैठा दिया, ग्यारह, चौदह की कार्यवाही की जा रही है जब कि वह इतनी बड़ी कोई जमीन भी नहीं है। उसमें प्रोसिजर यह रखा था अगर कानूनी बेचान भी कर दिया है और ला के तहत, माननीय अध्यक्ष, आपको पता ही है अपने यहां के किसान समझ नहीं पाते, फिर भी प्रोविजन रखा था 300 रुपये प्रति बीघा, तो उसकी रजिस्ट्री वेलिड मानते हैं मगर ऐसा कहीं भी कुछ किसानों को राहत देने के लिये नहीं किया जा रहा है। कुछ समय पहले जो हमारे जिलाधीश थे उन्होंने कुछ केसेज रेगूलेराइज किये थे। 500,700 केसेज को रेगूलेराइज कर दिया मगर रेवेन्यू सैकेटरी द्वारा उनको नोटिस दिये और तभी से जिलाधीश के यहां पैन्डिंग पड़े हुए हैं। हमें इस तरह से परेशानी आ रही है और बहुत विचारणीय विषय है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से दुबारा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि श्री देवपुरा जी साहब के कुछ पाइन्ट नोट किये हैं....

श्री अध्यक्ष : मैं भी याद दिला दूंगा।

श्री जगतार सिंह : इसीके साथ, अध्यक्ष महोदय, कृषि के सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि डिपार्टमेन्ट ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। हमें बहुत अच्छे सीड्स उपलब्ध कराये हैं। हमारे डी. पी. ए. पी. के प्रोग्राम चल रहे हैं मगर इसके साथ-साथ कुछ उन प्रोग्राम्स में कमियां हैं जिससे किसानों को परेशानियां ज्यादा हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनसेक्टीसाइड जैसे सब्सिडी हमारे जिला विभाग की ओर से दी जाती है उसमें हमारे प्राइवेट जो डीलर्स हैं, दवाइयां बेचते हैं। होता यह है कि, अध्यक्ष महोदय, पिछले दो तीन सालों से बहुत सी ऐसी दवाइयां थी जो एक्सपायरी डेट की थी, एक्सपायरी डेड की दवाइयों का पिछली बार विधान सभा में भी प्रश्न उठा था कि किसानों का सारा नरमा सड़ गया किन्तु कम्पनसेट नहीं किया गया न कम्पनी की तरफ से न सरकार की तरफ से। खास तौर पर गंगानगर में कई ऐसे केस बिगड़ गये थे लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। हम चाहेंगे कि किसानों की फसल को बचाने के लिये, किसानों का नारा देते हैं, किसान को रीढ़ की हड्डी समझते हैं और वह चन्द कम्पनियां और चन्द डीलर्स जो कुछ रुपयों के लिये अपनी दवाइयों को बेचने में किसानों की फसल बर्बाद करते हैं। उनके खिलाफ प्रोटेक्शन दिया जाय। किसानों की फसल का मुआवजा सरकार अपने लेवल पर तय करे, कम्पनी के लेवल

(श्री जगतार सिंह)

पर नहीं, सरकार अपने लेवल पर मुआवजा दे।

इसी के साथ-साथ आपका भू-संरक्षण विभाग में बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है पर हमारे हनुमानगढ़ में भू-संरक्षण अधिकारी द्वारा एक इस तरह का घपला भी किया गया जिससे किसानों को बड़ी परेशानी हुई। डिपार्टमेंट द्वारा बलवीरसिंह किसान को नोटिस दिया गया कि 40 हजार रुपया भुगतान करो। बलवीरसिंह ने कलेक्टर साहब को अर्जी दी मेरे खिलाफ कोई रिकवरी नहीं है। मैंने लोन भी नहीं लिया। कलेक्टर साहब ने उस केस को ए. डी. एम साहब को जांच के लिये दे दिया। उस रिपोर्ट के बारे में भी थोड़ा शार्ट में निवेदन कर दूं। उस वक्त 2–9–78 को बलवीर सिंह ने स्थगन आदेश के लिये जो एप्लीकेशन दी उसमें यह कहा गया था कि इस तरह की गलती है। कलेक्टर साहब ने एस. डी. एम. साहब को रिपोर्ट करने के लिये कहा। ए. डी. एम. मौके पर गये, मौके पर निरीक्षण किया तो उसमें यह पता चला कि जो एक्चुअली अमाउन्ट सैक्शन हुआ था। वह था 50,748 और जिस समय एम. डी. में इन्दाज हुआ 6 हजार क्यूसेकफीट का जिसकी कीमत 50,596 रुपये का खर्चा आता है। अध्यक्ष महोदय, जब मौके पर देखा तो मालूम हुआ कि 6 हजार के बजाय 3 हजार क्यूसेक फीट ही था।

इसके बाद मैं यह कहूं कि खाला बना कैसे। यह तो आप नहीं समझ सकेंगे और हम तो समझ ही नहीं सकते। कारण कि जिन आसामियान के नाम ऋण स्वीकृति के लिए भेजे गये जिनका कि मैं यहां निवेदन करूं रामरख पुत्र लेखाराम, जिसकी वास्तविक भूमि थी 20 बीघा और लोन स्वीकृत हुई 60 बीघा पर यानि 40 बीघा जमीन अधिक उस लोन एप्लीकेशन में दिखाई। लेखाराम पुत्र ताजूराम जाति जाट जिसकी जमीन 15 बीघा थी और उस लोन पत्र में दिखाई गई 43 बीघा यानि 28 बीघा ज्यादा दिखाई गयी। कपाराम पुत्र मन्नाराम जिसके पास 25 बीघा जमीन थी और लोन पत्र में 14 बीघा दिखाई गयी और जलावरसिंह पुत्र हरीसिंह जिसके पास एक बीघा भी जमीन नहीं थी उसकी जमीन लोन एप्लीकेशन में 25 बीघा दिखाई गयी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह यह कुछ मुद्दे हैं जिनको आज मैंने आपके सामने रखा है इसके साथ ही साथ क्या हुआ कि सारे वर्क एम. डी. में एन्टर होने के बाद न तो किसी तरह की स्वीकृति ली गयी और यह काम करवाया गया एक श्योकरण नाम का ठेकेदार था उससे, जब लेने गये तो पहले 42382 रुपये उन्होंने लिए जिसका बिल नं. 259 दिनांक 22-3-72 है। यानि 50597 रुपये के वर्क के मुकाबले में 42382 रुपये मिले। सारी जांच सामने आ गयी, सारे फैक्ट्स सामने आ गये। कलेक्टर ने लिखा, ए डी. एम. साहब ने कलेक्टर को वापस रिपोर्ट दी और कलेक्टर ने इस पर एफ. आई. आर. दर्ज कराने के आर्डर्स दे दिये। यह 79 की बात है। इधर उधर भगदड़ मच गयी। एम. एल. ए. को जनता सरकार इकट्ठा करने लगी। तो एम. एल. ए. की एकाध की जरूरत थी

(श्री जगतार सिंह)

तो उस अधिकारी ने एक एम. एल. ए. को दिया जिसकी वजह से केस फाइल में ही दबकर रह गया। उस भू-संरक्षण अधिकारी के खिलाफ जिसने इतना बड़ा गबन किया है और गलत आदमियों के नाम इन्द्राज करके, गलत जमीन दिखाकर 42 हजार रुपये जो उसके खिलाफ निकले हैं न तो उसकी रिकवरी हुई और न केस उसके अगेन्स्ट में फाइल हुआ, न कोई एफ.-आई. आर. लाज कराई गयी। क्योंकि उसके पास तो 42 हजार रुपये पड़े हैं वह तो कहीं भी पुलिस में जायगा और दो हजार चार हजार दिए और केस को वापस कर दिया। तो माननीय मन्त्री महोदय का मैं आपके माध्यम से इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह उन गरीब किसानों के साथ बड़ा अन्याय है और आप इसकी जाँच करवायेंगे। जो भी इस तरह का गलत अधिकारी है उसको सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे।

इसी के साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं हमारे मार्केटिंग बोर्ड कृषि उपज मण्डी के बारे में, जिसमें कि बहुत पैसा किसानों से आता है और किसानों का फायदा था रोड्स के मामले में या दूसरे मामलों में उसमें हुआ यह कि जनता सरकार द्वारा मार्केटिंग बोर्ड का काम कृषि उपज मण्डियों से लेकर पी. डब्ल्यू. डी. को दे दिया। पी. डब्ल्यू. डी. के पास हमारे लाखों रुपये पड़े हैं और हमको दो, दो और चार, चार सात पैसा दिए हुए हो गया। कोई उसका इन्ट्रेस्ट नहीं है और वह रोड्स अभी तक इन्कम्पलीट पड़ी है। कहीं अर्थ वर्क हो गया, कहीं अर्थ वर्क भी नहीं हुआ और कहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो न तो उस पैसे का ब्याज मिलता है....

श्री अध्यक्ष : रोड बनाना तो और मंहगा हो गया।

श्री जगतार सिंह : और उससे क्या हुआ कि जो रोड्स की कीमत आज से दो साल पहले 1 लाख 20 हजार रुपया प्रति किलो-मीटर थी वह 1 लाख 80 हजार पर आ गयी। हमारे पास हमारे डिपार्टमेन्ट में मार्केटिंग बोर्ड में हमारा इन्जीनियरिंग सैल है। हमारा एस. ई. हैं, एक्जीक्यूटिव इन्जी-नियर हैं, ए. ईएन. हैं और जे ईएन. हैं और हमारे यहां डेपुटेशन पर भी लोग आये हैं। जब इन्जीनियरिंग सैल हमारा बेकार बैठा है तो हम दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरफ देखें। उसके बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी मैं आपसे निवेदन करूं कि उनका एस. ई है तो उनके अपने खुद के काम ही बहुत ज्यादा हैं तो वह यह काम नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में जितने भी हमारे रोड्स के काम हैं वह मार्केटिंग बोर्ड को वापस दिये जायें ताकि वर्क्स स्पीड से हो सकें। क्योंकि आज तो नहीं लेकिन कुछ दिनों के बाद चुनाव होने के बाद वह पब्लिक संस्थायें बन जायेंगी। तो जिसमें पब्लिक की दखलन्दाजी हो और पब्लिक को पता लगे कि किस तरह का मैटीरियल यूज होता है और किस तरह का वर्क होता है ?

इसी के साथ-साथ मार्केटिंग बोर्ड ने एक अच्छी स्कीम चालू की। सीड स्टोर। वन टन कैपेसिटी पर. इनसेक्टीसाइड्स के स्प्रेयर और डस्टर पर सब्सिडी देंगे।

165

(श्री जगतार सिंह)

यह बहुत अच्छी स्कीम है जिसके लिए कृषि मंत्री महोदया बधाई की पात्र हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष, महोदय, कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट इन्सेक्टीससाइड पर, स्प्रेयर पर और डस्टर पर 50 पर्सेन्ट सब्सिडी देता है। मगर मार्केटिंग बोर्ड द्वारा 25 पर्सेन्ट सब्सिडी दी जाती है। तो 25 पर्सेन्ट सब्सिडी कौन लेगा ? इसलिए आप से निवेदन है कि इस सब्सिडी को भी 50 पर्सेन्ट किया जाय ताकि किसानों को इसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले।

इसके साथ साथ सीड स्टोर जैसे वन टन कैपेसिटी के तो पहले, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी कीमत 358 रुपये थी और अब उसकी कीमत बढ़ाकर कर दी है 527 रुपये। मगर सब्सिडी उसमें 25 पर्सेन्ट है। तो इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जितनी भी मार्केटिंग बोर्ड द्वारा सब्सिडी लागू की गयी, अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन इसको भी बढ़ाकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरह 25 पर्सेन्ट से 50 पर्सेन्ट किया जाय।

इसके साथ साथ मैं आपकी मार्फत डेयरी की तरफ भी ध्यान कृषि मन्त्री महोदया का दिलाता हूं। डेयरी में बहुत विकास हुआ। यह भी कहा गया कि इसमें घाटा है। घाटा और नफा तो चलता ही रहता है मगर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट जो कि एग्रीकल्चर के अन्दर बहुत ही महत्वपूर्ण है कृषि के क्षेत्र में उसके लिए भी स्कीम मन्जूर हुई। मिल्क प्लान्ट के लिए मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी आप बधाई की पात्र हैं। मगर आज तक हमारा चिलिंग प्लान्ट और मिल्क प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि हमारे यहां जल्दी से जल्दी मिल्क प्रोडक्शन शुरू किया जाय जिससे कि किसानों का कुछ फायदा हो सके और अगर कहीं भी इसके लिए जमीन लेने में दिक्कत आती है डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर जमीन उपलब्ध नहीं हो तो बार्डर पर जो मण्डियां हैं जो कि विकसित नहीं हो रही हैं वहां चिलिंग प्लान्ट लगाया जाय। अब आपको जमीन भी दूसरे के मुकाबले में सस्ती देंगे। चाहे वह मण्डी केसरीसिंहपुर हो, चाहे वह मण्डी पदमपुर हो, या चाहे वह मण्डी करणपुर हो। तो मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जितना भी जल्दी हो सके यह चिलिंग प्लान्ट और मिल्क प्रोडक्शन प्लान्ट को कम्पलीट कराया जाय।

इसी के साथ साथ दूध के विषय में जो हमारा पशुधन है उसके मुकाबले में शंकर नस्ल के ज्यादा अच्छे होते हैं, वह जल्दी ब्याते हैं और दूध भी उनसे ज्यादा ही देते हैं....

श्री अध्यक्ष : बछड़े हल चला सकते हैं या नहीं ? क्या राय है आपकी ?

श्री जगतार सिंह : 50 पर्सेन्ट तो हल चला सकते हैं। जो 50 पर्सेन्ट उनका हल है वह तो अपने यहां से एटमास्फीयर में फिट है। उसके आगे वाले बछड़े ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : उनका क्या करेंगे जो ज्यादा प्योरिटी वाले हैं ?

श्री जगतार सिंह : ज्यादा प्योरिटी वाले तो ऐसे ही होंगे जैसे ग्राप शहरों में देखते हैं। ग्रापकी भी गाड़ी नहीं चल सकती। शहर में ग्रपनी मर्जी से घूमते हैं, गांवों में घूमते हैं। ऐसे ही वह घूमेंगे। उनका तो यही होगा।

तो माननीय ग्रध्यक्ष महोदय डेयरी में सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट का भी पैसा है ऐसी स्कीम बहुत ग्रच्छी है ग्रौर ग्राटिफीशियल इनसेमीनेशन की, डाक्टर दिया जाता है, कन्टेनर मिलते हैं, सवारी की ग्रवेलेब्लिटी है। तो हम यह चाहते हैं कि जैसा कि ग्रापने कोटा ग्रौर झालावाड़ में भी स्कीम लागू की है हमारे गंगानगर जिले में भी ऐसी स्कीम लागू करवायें। ग्रगर सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट वाले के पास पैसे नहीं तो डेयरी वाले चाहें तो वह ग्रपनी स्कीम लागू कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, जितनी भी हो सके, ए० ग्राई० सैन्टर्स, जिसमें ये पूरी सुविधायें हो ग्रौर संक्रामक नस्ल की गाय पैदा कर सकें। की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे। इसी के साथ साथ हमारे पशु ...

एक माननीय सदस्य : सुग्रर पालन ?

श्री जगतार सिंह : हमारे यहां नहीं चलता, ग्रापके यहाँ चलता होगा। पशुग्रों के स्वास्थ्य का सवाल है ग्रौर उनकी बीमारियों के होने में हम चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल बहुत कम हैं, ग्राबादी के हिसाब से देहातों के हिसाब से ग्रौर पशुधन को देखते हुए, इसके साथ साथ जितनी डिस्पेन्सरीज नयी खोली जायें या पहले हॉस्पिटल खोले गये थे, उनके साथ साथ हम चाहते हैं, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, एक—

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप बताग्रो, नये जो वेटरनरी ग्रेजुएट ग्राते हैं, ये कितने दिन में बीमार बैल को नाल देना सीख जाते हैं ?

श्री जगतार सिंह : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ये चीजें तो ऐसी हैं, जितनी डिफिकल्टीज हैं, वह तो वही समझ सकता है जो किसान के घर में पैदा हुग्रा हो, किसान मां से पैदा हुग्रा हो, ग्रब हमें तो नाल देना इन्होंने सिखाया नहीं, हमें तो नाम देना ग्राता ही है ग्रौर ग्रगर डाक्टर को नाम देने को कह दो तो जो पशु ग्रायेगा वह हो सकता है, उसके बचाने से पहले ही मर जाय। तो ये इस तरह का सब्जेक्ट है जिसके बारे में हैरीडिटी करेक्टर ज्यादा काऊंट होते हैं ग्रौर ग्रपने ज्यादा इसमें समझ सकते हैं। तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता था कि जितने नये हॉस्पिटल वेटरनिटी खोले गये हैं, क्योंकि फाइनेन्शियल कमी की वजह से ज्यादा हॉस्पिटल तो दे नहीं पायेंगे। अगर इसके साथ एक डिस्पेन्सरी दी जावे, जहां हमारी ग्राबादी ज्यादा है, डाक्टर नहीं पहुंच पाते, वहां एक कम्पाउण्डर ग्रौर कोई उनका छोटा स्टाफ रखा जावे ग्रौर डाक्टर उसको सम्भालता रहे तो इससे इस दिशा में थोड़ी बहुत प्रगति हो सकती है। ये बहुत ही किसान की ऐसी, मैं समझता हूं, समस्यायें हैं, बड़ी खुशी की बात है कि मन्त्री महोदय खुद किसान हैं, जो किसान की समस्याग्रों को हमसे ज्यादा समझती हैं ग्रौर बड़ी हैं। इसी

(श्री जगतार सिंह)

तरह की कृषि के सम्बन्ध में हैं, थोड़ा ध्यान देकर इन समस्याओं को हल करेंगी और इनका समाधान निकालने का प्रयत्न करेंगी। इसके साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन लाल मोदी।

व्यवस्था का प्रश्न
आरक्षण विरोधी आन्दोलन के बारे में वक्तव्य

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि आज सुबह विपक्ष के माननीय नेता ने प्रश्न उठाया था और हम लगातार देखते रहे हैं, इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान के किसी प्रकार से मुख्य मंत्री नहीं हैं, को लगातार कहने के पश्चात् भी आरक्षण का मुद्दा उठाया था जिसने सारे राजस्थान को, सारे प्रदेश को उद्वेलित कर रखा है। एक प्रश्न पर भी मैं सारे सदन की तरफ से प्रस्ताव करना चाहता था लेकिन उस स्थिति को टाल दिया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी आये, चुपके चुपके आये, अपने कमरे में गये और भाग गये। यह सदन है, इनको कोई पकड़ नहीं रहा, पकड़कर बैठा नहीं रहा कि वे यहां बैठ जायं, उनके साथ ज्यादती नहीं कर रहे, सुबह से शाम तक डिबेट में मुख्य मंत्री के दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर वे नहीं आते हैं तो उनकी फोटो रख दी जाय, अगर नहीं आते हैं तो किस काम के हैं? लीपने के हैं कि पोतने के हैं, किस काम के हैं, क्या करें उनका? वे राजस्थान का सामना नहीं कर सकते, विधान सभा का सामना नहीं कर सकते, विधान सभा को फेस नहीं कर सकते, डरते हैं, क्या कर सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारा प्रान्त उद्वेलित हो रहा है, प्रदेश उद्वेलित हो रहा है। लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, आखिर क्या कर रहे हैं? मुख्य मंत्री जी कहां सो रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, वे दिल्ली में सरकार चलाएंगे? प्रान्त चला रहे हैं, प्रान्त का क्या हो रहा है? सारी परम्परायें तोड़कर सदन का अपमान किया है। सदन की सारी परम्परायें तोड़ दी हैं। अध्यक्ष महोदय, सदन की मांग है, उनकी भावना है तो वह उपस्थित हों, इनकी भावना क्या हो रहा है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं, स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आसन की ओर से उनके खिलाफ वारण्ट जारी किये जायं।

श्री अध्यक्ष : आसन को ऐसा कोई अधिकार नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, जो जोइन्ट रेस्पांन्सिबिलिटी निभाने की बात है, केबिनेट के मन्त्री, सारे मन्त्री उनका अनुकरण करते हैं। केवल एक दो मन्त्री यहां उपस्थित रहते हैं। बाकी बिलकुल गायब हैं, पता नहीं सिनेमा देखने जाते हैं, किसी क्रीड़ा परिषद् के सदस्य हैं? कुछ समझ में नहीं आता। इस पर व्यवस्था दी जाय, यहां अन्य मन्त्री भी नहीं बैठे हैं और कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन मोदी।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है. मैं समझती हूँ, उनको मालूम है कि जो आप उद्वेलित हुये जनता बता रहे हैं, खराब बता रहे हैं, क्षेत्र बता रहे हैं, वह जिन क्षेत्रों में पहुँचे हैं, उनके साथ भी माननीय मुख्य मंत्री, राज्य सरकार को मालूम है और उसकी बाबत में आयेगा। ये द्वेष की भावना है और सुनियोजित ढंग से चलाये जाने वाला, इस प्रकार का प्रचार आगे नहीं बढ़े, इसके बारे में चिन्तित हैं। अभी सदन के अन्दर सूचना दी गयी है कि इनकी बाबत बयान दिया जायगा, 23 तारीख को लेकिन उसके बाद यह कहना कि मुख्य मंत्री जाने क्यों सदन से डरते हैं—

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आज क्यों नहीं दिया जायगा ?

श्रीमती कमला : आप अपना रिकार्ड उठाकर देख लीजिए कि आप कितने रेश्यो में यहाँ पर रहे हैं आप इससे सम्बन्धित....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आरक्षण के प्रश्न पर चर्चा होनी चाहिए। आज, अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दी जाय। ये चर्चा क्यों नहीं हो सकती।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सारा प्रदेश जल रहा है. ये तो कोई बात नहीं हुई। जयपुर में मौजूद नहीं हैं. दिल्ली चले गये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : आज विपक्ष के नेता ने मुख्य मंत्री के आने के विषय में ध्यान आकर्षित किया था....

श्री बुलाकी दास कल्ला : (बीकानेर) उस समय विरोध पक्ष की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए। श्री मोहन मोदी।

एक माननीय सदस्य : ये व्यवस्था दीजिए।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैंने प्रारम्भ में ही निवेदन कर दिया। आपकी आपत्ति है, उसको दुरूस्त किया जाता है।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व विभाग की जो डिमाण्ड है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, सदन में सुबह आश्वासन दिया गया था कि मुख्य मंत्री आयेंगे। ये बात मुझे सचेतक ने कहीं थी सदन में और मुख्य मंत्री जी जब आयेंगे, उस समय इसके सम्बन्ध में बात होगी, वक्तव्य दिया जायगा। मैं इन दोनों प्रश्नों पर जानकारी करना चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी सदन में क्या आयेंगे या नहीं आयेंगे, एक तो यह जानकारी हो जाय। यदि ये भी पूरी जानकारी हो जाय और वक्तव्य 23 तारीख को क्यों दिया जाय, आज क्यों नहीं दिया जा रहा ? पार्लियामेन्ट में आज प्रश्न उठता है तो कल वक्तव्य दिया जाता है। कल श्री मनी राम बागड़ी ने क्वेश्चन रेज किया और पार्लियामेन्ट में उसी समय स्पीकर महोदय ने व्यवस्था दे दी, यहाँ ऐसी कौन सी बात थी जिसमें....

श्री अध्यक्ष : ये तो नजदीकी की बात है। 23 तारीख को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह तो वह बात हो गयी कि आग तो आज लग रही है और दमकल 23 तारीख को आयेगी। अगर इस तरह की व्यवस्था करनी है तो आपत्ति नहीं है लेकिन सरकार को स्वयं को चाहिए था कि सरकार, मुख्य सचेतक आ गये, इन्होंने हाउस में कहा था कि मैं मुख्य मंत्री जी को लेकर आऊंगा। बोलिये।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी संसदीय मामलात के मन्त्री जी हैं।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, जब सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था तो कहा गया था कि नीतिगत प्रश्न है तो क्यों नहीं इसको जल्दी जल्दी सरकार बढ़ने देना नहीं चाहते हैं, सरकार सो रही है।

श्री छोगाराम बकोलिया : जब देवपुरा साहब ने 23 तारीख के लिए कहा था तो किसी ने भी विरोध नहीं किया था।

श्री मेघराज तावड़ : और हरिजनों आदिवासियों को उस आग में झोंकना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : माननीय विरोधी दल के नेता महोदय ने सुबह प्रश्न उठाया था, उस वक्त मैंने निवेदन किया था कि मुख्य मंत्री जी अवश्य पधारेंगे।....

श्री मेघराज तावड़ : अगर उनको पर्दे में रहना है तो उनको दिल्ली में ही रहने दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : आपने ये कहा था कि उनके पाँवों में मेंहदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं हैं।

श्री मेघराज तावड़ : ये राजस्थान का मसला है, ये राजस्थान के बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको यहाँ हाउस में आना चाहिए, उनको शर्म आती है, यहां हाउस में आने से ? हम मिल भी नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय ये भी व्यवस्था आप कर दें कि कहीं जान बूझ कर मन्त्री से मिलना चाहें तो कहाँ मिलें, कहाँ जायं वहाँ तो उनके अधिकारी बैठते हैं, नहीं मिल सकते। एक विधायक भी मुख्य मंत्री से मिल नहीं सकता, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, ये एक ही आये हैं जिसमें इतने कूद रहे हैं, अगर चार पांच आये होते तो न मालूम क्या करते।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप इस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं कि कूद रहे हैं। आप सचेतक हैं, आप अपनी वाणी पर संयम रखिये। आप जिम्मेदार आदमी हैं आप कूद रहे कह रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आए तो एक ही हैं।

(170)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की बात कहने से क्या लाभ है। आप इनको ताड़ना दीजिए ये अपनी वाणी पर संयम रखें। माननीय सदस्यों से इस तरह से बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री छोगाराम बकोलिया : ये कूद नहीं रहे हैं तो क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर....माननीय सदस्य....आर्डर आर्डर।

श्री मेघराज तावड़ : इस तरह से मिनिस्टरी में नम्बर नहीं आने वाला है। बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें। माननीय सदस्य। मुख्य सचेतक।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यह निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, बहुत ही जरूरी एक मीटिंग होने के कारण मुख्य मंत्री जी यहां पधारे थे और आपसे भी मिले थे और उसके बाद में उन्होंने आपसे यह निवेदन किया था कि मुझे बहुत ही जरूरी एक मीटिंग में दिल्ली जाना है और वह राजस्थान के हित में एक बहुत आवश्यक बैठक है। वे उस बैठक में वहां गये हैं और भूत पूर्व मुख्य मन्त्री जी जो कि आज विरोधी दल के नेता हैं, वह भी असेम्बली सैशन के ड्यूरेशन में कई बार दिल्ली रहा करते थे यह कोई नई चीज नहीं है। और इन दिनों में....

(व्यवधान)

यहां तो एक प्रश्न भी आया था कि बीस बीस दिनों तक दिल्ली रहते हैं और आपका तो आफिस ही, हमने यह सुझाव दिया था उन दिनों में जब हम विरोधी दल में बैठते थे तो हमने सुझाव दिया था कि एक दफ्तर ही आपका सैक्रेटेरिएट दिल्ली में बिठा दें तो अच्छा हो। खैर, इस बात को छोड़िये....

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहाड़ियाजी का बना लिया दिखता है आपने परमानेंटली।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यह निवेदन कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, विधि मन्त्री जी ने जिस वक्त हाउस में आप सबसे निवेदन किया था कि 23 तारीख को इसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा और एक स्टेटमेंट सरकार की तरफ से ही दिया जाएगा और उस पर यहां जितनी पार्टियां हैं उनके नेता हैं वे उसमें अपने अपने भाषण देंगे।

(व्यवधान)

उस बात के सिलसिले में, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम भी आपसे मिले और हमारे बाद में विरोधी दल के नेता भी मिले और उस प्रश्न को लाकर के यहां खड़ा करना चाहते हैं जबकि आज सारे माननीय सदस्य पांच बजे की रेल से होली के लिए अपने-अपने गांव और अपने-अपने घर जाना

(श्री खेतसिंह राठौड़)

चाहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि बहुत ही ऐसा विषय है जिस पर 23 तारीख को अपन मिलेंगे तब, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर स्वीकृति प्रदान करेंगे उस वक्त में अपन इस पर विचार करेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : मुख्य मंत्री का होलिका दहन क्यों नहीं कर देते ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही खेद है कि सदन में सरकारी पक्ष की ओर से जब मुख्य सचेतक बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि सरकार बोलती है लेकिन बोलने के बाद में जब उसको कार्य रूप में परिणित करने का सवाल आता है उस समय पता लगता है कि सरकार नहीं बोलती खेतसिंहजी बोलते हैं। दोनों में बड़ा अन्तर है। सरकार जब बोलती है तो जिम्मेदारी के साथ बोलती है और जिस समय उनकी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का प्रश्न आता है तो आप निर्वहन नहीं कराते और उस समय खेतसिंह जी अपने असली रूप में हाउस में आकर खड़े होते हैं। अभी उन्होंने कहा कि सदन में उनसे मिले हैं। फिर जिस काम से गये हैं इसकी जानकारी मुझे भी है जब भी कोई जाता है तो कोई न कोई काम का बहाना लेकर जाएगा। दिल्ली जाते वक्त कोई आदमी यह नहीं कहता कि दिल्ली की सैर करने जा रहा हूं। कोई भी व्यक्ति जाएगा तो कोई न कोई काम से जाएगा। मुख्य मंत्रीजी 11 बजे के प्लेन से दिल्ली जाना चाहते थे तो मुख्य सचेतक का यह कर्त्तव्य होता था कि उनसे कहते कि आज सदन समय 8 बजे से चालू होगा। वे तो 11 बजे उठ कर आए और आते ही सीधे चले गये प्लेन पर। क्या दस बजे तक यहां नहीं आ सकते थे ? 9 बजे तक नहीं आ सकते थे ? 9 और 11 बजे के बीच में ऐसा कौनसा आवश्यक काम था जो सदन की प्रतिष्ठा से भी ज्यादा प्रतिष्ठा रखता हो ? अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि या तो मुख्य मंत्रीजी सदन से डरते हैं या सदन की गरिमा का उनको कोई ज्ञान नहीं है। सदन की प्रतिष्ठा से बढ़ कर और कोई प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। सदन की अटेंडेंस के अलावा और ज़रूरी काम नहीं हो सकता। लेकिन यदि मुख्य सचेतक देखना चाहें कि इस सदन की परम्परायें, इस सदन की रूलिंग्स, जिसमें कई माननीय अध्यक्षों ने इस प्रकार की व्यवस्था दी है कि सदन के अतिरिक्त और कोई बड़ा काम नहीं हो सकता मेरी समझ में नहीं आता, इस प्रकार की बातों को रोज इस सदन में रखते हैं कि मुख्य मंत्रीजी आये थे और मुख्य मंत्रीजी चले गए। हमें मुख्य मंत्रीजी के दर्शन नहीं करने हैं और न हम मुख्य मंत्रीजी के दर्शन करने के भूखे हैं। एक राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी के दर्शन किये तो सारा राजस्थान डूब रहा है। वहां सारा राजस्थान परेशान हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जिस मसले को 23 तारीख को टालना चाहते हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। सरकार खुद जागरूक होती तो आज से चार दिन पहले इस प्रकार का प्रस्ताव लाती। इस सरकार को हमने जगाया और अध्यक्ष महोदय, जगाने के बाद भी सरकार मुर्दे की तरह पड़ी रहे तो यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राजस्थान का दुर्भाग्य है। आज अगर मैं नहीं कहता तो सरकार की तरफ से प्रयास नहीं होता कि 23 तारीख को वक्तव्य दिया जाएगा। हमने यह बात सरकार के कान में डाली। आज आप अब मजबूरी से कह रहे हैं कि 23 तारीख को वक्तव्य दिया जाएगा। मुख्य सचेतक हैं, मंत्री मण्डल के और भी साथी हैं, आपने आज तक हाउस में क्यों नहीं कहा कि हम वक्तव्य देने वाले हैं? हम आपको जगायें और जगाने के बाद भी आप काम नहीं करना चाहें। यह समस्या कोई अकाल की समस्या नहीं है, कोई बाढ़ की समस्या नहीं है। समस्या इस प्रकार की है कि इस स्थिति में सरकार और विरोधी पक्ष की, इन सब की प्रतिक्रिया और भूमिका क्या है, इसकी लोगों को जानकारी मिलेगी तो इसका व्यापक प्रभाव होगा। उस स्थिति में भी सरकार मौन रहती है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की स्थिति और कोई नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मुख्य मन्त्री को इस बात का डर है कि हम यहां बैठे हुए हैं उनकी आलोचना करेंगे तो मेरी तरफ से आप मुख्य मंत्री को निवेदन कर दें कि जब वे हाउस में आकर बैठेंगे तो मैं बाहर चला जाऊंगा। इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां बैठेंगे तो हाउस को फेस करना पड़ेगा। और जो आलोचना होगी उसको सुनना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : हुआ भी ऐसा ही है। जब आप आए हैं तो वे पधार गए और वे आए हैं तो आप पधार गए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अगर यही परम्परा है, उनके आने कि स्थिति हो रही है....

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : यही हो रहा है वे आते हैं तब ये चले जाते हैं और ये आते हैं तब वे नहीं आते हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह इनकी पहले से मिलीभगत है वे आते हैं तब ये चले जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अगर हमारा बायकाट करना ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर....आर्डर आर्डर....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमारे बायकाट करने के कारण मुख्य मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो मैं समझता हूं कि हमें भी इस पर विचार करना पड़ेगा कि जब मुख्य मंत्री आए तब हम सदन से बायकाट करके चले जायं लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है। नीम का थाना से आने वाले माननीय सदस्य ने मिलने की बात कही है। वह ज्यादा इस प्रकार की चर्चा नहीं करें। कौन कहां मिलता है और कौन किसकी खुशामद करता है, मेरे से ज्यादा सुनने की आप कोशिश नहीं करें वरना पता लग जाएगा कि कौन किस की किसके

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
सामने घुटने टेक कर खड़ा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि हाउस की गरिमा के अनुसार मुख्य मंत्री जी को सदन में बैठना पड़ेगा। आज छ: दिन का समय निकाल दिया। एक दिन का समय हो, दो दिन का समय हो। आज तो वह आर. पी. पी. के लिए दिल्ली जा रहे हैं, कल किस के लिए कहां गए थे, परसों कहाँ गए थे, पहले दिन कहाँ गए थे? आज तो आप कहते हैं कि आर. पी. पी. 22 तारीख से बन्द कर रहे हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा। उसको 23 को बन्द कराऊं या सात दिन और चला दूंगा। इतने दिन कहाँ गए थे, क्यों नहीं बैठते हाउस के अन्दर? मैं समझता हूं कि, अध्यक्ष महोदय, आप इसको गंभीरता से लें। सदन का नेता हाउस में नहीं बैठे यह सदन का सबसे बड़ा अपमान है। इस अपमान को जितने दिन भी यह सदन सहन करेगा सदन की गरिमा उतने दिन घटेगी। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आज मंत्री मण्डल के साथी बैठे हैं, बड़े योग्य हैं, मैं उनकी योग्यता के बारे में चर्चा नहीं करता लेकिन मुख्य मंत्री का अपना स्थान है। नीतियों के सम्बन्ध में मंत्री आज मुख्य मंत्री की तरफ देखते रहते हैं। प्रश्न काल को आप देख लीजिए, एडजॉर्नमेंट मोशन आते हैं, आप उनको देख लीजिए, काल अटेंशन आते हैं उस समय को आप देख लीजिए, कोई भी मंत्री समुचित उत्तर इसलिए नहीं दे पाते कि कहीं न कहीं नीति निर्देशक बातें रहती हैं। मुख्य मंत्री के मुंह की तरफ ताकते रहते हैं। मुख्य मंत्री नहीं आते तो न क्वेश्चन का उत्तर मिलता, न काल अटेंशन का उत्तर मिलता पूरा, न एडजॉर्नमेंट मोशन का उत्तर पूरा मिलता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सदन की अगर गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, आप भी हाउस में चेम्बर में जाते हैं, कोई एतराज नहीं करता। अध्यक्ष महोदय को तीन चार घण्टे यहां बैठना चाहिए। लेकिन यह समझ में नहीं आया कि छ: छ: दिनों तक मुख्य मंत्री जी नहीं आवें। माननीय सचेतक महोदय की एक आदत पड़ गई, आप तो दिल्ली रहते थे. हमेशा इस तरह की गैर जिम्मेदारी की बात करने की उनको आदत हो गई है। आप असेम्बली का रिकार्ड उठा कर देख लें जब कभी भी असेम्बली चली है हर समय असेम्बली में बैठा रहा हूं। जो सरकारी पक्ष से उत्तर दिया जाना था वह मैंने उत्तर दिया था। आपके मुख्य मंत्री की तरह से मैं कायर नहीं हूं जो विधान सभा के चेम्बर से भी सीधा बाहर से चला जाऊंगा। इस तरह का कायर नहीं हूं। आज भी विरोधी दल में बैठा हूं तो कायर होकर नहीं बैठा हूं और जिस समय मुख्य मंत्री था, मुझे याद है कि मैं हाउस में बैठता था और खेतसिंह जी आप जैसे आदमी डरते हुए बाहर लॉबी में चले जाते थे। बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। आज इस प्रकार की बातें करते हैं।....

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आज उसी का परिणाम है कि उधर जाकर बैठ गए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी शक्ल से पता लगता है कि हमेशा चाहे पहा-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ड़िया जी हो, चाहे सुखाड़ियाजी हो और चाहे भैरोंसिंह हो, जिनकी आदत पड़ गई है चमचागिरी करने की वह तो निश्चित रूप से करते रहेंगे। यहां बैठें चाहे वहां बैठें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप जो कुछ बोलते हैं उसको तो मैं समझता हूं लेकिन कई माननीय सदस्य आपको नहीं समझते, वे धोखे में नहीं आ जाय इसलिए आपके बारे में कहा है वरना आप और हम अच्छे मित्र हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलने का सवाल ही खड़ा नहीं होता।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने असलियत और बता दी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अन्त में यह मामला मजाक में नहीं चला जाय। मैं आज आपको निवेदन करना चाहता हूं कि 23 तारीख को ये वक्तव्य दें, आज तो मुख्य मंत्री चले गये, आप और मैं पकड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं आयेंगे। लेकिन 23 तारीख के बाद यदि, अध्यक्ष महोदय, सदन में नहीं बैठे तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमें भी कोई ऐसी कार्यवाही करनी पड़ेगी आपके माध्यम से मुख्य मंत्री सदन में आयें, आकर के सदन की शोभा बढ़ायें। मुख्य मंत्री जी कुछ भी कहें, बोलें नहीं यह तो समझ में आता है लेकिन आकर यहां बैठे तो सही। अध्यक्ष महोदय, स्वयं उनकी पार्टी के लोग ही मजाक उड़ाते हैं कि सीधे उधर से लिफ्ट से आये और उधर से लिफ्ट से चले गये। पार्टी के लोग मिल नहीं पाते, खैर यह तो पार्टी का विषय है। मैं यह जिक्र नहीं करना चाहता हूं। पार्टी उनको हटाने पर लगी हुई है, हटाने में उनको सफलता मिले। लेकिन मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कम से कम मुख्य मंत्री यहां बैठें, ज्यादा नहीं, यदि मैं आज कहूं तो फिर वह मुझे कहेंगे ज्योतिषी है, 6–7 दिन का मौका है। 6–7 दिन के बाद पहाड़िया को मुख्य मंत्री की सीट पर बैठने का मौका मिलने वाला नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 6–7 दिन का काम है, उसको अवेल करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

मांग संख्या 8, 37 व 39 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग की डिमाण्ड्स पर मैं राजस्व मन्त्री महोदया का ध्यान दो एक बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। एक तो यह है कि नीम का थाना में ग्रामदान की समस्या है। जरा मन्त्री महोदया ध्यान देंगी, ग्रामदान की जो समस्या है वह राजस्थान में बहुत कम दूसरी जगह है जो नीम का थाना के अन्दर है। ग्राम दान की समस्या इस तरह की है कि एक एक पंचायत क्षेत्र में दस बीस घरों को ग्रामदान करके एक ढाणी को ग्रामदान घोषित कर दिया है और उसको पंचायत से अलग कर दिया गया है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से 46 ग्राम बना दिये गये। एक एक पंचायत में दो दो तीन तीन ढाणियों को लेकर अलग अलग टुकड़े कर दिये। उनको ग्राम पंचायत से अलग कर दिया। उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ग्राम दान से किसी प्रकार की मदद

(श्री मोहनलाल मोदी)

नहीं मिलती है, पंचायतों में कोई पूछ नहीं है। ढाणियों के लोग जिनको ग्रामदान में घोषित किया गया है, उनसे झूठे अंगूठे लगवा कर घोषित कर दिया गया। उन गांवों के लोग, उन ढाणियों के लोग यह चाहते हैं कि ग्राम दान से किस तरह से हमारा पीछा छूटे। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा था ग्रामदान एक्ट के अन्दर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि एक दफा जो ग्रामदान घोषित हो जाय तो ग्रामदान से अलग नहीं हो सकता है। इसलिये आप ग्रामदान एक्ट के अन्दर संशोधन करें। जिस गांव के लोग पंचायत में रहना चाहें पंचायत में रहें, ग्रामदान के अन्दर रहना चाहें, ग्रामदान में रहें। यह विशेष रूप से निवेदन करना चाह रहा था पिछली जनता सरकार ने एक बुलेटिन भूतपूर्व उद्योग मन्त्री, श्री सूर्यनरायण चौधरी के जरिये जारी किया था, उन्होंने यह लिखा था कि ग्रामवासियों को इस बात की छूट होनी चाहिये कि वह अपनी मर्जी से चाहे तो ग्रामदान व्यवस्था से निकलकर पुनः पंचायत वाली पुरानी व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं, इस पर राज्य सरकार ने विचार किया है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था यदि इस प्रकार का कोई ऐसा मुद्दा राज के ध्यान में पहले से मौजूद है तो उस पर विचार करें और यदि पहले से नहीं है तो विचार करके ग्रामदान की बीमारी जो नीम का थाना क्षेत्र में लग गई है उससे छुटकारा दिलाइये। मैं आपका बहुत बड़ा आभार मानूंगा। दूसरा, आपसे निवेदन करना चाह रहा था काश्तकारों के लिये आप स्वयं काश्तकार हैं, काश्तकारों के हितों की रक्षा करना आपका राजस्व मन्त्री होने के नाते और वैसे भी परम कर्त्तव्य है। मैं आपसे बहुत नम्र निवेदन करना चाह रहा था कि आज जितनी भूमियां, गैर मुमकिन हैं, चरागाह हैं, गैर मुमकिन पहाड़ हैं, आज उनकी किस्म बदलने का अधिकार सिवाय राज्य सरकार के और किसी को नहीं है। एक मुकदमे का हाईकोर्ट में डिसीजन हुआ है, मेरे को मुकदमे का नाम याद नहीं है, लेकिन ऐसा डिसीजन हुआ है हाईकोर्ट से कि किस्म जमीन राज्य सरकार ही बदल सकती है। मैं निवेदन करना चाह रहा था, कि आप इसमें तब्दीली करके इसमें कलेक्टर को या एस. डी ओ. को आप पावर दें। यह किस्म जमीन बदलने का अधिकार दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपस में बातें न करें। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। बातें नहीं। शान्त रहें। आर्डर माननीय सदस्या।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक की निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन का समय एक घंटा बढा दिया जाय उसमें ही रिप्लाई वगैरह करा दिया जाय। सुबह आठ बजे से सभी माननीय सदस्य बैठे हैं, खाना भी नहीं खाया है, अधिकारी भी सब इसी तरह से बैठे हैं। इस डिबेट को समाप्त कीजिये जितनी जल्दी से जल्दी यह हो सके।

श्री चन्द्रवीर सिंह : मन्त्री जी का जवाब लेकर के सब लोग अपने अपने घर जाना है तो आठ बजे....

176

श्री अध्यक्ष । आर्डर । बैठक का समय चार बजे तक के लिये बढ़ाया जाता है । अब जो माननीय सदस्य बोलेंगे वह पांच पांच मिनट से अधिक नहीं बोलेंगे । कृपया शीघ्र समाप्त करें ।

मांग संख्या 8, 37 व 39 पर विचार

श्री मोहनलाल मोदी : मैं तो शीघ्र समाप्त कर रहा हूं । दो बातें निवेदन करना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : दो तीन मिनट में समाप्त कर दीजिये ।

श्री मोहनलाल मोदी : दो मिनट । अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश का पालन करूंगा ।

मैं निवेदन कर रहा था, जो किस्म जमीन बदलने का प्रश्न है, चरागाह का, गैर ममकिन का, उसके लिये कलेक्टर को, एस. डी.ओ. को पावर दीजिये । जो हाईकोर्ट से डिसीजन दिया है उसमें तब्दीली कराइये और उनको पावर दें । क्योंकि आज क्या स्थिति है ? मेरे यहां, अध्यक्ष महोदय, बहुत से नदी नालों की जमीन गैर मुमकिन दर्ज है । वह नाले बंद हो गये, बांध बन गये । वह जमीन काबिल काश्त है । वहां तीस तीस साल से लोग काश्त कर रहे हैं और उसकी पैनल्टी दे रहे हैं । मैं निवेदन करना चाह रहा था, वह पैनल्टी वसूल नहीं की जानी चाहिये और उनको रेगूलेलाइज करना चाहिये । तीसरी बात विशेष नहीं करके मैं आपसे यही निवेदन करना चाह रहा था कि मेरी छोटी सी समस्या का समाधान करें । एक बात और अर्ज करना चाह रहा था । मेरे क्षेत्र में जागीरदारी प्रथा थी । जब जागीरदारी समाप्त हुई तब इन काश्तकारों को भूमि का मालिक बनाया । उस समय कुछ लोगों के पर्चे जागीरदारों के नाम बन गये । आज बीस बीस साल से काश्तकार जमीन काश्त कर रहे हैं, उनकी काश्त के अन्दर जागीरदार दखल कर रहे हैं, सरकार मदद नहीं दे रही है तो एक दफा पजेशन ले लिया तो वह भूमि से महरूम रहे जायेंगे । मैं यही निवेदन करना चाह रहा था कि सरकार ऐसे काश्तकारों की मदद करे ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूंसिंह ।

व्यवस्था का प्रश्न

विभाग के प्रगति विवरण का वितरण

श्री श्रीराम गोटेवाला : पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने पहले व्यवस्था का प्रश्न उठाया है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं पहले उठाने वाली थी, आपने मुझे रोक दिया । मुझे सिर्फ इतना कहना है माननीय मन्त्री महोदया ने कहा था कि राजस्व का प्रगति विवरण वितरित कर दिया है, मैंने कहा था नहीं किया । इसकी व्यवस्था हुई या नहीं, मिलेगा या नहीं । अब मांग समाप्त कर रहे हैं, मन्त्री महोदया उत्तर देंगी । मैं कहना चाहूंगी कि कृषि का भी नहीं मिला । माननीय अध्यक्ष जी, क्या व्यवस्था चल रही हैं ? यह उत्तर दिलाया जाय ।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, निरस्त किया गया ।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न पर व्यवस्था

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हमने करीब पांच विधायकों ने दरख्वास्त करके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था । नहीं, प्रिविलेज मोशन दिया था, सॉरी सर । उसमें हमने कहा था कि एक अखबार भ्रष्टाचार के संबंध में निकला था, मन्त्री मंडल में हिजड़ों का बहुमत । उसके बारे में प्रिविलेज मोशन दिया था ।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, विचाराधीन प्रश्न है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह बात होली में चली जायगी ।

श्री अध्यक्ष : होली के बाद ठंडे दिल से सोच कर निर्णय देंगे ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह नहीं उठा सकते । यह मेरे प्रिविलेज मोशन के साथ आयेगा, नोटिफाइ के जरिये

श्री अध्यक्ष : तभी मैंने कहा होली का माहौल है, उसके बाद विचार करके उस पर निर्णय लेंगे ।

एक माननीय सदस्य : श्रीराम जी कैसे कह सकते हैं कि कौन ××× है और कौन नहीं है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं थोड़े ही कह रहा हूं । अखबार के खिलाफ कार्यवाही के........

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री श्रीराम गोटेवाला : नेतृत्व तो आप करेंगे ?

श्री देवीसिंह भाटी : बिलकुल हम तो आपके साथ हैं, ×××

श्रीमती उजला अरोड़ा : बेकार की बात क्यों करते हो । एक ऐसे मौके पर जो बेचारा एक तरफ पड़ा रहता है तुम उसकी चिन्ता करते नहीं हो । उनके बारे में मजाक करते हो ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मजाक होली पर नहीं करें तो कब करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करिये ।

मांग संख्या 8, 37 व 39 पर विचार

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : अध्यक्ष महोदय, पहले मैं निवेदन करूं, उससे पूर्व आपने व्यवस्था दी है कि अब जो माननीय सदस्य बोलेंगे वह पांच मिनट बोलें । अगर ऐसी व्यवस्था है तो मेरा निवेदन है कि मुझे दूसरे साथियों की तरह पूर्ण समय दें, अन्यथा मुझे मना करदें मैं नहीं बोलूंगा ।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति व शब्द अपलोपित किये गये

178

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट हम कई दफा कर देते हैं। जिस हिसाब से जैसा जिसका अनुभव है, वैसी मैं उनकी डिबेट करवाता हूं। कोई काश्तकार है, काश्त में समझता है, मैं उतना समय देता हूं। जब ठीक है चलते रास्ते खेत देख लिया, उसकी जानकारी नहीं है, दो मिनट उनको भी दे देते हैं। कहावत है कि ठावे ठावे तो छोड़ दिया बाकी को ले लियो। सभी को कुछ न कुछ देना होता है समय, आप बोलियेगा, लेकिन समय का ध्यान रखें।

श्री हरि सिंह (फुलेरा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, मैं डाक्टरी पर बोलता हूं तो कहते हैं डाक्टरी छोड़ कर पॉलिटिक्स में आ गया और पॉलिटिक्स पर बोलता हूं तो कहते हैं कि डाक्टर पॉलिटिक्स नहीं समझता। कृषि पर बोलता हूं तो कहते हैं....

श्री अध्यक्ष : आपको जैसा उपयुक्त अवसर हो, किसान के तौर पर भी पुकारा जा सकता है, आप रूरल कांस्टीट्यूएंसी को भी रिप्रजेंट करते हैं उस पर भी आपको पुकारा जा सकता है, मेडिकल, सांइटिस्ट, जो माननीय सदस्य जिस पक्ष को प्रस्तुत करते हैं वैसा ही माननीय सदस्यों का नाम पुकार लेते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ये हिजडों को सर्टिफाई करने का विशेषाधिकार चाहते हैं।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आज के कटौती प्रस्ताव की मांग है उसके सभी विषय पर तो नहीं बोलूंगा केवल राजस्व की माँग पर बोलता हूं। मैं राजस्व मन्त्री जी से जानकारी चाहूंगा, कुछ सुझाव बताना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग का जो गठन किया है और उस गठन की जो कार्य प्रणाली है, मैं कहना चाहता हूं कि वह पूर्णतया दोषपूर्ण है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, पूरा राजस्व विभाग नौकरशाही के शिकंजे में कसा हुआ है जिस पर जन प्रतिनिधि का का कोई सीधा सम्पर्क नहीं है और नौकरशाही पूर्णतया हावी है। अध्यक्ष महोदय, मैं छोटा सा प्रमाण देना चाहता हूं। राजस्व विभाग का छोटा सा कर्मचारी होता है पटवारी। उसको लीजिये आप। उसके रिकार्ड पर आज गरीबों पर अत्याचार हो रहा है उनकी कहानी लिखी हुई है। पटवारी के रिकार्ड पर वही बात लिखी होगी जो गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। यह कहानी मैं अल्प समय में तो नहीं बता सकता। अगर आप समय देंगे तो पूरी पुस्तक लाकर सुपुर्द कर दूंगा और समय देंगे तो विधान सभा में भी बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, पटवारी राजस्व विभाग का, गांव का रेवेन्यू कमिश्नर है, विलेज रेवेन्यू कमिश्नर है।

श्री अध्यक्ष : कमिश्नर बेचारे को अख्तियारात ही कहां हैं जितने पटवारी को हैं।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : यह सही है, अध्यक्ष महोदय, पटवारी को दूसरे शब्दों में यह कह दें कि जागीरदारी प्रथा समाप्त होने के बाद गांवों में यह और जागीरदार बैठा दिया है तो वह पटवारी है। अध्यक्ष महोदय,

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

पटवारी के रिकार्ड में जो भी इन्द्राज होता है वह सारा निराधार होता है, पार्टी मूलक भ्रष्टाचार पर आधारित होता है और उसके रिकार्ड की जांच कौन करते हैं—नायब तहसीलदार, तहसीलदार या आर. आई., लेकिन वे भी औपचारिकता मात्र करते हैं क्योंकि अड्डे होते हैं भ्रष्टाचार के वे पटवारी से शुरू होते हैं। पटवारी लेता है किसानों से लूट लूट करके, खसोट करके, और सीधे आर. आई. के थ्रू, नायब तहसीलदार को, नायब तहसीलदार के थ्रू तहसीलदार को और तहसीलदार के थ्रू ऊंचे अफसरों....। इसमें कोई दो राय नहीं, अध्यक्ष महोदय, कि पटवारी के रिकार्ड को गांव का अनपढ़ किसान तो क्या मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा, हम और आप भी नहीं समझ सकते। न मालूम वह क्या लिखता है, कौन सी हेरा-फेरी करता है, अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं समझ पाता। पटवारी ने जो लिख दिया वह, अध्यक्ष महोदय, मिटाना कतई असम्भव है। वह गिरदावरी करता है, जमाबंदी करता है, नामांतरकरण करता है यह सारी प्रक्रिया तभी हो सकती है जब पटवारी का किसी को आशीर्वाद प्राप्त हो अगर गरीब घर को पटवारी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता तो उसका कोई काम नहीं हो पाता।

अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग का सीधा सम्बन्ध राजस्व मण्डल से होता है।

श्री अध्यक्ष : यह बात सही है कि पटवारी के पास गरीब का नाम लिखा हुआ न हो तो गरीब के पास एक इंच भी जमीन नहीं रहने दे।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग का सीधा सम्बन्ध रेवेन्यू बोर्ड से होता है, राजस्व मण्डल से होता है। अब मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि राजस्व विभाग, रेवेन्यू बोर्ड को बीच में लेकर स्वयं के जो प्रशासनिक अधिकार हैं, जो राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकार हैं, वे सारे के सारे उस नाकामयाब रेवेन्यू बोर्ड के हाथ में सौंप दिये हैं, वह सारा काम इसलिये नहीं हो पाता क्योंकि बीच की कड़ी रेवेन्यू बोर्ड बन गया। अगर रेवेन्यू बोर्ड नहीं हो, इसको हटा दिया जाय तो जमीनों के फैसले रेवेन्यू बोर्ड नहीं सुनेगा और राज्य सरकार, स्वतन्त्र निर्णय देने लग जाय और रेवेन्यू बोर्ड की अपीलें, फैसले सुनने के लिये स्वतंत्र हो तो आज राजस्व विभाग में जितनी धांधलियां हो रही हैं वे कतई नहीं होंगी। मैं मन्त्री महोदय से यह कहूंगा कि जिस प्रकार राजस्व मण्डल, हमारे यहां पर हाई कोर्ट का न्यायालय है, सैंकड़ों हजारों मामले आज अटके पड़े हैं तो इस प्रशासन को सुधारने में कितना समय लगेगा, लेकिन यह तो स्वाभाविक है, बहुत समय लगेगा लेकिन केवल रेवेन्यू बोर्ड के पास वही फैसले ही हों, दूसरे काम रेवेन्यू बोर्ड के हाथ से ले लिये जायें तो भारी सुधार होगा। तो मेरा सुझाव है रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक जिम्मेदारी रेवेन्यू बोर्ड से पूर्णतया हटा दी जाय, राजस्व मण्डल केवल स्वतन्त्र फैसले देने का हक रखे और एक समय, लिमिट बांध दी जाय कि रेवेन्यू बोर्ड को इतने समय में फैसला देना होगा तो, अध्यक्ष महोदय, मिसलों का निपटारा जल्दी होगा और प्रशासनिक कार्य रेवेन्यू विभाग करेगा, रेवेन्यू बोर्ड नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ गरीबों को राहत मिलेगी।

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

अध्यक्ष महोदय, एक सुझाव और भी है कि राजस्थान में लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91, जहां नाजायज कब्जों को हटाने की आवश्यकता है वहां इस धारा की आड़ में गरीबों पर भारी अत्याचार हो रहे हैं। विस्तार में जिन पुराने कब्जों पर धारा 91 के तहत कार्यवाही हो रही है जो आवश्यक होती है, किन्तु होता यह है कि जिस पर रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी की कृपा हो जाती है वह तो टीपी में नहीं लेगा और रेवेन्यू विभाग के अधिकारी, पटवारी की कुदृष्टि हो जाती है तो वहां 20-20 साल के कब्जों पर भी धारा 91 की आड़ में मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और गरीब किसान को रोजाना पेशी एस. डी. एम. की अदालत में, नायब तहसीलदार या तहसीलदार के यहां भटको। यह होता है, अध्यक्ष महोदय। इसलिये गरीबों का शोषण हो रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और मन्त्री जी जानते हैं कि जब प्रत्येक पंचायत में पटवारी होते हैं, तो वह नाजायज कब्जों को तत्काल, दर्ज क्यों नहीं करता ? जब नाजायज कब्जे होते हैं तो क्या पटवारी की ड्यूटी नहीं होती, वह 20-20 साल तक क्यों नहीं देखता कि कब्जा है या नहीं ? 20 साल बाद जिससे रंजिश निकालनी है कब्जा बता देता है और मुकदमा बना देता है। मैं यह जानकारी चाहूंगा कि धारा 91 के तहत वर्षों से चलते रहे मुकदमे, उनको अब अवधि निर्धारित कर दो, और निर्धारित करके आदेश जारी करें मन्त्री महोदया, कि इतने समय में जितने मुकदमे हैं उनका समाधान कर दिया जाय, फैसला दे दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक और सुझाव देना चाहूंगा कि धारा 91 के केसेज आप तहसीलदार या नायब तहसीलदार के न्यायालय में न करके पंचायत मुख्यालय पर ही रख दीजिए तो गरीब किसानों का तो खर्चा कम होगा, दूसरे उसको गवाह सबूत ले जाने पड़ते हैं फिर पेशी अगली तारीख को हो जाती है, तो पंचायत स्तर पर फैसला कर दिया जायगा। मन्त्री महोदय, तो मैं बताना चाहता हूँ कि फैसला जल्दी से जल्दी निपट जायेंगे और 91 के केसेज में कभी देरी नहीं होगी। मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि पटवारी की तैनाती होती है तहसीलों में। अगर अध्यक्ष महोदय, उनका सीधा सम्बन्ध पंचायतों से कर दिया जाय और फैसले वही होने लग जायं तो फैसले तो शीघ्र होंगे ही पटवारी डर कर भी रहेगा, जन प्रतिनिधि उस पर हावी रहेंगे और जन प्रतिनिधि वही काम करायेंगे जो जनता के हक में होगा। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि हमारी पार्टी ने घोषणा की थी कि गरीबों को कानूनी राहत सरकार द्वारा वकील करके दिलाई जायगी, हमारी सरकार ने घोषणा की है, हम विशाल हृदय रखते हैं, हमारी पार्टी विशाल हृदय रखती है तो, अध्यक्ष महोदय, गरीबों को राहत का एक सही रास्ता यह भी है कि नियमों में सरलीकरण करें। अध्यक्ष महोदय, जब तक रेवेन्यू कानूनों में नियमों में सरलीकरण नहीं होगा तब तक गरीबों के नाम पर, किसानों के नाम पर ढोल बजाओ चाहे ढिंढोरा पीटो उनको कभी भी न्याय नहीं मिलेगा और उनके फैसले नहीं हो सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि नगरपालिका और पंचायत क्षेत्रों में कोई एरिया निर्धारित कर दें और उस क्षेत्र में जो सिवाय चक की भूमि पड़ती

(श्री भैरू सिंह गुर्जर)

है वह नगरपालिकाओं को या पंचायतों को सौंप दीजिए ताकि वह भूमि आबादी के विस्तार के लिये प्रत्येक नगरपालिका, पंचायत अपनी योजना बना सके। आज आबादी बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय, आज ही अखबारों में पढ़ा कि हिन्दुस्तान की जनसंख्या 68 करोड़ हो गई है परन्तु हमारी पंचायतों के पास, नगरपालिकाओं के पास कोई भूमि नहीं है। अगर सिवाय चक की भूमि पंचायतों और नगरपालिकाओं को सौंप दी जायगी तो कम से कम पंचायतें और नगरपालिकाएं आबादी बढ़ने के साथ साथ वहां प्लाट दे सकेंगी, गरीबों को बांटेंगी तो कम से कम उनको रहने की सुविधा होगी। रेवेन्यू विभाग के पास जब तक जमीन रहेगी, रेवेन्यू विभाग लूटता खसोटता रहेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद दूसरी ओर जो वहां जमीन खातेदारी में बदली जाती है, उन्हें अवाप्त करने के कानून इतने जटिल है, जिससे भूमि की अवाप्ति के काम में काफी कठिनाई होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया को निवेदन करूंगा कि इस भूमि की अवाप्ति के लिए, भूमि को आबादी में बदलने के लिये जो कठोर नियम बना रखे हैं, जो खाना पूर्ति का लम्बा चौड़ा जाल बना रखा है, उसको सरल किया जाय। इसकी वजह से सैंकड़ों प्लाट, सैंकड़ों घोटाला हो रहा है। आज भी जयपुर शहर में इन सहकारी समितियों का जाल बिछा हुआ है और राजस्व अधिकारियों से मिलकर उन्होंने जमीनों पर कब्जा कर लिया है और उसमें कई प्लाट काट रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को कहना चाहूँगा कि वे इसकी जांच करावें और जितनी भूमि है वह नगरपालिका, नगर परिषद् और पंचायतों को सौंप दी जाय।

मैं इसके बाद भू-प्रबन्ध विभाग की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा। वैसे तो हमारे प्रदेश में करीब दस, बीस वर्षों में भू-प्रबन्ध का नवीनीकरण होता है किन्तु इसका जो क्रियाकलाप है, उससे गरीब वर्ग प्रभावित होता है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि भू-प्रबन्ध के कार्य में अधिकतर यह पाया गया है कि राजस्व विभाग का रिकार्ड खाता इन कब्जों का माप दण्ड माना जाता है। अध्यक्ष महोदय, जब राजस्व विभाग के कागजों के अन्दर कब्जों का मापदण्ड माना जाता है और वास्तव में जैसा मैंने पहले कहा है, रिकार्ड वास्तविकता से दूर होता है। आज भू-प्रबन्ध में जिनका भूमि पर कब्जा है, जिनका कब्जा है, उस भूमि को वे नहीं लेते हैं जबकि कानून में प्रावधान है कि जिसका कब्जा है भूमि पर उसे ही लिया जाय। अध्यक्ष महोदय, इसकी क्रियान्वित नहीं हो पा रही है। मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदया को यह निवेदन करूंगा कि अतिशीघ्र इसकी क्रियान्विति की जाये ताकि गरीब लोगों को राहत मिले। कहने को बहुत बातें हैं परन्तु आपने समय कम दिया और मैं अनुशासित सदस्य रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : इतना समय दिया और फिर भी यह सर्टिफिकेट दे रहे हैं....

श्री भैरू सिंह गुर्जर : कम ही है। मैंने तो आपको निवेदन किया था, रेवेन्यू विभाग पर पूरी एक पुस्तक लिख सकता हूं, रेवेन्यू विभाग के घोटालों के बारे में, इनके आफिसरों के बारे में, इनकी बाल की खाल खींच दूं....

182

श्री अध्यक्ष : मैंने आपके विचार सुने। बड़े महान् विचार हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रवीरसिंह। अलग अलग क्षेत्र हैं। जैसलमेर क्षेत्र के हैं। इसलिये इस क्षेत्र की समस्या रखने के लिये भी अवसर दे रहा हूं। आप कभी खेत पर भी पधारे हैं ?

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : हुकुम मां के खेतां में बरसात होवे तो जावां....

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 8 के अन्तर्गत जैसलमेर के काश्तकारों को खातेदारी हक दिलाने हेतु जो मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है, उसके मुत्तलिक कल काफी चर्चा सदन में हो चुकी है और मैं उस विषय में सदन का समय और चर्चा करके नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन मैं मंत्री महोदया को यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो जटिल समस्या वहां उत्पन्न हुई है उसका आप अतिशीघ्र प्रबन्ध करें और उन काश्तकारों को राहत पहुंचावें।

अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 39 के अन्तर्गत में अपने विचार भी प्रस्तुत करूंगा। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में और मुख्य मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह फर्माया है कि मरू क्षेत्र में तीस नये पशु चिकित्सालय खोले जायेंगे। मैं इसका स्वागत करता हूं और स्वागत ही नहीं मैं आपका आभारी हूं कि आपने पहली दफा मरू क्षेत्र के बारे में कहा है और कुछ करने जा रहे हैं। मरू क्षेत्र की इकानामी कैटल बेस्ड इकानामी है और पशुधन का जितना विकास किया जाय उतना ही उस क्षेत्र की इकानामी का सुधार होगा और वहां के लोग भी आगे बढ़ेंगे।

श्रीमती कमला : पिछली बार भी इतने ही खोले गये हैं।....

श्री चन्द्रवीर सिंह : जैसलमेर में तो एक ही खुला है

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय को आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि पशु चिकित्सा खोले जाएं, उस समय जैसलमेर का विशेष ध्यान रखा जाए क्योंकि बीस वर्षों का हमारा अनुभव है कि उसे क्षेत्र को राजस्थान सरकार राजस्थान में नहीं मानती है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप कम से कम, मंत्री महोदया, उस क्षेत्र के लिये जो भी पशु चिकित्सालय खोले जाएं उसमें जैसलमेर को प्राथमिकता देकर जैसलमेर में ज्यादा पशु चिकित्सालय खोलने का कष्ट करेंगी।

मंत्री महोदया, पशु चिकित्सालय खोलने की बात कह रही हैं, परन्तु जैसलमेर जिले में जो पशु चिकित्सालय खुले हुए हैं उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। मंत्री महोदया, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि पशु चिकित्सालय के लिये जैसलमेर जिले में स्वीकृत पद हैं उनमें से कितने पद रिक्त हैं इसका आपको अनुमान

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

नहीं होगा और आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि वहां पर ये पशु चिकित्सालय किस प्रकार से चल रहे हैं ? आज जैसलमेर के पशु चिकित्सालय में स्वीकृत वी. ए. एस. के पद दो हैं जिसमें से एक पद रिक्त है । इसी प्रकार पोकरण में स्वीकृत पद एक, रिक्त नहीं है । रामगढ़ में स्वीकृत पद एक, रिक्त पद एक, मिणियाणा में स्वीकृत पद एक, रिक्त पद एक । नाचना में स्वीकृत पद एक, रिक्त पद एक । आरक्षण क्षेत्र जैसलमेर में स्वीकृत पद एक, रिक्त पद एक । पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केन्द्र सम में स्वीकृत पद एक, रिक्त पद एक । देवा में स्वीकृत पद एक, रिक्त पद एक । खुहड़ी में स्वीकृत पद एक, रिक्त पद एक । सत्तो में स्वीकृत पद एक, रिक्त पद एक । चांधण में स्वीकृत पद एक, रिक्त पद एक । मोहनगढ़ में स्वीकृत पद एक, रिक्त पद एक । डांगरी में स्वीकृत पद एक रिक्त एक । राजमथाई में स्वीकृत पद एक रिक्त पद एक । फूलसुंड में स्वीकृत पद एक रिक्त पद एक । नोख में स्वीकृत पद एक रिक्त पद एक । सत्याया में स्वीकृत पद एक रिक्त पद एक । लोहार की मे स्वीकृत पद एक रिक्त पद एक । मत्री महोदया इस तरह से स्वीकृत पद कितने हैं और रिक्त पद कितने हैं उससे आप स्वयं अन्दाजा लगा सकती हैं यानि 21 पद आपने स्वीकृत किये हैं डाक्टर्स के और उसमें से 18 पद आज वहां के पशु चिकित्सालयों में रिक्त हैं । आप स्वयं जानकार हैं अगर इतने पद रिक्त रहेंगे तो मैं 21 से 18 पद रिक्त रहेंगे मंत्री महोदया तो इन पशु चिकित्सालयों में किस प्रकार काम होगा । यह आप स्वयं जानते हैं । इसी तरह से स्वीकृत पद कम्पाउण्डर्स के 49 हैं जिनमें से तेरह पद रिक्त हैं....

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) : जैसलमेर के डाक्टर्स तैयार होंगे तभी यह समस्या हल होगी ।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : मंत्री महोदया मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस तरह से पशुधन सहायक कम्पाउन्डर्स के 49 पद स्वीकृत हैं उसमें से 13 पद रिक्त हैं । यह अकाल का भीषण टाइम है और आज पशुधन को ज्यादा से ज्यादा बचाने की आवश्यकता है, पशुधन को प्रापर मेडिकल फैसिलिटी, केअर नहीं देंगे तो हजारों की संख्या में पशुधन की क्षति हो सकती है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा,

(3·15 म.प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदया की मार्फत कि जितने भी पद रिक्त हैं उनको आप तुरन्त भरवाने की कृपा करें । मुझे विश्वास है, उम्मीद है, कि आप इन रिक्त पदों को तुरन्त भरवा देंगे ।

अन्त में समय कम है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा, किन्तु यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसलमेर में जो चिलिंग प्लाण्ट है, उसके लिये मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था, फिर भी, माननीय सभापति महोदया के द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले की इकानामी कैटल बेस्ड इकानामी है और अगर जैसलमेर जिले में चिलिंग प्लान्ट खोलें या चिलिंग प्लान्ट तुरन्त खोलने का प्रस्ताव रखेंगे तो मैं सोचता हूं कि उस

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

क्षेत्र का भला होगा उद्धार होगा और कृषकों को, पशुपालकों को उनके दूध का सही मूल्य मिल सकेगा और उसके उपरान्त आपको भी फायदा है ।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पोकरण के चिलिंग प्लान्ट जो, दुग्ध अवशीतल केन्द्र है, में हजारों रुपयों का घोटाला हो रहा है, वहां पर प्रबन्धक द्वारा भारी अनियमिताएं बरती जा रही हैं । यहां तक ही नहीं जो आडिटर आडिट करने गये उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उनको आडिट करने में कई तरह की बाधाएं पहुंचाने का प्रयत्न किया । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस अधिकारी के खिलाफ आप जांच करवा कर उनको तुरन्त सस्पेन्ड करें, और यही नहीं इस सारे विवरण का, इस सारे काण्ड की सही जांच कराने का कष्ट करेंगे । इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री सभापति : माननीय श्री हरिसिंह ।

(अनुपस्थित)

आपकी लिस्ट है, आपकी तरफ से नहीं है । मैं देख लेती हूं

श्री अमीन खां का दिया हुआ है ।

श्री प्रभूलाल (अनुपस्थित)

(3·20 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : मैं समय की कमी के कारण जो कुछ मुख्य मुद्दे हैं, वाद विवाद के उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं, सरकार की जो नीति है और उस पर विभाग किस प्रकार काम करते हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । सरकार की यह मंशा रही है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के लिये जो आरक्षित कोटा है और जिन नौकरी में वह कोटा पूरा नहीं है तो उसको पूरा करने के लिये इसी आधार पर 25/7/77 को कार्मिक विभाग द्वारा एक विज्ञप्ति निकाली थी उसमें यह था कि नियोजन अधिकार स्वयं ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को सीधे ही भर्ती कर सकते हैं । इसमें यह था, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले समाज कल्याण विभाग से नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था उसको 2/9/79 के अन्तर्गत हटा दिया गया और उसके तहत पशुपालन विभाग के अन्दर साइस और हरिजनों के पद जिन पर कोई नहीं था अर्थात जो रिक्त थे को भरने के लिये 64 हरिजनों को अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को नौकरी दी गयी । माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय न तो कोई मितव्ययता के लिये सरकार की तरफ से प्रपोजल थी न कोई प्रतिबंध था । इन 84 व्यक्तियों को, माननीय अध्यक्ष, महोदय, 2 मार्च को डायरेक्टर साहब के आदेश के माध्यम से सेवायें समाप्त कर दी गई हैं, निकाल दिया गया है । उसका आधार यह दिया गया है कि मितव्ययता के आधार पर वृतिका धारी और अपंग नहीं हैं । मैं निवेदन

(श्री रामकिशोर मीणा)

करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के वे व्यक्ति वृतिकाधारी हैं जो स्नातक हैं या पोस्ट ग्रेजूएट हैं तो क्या अब यह सरकार की मंशा है कि हरिजनों और साईसों के पदों पर जो पोस्ट ग्रेजूएट हैं उनको लगाया जाय ? राजस्थान में मितव्ययता के नाम पर जब 79 में उनको भर्ती किया गया था तो उस समय कोई मितव्ययता का सरकार की तरफ प्रतिबंध नहीं था। प्रतिबंध के बाद 84 व्यक्ति साईस और हरिजनों के पदों पर कार्य कर रहे थे। इसमें, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि हरेक जिले से लिये गये थे और इसमें केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के ही थे इस संबंध में एक उदाहरण मैं आपको पाली का भी देना चाहता हूं। जो पाली के जिला पशुपालन अधिकारी थे और उन्होंने ट्राइब्स के व्यक्ति लिये थे उनको नहीं हटाया गया है यह एक विरोधाभास है और दूसरा विरोधाभास यह है कि 9 मार्च, 1981 को इनको हटाया गया और 10 मार्च, 1981 को दुबारा डायरेक्टर साहब ने विज्ञप्ति जारी कर दी। जिन 84 आदमी को हटाया था उनमें से एक को भी नहीं लिया जा रहा है, तो एक तरफ तो सरकार मितव्ययता के कारण क्लास फोर्थ के लोगों को अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को हटा रही है और दूसरी ओर नयी भर्ती हो रही है। दूसरी ओर, इसके साथ ही वर्तमान में सरकार में कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनकी हालत यह है कि उनके पास कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है उनको कोई डिपार्टमेंट दिया ही नहीं जा रहा है उनको रोजाना आना जाना पड़ता है, कारों का खर्चा होता है वहां पर आपकी मितव्ययता नहीं है। मेरा, अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में यह निवेदन है कि उनको एक जगह बैठा दो, उनको आने जाने में परेशान होना पड़ता है मितव्ययता के नाम पर, सरकार की मंशा है कि जो सीटें रिजर्वेशन के माध्यम से नहीं भरी जा रही हैं उनको स्पेशल आर्डर के माध्यम से लगाया गया है, अब उनको मितव्ययता के नाम से हटाया जा रहा है आज। जबकि जून, 79 में उनका अपाइन्टमेंट किया गया था। इस संबंध में मंत्री महोदय अपने जवाब में स्पष्टीकरण करें कि जिन 84 व्यक्तियों को हटाया गया है, जो कि सारे राजस्थान से लिये थे और जो ओवर ऐज की कैटेगरी में आ चुके हैं, को किस आदेश से हटाया गया और उनको कैसे वापस लेंगे ? इसको बताने की कृपा करें।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, कि जो डेयरी है, डेयरी की आज हालत यह है कि ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री रामकिशोर मीणा : समाप्त कर देता हूं। मैंने एक ही मुद्दा उठाया है उसका ही मंत्री महोदय जवाब दे दें तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष : अब विवाद समाप्त हो रहा है।

(व्यवधान)

मेरी बात तो सुनें पूरी डिबेट आपने

(१८५)

(श्री अध्यक्ष)

सुन ली है अब आप कोई विशिष्ट विषय ऐसा बाकी हो और उस पर कोई सुझाव हों किसी माननीय सदस्य के पास तो उनको तीन से अधिक को तो समय दूंगा नहीं, पर वे पांच पांच मिनट में दो तीन सदस्य अपनी बात कह सकते हैं। ऐसा विशिष्ट विषय होना चाहिये जो अब तक नहीं उठाया गया हो।

उधर के तो पूरे हो गये हैं....

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप किस विषय पर बोलना चाहते हैं ?

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : तीन चार सुझाव हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य। हां।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्व और पशुपालन के ऊपर मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं। जैसा कि बजट में प्रावधान है हमारे झुन्झुनू जिले में उदयपुर वाटी के ग्राम मुडडोरसी में जहां की आबादी 14–15 हजार की है सब तहसील होनी चाहिये वहां बहुत लम्बा चौड़ा क्षेत्र है, सुदूर गांवों के लोग वहां पर आने में परेशान होते हैं इसलिये उनकी परेशानी दूर हो जाय इसके लिये आपको वहां पर सब तहसील बनानी चाहिये। मंत्री महोदया, हमारे जिले की लड़की हैं जिससे की इनके बहुत ही आत्मिक संबंध हैं इसलिये मेरा निवेदन यह है कि उस क्षेत्र की परिस्थितियों से वे पूरी तरह वाकिफ हैं किसानों की परेशानी का उनको पता है इसलिये वहां पर सब तहसील अवश्य खुलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आपने मंत्री महोदया को वहां पर बुलाया ही नहीं होगा।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : ये आयी ही नहीं हैं। दूसरा मैं मेरे क्षेत्र के बारे में मंत्री महोदया, से कहना चाहता हूं कि पिछली बार हमारे यहां पर वेटेनरी अस्पताल खुला था परन्तु पूरी उदयपुर वाटी में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र नहीं है। शंकर नस्ल सुधार केन्द्र, आर्टीफिसियल इनसमेनशन का कोई केन्द्र नहीं है इसलिये यह किया जाय जिससे कि हमारे यहां पर श्वेत कार्यक्रम पिछड़ा हुआ है वह आगे बढ़े इसकी व्यवस्था कराई जाय। दूसरा एक और निवेदन यह है कि मंत्री महोदया डेयरी का जो चिलिंग प्लान्ट झुन्झुनू में लग रहा है उसका काम जल्दी पूरा कराया जाय जिससे कि खेतड़ी चिड़ावा इधर से आने वाला दूध है वह बेकार नही जाय और फटे नहीं क्योंकि दूर जाने में कभी कभी फट जाता है। यही मेरा सुझाव है कि पेस्टीसाइड का पिछली बार बीज नहीं दिया गया था जिसके कारण हमारी सरसों और चने की फसल का नुकसान हुआ था इस ओर ध्यान देकर इसको जल्दी उपलब्ध कराया जाय।

श्री अध्यक्ष : आप किस विषय पर बोलना चाहते हैं ?

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 सुझाव देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, समय की कमी है इसलिये खाली सुझाव देना चाहता हूं। इसमें निवेदन यह है कि बीज का उत्पादन हमारे यहां नहीं कर पा रहे हैं हाईब्रीड का, जो गुजरात से मंगा रहे हैं तो हमारी जो योजना चल रही है, अग्रिम बुवाई का जो प्रोग्राम चल रहा है इसके लिये बाजरी का हाईब्रीड होता है, वह राजस्थान में ही तैयार होना चाहिये। वह बीज राजस्थान के लिये उपयुक्त भी नहीं है....

श्री अध्यक्ष : इसमें कठिनाई क्या है ?

श्री रामरघुनाथ चौधरी : यह तो विभाग का काम है यह करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मेरा खयाल है कि आप खेती के पास बहुत दिनों से गये नहीं हैं। ऐसा है कि गुजरात, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बाजरी मई के महीनों में गर्मियों में होती है, इसलिये जो दूसरी फसल नजदीक में नहीं होनी चाहिये वह नहीं होती क्योंकि बरसात नहीं होती है इसलिये उनको वह कठिनाई सामने नहीं आती है और हम पैदा करते हैं बाजरी बरसात के दिनों में तो बरसात के दिनों में इतनी दूर दूर जगह मिलनी बहुत मुश्किल होती है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : इसलिये यह निवेदन कर रहा था कि जो अग्रिम बुवाई की योजना है उसके तहत बीज का उत्पादन करायें। इसलिये यह निवेदन कर रहा हूं कि अग्रिम बुवाई का मतलब यह है कि वहां बुवाई मई के महीने में होनी चाहिये, उस समय बरसात नहीं होगी यह उस पहले ही तैयार हो जायगी, इसलिये मैं निवेदन कर रहा था बीज को यहीं पर तैयार करना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खाद की कीमत को....

श्री अध्यक्ष : जुलाई के अन्त में बरसात आ जायगी और सारी बाजरी बरसात में हो जायगी।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर तो बरसात का कोई भरोसा ही नहीं है, कभी होती है, कभी नहीं होती है तो जब वर्षा होगी तो उसको ही मद्दे नजरे रखते हुये....

श्री अध्यक्ष : मेरा कहने का मतलब यह है कि सुझाव व्यावहारिक होने चाहिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : व्यावहारिक ही है। लोगों ने इसके लिये प्रयास किया है और पिछली बार बीज बाजरी के अग्रिम बुवाई के लिये बांटे गये थे। इसलिये यह नहीं कह सकते हैं कि यह व्यावहारिक नहीं है। वहां पर हो सकता है जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। इसलिये यह निवेदन कर रहा था। इसके साथ यह निवेदन करूंगा कि खाद के लिये अनुदान की व्यवस्था करें और किसान को खाद सस्ता दिलायें।

मैं निवेदन करूं गीग्राइडील सीड के हिसाब से अरंडी का उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन देना चाहिये यह मेडों और खेत में अलग अलग एक एक बीघा में की जा सकती है। इसलिये इसको प्रोत्साहन दिया जाय और सीड का उत्पादन बढ़ाया जाय।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

कातरा की रोकथाम के बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कातरा है।

श्री अध्यक्ष : जहर की मात्रा कम हो गई जो मेरे खयाल से भय से मर जायेंगे क्यों वह समझें कि दवाइयां छिड़क दी और खतम हो जायेंगे।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : कातरा होवे ही नहीं, इस स्टेज पर प्रयत्न करना चाहिये।

इसके साथ-साथ सफेद लट—79–80 में 952 हैक्टेयर में प्रयास किया गया, 80–81 में 1467 हैक्टेयर में बुआई से पूर्व प्रयास किया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सफेद लट बुआई से पूर्व मारी नहीं जा सकती परन्तु यह प्रयास कहां किया गया और किस प्रकार से किया गया यह बात मेरे समझ में नहीं आती। उदयपुर यूनिवर्सिटी ने एक बार पेड़ों पर स्प्रे करके प्रयोग किया था। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पहली बरसात में सफेद लट भंवरा बनकर उड़ जाती है। पेड़ों के पत्तों को खाती है उस इनिशियल स्टेज पर आप मार देते हैं तो लट नहीं बनती है। इस तरह से सफेद लट का मुकाबला किया जा सकता है। इसके लिए, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि विस्तार से स्प्रे किया जाय। एक बार सफेद लट मर जाती है तो उसी पर दवाई दोहराने से जा सकती है लेकिन मरती नहीं है और यहां तक देखा गया है कि उसको अन्दर भी डाल दें तो मरती नहीं है। इसलिए जितना प्रदर्शन दवाइयों का हो रहा है, इसका प्रदर्शन-करने के लिए आवश्यक है कि स्प्रे करने की योजना को ज्यादा पर्सेन्टेज पर चालू किया जाय।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि फसलों का बीमा बहुत जरूरी है। एक साल के लिए बीमा करवाते हैं तो दो-तीन साल करवाना पड़ेगा, इससे बीमा कम्पनी को फायदा हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इसको लागू करें।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को सीमेन्ट उपलब्ध करायी जाय। शहरों में फाइव स्टार होटल भले ही बनाये जाय लेकिन किसानों को कुंए खुदवाने के लिए सीमेन्ट दिलाया जावे।

एक निवेदन यह है कि 1978–79 में राजस्थान सरकार ने उदयपुर यूनिवर्सिटी के तहत पशुपालन पर रिसर्च करने के लिए एक हाई पावर कमेटी की स्थापना की थी, इसमें पशुपालन, भेड़पालन और डेयरी डवलपमेन्ट तीनों विषयों को शामिल किया गया था और यह सुझाव देने के लिए इसको गठित किया गया था कि भेड़पालन की बीमारियों की रोकथाम करते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इस पर प्रोजेक्ट बनाकर रिसर्च किया जाय। इन योजनाओं के तहत मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शीप, राठी कैटल ब्रीडिंग, पेसेसिन्ट इनफेस्टेशन, फूट एण्ड माउथ डिजिजेज, सीरम हिस्टोलाजी, पोल्टरी माउथिंग, फीडिंग ट्रायल्स, फिशरीज इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाये थे और वे प्रोजेक्ट्स पिछले दो साल से काम कर रहे हैं।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

उसमें पोस्ट भी क्रिएट की थी । असिस्टेन्ट प्रोफेसर की पोस्ट थी । एक तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो असिस्टेन्ट प्रोफेसर की पोस्ट थी, डा० पी.आर. जटकर उनको लेक्चरर से प्रोफेसर की पोस्ट पर लगा दिया जबकि न तो हाई पावर कमेटी ने रिकमण्ड किया और न राज्य सरकार की स्वीकृति थी । जिस पोस्ट की स्वीकृति नहीं थी उस पोस्ट पर उनको सीधा लगाया गया, यह मैं ध्यान में लाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : एक बात यह है कि यह प्रोजेक्ट दो साल से काम कर रहे हैं । इसमें आठ लाख की लागत स्वीकृत की गई थी, इसका मूल्यांकन तो होना चाहिए । इसमें क्या काम हो रहा है, हो रहा है या नहीं । अगर काम नहीं हो रहा है तो 8 लाख रुपया वेस्ट जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : इसके साथ ही निवेदन है कि सांडों का वितरण और अधिक मात्रा में हो ताकि जो ब्रीड जिस तरह की है, वह बढ़े । अभी क्रास ब्रीड में कहा गया कि दूध के लिए क्रास ब्रीड ज्यादा उपयोगी है और उसमें निवेदन किया था कि क्या बछड़े भी काम आयेंगे या नहीं । मैं समझता हूं, इस क्लाइमेट में जितनी गायें क्रास ब्रीड से बछड़े पैदा करेंगी वे काम में आ सकते हैं । वे बछड़े फिर भी अगर काम में न आवें तो उन बछड़ों के लिए दूध वाली गायों की क्रास ब्रीड से अच्छी गाय पैदा करते हैं, उसको तो हम नहीं रख सकते, इसलिए उसकी व्यवस्था की जाय ।

इसी तरह से डेयरी के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ पर चिलिंग प्रोजेक्ट्स लगाये गये हैं वहां पर दूर दराज के गांवों से तो दूध इकट्ठा करते हैं और पास वाले देखते रहते हैं.वहां जो सोसायटी बनाई है, उससे उनका भी सर्वे कराया जाय । वहां के जो लोकल वर्कर्स हैं जब तक पॉलिटिक्स में इण्डल्ज होते रहेंगे, मैंने आगे भी निवेदन किया था और मैं चाहूंगा कि जहां भी चिलिंग प्लान्ट है, उनके हो जाते हैं । इसलिए मेरा निवेदन है आस पास का जो आठ-दस बारह मील का क्षेत्र है उसको पहले लिया जाय । उसके बाद में दूर दराज के इलाकों के लिए प्रयास किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, समाप्त कीजिए ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अन्त में, मैं रेवेन्यू के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । नाजायज कब्जे होते हैं इस प्रवृत्ति को बिलकुल रोका जाय । पहले तो नाजायज कब्जा किया उसको रेग्यूलेराइज करते हैं, इसके लिए कानून बनाया जाय, अलाटमेन्ट हो जाय, लेकिन वह नाजायज मांग है और जायज नहीं हो तो उसको समाप्त करना चाहिए । गांवों में अक्सर देखा गया है कि लोग कब्जा किये जा रहे हैं और दो-तीन साल बाद में उनको रेग्यूलेराइज करना पड़ता है । आपके अधिकारी लोग बैठे हैं, इसको प्रिलिमिनरी स्टेज पर ही रोक दिया जाना चाहिए ।

अन्त में, यह निवेदन करना चाहूंगा हमारे जिले में खेजड़ी होती है उसके लिए

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

बहुत ही भ्रम है कि खेजड़ी काटने वाला कोई भी लगाता नहीं है वह खेजड़ी उगती नहीं है। जितनी खेजड़ी उगी हुई है खेतों में, अगर वह हटाई नहीं जायगी तो पेड़ों को जमीन से एक जगह से काटते हैं तो दो-तीन पौधे फूटते हैं और बाद में खेजड़ी हो जाती है। इसके लिए नियम है कि वह काट तो सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते। बेचने के लिए इजाजत लें तो कलेक्टर वगैरह इजाजत देते नहीं हैं। इसलिए इसको स्टडी करके देखा जाय कि जहां पर बहुत ज्यादा खेजड़ी है उनको किस तरह से काटने की इजाजत दी जा सकती है। पुराने पेड़ों को काटने की इजाजत दी जानी चाहिए।

नियम का निलम्बन

नियम 106 को निलम्बित कर आरक्षण विरोधी आन्दोलन सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव पर आपने व्यवस्था दी थी....

श्री अध्यक्ष : दो प्रस्ताव हैं, एक तो नियमो में ढील--छूट दी जा करके प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय। वैसे इस तरह की अनुमति दी जा सकती है, सामान्यतः वह आनी चाहिए, 15 दिन के नोटिस में। एकाध दिन में विचार करेंगे, पहले मांगों को पारित करवालें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इससे पहले हो जाय तो ठीक रहेगा....

श्री अध्यक्ष : आप जानते हैं सुबह से ही बैठे हैं, 23 तारीख को निश्चित रूप से इस पर व्यवस्था दी जायगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं, सरकारी पक्ष भी इसके लिए तैयार होगा।

श्री अध्यक्ष : इस विषय पर उन्होंने पहले ही कह दिया कि 23 तारीख को वक्तव्य देंगे। मैं सोच रहा था, आपका भी आ गया, बहुत बढ़िया बात हुई, दोनों का तलब करके, साथ ही इसकी व्यवस्था हो जायगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उन्होंने एश्योरेन्स दिया या नहीं दिया, कहें।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कह दिया है कि वक्तव्य दिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें वक्तव्य देने की बात नहीं कही। मेरी और उनकी बात में अन्तर है कि वे सरकारी पक्ष की ओर से वक्तव्य देंगे, मैं सदन की ओर से प्रस्ताव पारित करने के लिए प्रस्ताव दे रहा हूं। दोनों में बहुत अन्तर है, मैं ऐसा समझता हूं।

श्री अध्यक्ष : विषय एक है, इसके लिए निवेदन है कि किसी दिन रख दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकारी पक्ष से पूछ लिया जाय। सरकारी पक्ष आरक्षण विरोधी आन्दोलन के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित कराना चाहता है या नहीं। थोड़ी देर पहले डिबेट में दे दिया था कि सरकारी पक्ष की प्रतिक्रिया आपने बताई....

श्री अध्यक्ष : कई दफा मुख्य मन्त्रीजी

(श्री ग्रध्यक्ष)

यहां नहीं होते हैं तो ऐसा ग्राभास होता है कि पूरा उत्तर नहीं देने पा रहे हैं, ग्रौर मुझे सूचित किया गया मुख्य मन्त्रीजी गये हुए हैं, दिल्ली, इसलिए थोड़ी ग्रड़चन उनको भी हो सकती है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं चीफ व्हिप काफी सक्षम हैं इस मामले में।

श्री ग्रध्यक्ष : मेरा निवेदन है....

श्री भैरोंसिह शेखावत : ग्राप तो ग्रादेश दे सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि प्रस्ताव पारित हो जाय तो कोई ग्रापत्ति नहीं होनी चाहिए। 23 तारीख को ग्राप वक्तव्य देंगे। प्रस्ताव यह है, खेतसिंह जी सुन लीजिए, ग्राप क्यों बोल रहे हैं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) मैं दोनों पक्षों का निवारण कर दूं। 8 बजे से बैठे हुए हैं, 2 बजे का समय था, तीन बजे, ग्रब 4 बजने जा रहे हैं। ग्रसल में सारी दिक्कत यह है कि लोग भूखे मर रहे हैं। इसलिए 4 बजे बंद करवाइए, ये मांगें पारित करवाकर, 23 को जो होंगे सारी बातें रखेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं ग्रापके माध्यम से मुख्य सचेतक से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने रूल 106 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जिस प्रस्ताव की मन्शा यह है कि यह सदन ग्रारक्षण विरोधी ग्रांदोलन की भर्त्सना करता है ग्रौर जनता से ग्रपील करता है कि इस ग्रांदोलन में किसी भी रूप में भाग नहीं लेवें। मैं समझता हूं हमारी भावना से ग्रापको ग्रापत्ति नहीं होगी? ग्रब उनकी गर्दन से क्या समझें?

श्री खेतसिंह राठौड़ : कोई ग्रापत्ति नहीं है, प्रस्ताव बड़ा सुन्दर है लेकिन....

श्री भैरोंसिह शेखावत : सुन्दर चीज है तो उसमें विलम्ब क्यों?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने निवेदन किया कि मुख्य मन्त्री का उपस्थित रहना...

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुख्य मन्त्री क्या करेंगे? उनकी भावना ग्रापके साथ है, वह ग्रापको कह कर गए हैं कि वक्तव्य दें, इस प्रस्ताव के विरोध में मुख्य मन्त्री भी नहीं हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ग्राज ग्रौर 23 तारीख में क्या फर्क है?

श्री भैरोंसिह शेखावत : बहुत फर्क है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : सबको होली पर जाना है, ग्रारक्षण के मामले पर सब ग्रपने विचार व्यक्त करेंगे, यह इतना लम्बा विषय है उसको ग्रब कैसे लिया जा सकता है? 8 बजे के बैठे हुए हैं, इसको 23 तारीख को लिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री देवीसिह भाटी (कोलायत) : दोनों पक्षों को मन्जूर हो तो मुख्य मन्त्री के स्थान पर मैं वक्तव्य दे दूं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। ऐसा है जैसा कि माननीय सदस्यों को पहले सूचित किया गया था और आज की बैठक होली को ध्यान में रखते हुए आज सुबह 8 बजे बुलाई गई थी और आज माननीय सदस्यों को जाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसका महत्व इससे भी प्रतीत होता है कि सरकार ने अपनी ओर से इच्छा व्यक्त की थी कि हम इस पर 23 तारीख को वक्तव्य देना चाहते हैं। इसलिए मैं उचित समझता हूं कि आपने तत्काल प्रस्ताव दे दिया, अभी मेरे पास यह आया है, मैं समझता हूं, इस पर सदन के सभी पक्षों के माननीय सदस्यों को अवसर मिलना चाहिए। अपने विचार व्यक्त करने का इसमें आज इतना समय नहीं मिलगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : समय काफी है।

श्री अध्यक्ष : 23 तारीख को....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लोग यह न मानें कि आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा हो और शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के खिलाफ एक प्रकार का भय का वातावरण बना हो और विधान सभा के विधायक इसलिए चर्चा....

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको नहीं बोलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आरक्षण विरोधी आंदोलन के कारण जिस तरह का भय व्याप्त हो रहा है उस वातावरण में हम यह कहकर डिबेट में भाग नहीं लें कि हम होली का त्यौहार मनाने जा रहे हैं, होली उन गरीबों के लिए भी है जो भय से आंतकित हैं, मैं समझता हूं, वे होली मना सकें इसलिए आवश्यक है कि इस प्रस्ताव को आज लिया जाय, तो कोई आपत्ति नहीं हो। यदि आप चाहें कि लम्बी चर्चा हो तो मैं विरोधी पक्ष की ओर से कह सकता हूं कि 8, 9, बजे तक हम तैयार हैं अगर सत्तारूढ़ पक्ष के सदस्य तैयार हों। इस प्रस्ताव की तुलना में आप होली को ज्यादा महत्व देते हैं और होली का त्यौहार उनको मनाना है, यही उनका कारण है तो इस प्रश्न को मतदान के लिए रख दें ताकि होली मनाने वाले एक तरफ मत देंगे और आरक्षण विरोधी आंदोलन जो चल रहा है उसका किस प्रकार से निराकरण किया जाय, जनता को भय से मुक्त किया जाय, वे एक तरफ होंगे। उनका बहुमत है इसलिए उनको चिंता नहीं है, इस आधार पर, अध्यक्ष महोदय, चाहें तो रिजेक्ट करें।

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : विरोधी दल के नेता की मन की असली बात जुबान पर टपक रही है, असल में वह अखबारी प्रचार चाहते हैं, उनका आरक्षण से कोई खास ताल्लुक नहीं है, वह चाहते हैं कि हमारा प्रस्ताव रखवाया जाय, गिर जाय, वह प्रचार हो जाय, यह कौनसा तरीका है, यह सस्ती लोकप्रियता का तरीका है, ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर खुलकर विचार होना चाहिए....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नियम 306 के अन्तर्गत मैं अनुमति लेकर यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि नियमों का शिथिलीकरण किया जाय....

श्री अध्यक्ष : आज इजाजत नहीं दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुन तो लें। रूल 306 में लिखा है

Suspension of rules : Any member may with the consent of the Speaker move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the House and if the motion is carried the rule in question shall be suspended for the time being.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी कन्सेंट के लिए मूव करता हूं। वह इसलिए मूव कर रहा हूं कि मैंने जो आपके सामने प्रस्ताव रखा है, वह प्रस्ताव कितना महत्वपूर्ण है। एक जानकारी आपको देना चाहता हूं, आजकल राजस्थान में पाली, जालोर, फालना, सिरोही वहां बन्द का आह्वान किया है, आज बन्द का आव्हान कर रहे हैं और यह बन्द इस प्रकार से चलते रहे तो इस आंदोलन का फैलाव होगा, उस फैलाव को रोकने के लिए जनमानस में किसी प्रकार की भ्रांति न हो कि इस प्रश्न पर सरकार सजग नहीं है. इस प्रश्न पर उनको जनता का समर्थन नहीं है। कुछ आदमी जो इस प्रकार का आंदोलन चला रहे हैं उनको एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा, नसीहत मिलेगी, इस आंदोलन के पक्ष में न सरकार है न विरोधी पक्ष है, इस भावना को आपने जल्दी से जल्दी नहीं पहुंचाया तो मुझे भय है कि होली का त्यौहार मनाते समय या होली के दिनों में किसी प्रकार की गड़बड़ न हो जाय। लोग आतंकित हैं, उनको भय और आंतक से मुक्त करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रस्ताव आज लिया जाय। मुख्य मन्त्री की ओर से मुख्य सचेतक ने यह कहा कि प्रस्ताव 23 तारीख को लिया जाय, उन्होंने वक्तव्य की बात कही, हमने प्रस्ताव की बात कही। वक्तव्य से केवल मुख्य मंत्री की मंशा क्या है, वह सारे राजस्थान में जायगी, इस प्रस्ताव से सदन की मंशा क्या है. यह पूरे राजस्थान में जायगी, इसलिए सरकारी पक्ष इसका विरोध नहीं करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर भी किसी कारण से विरोध करते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि नियमों का शिथिलीकरण करके इस प्रस्ताव को सदन में रख दें। सदन जिस प्रकार से निर्णय करना चाहेगा कर ले, यदि शिथिलीकरण के प्रश्न पर मत कराना चाहें तो वह भी मंजूर है, यदि प्रस्ताव के संबंध में इसका निर्णय कराना चाहें वह भी मुझे मंजूर है, लेकिन मैंने जो प्रस्ताव मूव किया है और नियमों के शिथिलीकरण के बारे में आपसे कन्सेंट मांगी है, मुझे आशा है, आप कन्सेंट देंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरा निवेदन है कि माननीय श्री भैरोंसिहजी ने जो प्रस्ताव सदन की तरफ से रखा है इस पर सारी पार्टियों के जो सदन में नेता हैं, वे अपने

(194)

(श्री खेतसिंह राठौड़)

अपने विचार रखें, सदन में लच्छूरामजी लोक दल के नेता हैं, हजारीलाल जी जनता पार्टी के नेता हैं, राजबहादुर कांग्रेस (यू) और त्रिलोक सिंह मार्क्सवादी पार्टी के, तो कई पार्टियों के नेता आज मौजूद नहीं हैं, यह जनसंघ ग्रुप है, विरोधी दल के भारतीय जनता पार्टी के नेता महोदय का है। 23 तारीख को सभी पार्टियों के नेता भी यहां होंगे, वे भी अपनी अपनी पार्टियों की राय बतायेंगे तभी जाकर सदन का प्रस्ताव माना जा सकता है। विरोधी दल के नेता के एक माननीय भाषण से सारे सदन का प्रस्ताव मानना चाहते हैं, वह उपयुक्त नहीं रहेगा। मुझे विश्वास है विरोधी दल के नेता, जो स्वयं मुख्य मंत्री रहे हुए हैं, ऐसे प्रस्ताव के बारे में जिद नहीं करें और मत कराने के नियमों में शिथिलीकरण की बात करना, जितना अत्यंत आवश्यक आप समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, इसलिए हमने कहा है 23 तारीख को सरकार अपनी ओर से अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेगी। उस समय सारे सदन का एक ही मानस बन जायगा, आपका प्रस्ताव भी उसके साथ क्लब हो जाता है, आपकी भावना हमें अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, इस प्रस्ताव को उसी रोज लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सारे दलों के दस्तखत हैं इस पर।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया, आप मुझ से चाहते हैं कि मैं नियम 306 के अन्दर आपको अनुमति दूं कि नियमों को रिलेक्स करके इस संकल्प को तत्काल लिया जाय। इसमें ऐसा है अगर रूल 306 में को सस्पेंड करना है तो मुझे आपत्ति नहीं है। इसलिए आप सस्पेंडेड समझ लीजिए। अगर जरूरत होगी तो इसमें सदन का मत ले सकते हैं लेकिन....

Rule 306 says "Any member may, with the consent of the Speaker move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the House and if the motion is carried the rule in question shall be suspended for the time being."

इसके अन्तर्गत जैसा कि सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक महोदय ने कहा कि आज अलग-अलग पक्ष के नेता महोदय उपस्थित नहीं हैं और सरकार ने भी 23 तारीख को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने को कहा, इसलिए मैं इसके लिये 23 तारीख को मुकर्रर करता हूं। इस विषय पर सरकार की तरफ से 23 तारीख को वक्तव्य होगा। मेरे ख्याल से इस विषय पर अब आगे कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह कोई छोटा मसला नहीं है चीफ व्हिप महोदय ने इस विषय को बहुत ही कम करके सदन में प्रस्तुत कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है, न इसमें कोई सत्ता पक्ष की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, न कोई विपक्ष की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। दोनों पक्ष ही इस विषय में संकल्प पारित करने के लिये तैयार हैं। इसमें मेरे और आपके बीच की बात नहीं है, दोनों पक्ष इस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बात के लिये राज़ी हैं कि राजस्थान में इस प्रकार का आरक्षण विरोधी कोई आन्दोलन नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, मान लीजिये इसमें तीन दिन का समय मिला और इस दरम्यान आन्दोलन भड़कता है और वह आन्दोलन इसलिये भड़कता है कि एक संकल्प सदन में प्रस्तुत किया गया है वह इस सदन में पारित नहीं हो सका है तो, अध्यक्ष महोदय, इसके क्या रिपरकशन्स होंगे ? इसके रिपरकशन्स यह होंगे कि संकल्प विरोधी पक्ष के द्वारा रखा गया था और सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया, इसका मतलब यह हुआ कि सरकार इस आन्दोलन को दबाने के पक्ष में है। आप मानें या नहीं मानें।

(व्यवधान)

आप बोलना चाहें तो बोल लीजिये मुझे आपत्ति नहीं है। मैं चाहता हूं और शायद आप भी छोगालालजी यह चाहते हैं कि इस प्रस्ताव को आज ही लिया जाय। आपके हाथ में होता तो आप आज ही इस प्रस्ताव को पारित करा देते लेकिन इसमें मुश्किल यह है कि हरिजनों का शोषण बाहर भी हो रहा है और इस सदन में भी उनका शोषण हो रहा है। आप यहां पर बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्या कृपया शांत रहें। आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप नहीं आपके बराबर बैठे हैं, जो आगे हैं, उनकी तो निश्चित रूप से यह भावना होगी कि यह संकल्प आज ही पारित हो। हो सकता है कि यह भावना भारद्वाज जी की नहीं हो, खेतसिंह जी की नहीं हो, पर इसके रिपकरशन्स होंगे और वह यह होंगे कि सरकार इस प्रस्ताव को पारित करने के पक्ष में नहीं है। इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, पुरजोर शब्दों में इस प्रस्ताव को पारित करने के लिये निवेदन करता हूं। मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि इसको पारित करने के लिये सरकार पर जोर डालूं पर यह सरकार की हठधर्मी है। अपनी मेजोरिटी के आधार पर वह इस प्रस्ताव को पारित करना नहीं चाहती है और हरिजनों को कुचलवाना चाहती है। हम तो यहां पर सदन में कहना चाहते हैं जिससे कि लोगों को पता लग सके कि सदन की राय है कि इस आन्दोलन को समाप्त किया जाय। हम इस प्रकार के सरकार के किसी भी गलत काम में भागीदार नहीं होना चाहते हैं, जिससे कि हरिजनों को नुकसान पहुंचे। मैं यह आरोप सत्ता पक्ष पर लगाना चाहता हूं कि यह आन्दोलन पिछले 15 दिनों से चल रहा है, इस आन्दोलन को जान-बूझ कर सरकार दबा नहीं रही है और सरकार चाहती है कि यह आन्दोलन चलता रहे। इस प्रकार सरकार हरिजनों पर अत्याचार कर रही है और सरकार हरिजनों के साथ अन्याय कर रहा है। हम आपकी इस प्रकार की हठधर्मी के विरोध में वाक-आउट करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

(196)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता महोदय इस आन्दोलन को भड़का रहे हैं यह खुद आंदोलन चला रहे हैं। इसमें एक, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री भी हैं....

(व्यवधान)

इनका आरोप गलत है कि सरकार हरिजनों के प्रति जागरूक नहीं है और उनके साथ अन्याय कर रही है। मैं आरोप लगाता हूं कि आन्दोलन को भड़का रहे हैं। या तो यह सिद्ध करें नहीं तो यहां से निकलें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, आज सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर आर्डर। शान्त रहें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह आन्दोलन को भड़का रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर कृपया शान्त रहें। कृपया बैठ जाइये, सभी माननीय सदस्य।

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता महोदय सरकार पर अपनी बात जबर्दस्ती थोपना चाहते हैं। जब सरकार ने वक्तव्य देने की बात कह दी है, फिर क्या बात है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आर्डर, आर्डर। कृपया शान्त रहें।

विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने कार्य संचालन तथा प्रक्रिया के नियमों के अनुसार जो प्रस्ताव रखा है उसके ऊपर मेरी यह व्यवस्था है कि जो पूर्व निश्चित कार्यक्रम होता है उसको सिवाय एडजॉर्नमेन्ट मोशन के स्थगित नहीं किया जा सकता। वह भी अध्यक्ष उसको स्वीकार करता है तो चालू सदन की कार्यवाही स्थगित करके वह प्रश्न लिया जाता है। विरोधी दल के नेता महोदय ने अपने दल की ओर से नियम 306 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव रखा है, कि नियमों में छूट दी जाकर इस संकल्प को आज ही पारित किया जाय। मैंने नियमों को देखा और सदन की परम्पराओं को भी देखा। मुझे आज तक ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिला जब कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को तत्काल बन्द करके इस तरह के विषय पर कोई चर्चा की गयी हो। जब सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव आया कि इस विषय पर सरकार अपना वक्तव्य 23 तारीख को देना चाहती है, आज इस विषय पर वक्तव्य देने को तैयार नहीं है तो, मैं समझता हूं, प्रस्ताव को आज नहीं लिया जावे। आसन इस प्रस्ताव के ऊपर 23 तारीख सरकार की तरफ से वक्तव्य देने के लिये मुकर्रर करता है। आज सदन में जो विषय है वह वित्तीय

(श्री अध्यक्ष)

विषय है। अन्य सभी कार्यों को छोड़ कर स्थगन प्रस्ताव के जरिये कार्यवाही को स्थगित करके इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है इसलिये मैं पूर्ववर्ती कार्यवाही को चलते रहने की अनुमति देता हूं। विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है उसको आज सदन में लेने की इस समय अनुमति देने में असमर्थ हूं। इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है, अब आगे बहस नहीं होगी। सरकार की तरफ से इस पर 23 तारीख को वक्तव्य होगा

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय सदन का समय आज की मांगे पारित होने तक बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि सदन का समय आज की मांगें पारित होने के समय तक बढाया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

नियम 106 को निलम्बित कर आरक्षण विरोधी आन्दोलन सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है वह तो शिरोधार्य है, उसको तो हमें मानना पड़ेगा लेकिन आपने जो यह कहा कि एडजॉर्नमेन्ट मोशन के जरिये हाउस की कार्यवाही स्थगित कर कोई दूसरा प्रस्ताव लेने की बात स्वीकार नहीं हो सकती है। आपने जो परम्पराओं का कहा है उसके लिये मेरा निवेदन है कि इस सदन में पहले भी ऐसा मौका आया है, जब कि 6-7 बार इस सदन में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम के नियम 306 के अन्तर्गत हाउस की कार्यवाही स्थगित की जाकर दूसरी कार्यवाही ली गयी है। एक मौका तो उस वक्त था जब कि सदन में एक माननीय सदस्य डिसआर्डर फैला रहे थे !

श्री अध्यक्ष : लेकिन आपने जो रूल 306 का हवाला दिया है वह इस पर लागू नहीं होता है। स्ट्रिक्टली लागू होता नहीं है इसलिए मैं अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस सदन की परम्पराओं का हवाला देते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस समय मोहनलालजी सुखाडिया मुख्यमन्त्री थे, उस वक्त रूल 306 के मातहत सदन की कार्यवाही के रूल्स रिलेक्स करवाये गये हैं। हाउस में माननीय सदस्य डिसआर्डर का सीन पैदा कर रहे थे उनको सदन से निकाला गया और उनको सजा भी दी गई 6–7 दिन की। यह कोई उस दिन का हाउस का बिजनेस नहीं था, फिर भी रूल्स को रिलेक्स करवा कर उस पर कार्यवाही की गयी, इस बारे में कोई एडजॉर्नमेन्ट मोशन नहीं आया था। लीडर आफ दी हाउस ने मूव किया उस पर अध्यक्ष महोदय ने कन्सेन्ट दी, इस पर बाद में डिबेट हुई और डिबेट होने के बाद उस सदस्य को निकालने का निर्णय हुआ। आपने जो व्यवस्था दी उसी

198

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पर मैं बता रहा हूं कि इस 'सदन की ऐसी परम्परायें रही हैं, मैं चाहतां हूं कि आप केवल एक मिनट मेरी बात सुन लीजिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी समझ में एक बात नहीं आती है जब सरकारी पक्ष से यह प्रस्ताव आया कि वक्तव्य 23 को दिया जायगा। आपने उसको मान लिया।सरकार की तरफ से यह निर्णय आया कि हम आज ही स्टेटमेन्ट देना चाहते हैं तो आप ने उसको मान लिया और सरकार ने जब यह प्रस्ताव रखा कि इसको 23 तारीख को रखा जाय तो आपने मान लिया। आपने हमारी एक छोटी सी बात भी नहीं मानी। यह ऐसी बात थी जिस पर सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों ही आपस में मेल खा रहे थे। दोनों ही इसको चाहते हैं। आपने भी इस विषय की इम्पार्टेन्स को समझा और यह कहा कि मुख्य मन्त्री जी का सदन में आज ही स्टेटमेन्ट होना चाहिये, पर दुर्भाग्यवश क्योंकि यह प्रस्ताव विरोधी पक्ष के द्वारा रखा गया था इसलिए आपने इसको स्वीकार नहीं किया। अगर यही प्रस्ताव सरकारी पक्ष की ओर से आता तो आप इसको स्वीकार करते पर चूंकि यह प्रस्ताव मैंने रखा इसलिये, आप इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस प्रस्ताव को रख कर हमने ऐसी कौनसी विपरीत परिस्थितियां पैदा कर दीं।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपने जो रूलिंग दी है उसको तो मानकर चलता हूं लेकिन आपकी रूलिंग डिबेटेबल है। आप इस पर पुर्नविचार करें। लेकिन सरकारी पक्ष ने जिस प्रकार का व्यवहार अपनाया है, इस प्रस्ताव के संबंध में और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के संबंध में उसके विरोध स्वरूप हम सदन का त्याग करते हैं ताकि राजस्थान की जनता को मालूम हो जायें कि सरकार किस प्रकार की है और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहती है।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं।

श्री मेघराज तावड़ : मेरा निवेदन था कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी अपना वक्तव्य देती। मैंने प्रस्ताव दिया है, इसलिए सरकार की हठधर्मी के विरोध में अपनी पार्टी सी. पी. आई. की ओर से मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन था।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं क्या ?

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : नहीं, मगरमच्छ के आंसू नहीं बहा रहा हूं। जो बाहर हैं वही अन्दर हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि आप प्रस्ताव तो आज स्वीकार कर लेते और बहस 23 को रख देते। इसमें क्या दिक्कत थी ?

श्री अध्यक्ष : मैंने यही तो निवेदन किया था।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : आपने प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव अस्वीकृत नहीं किया है। उसके लिए हमने तारीख मुकर्रर कर दी है 23। अस्वीकृत कहां किया है ? आप गलतफहमी में बहिर्गमन कर जाते।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : मेरी पार्टी की तरफ से मैं बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

मांग संख्या 8, 37 व 39 पर विचार

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री तेजपाल।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष जी, राजस्व के मामले में कई समस्यायें तो रखी गयी हैं।

श्री अध्यक्ष: संक्षेप में, माननीय सदस्य,

श्री तेजपाल यादव : लेकिन प्रशासन द्वारा किसानों का शोषण होता है इसके बारे में मैं सुझाव दूंगा। पटवारी के स्तर पर, तहसीलदार के स्तर पर और गिरदावर के स्तर पर हर तरह का शोषण किया जाता है, एक तरह से यह पुराने जागीरदार जैसे बन गये हैं, किसानों के लिए और किसानों को खाते रहते हैं। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि किसानों का शोषण रोका जा सकता है, यदि पटवारी पंचायतों के मातहत दे दिये जायें। जो 91 का हथियार है, जब बीस-बीस साल का कब्जा भी है तो पटवारी रिपोर्ट 91 के तहत कर देता है, यह एक शोषण का हथियार बना रखा है, उसको रोका जाय। रेवेन्यू के कर्मचारी इस तरह के गलत काम करते हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाय।

दूसरी बात कृषि के मामले में है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य। आपस में बात नहीं करें। जिम्मेदार सदस्य हैं आप।

श्री तेजपाल यादव : कृषि विभाग किसानों के लिए खोला गया है लेकिन यह किसानों को कोई सुविधा नहीं देता है। सुविधायें राजा महाराजाओं के समय में पंडितों को जिमाने की थी उसके लिए विभाग था, उसी तरह से हमारी सरकार इनको मुफ्त में तनख्वाह दे रही है और किसानों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। मेरा सुझाव है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पर जो खर्च किया जाता है उससे तो अच्छा उसकी फसल की इन्श्योरेन्स पर किया जाय तो उसका फायदा किसानों को होगा। नयी टेक्निक हमारे सामने है। हर गांव में प्रचार के साधन हैं रेडियो है, अखबार हैं....

श्री अध्यक्ष : लेकिन उसके अन्दर फसल बीमा योजना में किसान मेहनत करना ही छोड़ देंगे। पिलाई की, नहीं की, खाद दी, नहीं दी।

श्री तेजपाल यादव : लेकिन सरकार की तरफ से जो अमला बैठा रखा है, यह किसानों के लिए उपयोगी हो तो ठीक है। यह सुविधायें तो देता नहीं। ग्राम विकास योजना चल रही है यह सारा अधिकारियों का अमला है। दूसरे, कीटनाशक दवाइयों के बारे में निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से सब्सिडी बढ़ाई जाती है उसी प्रकार से उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। तो वह सब्सिडी किसानों को न मिलकर उन उद्योगपतियों और व्यापारियों को मिलती है,

(श्री तेजपाल यादव)

और हर साल इन दवाइयों की कीमतें बढ़ाई जाती हैं। इसलिए किसानों को यदि कीटनाशक दवाइयों का फायदा देना चाहते हैं तो कम से कम उनकी कीमतों पर कन्ट्रोल रखा जावे....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री तेजपाल यादव : तीसरी बात, जो कृषि उद्योग निगम है यह एक भ्रष्टाचार का अड्डा है। यह किसानों की कोई सेवा नहीं करता है, कहीं-कहीं तो माल ही बेचा गया है और पुलिस में माल पड़ा है बेचा हुआ और वह है कृषि उद्योग निगम का। तो सोइल कन्जर्वेशन के अन्दर सब्सिडी दी जाती है, मेडबंदी में सब्सिडी दी जाती है और उसमें घोटाले होते हैं। यह सारा किसानों के नाम से लूटा जा रहा है और मैं तो कहूंगा कि किसानों के नाम लिखा जाता है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री तेजपाल यादव : यह किसानों के लिए कतई खर्च नहीं किया जाता है। दूसरा, निवेदन है कि महाराष्ट्र में एक आयोग बैठाया गया है उसी तरह से राजस्थान में भी बैठाया जाय कि किसानों को उनकी फसल का किस ढंग से मूल्य मिले और किसानों के काम में आने वाली चीजों के भाव किस तरह से डाउन किये जायं। यह अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य बहुत समय हो गया है।

श्री तेजपाल यादव : मेरे तो बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव हैं।

श्री अध्यक्ष : आप तो सरकारी पार्टी के सदस्य हैं और मंत्री महोदय को हमेशा ही सुझाव दे सकते हो। अब नहीं। श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे सुझाव आये हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रेक्टिकली जो फेस कर रहा हूं उसके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि म्युनिसिपल एरिया में नान-एग्रीकल्चर पर्पज के लिए लैण्ड कन्वर्शन के रूल्स बने हुए हैं लेकिन ग्राम पंचायतों में ऐसे कोई लैण्ड कन्वर्शन के रूल्स नहीं हैं। गांवों में भी आबादी निरन्तर बढ़ रही है। जो खातेदार हैं वह तो अपने खेतों में बस जाते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो खातेदार नहीं हैं वह गांव के समीप ही बस जाते हैं, आज वह दस, दस, पन्द्रह, पन्द्रह साल से बसे हुए हैं लेकिन आज तक वह जमीन को तब्दील नहीं करा पाये हैं क्योंकि राजस्थान सरकार ने कोई ऐसे रूल्स नहीं बनाये हैं। दूसरे, मैं यह निवेदन करता हूं कि ऐसे छोटे-छोटे किसानों पर डवलपमेंट के कार्य करने के लिए जैसे कुएं बनाते हैं तो उन्होंने जमीनें आपस में एक्सचेन्ज कर लीं। जमीन आपस में एक्सचेन्ज की गयी है उसकी खातेदारी चेन्ज करने के लिए एस.डी.ओ. कोर्ट्स में जाकर दावा लगाना पड़ता है। वह प्रक्रिया बड़ी जटिल है उसका सरलीकरण करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी पंचायत स्तर पर ऐसा फैसला कर दें तो उससे किसानों को बहुत बड़ी सुविधा मिल सकती है। साथ ही यह भी सुविधा मिलेगी कि जब तक

(श्री हरिसिंह)

खातेदारी हक नहीं मिलता है तब तक वह किसी प्रकार का डवलपमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि बिना खातेदारी हक के कोई भी बैंक किसी प्रकार का ऋण नहीं देता।

इसके अलावा आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह निवेदन करना चाहूंगा कि बाप अगर जिन्दा है और बेटे बीस, बीस साल से अलग हो गये और जमीन का बंटवारा भी कर दिया है बेटों के हक में, बाप जिन्दा है तो वर्तमान कानून के अनुसार बेटों को खातेदारी अधिकार नहीं मिलते। खातेदारी अधिकार मिलने का जो कानून बनाया है वह यह है कि बेटा अपने बाप के खिलाफ दावा करे। पंचायत स्तर पर निबटारा कर दिया जाय।

एक माननीय सदस्य: आपको पता नहीं है, वकील रहे हैं।

श्री हरिसिंह: वकील मैं भी रहा हूं, इसलिए कहे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। आपको अपनी बात कहने दीजिए।

श्री हरिसिंह: समय बहुत थोड़ा है। पंचायत स्तर पर जिस प्रकार के उत्तराधिकार के खातेदारी के नामांकन पत्र भरे जाते हैं, पटवारी वहां रहता है, पंचायत वाले सब जानते हैं कौन सा खेत बेटे के पास है, कौन सा खेत बाप के पास है। नामान्तरण पत्र भर कर उसी हिसाब से खातेदारी अधिकार दे दिये जायं तो उसको दोहरा लाभ होगा, एक तो लघु किसान, सीमांत किसान के लिए जो ऋण में छूट दी जाती है उस योजना के तहत उसको छूट मिलती है। दूसरी बात यह है नौजवान लड़का अलग हो गया है उसकी जमीन अलग होते हुए भी उसके बाप के जिन्दा रहने पर भी मुश्किल हो रही है, यह उनकी बड़ी समस्या है। तीसरा, मेरा सुझाव यह है कि प्रेक्टिकल रूप से मेरी तहसील में कन्सोलीडेशन हुआ है और कन्सोलीडेशन होने के बाद कन्सोलीडेशन वालों ने ए और बी को लेकर खातेदारी वहीं छोड़ दी उन्होंने हिस्सा बराबर दर्ज नहीं किया। उससे सहायता क्या हुई? किसान बैंक से ऋण लेने के लिए जाता है ए और बी दोनों भाइयों ने अप्लाई किया है, लेकिन खातेदारी अलग-अलग न होने से दिक्कत आती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि राज्य सरकार इस प्रकार के स्टेंडिंग आदेश भेजे कि इस प्रकार के जो मामले हैं एक ही बाप की औलाद है उनके हिस्से बराबर दर्ज कर दिये जायं। इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करूं कि जैसे ही भूमि विकास बैंक से किसान ऋण लेने के लिए जाता है तो उसके ऊपर सिर्फ प्रार्थना पत्र देने का उत्तरदायित्व रहना चाहिए। इसके अलावा बैंक अपने खुद के ऊपर लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जमाबन्दी और गिरदावरी की नकलें मांगे, एन.ओ.सी. बैंक मंगाये अगर ऐसी व्यवस्था हो जाती है तो किसान की पटवारी जो लूट करता है गिरदावरी की नकल के 10 रुपये, जमाबन्दी की नकल के 10 रुपये, एन. ओ. सी. के दस रुपये तो उससे जो शोषण होता है उस शोषण से किसान को बचाया जा सकेगा। इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, एक जो उनकी समस्या है जो हम फेस कर रहे हैं उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा वह

(श्री हरिसिंह)

यह है कि विकास का पहिया आगे बढ़ रहा है, सड़कें निकल रही हैं, नहरें भी बन रही हैं, दस साल, पन्द्रह साल हो गये अभी तक किसानों की खातेदारी जो रही है, लैण्ड एक्वायर नहीं की गई है अगर लैण्ड एक्वायर की गई है तो मुआवजा नहीं मिला है। इसी तरह से सिंचाई विभाग की नहरें बन गईं, किसान की जमीन खातेदारीसे हटाकर नहरी दर्ज कर दी गईं उसके बावजूद किसान को मुआवजा नहीं मिला है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है, अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसानों का मित्र होकर और गार्जियन बनकर कार्य करे। जो मुआवजे के मामले में हैं वे तुरन्त निवटाये जायें, दस पन्द्रह साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग, राजस्व विभाग और पशुपालन विभाग के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने नीति सम्बन्धी, व्यवस्था संबंधी कुछ अपने क्षेत्रों की समस्या सम्बन्धी और कुछ व्यक्तिगत मामलों के बारे में भी काफी प्रकाश डाला। मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार मानती हूं कि उन्होंने विभाग की योजनाओं को गति देने के लिए विभाग की व्यवस्था को सुधारने के लिए, अन्य अनियमिततायें जो उनकी निगाह में आई हैं उनको ठीक करने के लिए अच्छे उपयोगी सुझाव दिये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की कृषि और राजस्थान का किसान जिस हालत में आजादी के बाद में हमको मिला उसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, उसका मुझे विवरण देने की जरूरत नहीं है। जिस वक्त चुनी हुई प्रतिनिधि सभा, चुनी हुई सरकार ने राजस्थान को चलाने का भार अपने ऊपर लिया उससे पहले रियासतों के अन्दर, जागीरदारी प्रथा के अन्दर किसान की क्या हालत थी जो जमीन वह जोतता था उसकी क्या हालत थी उसमें कितना पैदा करके देश को या राज्य को दे सकता था, उस किसान का जमीन के ऊपर कोई हक नहीं था। उसके ऊपर पानी लाने की व्यवस्था नहीं थी, बिजली का नामोनिशान नहीं था सिंचाई के लिए कहीं कहीं कोई नाम के लिए नहरें या बन्धे थे, कुल मिलाकर राजस्थान के इस इतने संभावित क्षेत्र के अन्दर कोई भी व्यवस्था किसान की हालत को सुधारने की उस जमीन को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए नहीं थी। यहां तक कि जैसा कल की चर्चा में आया बहुत सी रियासतों के अन्दर और बहुत सी जागीरदारी क्षेत्रों के अन्दर तो कई रिकाडर्स तक भी नहीं थे, कोई व्यवस्था नाम तक की नहीं थी जिससे हम यह कह सकें कि किसान का खेत के ऊपर किसी प्रकार का हक कायम था। इस तरह की व्यवस्था से जब हम चले तो मैं और आप सब इस बात को जानते हैं कि राजस्थान के खेतों को और खेती के ऊपर निर्भर किसान को किस प्रकार से भूमि सुधारों के माध्यम से अग्रणी, प्रगतिशील कानून और व्यवस्था बनाकर के खातेदारी हक दिये। उनको काम करने का मौका दिया उसको सुधारने की सुविधायें दीं उस वक्त से लेकर आज तक राजस्थान देश के उन अग्रणी प्रान्तों में रहा है जिन्होंने

(श्रीमती कमला)

भूमि सुधार और भू प्रबन्ध के अन्दर किसानों को ज्यादा से ज्यादा हक हकूक देना उसकी अवस्था को सुधारने में अग्रणी काम किया है।

मैं इस सम्बन्ध में, माननीय अध्यक्ष महोदय, याद दिलाना चाहती हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों ने, सामने बैठने वालों ने, एक ही शब्द कहे हैं, इतने वर्षों तक आपका राज रहा आपने कुछ नहीं किया। उस वक्त शायद वे आंख बन्द कर लेते हैं कि पिछला जो जमाना गुजरा है, उससे पहले जो जमाना था और आज के जमाने में कितना जमीन आसमान का अन्तर हुआ है। उसमें जो अन्तर हुआ है उसको मानें चाहें नहीं मानें, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि सीधे से मामले को ही देख लें कि आजादी के पहले खाद्यान्न का उत्पादन हमको मिलता था वह मुश्किल से 25, 26 लाख टन था उसके बाद में हमारी सरकार ने, स्वतन्त्र चुनी हुई सरकार ने जो व्यवस्थायें की, चाहे खाद बीज के माध्यम से, चाहे अन्य सुविधाओं के माध्यम से, चाहे सिंचाई की व्यवस्था के माध्यम से, चाहे बिजली का फैलाव करके, दूसरी चीजों से किसान को हक देकर उसके अन्दर उसका जो इन्ट्रेस्ट पैदा किया उसके माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम इस स्थिति में पहुंच पाये हैं कि हमारे सामान्य वर्ष के अन्दर जो खाद्यान्न उत्पादन है वह 70, 80 लाख टन के ऊपर पहुंच गया है। पिछले वर्ष और इससे पिछले वर्ष द वर्षों में हांलाकि बरसात की बहुत कमी रही, बड़ा सूखा रहा और इस वर्ष भी सूखा है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं यह कह सकती हूं कि जो हमारा सामान्य वर्ष का उत्पादन था उसको बहुत अधिक मात्रा में करने में पहुंचे हैं। मैं आपको सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहूंगी कि जो हमारा सामान्य वर्ष था 1978–79 उसके मुकाबले 1979–80 में जो वर्षा की कमी हुई वह 31 प्रतिशत हुई और जो क्षेत्रफल बोया वह 10 प्रतिशत कम हुआ लेकिन उसके बावजूद भी हमने कोशिश की, हमने 52 लाख टन का फूड ग्रेन पैदा करने की क्षमता किसानों के जरिये पैदा की। 1980-81 में बरसात का औसत और भी कम था औसत वर्षा के मुकाबले में 43प्रतिशत बरसात कम हुई। जो एरिया कल्टीवेट किया गया, यह 14 पर्सेन्ट कम किया गया, लेकिन उसके बावजूद 7 लाख टन के करीब अन्न उत्पादन का लक्ष्य हमने प्राप्त किया। तो यह अपने आप में काफी अच्छी उपलब्धि है। बावजूद इसके कि इतने पर्सेन्ट कम रेन फाल हुआ, इतना कम एरिया कल्टीवेट हुआ, इस तरह से तिलहन में, कपास में, गन्ने में भी हमने लक्ष्यों के मुकाबले काफी अच्छी उपलब्धि करने की कोशिश की है। सामान्य वर्ष में जहां 12·26लाख टन तिलहन पैदा हुआ, इतनी भयंकर सूखे की स्थिति में भी हम 11·65 टन पैदा कर सके। इसी तरह से कपास की सामान्य वर्ष के अन्दर 4·03लाख गांठ तैयार हुई लेकिन अकाल की स्थिति के बावजूद हम 3.40 लाख गांठ तैयार कर सके और गन्ने के अन्दर भी हम इसी प्रकार से 0·60 का जो लक्ष्य था, 78–79 में प्राप्त किया गया, उसके मुकाबले में हम 0·42 उपलब्ध कर सके।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज

(श्रीमती कमला)

की जो मार्डन टेक्नोलॉजी है इसके अन्तर्गत कृषि विभाग के जरिये विभिन्न तरीके से रिसर्च के माध्यम से जो उपलब्ध किया गया है तमाम कर्मचारी अधिकारियों द्वारा इस तमाम टेक्नोलॉजी को किसान तक पहुंचाने की व्यवस्था का तरीका बना हुआ है । बीज खाद वगैरह उन्हें पहुंचाने की व्यवस्था की गयी है और कीटनाशक औषधियां भी जहां तक सम्भव है, उनको पहुंचाने की कोशिश की गयी है, उसके जरिये से हम इतने लक्ष्य अपने कायम रख सके । मुझे उम्मीद है कि अगले साल में इस तरह का सूखा नहीं आयेगा और हम इन लक्ष्यों को अधिक अच्छा तैयार कर सकेंगे । सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान के लिए जो विभाग की तरफ से टार्गेट्स गेन किये गये हैं, वे अपने आप में भी और अधिक उत्साहित कराने वाले हैं। फूड ग्रेन्स का 113 लाख टन का विभाग ने लक्ष्य रखा है और आयल सीड्स का 10 लाख टन का रखा है। काटन का 8.50 लाख टन गांठ का रखा है और शुगर केन 30 लाख टन क्विन्टल रखा है। इसी प्रकार से हम बराबर आगे बढ़ने की चेष्टा में हैं, और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी इस बात की चेष्टा में लगे हुए हैं कि कृषि विभाग अपनी तमाम व्यवस्थाओं में, तमाम उपलब्ध साधनों में, तमाम उपलब्ध रिसर्च के जो परिणाम हैं उनसे, इस राज्य के कृषि उत्पादन को विपरीत परिस्थितियों में भी कम से कम गिरने दें और एरिये को ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेट कर सकें। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष में तो 2-3 मामलों में खास तौर से विशेष उपलब्धियां इस विभाग ने कीं। जैसे सोयाबीन की खेती पिछले साल में सिर्फ 6 सौ हैक्टेयर के अन्दर बोयी गयी लेकिन उसको इतना रेस्पान्स किया किसानों ने और उसका इतना अच्छा उपयोग हुआ कि इस बार झालावाड़ में 6 हजार हैक्टेयर में बोयी गयी है और अगले साल तक इसको 15 हजार में बोये जाने का प्रोग्राम रखा है। इसी तरह से अरहर की खेती जो 34 हजार हैक्टेयर में बोयी जाती थी,वह इस वर्ष 50 हजार हैक्टेयर में किया गया है, अगले वर्ष हम इसको बढ़ाकर एक लाख 10 हजार हैक्टेयर के अन्दर बोये जाने का लक्ष्य रखते हैं । इसी तरह से चुकन्दर की खेती का कुल उत्पादन हम समझते हैं कि 2 लाख क्विंटल होने का है, हालांकि सारा प्रदेश बहुत गम्भीर सूखे का रहा है लेकिन उसके बावजूद भी यह स्थिति है। एक माननीय सदस्य ने इस बात के ऊपर खास तौर से अपनी तवोज्जोह दिलायी थी कि हम फलों के वृक्षों की तरफ, सरकार ज्यादा ध्यान नहीं दे रही, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि हमने पिछले साल में 12लाख54हजार फलदार वृक्ष लगाये हैं, और 5 लाख वृक्ष अकेले एक भरतपुर जिले में लगे हैं, जहां जमीन इसके लिए अच्छी पायी गयी है। इसके अलावा 27264 पेड़ों जो बेरी के पेड़ हैं, की वृद्धि की गयी है और आगे के वक्त में हम सोचते हैं कि 73,800 पेड़ों की बेर की कटिंग की जायगी और 15 लाख फलदार वृक्ष इस क्षेत्र में दे सकेंगे।

इसी तरह से, माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की काफी तवज्जोह रही है और राज्य सरकार ने भी इसको बहुत महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि तेल की आम तौर

(श्रीमती कमला)

पर कमी रहती है, इसलिए मूंगफली की बुआई की तरफ भी ध्यान दिया है और आगे आने वाले समय में 50 हजार हैक्टेयर में मूंगफली की बुआई की जायगी । तिलहन के ऊपर भी भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से खास तौर से तवज्जोह होने के कारण से इस पर 24 70 लाख रुपये व्यय किये गये हैं और आने वाले समय में 32.45 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। तो यह सारे मैं आपको, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए फीगर देना चाहती हूं कि राज्य सरकार की तरफ से विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी इन कामों की तरफ, काफी तवज्जोह दी गयी है जो और हमारे पास में पेस्टीसाइड्स का काम है, जिसके लिए काफी माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है, उस बारे में मैं निवेदन करना चाहती हूं कि प्रावधान काफी सब्सिडी का है, सब चीजों पर, लेकिन वह शायद किसान तक पहुंच नहीं पाती। इसलिए हम उनको बता नहीं पाते, तो उसके बाबत एक सामान्य सा विवरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं कि भारत सरकार की तरफ से राज्य सरकार की तरफ से तिलहन के लिए जो दवाइयां काम में ली जाती हैं, उस पर 50 प्रतिशत, दालों के ऊपर 25 प्रतिशत और ग्राउण्ड आपरेशन के लिए 15 रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से किसानों को अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार से हवाई जहाज द्वारा कपास पर जो छिड़काव किया जाता है, उसके ऊपर कुल खर्चा अनुदान से दिया जाता है और उसमें 25 प्रतिशत अनुदान दवाइयों का अलग से है। यह व्यवस्था भी इसके अन्दर मौजूद है। हमारी जो कमजोर जगह है, वह सीड्स की है, जितना सर्टिफाइड सीड्स हमारे राज्य को चाहिए तमाम फसलों के लिए, उसमें काफी कमी रहती है। फिर भी 80-81 में हमने 19081 क्विटल सर्टिफाइड सीड्स वितरित किया है और आने वाले समय में और भी अधिक वितरित करने की कोशिश में हैं। इसमें दो-तीन समस्यायें आती हैं, उसके निराकरण के लिए विभाग से बात मैंने की है और उसकी व्यवस्था आगे से हम कर सकेंगे।

एक समस्या आती है, वह यह है कि जितने भी फाउन्डेशन सीड किसान को दिये जायें, उसके आधार पर वह सर्टिफाइड सीड तैयार करें तो उसके भाव के बाबत में जब देने आये उस समय के बाबत में, और जल्दी से हम उसको सर्टिफाइ करके चुकारा कर दें। इन 2-3 मुद्दों के ऊपर और उसकी जितनी पर्सेन्टेज जर्मिनेशन करने में जो टैस्टिंग प्रोसेस, ये 2-3 मुद्दों में काफी दिक्कतें रही हैं और इसके कारण किसान फाउन्डेशन लेकर सर्टिफाइड सीड ग्रो करने में इन्ट्रेस्ट नहीं रखते। इसलिए इन 2-3 समस्याओं को हल करने के बाद, मैं कहूंगी हम किसान को इस मांग की पूर्ति कर सकेंगे। फर्टिलाइजर के मामले में राज्य में जितनी मांग है, उसके मुताबिक हम बराबर फर्टिलाइजर दे रहे हैं और उसकी दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में जितनी भी मांग हमारे सामने आती जायगी, उसको हम पूरा करते जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आप जानते हैं कि खेती का काम लैण्ड रिफार्म के

(श्रीमती कमला)

काम के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है इसीलिए जब राजस्थान सरकार ने लैंड रिफार्म का बड़े व्यापक पैमाने पर प्रगतिशील ढंग से काम लिया तो उसके नतीजे भी हमारे राज्य में बहुत अच्छे आये। इसी सिलसिले में जो बहुत बड़ा प्रोग्राम राज्य सरकार ने प्रदेश में लिया वह सभी राज्यों ने लिया, वह यह था, कृषि भूमि पर अधिकतम सीमा अधिरोपण का जो काम था, वह हमारी स्टेट में किया गया, उसमें हालांकि अभी कुछ फार्मूलाज़ पुराने एक्ट के और बाकी नये एक्ट के लागू हैं और उसमें कई माननीय सदस्यों ने अपनी राय भी जाहिर की है, इस मामले के कन्फ्यूजन को निकाला जाना चाहिए और उसको एक एक्ट के रूप में लाया जाना चाहिए। उसका सारे का विश्लेषण और अध्ययन मैं विभागीय स्तर पर करा रही हूं और उसको पूर्ण कराऊंगी लेकिन मैं कह सकती हूं कि हमारी स्टेट में सीलिंग के तहत जो सरप्लस लैण्ड डिक्लेयर हुई, उसमें से हम 5 लाख 14 हजार एकड़ भूमि अधिकृत कर चुके हैं और उसमें से 5 लाख 32 हजार एकड़ भूमि का आवंटन किया जा चुका है, और शेष जो सरप्लस भूमि है, उसके आवंटन के लिए जो सघन राजस्व अभियान मई, जून के महीने में चलाया जायेगा, उसमें कर सकेंगे। अब तक जो आवंटन नहीं हुआ, उसका मुख्य कारण कुछ तो यह रहा, जिनका मुआवजा देना था, उसके रेट्स तय नहीं हुए थे। यह संशोधन इस हाउस में लाया गया था। दूसरा यह था कि रेट के ऊपर जिनको दी जावे उनको दी जावेगी। उसमें काफी डिले होने से यह स्थिति हुई। लेकिन मैं यह कह सकती हूं कि इस तरह के मामलों को हम बहुत तेजी से, बहुत गति से देख रहे हैं। उम्मीद तो यह है कि जून के महीने के आखिर तक जो भी शेष भूमि है और जो भूमि लेने के हकदार हैं, खास तौर से-भूमिहीन हों, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हों, उनको ज्यादा से ज्यादा तादाद में देने की व्यवस्था कर सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में समय समय पर जो राजस्व अधिनियम हैं और राजस्व की अन्य धारायें हैं और कुछ उपनियम और नियम हैं, उनको असंगत मानते हुए या उनमें कुछ दोष मानते हुए बहुत सारे सुझाव कमेटियों से जरिये और व्यक्तियों के जरिये से भी हमारे पास में पूर्व में आए। उनके मुताबिक कुछ संशोधन पहले भी किये लेकिन अभी भी बहुत से माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया, अभी भी उनके अन्दर बहुत सी ऐसी धारायें हैं जिनको विलोपित किया जाना चाहिए या उनमें संशोधन किया जावे या कुछ धारायें जोड़ी जावें। तो उसके लिए राजस्थान का राजस्व कोड तैयार करने के लिए राज्य सरकार अपनी मंशा रखती है और उस कोड को तैयार करने के लिए मैंने जैसा पूर्व समितियों का, रिपोर्टों का उल्लेख किया वे भी हैं और जो सुझाव हमारे पास इस बीच में आये हैं उनका भी संकलन कराया है। साथ में मैंने माननीय सदस्यों को भी अपने पत्र के जरिये यह निवेदन किया है कि राजस्थान राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत या उसके नियमों के सन्दर्भ में आपको और कोई भी सुझाव देना हो, जिनमें संशोधन हो, परिवर्तन हो या जिनमें जोड़ना हो तो आप अपने क्षेत्र के अनुभव के

(श्रीमती कमला)

आधार पर इस प्रकार के अनुभव, इस प्रकार के अपने सुझाव देने के लिये हालांकि मैंने 20 मार्च तक के लिए निवेदन किया था, मैं चाहूंगी कि आप सदन की कार्यवाही समाप्त हो उससे पूर्व अपने सुझाव सारे दे करके जायं तो उनका हम कैटेगरीवाइज संकलन करके और जो क्वेश्चनों के माध्यम से या ध्यानाकर्षण के माध्यम से या जो भी चर्चायें सदन में हुई हैं ; उनका संकलन करके एक बार इस प्रकार का हम तमाम कैटेगरीवाइज अध्ययन कर लें और उसका संकलन करने के बाद जिनको इस मामले में अनुभव है, उनको बिठा कर उनके साथ भी चर्चा कर लें और फिर उसका एक अधिकृत रूप में, एक अपने आप में अब तक का अप-टूडेट कोड के रूप में तैयार कर सकें तो बहुत सारी दुविधायें राजस्व के सम्बन्ध की हैं उनका हम निराकरण कर सकेंगे।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग से चूंकि किसानों का बहुत सीधा सम्बन्ध है बहुत सारा बड़ा प्रबन्ध इसके लिए पटवारी स्तर तक किया हुआ है अनेक कामों के लिये किसानों को वहां तक पहुंचना पड़ता है। इसी को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार ने मई और जून में जो राजस्व अभियान रखा है, उसमें सिर्फ यह नहीं रखा कि मौके पर चले जावें और जाकर पूछ लें कि हां भाई तुम्हारी क्या दिक्कत है। और समय को निकाल कर अगले गांव में चले जावें। मैंने अभी से चिट्ठी तमाम जिला अधिकारियों को जारी की है कि वह अपने-अपने क्षेत्र में तमाम पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों से सम्पर्क करके इस बात की व्यवस्था करायें कि हर पंचायत स्तर पर कितने नामांतरण करने हैं, कितनी पत्थरगढ़ी होनी बाकी है, कितने रास्तों के मामले हैं, कितने नियमन के मामले हैं, कितने अनधिकृत कब्जे हैं, कितनी और तरह की चीजें हैं। कम से कम 21 मुद्दे हमने इसके अन्दर शोर्टआउट करे हैं। हमने सब को भेजने के लिए तैयार किया है। ये सारे मुद्दे जब पंचायत स्तर पर सघन अभियान शुरू हो, उससे पहले तैयार करा लें जिससे कि मौके पर राजस्व अधिकारी उनके नियमन के लिए या और कार्यवाही के लिए पहुंचे तो वह तमाम मुद्दे उनके सामने रखें।

मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहती हूं कि यह मामला चूंकि इतना बड़ा है। इसमें अगर पंचायत स्तर से लेकर ऊपर तक, नान आफिशियल्स की तरफ से, पंचायतों की तरफ से, सम्बन्धित विधायकों की तरफ से, सहयोग नहीं होगा, तो हम आमूलचूल रूप से इसका निराकरण नहीं कर पायेंगे, इसलिए उसकी पहले से तैयारी की है कि वह अपने क्षेत्रों में अपने विकास अधिकारियों और पंचायतों को इस बात के लिए आगाह करें ताकि वह इसकी व्यवस्था कर सकें।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ एकदम बहुते जरूरी संशोधन इस अधिनियम में थे वह आने वाले समय में प्रस्तावित कर रखे हैं जिसमें से खास तौर से जो आ चुके हैं उसमें यह है कि किसी भी ऐसी कठिन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति हो जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आज के दिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसका

(श्रीमती कमला)

इंस्टालमेंट करके कलेक्टर उगाई कर सके। उससे एक मुश्त करने का जो प्रावधान है उससे बहुत सारे जेन्यूअन केसेज, हार्ड केसेज भी डील विथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसमें यह प्रावधान रखा है कि जैसी स्थिति हो उसके मुताबिक उसका इंस्टालमेंट कर सकें।

इसके अलावा धारा 91 में संशोधन यह भी प्रस्तुत किया है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्ल्ड ट्राइब्स की भूमि के ऊपर, जो कि विधिवत् आवंटित की गई है, अगर कोई एन्क्रोचमेंट होता है तो वह खुद अदालत में न जावे बल्कि तहसीलदार उसका कोग्नीजेंस लेकर खुद उसका केस लड़े क्योंकि जमीन तो उसको मिली नहीं और जमीन न मिलने के अलावा इतना कर्जदार हो गया, उसका मुकदमा लड़ते लड़ते वह जब जमीन लेगा उसकी हालत बहुत खराब हो सकती है। इसका हिस्सा यह भी है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आम तौर पर माननीय सदस्यों ने यह बताया कि अभी जहां तक आबादी के बढ़ने का मामला है, कहीं कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, कोई दुकान बनाना चाहता है या और कोई काश्त करना चाहता है, हमारे कानून में फ्रेगमेंटे आफ लैंड को बेचान का अख्तियार नहीं है। उसके कारण बहुत सी समस्यायें उठती हैं। उसके बाबत एक मंत्रिमण्डल के लिये ज्ञापन तैयार करके रखा है। अभी फ्रेग्मेंटेशन आफ लेंड के बेचान के प्रावधान नहीं होने के कारण जो दिक्कतें हो रही हैं उसके बाबत में शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लिया जावेगा।

इसी प्रकार से मैं आप से एक निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको सबको अपना अपना काम सौंपा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी को इस तरह से समझते हैं कि जिसमें उनकी रुचि हो वह काम तो कर लें और जिसमें रुचि नहीं रखते हों वह काम नहीं करें। उनकी ए. सी. आर. भी इस ढंग से बनाई जाती है कि उसमें बहुत सारी खामी रहती है, उसको पकड़ भी नहीं पाते। मैंने अभी आपको पत्र दिया है उसमें एक सुझाव यह भी दिया है कि हम पटवारी से लेकर कलेक्टर तक इस प्रकार से उसका एक परफोर्मेंस परफोर्मा तैयार करें जिससे कि उसको यह निश्चित हो जावे कि मुझे इतने पीरियड में इतना काम करना जरूरी है और उसी के आधार पर मेरी ए.सी.आर. लिखी जाएगी। उसी के आधार पर मेरा प्रमोशन या और कोई सुविधायें मिलनी हैं वह मिलेंगी। इसका क्या रूप हो, क्या प्रारूप हो जिससे उसको नाजायज तकलीफ भी नहीं हो जावे लेकिन जो काम करना चाहिए, उसकी पकड़ कर सकें। तो विभाग की तरफ से मैं इस बात की व्यवस्था कर रही हूं कि हम चर्चा करके इस प्रकार का प्रारूप तैयार करें। इसके अलावा मेरा आप से भी यह निवेदन है कि आप अपने सुझाव दे अपने क्षेत्र में जिस प्रकार की समस्यायें हैं उनके आधार पर कि किस प्रकार का यह परफोर्मा बनना चाहिए जिससे उनका काम के हिसाब से जजमेंट हो सके, न कि कोई उनके बोस की मर्जी के हिसाब से।

(श्रमती कमला)

ये बहुत बातें इसमें करने की कोशिश की हैं। इसके अलावा एक जो खास तौर से मैंने अपने राजस्व अधिकारियों को पत्र लिख करके तकाजा किया है। आम तौर पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि हजारों की तादाद में रोज ग्रामीण क्षेत्रों के और शहरी क्षेत्रों के लोग भी इस तरह के मुद्दों को ले करके यहां पर जयपुर में, आते हैं जिनका ताल्लुक या तो पटवारियों से है या तहसीलदार से है या नाजिम से है या कलेक्टर से है। लेकिन बहुत से ऐसे हो सकते हैं कि जो जेनुअन नहीं हों लेकिन अधिकतर ऐसे होते हैं जिनका स्थानीय स्तर पर निराकरण कर दिया जावे तो शायद उनको यहां पर आने की जरूरत नहीं पड़े।

इसलिए उनको पाबन्द किया है कि अपने वर्किंग डेज जो हैं उनके अन्दर एक घण्टा रोजाना आम जनता की शिकायतों को सुनने के लिए निर्धारित करें और उनको देख कर के वहीं पर निराकरण करने की कोशिश करें। इसके अलावा एक महीने में चार पांच पंचायतों के बीच में एक कैम्प लगायें, एक दिन का, दो दिन का और उस कैम्प के अन्दर उस क्षेत्र की तमाम समस्याओं का मौके पर तमाम अधिकारियों को ले जा करके निराकरण करने की कोशिश करें। इसके अलावा सघन अभियान है वह आपके सामने है उसको कार्यान्वित करेंगे। तो इस तरह से राजस्व अभियान में राजस्व सम्बन्धी मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग यहां आते हैं शहरों के अन्दर, इतना खर्च करते हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, कई दफा ऐसा होता है कि कानूनन नहीं करा सकते हैं या कानून से नहीं बैठता है इसलिए यहां आते हैं।

श्रीमती कमला : नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं लेकिन आम तौर पर मैं निवेदन कर सकती हूं कि स्थानीय तौर पर पटवारी ने नामांतकरण नहीं किया तो यहां भाग कर आते हैं....

श्री अध्यक्ष : आपका क्षेत्र नजदीक है इसलिए आ जाते होंगे बाकी तो नहीं आते। हमारे यहां तो ऐसा ही है।

श्रीमती कमला : इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी बात सही है जैसा कि हम सब जानते हैं और हमारे सेवन्थ फाइनेंस कमीशन ने भी इसको माना है कि हमारे राजस्व की व्यवस्था में जो आते हैं और उसकी जो व्यवस्था है, व्यवस्था की जो कड़ियां हैं गठन की उनको हम सुदृढ करने की बात करते हैं इसलिए हमको कुछ और तहसीलें बढ़ानी चाहिए। जिनको हमें खोलना है उसमें कुछ खोली जा चुकी हैं और कुछ सरकार को खोलनी हैं। तो जैसा बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उनकी इतनी बड़ी तहसील है कि एक तहसीलदार कहां तक जावे, क्या करे। इसी तरह से कई तहसीलें ऐसी हैं जिनके तहसील हैड क्वार्टर बिल्कुल कोने में है और सारी तहसील एक तरफ है। तहसीलदार उस तरफ कब पहुंचेगा, कैसे करेगा।

इस तरह की भी दिक्कते हैं। बहुत सी तहसीलें हैं और बहुत से ऐसे स्थान हैं, जो

(श्रीमती कमला)

कि उस क्षेत्र के प्रमुख स्थान हैं लेकिन वहां न नायब तहसीलदार हैं, न तहसीलदार है तो उनको बहुत मील चल कर जाना पड़ता है। हमारे पास में एक प्रावधान आया है, इसका लाभ लेंगे। जहां इस तरह से तहसीलों में दिक्कत हो रही है, उनमें व्यवस्था प्रदान करेंगे। इसके अलावा यह व्यवस्था भी की जा रही है, कुछ हद तक की गई है, जहां एस. डी. ओ. का भी आफिस है और ए. सी. एम. का भी आफिस वहीं पर है तो एस. डी. ओ. एक जगह पर रहे और ए. सी. एम. उसी क्षेत्र के इम्पार्टेन्ट टाउन पर या स्थान पर रहे तो क्षेत्र के लोगों को वहां पर अपनी समस्याओं का निदान कराने में सहूलियत हो सकेगी। यह काम हम अपने हाथ में ले रहे हैं। इसी प्रकार पटवारी मंडल और गिरदावरी मंडलों का आम तौर पर निर्धारण है। उसमें काफी खामियां हैं। उसमें भी लोगों को तकलीफें होती हैं। इसके लिये आप अपने क्षेत्र में इस प्रकार के पुनर्गठन के लिये सुझाव दें और हमारी निगाह में जो आयेंगे वह हम लेंगे। उसकी बाबत भी विभाग की तरफ से कार्यवाही जारी है।

पटवारियों के लिये दो सौ नये पटवारघर बनाये जा रहे है। चूंकि आम तौर पर वह भी शिकायत करते हैं कि हमारे रहने की जगह नहीं है, इसलिये वह मौके पर मिलते नहीं हैं, जो काम प्रतिदिन करना चाहिये, वह करते नहीं हैं। तो यह सारी बातें इसलिये की जा रही हैं कि हम तत्परता के साथ और कुशलता के साथ में व्यवस्था के साथ जितनी ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्रशासनिक दृष्टि से राहत दे सकते हैं, वह दें। इसके अलावा उसकी खेती का उत्पादन बढ़े, इस संबंध में जो कुछ सुविधा या उपकरण दे सकते हैं वह सब ज्यादा से ज्यादा देने की स्थिति में हैं।

यह सब होने के बाद अगर पैदावार अच्छी हो जाये लेकिन किसानों को उसकी कीमत ठीक नहीं मिले और उसको खुले बाजार में जाकर इस प्रकार अपने सामान को या उत्पादन को बेचना पड़े जिससे कास्ट आफ प्रोडक्शन भी नहीं मिले। बहुत से माननीय सदस्यों ने इसके बारे में सुझाव दिये हैं, लेकिन यह बात सही है कि विपणन व्यवस्था जब तक सही नहीं होगी तब तक उत्पादन कितना ही बढ़ायेंगे तो भी पैसा एक जगह संचित होता चला जायगा। जिसने उत्पादन किया है, उन तक पैसा कम पहुंचेगा। उनकी स्थिति धीरे धीरे ठीक होगी, लेकिन जो बिचौलिये हैं, उनकी स्थिति तुरन्त ठीक हो जाती है। इसलिये राज्य सरकार ने यह व्यवस्था की है कि किसान जब अपनी फसल लेकर आवे तो, क्योंकि अपनी मजबूरी के कारण वह रख नहीं सकता, किसी को चुकाना है, कोई शादी ब्याह करना है, कोई घर बनाना है, कोई कुआं बनाना है, बहुत सारी उसकी मजबूरियां होती हैं, इसलिये बहुत से लोग जो साधन सम्पन्न होते हैं उनके अलावा ज्यादातर किसान ऐसे हैं जो काफी समय तक अपने उत्पादनको घर में नहीं रख सकते हैं, सुविधा हो जाये तो भी नहीं रख सकते हैं,

एक बार चर्चा की कि किसानों को

(श्रीमती कमला)

अपना गोदाम बनाने के लिये अलग से लोन दें वह अपना गोदाम बनायें ताकि अपने उत्पादन को कुछ समय तक सुरक्षित रख सकें। लेकिन उसकी आर्थिक हालत, मजबूरी, कर्जदारी वगैरह ऐसी है कि वह नहीं रख पाता। इस संबंध में राज्य सरकार की तरफ से दो व्यवस्था मौजूद हैं, एक तो, नियमित मण्डियों की व्यवस्था मौजूद है दूसरा सहकारी विभाग की तरफ से सहकारी क्रय विक्रय समिति हर एक इलाके में कायम हैं। इन नियमित मण्डियों की परंपरा को सुचारू रूप से चलाने के लिये यहां कोशिश की तथा कई किसान इसके माध्यम से अपना सामान ला रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। वहां पर खुले बाजार में कोई कबूतर का दाना, कोई धर्मादा खाता, कोई ये और कोई वह ले, कोई नाप तौल में ऊंचा नीचा कर दे, कोई कुछ कर दे। सब मिलकर एक छोटी बोली लगा दें, तो किसान को मजबूरन बहुत कम दाम पर अपना सामान देना पड़ता है, इसलिये राज्य सरकार की तरफ से कृषि विपणन में बहुत बड़ी योजना कुछ समय से लागू की गई है। उसके माध्यम से हमने 126 मुख्य मण्डियां घोषित कर दी हैं और उनको नियमित कर दिया है। उनमें से 27 मंडियों का निर्माण कार्य सम्पन्न हो चुका है। इन 126 मंडियों के साथ में 192 गौण मंडियां ऐसी है जहां पर इस तरह के सब यार्ड्स बने हुए हैं, और लोग अपना उत्पादन लाते हैं और वहां उनका हिसाब किताब होता है, मुख्य मंडी के माध्यम से उसका काम होता है।

इस तरह से जो बाकी स्थान रहे हैं, उनका सर्वेक्षण किया जा रहा है। उनमें कहां किस प्रकार की मंडियां स्थापित हो सकती हैं। मंडियों की तीन कैटेगरी बना दी हैं। जिनका तीन लाख का टर्न ओवर है, वह सी कैटेगरी की मंडी है, तीन से पांच लाख का है, वह बी कैटेगरी की है और पांच से 10 लाख तक की है वह ए कैटेगरी की है, उसके ऊपर की स्पेशल कैटेगरी की मंडियां बनायी हैं। इसके तहत तमाम राजस्थान भर का सर्वेक्षण करके मंडियों की स्थापना की जा रही है। इन मण्डियों को तब तक हम सफल नहीं बना सकते हैं जब तब गांवों में अप्रोच रोड नहीं हैं। इसलिये जो भी आमदनी मंडियों से होती है, उनका सम्पूर्ण आम तौर पर खर्चा हम ग्रामीण सम्पर्क सड़कों पर करते हैं, जिसके लिये विपणन बोर्ड का अपना कंस्ट्रक्शन डिवीजन है, और ज्यादा निर्माण कार्य हो टाइम पर, इसके लिये, पी. डब्ल्यू. डी. से मदद लेते हैं। तो मंडियों से किसानों को उपज का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, इसके लिये ज्यादा से ज्यादा कोशिश में हैं।

कुछ माननीय सदस्यों को सुझाव दिया, कि कुछ स्टेट्स के अन्दर एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बने हुए हैं। हमारे स्टेट में भी ऐसा किया जाना चाहिये। कितना कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, कितनी सैल्स प्राइस आती है, कितना इनपुट पर खर्च होता है, कितना और घर गृहस्थी की चीजों में खर्चा होता है, कितना हमको कुल मिलाकर दाम मिलता है। क्या प्राइस तय की जाये, इसको हम देखेंगे कि और स्टेट्स ने किस मकसद से किया है और कैसे बनाया है, और

(श्रीमती कमला)

हमारे लिये कितना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो यह, माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि और राजस्व के कुछ मोटे मुद्दे मैंने आपके सामने रखें। कुछ माननीय सदस्यों ने इस संबंध में दो तीन बातें कही हैं, जिनकी वह खास तौर से व्यवस्था चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि चयन और स्थानान्तरण के अन्दर बहुत धांधलियां हुई हैं। एक माननीय सदस्य ने अपना पूरा कटौती प्रस्ताव अलवर के किसी अधिकारी के बाबत रखा। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि किसी भी गलत अधिकारी को, कोई अनियमित काम करने वाले अधिकारी को न तो मैंने कभी प्रोटेक्ट किया है, और न मेरा प्रोटेक्ट करने का इरादा है, ना ही कभी करना चाहूंगी। दरअसल किसी ने गलती की है, उसके कागजात के अनुसार जो कुछ भी उसके खिलाफ किया जा सकता है, वह किया जायेगा। चयन के मामले में बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने, अभी नहीं हैं, बहुत जोर शोर से आरोप लगाये कि मंत्री महोदया ने एक बिना क्वालिफाइड आदमी का चयन कराने के लिये एक अधिकारी का तबादला किया। पहले यह पोस्ट बनायी और फिर यह पोस्ट बनायी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों को गलत बातों को बिना तथ्यों के, निराधार रूप से सुन्दर ढंग से प्रस्तुत करने का जो एक मुहावरा है, वह हम लोगों में नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि सरासर झूठा और गलत आरोप है। इनमें कोई तथ्य नहीं है।

एक बात जो किसी एक माननीय सदस्य ने आखिर में कही कि आपने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को अभी कुछ समय पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सफाई कर्मचारी के रूप में लगाया और अब आप उनको उठा रही हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में दो बार हाउस के अन्दर सवाल भी आया था, कई माननीय सदस्यों ने यहां पर स्थगन प्रस्ताव रखा था कि आपने कानून के विपरीत तमाम प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सफाई कर्मचारियों का चयन करके और जिलाधिकारियों को मौका दिये बिना स्थानीय लोगों को नहीं चुना। जयपुर वाले को उदयपुर और उदयपुर वाले को भरतपुर में स्थापित किया है। जिन किन्हीं अधिकारी ने किया वह बिना किसी कानून के किया, उसकी हमने जांच पड़ताल की है। दरअसल यह गलत राज्य सरकार में यह पाबन्दी लगाई हुई थी कि कोई भी भर्ती सिवाय उन लोगों के जो या तो वृत्तिकाधारी हैं, या डैण्डीकैप हैं, किसी की नहीं की जायेगी। इसलिये उनकी भर्ती पहले गलती से की गई थी, उसको निरस्त कर दिया गया। हाउस के अन्दर जो एश्योरेन्स दिया था उसके मुताबिक किया गया। कोई भी प्रकार से एस. सी. या एस. टी. के लोगों का हक मारने की दृष्टि से नहीं किया गया। अभी नियमित रूप से भर्ती खोलेंगे और उस वक्त जो भर्तियां की जायेंगी तो स्थानीय अधिकारियों द्वारा जहां पर पशु चिकित्सालय खोले हैं, वहां पर जो व्यक्ति एस.टी. या एस.सी. का होगा उसे चतुर्थ

(श्रीमती कमला)

श्रेणी कर्मचारी या सफाई कर्मचारी के रूप में भर्ती किया जायगा।

उसमें किसी का हक मारने वाली स्थिति नहीं है। अब, अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सक्षेप में पशुपालन के बारे में कुछ निवेदन करना चाहती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पशु चिकित्सा के बाबत ज्यादा समय नहीं लूंगी। माननीय सदस्य जानते हैं कि निरन्तर साल दर साल हम इसके अन्दर वृद्धि करते जा रहे हैं। हालांकि बजट के अन्दर पशु-चिकित्सालयों का काफी कम प्रावधान हमेशा से होता चला आया है। जब कि जरूरत उसकी काफी है। जरूरत मैं इसी बात से बता सकती हूं कि हमारे राज्य में अभी 33 हजार पशु संख्या पर एक पशु चिकित्सालय है, जब कि हिन्दुस्तान का औसत 26 हजार की पशु संख्या पर एक पशु चिकित्सालय का है। लेकिन हम इस बात का प्रयत्न आने वाले समय कम से कम दायरे में ज्यादा से ज्यादा पशु चिकित्सालय खोल सकें और उसका दायरा बढ़ाकर आने वाली छठी योजना में 5 से 8 मील में एक पशु चिकित्सालय हर क्षेत्र को देना चाहते है यह हमारी योजना है। इसको क्रियान्वित कर सकें, यह हमारा प्रयत्न है। इसके बाद जो है नस्ल सुधार, दुग्ध योजना के जो भी कार्यक्रम हैं वे आपके सामने है जो भी आपने इसमें सुझाव दिये उनको मैं ध्यान में रखते हुए कैटेगरीवाइज उन पर अलग अलग छोटे अधिकारियों के साथ चर्चा करके किस किस मामले में तत्परता से आदेश दिये जा सकते हैं, किस मामले में कार्यवाही के लिए और व्यवस्था करनी है, यह सारा आपके तमाम कट मोशंस को लेकर उन पर विस्तार से चर्चा करके आदेश दे दूंगी। मैं समझती हूं आपको बहुत सारे मुद्दों मे संतोष होगा और जो कुछ रह गये है उसके लिये फिर आपको निमंत्रित करती हूं कि बार बार बतावें। जो भी आपकी दिक्कते हैं उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करती हूं कि मांगें पारित की जायं।

मांग संख्या 8, 37 व 39 का पारण

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। मांगो पर मतदान।

प्रश्न यह है कि मांग सं० 39–पशु पालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8, 90, 53, 000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग सं० 8–राजस्व के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12, 20, 97, 000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि मांग सं० 37–कृषि के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 22, 64, 99, 000 रू० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही 23 मार्च, 81 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 4–53 बजे सोमवार दिनांक 23 मार्च, 1981 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 354 की सूची

भरतपुर, सवाई माधोपुर एवं अलवर जिले के विभिन्न डीजल पम्पों पर आवंटित डीजल

क्रमांक	नाम जिला	नाम डीलर	माह अक्टूबर व नवम्बर में आवंटित मात्रा (मात्रा कि. लीटर)
1	2	3	4
1.	भरतपुर	1. एस. एल. ब्रादर्स, रण्डवाल	207
		2. सिंह एस. एम. उच्चेन	200
		3. मोडर्न आटो, भरतपुर	156
		4. डी. पी. आर्य, भरतपुर	132
		5. एस. पी. गुप्ता, भरतपुर	196
		6. किसन आटो, भरतपुर	181
		7. बयाना आटो, बयाना	151
		8. जय भारत, नगर	160
		9. गर्ग गिलैरी, स्टान, बारी	234
		10. जनता आटो, नदबई	178
		11. नन्द आटो, कामा	120
		12. एम. प्रसाद, सर मथुरा	47
		13. एम. पी. जैन, पहाड़ी	165
		14. आई. बी. पी., कामा	72
		15. धौलपुर एरिया, धौलपुर	229
		16, ए. आर. घनीराम, भरतपुर	232
		17. अलोरा फिलिंग, सेवर	183
		18. खण्डेलवाल, बयाना	182
		19. एस. एल. दुर्गाप्रसाद, नगर	152
		20. — धौलपुर	200
		21. नेशनल आटो, भरतपुर	136
		22. अग्रवाल आयल, नगर	93
		23. एम. प्रसाद नदबई	158
		24. जैन आटो, डीग	218
		25. आर. सी. वैधराम, छोकरवाड़ा	233
		26. दुबे आटो, भरतपुर	148
		27. उदयचन्द, बयाना	95

216

1	2	3	4
2.	सवाई-माधोपुर	1. मै० फतेहलाल रतनलाल, स० माधोपुर	118
		2. मैं० जगदीश नारायण सत्यनारायण सवाई माधोपुर	158
		3. मै० महावीर ग्राटो मोबाइल्स, सवाई-माधोपुर	97
		4. मै० लड्ढा जनरल ट्रेडिंग क०, स० माधोपुर	81
		5. मै० अशोका ग्राटो मोबाईल्स, स० माधोपुर	80
		6. मै० रिद्धी चन्द जगन्नाथ, गगापुर	201
		7. मै० दिलीप सिंह एण्ड कं०, गंगापुर	127
		8. मै० भगवती सर्विस सैण्टर रामपुर, करौली	105
		9. मै० करौली ग्राटो स्टोर, करौली	47
		10. मै० अशोका ट्रेडिंग कं० करौली	104
		11. मै० विश्वनाथ एण्ड कं० हिडौन	214
		12. मै० अग्रवाल ग्रायल कं० हिण्डोन	75
		13. मै० रिखबदास एण्ड सन्स, हिण्डोन	175
		14. मै० डेरोलिया ब्रादर्स, श्रीमहावीर जी	142
		15. मै० मिश्रीलाल एण्ड सन्स, काचरोली	144
		16. मै० तारकेश्वर प्रसाद, सुशीलकुमार क्यारदा खुर्द	79
		17. मै० गोयल सर्विस स्टेशन, सुरोठ	82
		18. मै० रिखवदास एण्ड सन्स, फैली का पुरा	106
		19 मै० मन्सुरी सर्विस सेन्टर, मदुग्रा	104
		20. मै० कल्याण सहाय जगदीश प्रसाद, महुवा	194
		21. मै० छाजूराम छीतरमल, महुवा	165
		22. मै० सेठी सर्विस सैन्टर, मण्डावर	208
3.	ग्रलवर	1. रामनारायण एण्ड कं०, खैरथल	78
		2. नेशनल ग्राटो, के. गरवास	132
		3. ग्रो. पी. ग्रनिल कुमार, ग्रलवर	50
		4. फूल वाग एस./एस. ग्रलवर	72
		5. ग्रार. पी. ग्रोम प्रकाश, ग्रलवर	68
		6. सुजान सिंह, बहरोड़	138
		7. केवलानी ब्रादर्स, सोडावास	120
		8. परभातीलाल पी. राय, मालाखेड़ा	120
		9. भरतराम एण्ड कं०, थाना गाजी	120

1	2	3	4
		10. राजेन्द्रलाल ओ. पी. तिजारा	54
		11. राकेश्वरलाल एम. पी. बानसूर	111
		12. जगदम्बा, आटो, बागरकाती	100
		13. गोयल आटो, टपूकड़ा	56
		14. ए. एन. गुप्ता, अलवर	130
		15. गोयल आदर्स, अलवर	146
		16. गोपाल दास, अलवर	100
		17. रामनारायण देवी एस., अलवर	24
		18. जी. ओ. श्यामसुन्दर, बहरोड़	170
		19. सुरेश एण्ड कं. खैरथल	170
		20. गुप्ता सर्विस, खेड़ली	209
		21. प्रेमचन्द, के. चन्द, लालगढ़	212
		22. प्रेमचन्द, के. चन्द, राजगढ़	212
		23. बी. एल. सेवाराम, अलवर	154
		24. गंगासहाय एण्ड सन्स, अलवर	99
		25. मोडर्न एम. एस., अलवर	312
		26. खण्डेलवाल एण्ड सन्स, लालगढ़	231
		27. आई. बी. पी. शाहजहांपुर	23

परिशिष्ट 2.

तारांकित प्रश्न 356 की सूची

Statement Showing The Postgraduate Seats for Various Postgraduate Degree/Diploma Courses in the Medical College of Rajasthan

S. No.	Courses	MEDICAL COLLEGES				
		JAIPUR	AJMER	BIKANER	UDAIPUR	JODHPUR
1.	M. D. (Gen. Medicine)	23	12	14	13	10
2.	M. D. (Paed.)	8	4	5	5	5
3.	M. D. (Tuberclousis)	4	–	–	3	–
4.	M. D. (Psychiatry)	4	–	–	–	–
5.	M. D. (P. S. M.)	7	3	–	3	4
6.	M. D. (Radiology)	5	–	3	3	5
7.	M. D. (Anaesthesia)	10	3	6	5	5
8.	M. D./MS. (Biochemistry)	3	–	–	–	–
9.	M. D./MS. (Physiology)	8	3	6	4	3
10.	M. D./MS. (Pharmacology)	6	3	5	3	2
11.	M. D. (Pathology)	8	3	13	10	5
12.	M. S. (Gen. Surgery)	23	12	12	10	10
13.	M. S. (Gyn. & Obst)	16	9	11	10	9
14.	M. S. (Optholomology)	8	2	6	6	4

1	2	3	4	5	6	7
15.	M. S. (E. N. T.)	6	–	3	3	–
16.	M. S. (Orthopaedics)	8	–	4	3	4
17.	M. S./M. S. (Anotomy)	7	3	–	3	5
18.	M. Ch. (Pead. Surgery)	2	–	–	–	–
19.	M. Ch. (Genetic Urincary Surgery)	2	–	–	–	–
20.	Diploma in Public Health	6	–	–	–	–
21.	Diploma in Medical Radiological Diagnosis/Therapy	6	–	6	–	–
22.	Diploma in Anaesthesia	6	—	6	4	–
23.	Diploma in (D. G.O.)	6	....	—	4	—
24.	D. T. C. D. (Diploma in TB and Chest Dis)	6	–	6	4	—
25.	Diploma in Child Health	–	–	6	4	–
26.	Diploma in Opthalmology	–	–	3	–	–
27।	Diploma in Clinical Pathology	–	–	3	–	–

२१९

GUIDELINES FOR ADMISSION TO POST-GRADUATE COURSES IN MEDICAL COLLEGES OF RAJASTHAN, 1980

(1) Candidates must fulfil the conditions of eligibility for admission to post-graduate courses as laid down by the University of Rajasthan vide 0·278–F.

(2) Selection of candidates for admission to post-graduate courses shall be done strictly on the basis of merit to be determined on the performance of candidates in Ist, 2nd and Final M.B.B.S. Examinations taken together as outlined under the Guidelines issued by the Government vide No. F. 6 (8) MPH/77 dated 6.5.77 for selection of Resident House Officers as amended from time to time.

(3) Candidates must remain in the college as full–time post–graduates for full duration of the course. They may however hold a stipendiary or regular wholetime appointment in their respective subject of post–graduate study in the same institution.

(4) The order of priority for selection of candidates for postt–graduate courses will be as under :—

(a) Graduates of parent Institution.

(b) Other eligible graduates from Institution in Rajasthan.

(c) Candidates from Defence Forces.

(d) Candidates from rest of the country.

(e) Candidates of Indian origin domiciled abroad.

(5) (a) 8% seates for natural born scheduled caste candidates and 6% of seats for natural born scheduled tribe candi dates shall be reserved for admission to post–graduate courses provided the candidates fulfil the aforesaid con ditions for admission to post-graduate courses. This reservation will, however, be in respect of the total number of seats on the clinical side as well as in the Non-clinical side, each taken searately.

(b) If in a particular subject there are 6 or more than 6 seats, one out of every six seats will be reserved for sche duled caste/scheduled tribe candidates.

(221)

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न 362 की सूची

प्रा० स्वा० केन्द्र माण्डोलाई पर चिकित्सा स्टाफ का विवरण

क्र० सं०	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	सी०एम०एस०	3	2	उच्च शिक्षा हेतु प्रतिनियुक्ति पर
2.	मेल नर्स श्रेणी–2	2	2	—
3.	स्वा० निरीक्षक	1	1	—
4.	वाहन चालक	1	1	—
5.	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	1	—
6.	प्रसाविका	4	4	—
7.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4	4	—

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न 372 की सूची

सूची 'अ'

क्रमांक	नाम अवार्डी	अवार्ड क्रमांक	क्षेत्रफल
1.	श्री चौथू पुत्र झूतामल	1	1000
	1. श्री बिरधी पुत्र झूताराम	,,	स्माल प्लाट
	2. श्री नारायण पुत्र झूथाराम	,,	,, ,,
	3, श्री रामसहाय पुत्र नाथूमाली	,,	,, ,,
2.	श्री भैरू, पुत्र बिरधी चन्द्र	2	—
3.	श्री गजानन्द पुत्र श्री हेतराम अहीर	2	1000
	1. श्री गणेश पुत्र कन्हैयालाल यादव		स्माल प्लाट
4.	श्री भौरया, गुल्या पुत्र श्री देवा माली	4	1000
	1. श्री भंवरी लाल पुत्र श्री देवीलाल		—
	2. श्री गुलजीपुत्र देवा माली	4	—
5.	श्री श्रीनारायण पुत्र श्री वाला जी कुमावत	5	500
6.	श्री ईश्वरराम पुत्र श्री पांचुराम रामहरि ब्राह्मण	6	1000
7.	श्री श्यामलाल पुत्र श्री शोषाश हरियाणा ब्राह्मण	7	1000
8.	श्री सुजा पुत्र श्री वाला माली	8	1000
9.	श्री भंवरीलाल पुत्र रामचन्द्र पुत्र श्री भैरू कुमावत	98	1000
	1. श्री सुरजन पुत्र श्री नारायण कुमावत	9	स्माल प्लाट
10.	श्री काना पुत्र श्री जगराम मीना	10	1000
	1. श्री रामचन्द्र पुत्र श्री बीजालाल	10	स्माल प्लाट
11.	श्री गोपाल पुत्र गणेश ब्राह्मण	11	1000
	1. श्री रामपाल पुत्र नानकराम		स्माल प्लाट

क्रमांक	नाम अवार्डी	अवार्ड क्रमांक	क्षेत्रफल
12.	श्री गोपाल पुत्र श्री गणेश	12	
	श्री गंगाराम पुत्र भोरया		
	श्री रामपाल पुत्र नानगराम		
13.	श्री गंगाराम पुत्र श्री भंवर ब्राह्मण	13	1000
14.	श्री रामपाल पुत्र नानगराम ब्राह्मण	14	—
15.	श्री भोरीलाल मूलचन्द, सूरजबक्स लालचन्द और पुरणमल पुत्र गंगाराम कुमावत	15	—
	श्री भोरीलाल पुत्र श्री गंगाराम कुमावत	,,	—
16.	श्री मंगला पुत्र श्री तेजा कुमावत	16	1000
17.	श्रीमती प्रहलादी पत्नि श्री वद्री नारायण	17	—
	श्रीमति माना देवी पत्नि श्री गोविन्दनारायण महेश्वरी		—
	श्रीमति सुरजवती पत्नि श्री कन्हैयालाल, राधेश्याम क० लाल		—
18.	श्री गंगाराम पुत्र श्री सत्यनारायण पुत्र श्री रामचन्द्र कुमावत	18	1000
19.	श्री गुल्ला पुत्र श्री सुरजन कुमावत	19	1000
20.	श्री गोकुलचन्द, गणेशनारायण, रूप नारायण, लक्ष्मीनारायण, गप्पुनारायण, नवरत्नसिंह पुत्र श्री सूरजमल कुमावत	20	1000
	श्री कपुरचन्द पुत्र श्री जय नारायण कुमावत		स्माल प्लाट
	श्री शिवजीराम पुत्र श्री जयनारायण कुमावत		स्माल प्लाट
21.	श्री भोरया पुत्र गंगाबक्स माली	21	1000
22.	श्रीमती कमलावती शान्ति श्री रामचन्द्र एडवोकेट	22	500

क्रमांक	नाम अवार्डी	अवार्ड क्रमांक	क्षेत्रफल
23.	श्री चन्दा पुत्र श्री सुन्डयामाली	22	—
	श्री नन्दा पुत्र चन्दालाल		स्माल प्लाट
	श्री प्रभात पुत्र मोती		
24.	श्री भौरीलाल, कन्हैयालाल, दामोदर, छोटेलाल, गणेशनारायण राधेश्याम पुत्र श्री उधा मालइ	24	—
	1. श्री राधेश्याम पुत्र चौथमल		
	2. श्री छोटेलाल पुत्र चौथमल		
	3. श्री गणेश पुत्र चौथमल		
	4. श्री कन्हैयालाल पुत्र चौथमल		
	5. श्री धन्ना पुत्र श्री चौथमल		
	6. श्री गौरीलाल पुत्र श्री चौथमल		
25.	श्री मूला पुत्र श्री बाला माली	25	1000
	श्री सुवालाल पुत्र श्री मागीलाल	—	स्माल प्लाट
26.	श्री विजयालाल पुत्र श्री रामसुख कुमावत	26	1000
	श्री छोटालाल पुत्र श्री रामचन्द्र		स्माट प्लाट
	श्री शिवराम पुत्र पेमाराम		स्माल प्लाट
27.	रामलाल पुत्र श्री पोखरमल माथुर	27	2000
28.	श्रीमती ज्योत्सना कुमारी पत्नि कर्नल विरेन्द्रसिंह	28	2000
29	श्रीमती चैनकुमारी पत्नि लेट राजकुमार गजेन्द्र पालसिंह	29	2000
30.	केप्टेन श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र ठाकुर सुरेन्द्रसिंह	30	2000
31.	श्री रामदयाल पुत्र श्री शिव नारायण जोशी	31	2000
32.	श्री राकेश कुमार पुत्र श्री हजारीलाल शर्मा	32	2000

क्रमांक	नाम अवार्डी	अवार्ड क्रमांक	क्षेत्रफल
33.	श्रीमती रामेश्वरी सेठी पत्नि डा० जगत प्रकाश सेठी		2000
34.	श्रीमती फुलादेवी पत्नी श्री भौरीलाल कुमावत	34	1500
35.	श्री गोपाललाल पुत्र श्री प० हरसहाय शर्मा	35	2000
	श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री श्रवण लाल शर्मा एवं श्री मोहनलाल पुत्र श्री प्यारेलाल मेहता		
36.	श्री राजा नरपतसिंह पुत्र राजा रुपसिंह	36	1000
37.	श्री धूम सिंह पुत्र गणपतसिंह राजपूत	37	1000
38.	श्रीमती मालती देवी पत्नि श्री धूमसिंह राजपूत	38	—
39.	श्री अनन्त कुमार गर्ग पुत्र चांद मल गर्ग	39	1000
40.	डा० भगवानदास खेरा पत्र श्री खेमचन्द्र खेरा	40	2000
41.	श्री लालचन्द्र पुत्र श्री विरधीचन्द श्री प्रभुनारायण, भगवानदास पुत्र श्री रामचन्द्र कुमावत	41	1500
42.	श्री मनुराम, मीनोर पुत्र श्री भौरीलाल कुमावत	42	500
43.	श्री भीमसिंह पुत्र श्री समन्दरसिंह	43	500
44.	श्रीमती कान्तीदेवी पत्नि श्री भिष्मनारायण शर्मा	44	1000
45.	श्री प्रहलाद पुत्र सुवालाल शर्मा	45	1000
46.	श्री राम किशोर पुत्र श्री मोतीलाल शर्मा	46	1000
47.	श्री गणेशनारायण गुप्ता एडवोकेट पुत्र श्री शिवनारायण	47	1500

क्रमांक	नाम अवार्डी	अवार्ड क्रमांक	क्षेत्रफल
48.	श्री तुलसी विश्नोई पुत्र श्री शाहीराम विश्नोई	48	2000
49.	श्री छोटी लाल पुत्र श्री झूथाराम माली	49	2000
50.	श्री रघुवीरसिंह जी पुत्र श्री ठा० जवाहरसिंह राजपूत	+50	1500
51.	श्रीमती विमलादेवी पत्नि श्री कल्याण सहाय जसौरा	51	500
52.	श्री अलखप्रसाद पुत्र श्री राय साहिब श्री शंकरलाल	52	500
53.	श्री बलवीर प्रसाद पुत्र श्री मथुरा प्रसाद भटनागर	53	500
54.	श्रीमती डा० शारदा थापर पत्नि डा० सत्य भूषण थापर	54	1000
55.	श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री देवीसिंह राजपूत	55	2000
56.	श्री फतेहसिंह पुत्र श्री रमासिंह	56	2000
57,	श्रीमति अन्नपूर्णा देवी पत्नि गोरधनदास टोंगी	57	1500
58.	श्री लालचन्द सोनी पुत्र श्री फूल चन्द्र सोनी	58	2000
59.	श्री मोहनदास पुत्र श्री दीवानचन्द्र सोला श्रीमती संतोष मोहन पत्नि माहनदा सोलर	59	डिस्प्यूटेड
60.	श्री मधु कश्यप, विधु कश्यप मीनोर, पुत्र श्री ब्रज भूषण कश्यप	60	2000
61.	श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री नारायणलाल गुप्ता	61	500 (डिस्प्यूटेड)
62.	श्रीमति रामजानीदेवी पत्नि श्री जगदीशकुमार श्रीमति सावित्री देवी पत्नि	62	2000

227

क्रमांक	नाम अवार्डी	अवार्ड क्रमांक	क्षेत्रफल
	श्री ओमप्रकाश महाजन		
63.	श्री रघुनन्दनलाल पुत्र श्री जौहरीलाल खण्डेलवाल	63	1 प्लाट (1000 वर्ग गज)
64.	श्रीमति राजेश्वरी देवी पत्नि श्री रघुनन्दनलाल खण्डेलवाल	64	—
65.	श्रीमति कमलादेवी पत्नि श्री विजय कुमार शर्मा	65	500 (डिस्प्यूटेड)
66.	श्रीमति शकुन्तला देवी पत्नि श्री महेशप्रसाद भार्गव	66	1000 (डिस्प्यूटेड)
67.	श्री ओमप्रकाश, हरिनारायण पुत्र श्री घीसीलाल अग्रवाल	67	1000 (डिस्प्यूटेड)
68.	श्री रेनु कुमारी पुत्री श्री छेनूलाल	68	1000
69.	श्रीमति चन्द्रकला पत्नि श्री छनूलाल	69	—
70.	श्री भुरा पुत्र श्री किशनलाल कुमावत	70	—
71.	श्री बाछूराम पुत्र श्री काना कुमावत	71	—
72.	श्री रामसुख, गंगाबक्श, शोला गोपह पुत्र श्री लाखा कुमावत	72	—
73.	श्री रामसुख पुत्र श्री लाखा कुमावत	73	—
74	श्री गंगाबक्ष पुत्र लाखा कुमावत	74	स्माल प्लाट
75.	श्री गोपी पुत्र श्री लाखा कुमावत	75	" "
76.	श्री आना, मार्ग्यां, मंगलिया पुत्र	76	—
	श्री वालू माली 1. आनन्दीलाल पुत्र झूंथा		स्माल प्लाट
	2. मोती पुत्र श्री झूंथा		
77.	सवाई चक 3. मंगलियां पुत्र झूंथा	77	स्माल प्लाट
	नर्बदादेवी पत्नि श्री ओंकारलाल अहीर		" "
	रामचन्द्र पुत्र श्री नारायण, नाथूराम पुत्र श्री सुख जी		" "
	भेपजी पुत्र श्री शंकर जागड़ा ब्राह्मण	"	" "
	भौरीलाल पुत्र श्री गणेश माली	"	" "
	भूर जी पुत्र श्री गंगाराम माली	"	" "

(228)

क्रमांक	नाम अवार्डी	अवार्ड क्रमांक	क्षेत्रफल
77.	श्रीमति केसर देवी पत्नि सुवाराम माली	77	स्माल प्लाट
78.	1. श्री रघुनाथ प्रसाद पुत्र श्री भूरजी कुमावत	,,	स्माल प्लाट
	2. श्री राम सहाय पुत्र श्री मूलचन्द्र कुमावत	,,	स्माल प्लाट
	3. श्री लालचन्द पुत्र श्री जोधराज कुमावत	,,	,, ,,
	4. श्री अब्दुल रहमानखान पुत्र श्री करीमखान	,,	,, ,,
	5. श्री बसीरखान पुत्र श्री वजीर खां	,,	स्माल प्लाट
	6. श्री नारायण पुत्र श्री श्रवण जालीवाला	,,	स्माल प्लाट
	7. श्री घीसीलाल एवं श्री गुरुबख्श पुत्र श्री मूलचन्द्र	,,	स्माल प्लाट
	8. श्री फूलचन्द्र पुत्र श्री गोविन्दराम	,,	स्माल प्लाट
	9. श्री नन्द किशोर पुत्र सीताराम	,,	,, ,,
	10. श्री केसर देव शर्मा	,,	,, ,,
	11. श्री दुर्गालाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण	,,	,, ,,
	12. श्री भौंरीलाल पुत्र श्री मूलचन्द्र	,,	,, ,,
	13. श्री भौंरीलाल पुत्र श्री नारायण	,,	,, ,,
	14. श्री छोटीलाल पुत्र श्री भौंरीलाल	,,	,, ,,
	15. श्री लल्लू जी पुत्र श्री भौंरीलाल	,,	,, ,,
	16. श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री भौंरीलाल	,,	,, ,,
	17. श्री घासीराम पुत्र श्री सवाईराम	,,	,, ,,
सवाई चक–226			
1.	1. श्री घीसीलाल पुत्र श्री गणेशजी	,,	स्माल प्लाट
2.	श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री मांगीलाल	,,	,, ,,
3.	श्री देवीनारायण पुत्र श्री रामचन्द्र	,,	,, ,,
4.	श्री मिश्रीलाल पुत्र श्री कालूराम जैन	,,	,, ,,
5.	श्री मुकुटलाल पुत्र श्री घीसीलाल	,,	,, ,,

क्रमांक	नाम अवार्डी	अवार्ड क्रमांक	क्षेत्रफल
6.	श्री नारायण पुत्र श्री मूलचन्द्र	77	स्माल प्लाट
7.	श्री नारायण पुत्र श्री मूलचन्द्र	,,	,, ,,
8.	श्री अयलाल पत्र जगन्नाथ	,,	,, ,,
9.	श्री कन्हैयालाल पुत्र जगन्नाथ	,,	,, ,,
10.	श्रीमति ग्यारसी देवी पत्नि श्री लेट–सूजीलाल	,,	,, ,,
11.	श्री घीसीलाल पुत्र श्री सोहनलाल	,,	,, ,,
12.	श्री दुर्गालाल पुत्र श्री रघुनाथ	,,	,, ,,
13.	श्री छाजू पुत्र श्री कल्याण	,,	,, ,,
14.	श्री रामसहाय पुत्र श्री मूलचन्द्र	,,	,, ,,
15.	श्री गुलाबचन्द्र पुत्र श्री मोहनलाल	,,	,, ,,
16.	श्री हरिनारायण पुत्र श्री गेन्दीलाल	,,	,, ,,
17.	श्री पांचूराम पुत्र श्री नरसिंहदास	,,	,, ,,
18.	श्री जगदीश नारायण पुत्र श्री रामलाल	,,	,, ,,
19.	श्री हनुमानसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह	,,	,, ,,
20.	श्री हनुमान खाती	,,	,, ,,
21.	श्री भंवरलाल पुत्र श्री रघुनाथ	,,	,, ,,
22.	श्री बिरधीचन्द्र पुत्र जगन्नाथ	,,	,, ,,
23.	श्री हनुमान पुत्र श्री बिरधीचन्द	,,	,, ,,
24.	श्री लालचन्द पुत्र श्री फकीरचन्द	,,	,, ,,
25.	श्री मूलचन्द पुत्र श्री हजारीलाल	,,	,, ,,
26.	श्री ओंकार जी पुत्र श्री खेमचन्द	,,	,, ,,
27.	श्री कालूराम पुत्र श्री जयनारायण कुमावत	,,	,, ,,
28.	श्री कल्याण पुत्र श्री गोविन्दराम	,,	,, ,,
29.	श्री माधोलाल पुत्र श्री गोविन्दराम	,,	,, ,,
30.	श्री गुरुबक्श पुत्र श्री शिवराम	,,	,, ,,
31.	श्री भुर जी पुत्र श्री छोटेलाल	,,	,, ,,
32.	श्री रामसहाय पुत्र श्री गोरीलाल	,,	,, ,,
33.	श्री गंगाराम गूजर	,,	,, ,,
34.	श्री मूलचन्द पुत्र श्री नारायण	,,	,, ,,

(230)

क्रमांक	नाम अवार्डी	अवार्ड क्रमांक	क्षेत्रफल
35.	श्री रामसहाय पुत्र श्री देवीलाल	77	स्माल प्लाट
36.	श्री चन्दालाल पुत्र श्री रामनिवास	,,	,, ,,
37.	श्री नारायण पुत्र श्री कालूराम	,,	,, ,,
38.	श्री जगदीश नारायण पुत्र श्री दूलचन्द	,,	,, ,,
39.	श्री गजानन्द पुत्र श्री सिद्ध	,,	,, ,,
40.	श्री लादूराम पुत्र श्री कुन्जी	,,	,, ,,
41.	श्री कल्याण पुत्र श्री गोपीलाल	,,	,, ,,
42.	श्री रमेशचन्द जोशी पुत्र श्री	,,	,, ,,
43.	श्री रामकरण पुत्र श्री गोपी	,,	,, ,,
44.	श्री मदन पुत्र श्री जोधराज	,,	,, ,,
45.	श्री लालचन्द पुत्र श्री जोधराज	,,	,, ,,
46.	श्री देवाराम पुत्र श्री जोधराज	,,	,, ,,
47.	श्री रघुनाथ पुत्र श्री भुरजी	,,	,, ,,
48.	श्री मुलचन्द पुत्र श्री सुखराम	,,	,, ,,
49.	श्री रामस्वरुप पुत्र श्री दलजी	,,	,, ,,
50.	श्री बनरालाल पुत्र श्री दुलजी कुमावत	,,	,, ,,
51.	श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री भवंर लाल	,,	,, ,,
52.	श्री आत्माराम पुत्र श्री भवंर लाल	,,	,, ,,
53.	श्री जयराम पुत्र श्री जयनारायण	,,	,, ,,
54.	श्री जगदीश पुत्र श्री पांचुराम	,,	,, ,,
55	श्री भंवरीलाल पुत्र श्री हरदेव	,,	,, ,,
56.	श्री बाबूराम पुत्र श्री लादुराम	,,	,, ,,
57.	श्री प्रताप पुत्र श्री सखराम	,,	,, ,,
58.	श्री नाथूराम पुत्र श्री कालुराम	,,	,, ,,
59.	श्रीकालुराम ब्राह्मण	,,	,, ,,
60.	श्री नाथुलाल पुत्र श्री भंवरीलाल	,,	,, ,,
61.	श्री महादेव पुत्र बलदेव यादव	,,	,, ,,
62.	श्री रुपनारायण पुत्र श्री रतनलाल	,,	,, ,,
63.	श्री शिवनारायण पुत्र श्री शिवजी	,,	,, ,,
64.	श्री गोर्वधनलाल पुत्र श्री गिरधीचन्द	,,	,, ,,
65,	श्री बद्रीनारायण पुत्र श्री जगनाथ	,,	,, ,,

क्रमांक	नाम अवार्डी	अवार्ड क्रमांक	क्षेत्रफल	
66.	श्री विरधीचन्द पुत्र श्री त्रिलोकचन्द	77	स्माल	प्लाट
67.	श्री लादुराम पुत्र श्री बाछूलालजैन	,,	,,	,,
68.	श्री मति दुर्गा देवी पत्नी श्री लादुराम	,,	,,	,,
69.	श्री गोकुलचन्द पुत्र श्री सुरजमल	,,	,,	,,
70.	श्री गणेश नारायण पुत्र श्री सुरजमल	,,	,,	,,
71.	श्री रूपनारायण पुत्र श्री सुरजमल	,,	,,	,,
72.	श्री नवरतनसिंह पुत्र श्री सुरजमल	,,	,,	,,
73.	श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री सुरजमल	,,	,,	,,
74.	श्री श्रवण जी पुत्र श्री चन्द यादव	,,	,,	,,
75.	श्री नारायण जी पुत्र श्री सुख जी	,,	,,	,,
76.	श्री बनवारी लाल पुत्र श्री नारायण जी	,,	,,	,,
77.	श्री नाथूलाल पुत्र श्री घीसीलाल	,,	,,	,,
78.	श्री कल्याण पुत्र श्री घन्नाराम	,,	,,	,,
79.	श्री कपूरचन्द पुत्र श्री चौथमल	,,	,,	,,
80.	श्री रामदयाल पुत्र श्री घासी	,,	,,	,,
81.	श्री गणेशनारायण पुत्र श्री गुलाबचन्द्र	,,	,,	,,
82.	श्री गप्पुनारायण पुत्र श्री सुरजमल	,,	,,	,,
83.	श्री नाथुराम पुत्र श्री रघुनाथ	,,	,,	,,
84.	श्री रघुनाथ पुत्र श्री मंगल यादव	,,	,,	,,
85.	श्री बुद्धिप्रकाश पुत्र श्री कल्याणमल	,,	,,	,,
सवाई चक्र				
	श्री गजानन्द पुत्र श्री राम प्रकाश	,,	स्माल	प्लाट
	श्री लादुराम पुत्र श्री बिरधा	,,	,,	,,
	श्री छोटू पुत्र श्री जमनालाल	,,	,,	,,
1.	श्री गुलाबचन्द पुत्र श्री सुखदेव	,,	,,	,,
2.	श्री तुलसीराम पुत्र श्री हरदेव	,,	,,	,,
3.	श्री भोरीलाल पुत्र श्री नानगराम	,,	,,	,,
4.	श्री रामचन्द पुत्र श्री नारायण	,,	,,	,,
5.	श्री केसरलाल पुत्र श्री घीसीलाल	,,	,,	,,
6.	श्री भूरजी पुत्र श्री गंगाबक्स	,,	,,	,,
7.	श्री रामपाल पुत्र श्री छाजू जी	,,	,,	,,

क्रमांक	नाम अवार्डी	अवार्ड क्रमांक	क्षेत्रफल
8,	श्री सरजीवन पुत्र श्री रघुनाथ	77	स्माल प्लाट
1.	श्री गोविन्दराम पुत्र श्री रामसुख	,,	,, ,,
2.	श्री गणेश पुत्र रामसुख	,,	,, ,,
3.	श्री गोपाल पुत्र रामसुख	,,	,, ,,
4.	श्री भौंरीलाल पुत्र श्री सूरजमल	,,	,, ,,
5.	श्री गुलाबचन्द पुत्र श्री सुवालाल	,,	,, ,,
6.	श्री मालीराम पुत्र श्री पनजी	,,	,, ,,
7.	श्री नाथु पुत्र श्री कल्याणजीं	,,	,, ,,
8.	श्री रामचन्द पुत्र श्री भुर जी	,,	,, ,,
9.	श्री नानगराम पुत्र श्री रामसहाय	,,	,, ,,
10.	श्री गुलाबचन्द पुत्र श्री हीरालाल	,,	,, ,,
11.	श्री लादुराम पुत्र श्री मगला	,,	,, ,,
12.	श्री गणेश पुत्र श्री गोविन्दराम	,,	,, ,,
13.	श्री छोटु पुत्र श्री लादुराम	,,	,, ,,
14.	श्री गंगाराम पुत्र श्री पांचुराम	,,	,, ,,
15.	श्री रामसिंह पुत्र श्री प्रभाती	,,	,, ,,
16.	श्री बालचन्द पुत्र श्री कानजी	,,	,, ,,
17.	श्री मंधाजी पुत्र श्री चान्दलाल	,,	,, ,,
18.	श्री महावीर पुत्र श्री चन्द्रा	,,	,, ,,
19.	श्री सूरज	,,	,, ,,
20.	श्री नन्दराम पुत्र श्री गोविन्दराम	,,	,, ,,
21.	श्री सुन्दरलाल पुत्र श्री छीतर	,,	,, ,,
22.	श्री नाथुलाल पुत्र श्री रुड़मल	,,	,, ,,
23.	श्री छुगालाल पुत्र श्री छनूलाल	,,	,, ,,
24.	श्री स्वरुपनारायण पुत्र श्री शंकरजी	,,	,, ,,
25.	श्री रामदास पुत्र श्री नारायण जी	,,	,, ,,
26.	श्री मंगलचन्द पुत्र श्री	,,	,, ,,
27.	श्री कालुराम पुत्र श्री जीवनराम	,,	,, ,,
28.	श्री नाहरसिंह पुत्र श्री	,,	,, ,,
29.	श्री मुलचन्द पुत्र श्री गोपीचन्द	,,	,, ,,
30.	श्री गोपीनाथ हरनाथ दास	,,	,, ,,

क्रमांक	नाम अवार्डी	अवार्ड क्रमांक	क्षेत्रफल
चक्र सुदर्शनपुरा			
	गोपी पुत्र श्री मंगला कुमावत	1	1000
	नाथु पुत्र श्री छना कुमावत	2	1000
	गोपी पुत्र श्री मंगला एवं नाथु पुत्र चून्या एवं नसिगलाल पुत्र श्री मांगीलाल एवं नानगा पुत्र श्री गणेश कुमावत	3	—
4.	श्री नसिगलाल पुत्र श्री मांगीलाल कुमावत	4	1000
5.	श्री नानगा पुत्र श्री गणेश कुमावत	5	1000
	1. श्री कालुराम पुत्र श्री शंकरलाल		स्माल प्लाट
	2. श्री रामचन्द पुत्र श्री उदयाराम		स्माल प्लाट
	3. श्री मोतीराम		,, ,,
	4. श्री मूलचन्द पुत्र श्री शंकरलाल		,, ,,
	5. श्री नानगराम पुत्र श्री गणेश		,, ,,
	6. श्री रामनारायण पुत्र श्री रामकिशन		,, ,,
6.	श्री रामचन्द पुत्र श्री भूरा कुमावत	6	1000
7.	श्री भौरीलाल पुत्र श्री किशनलाल एवं कल्याण डा० गोपी	7	—
	1. श्री कल्याण पुत्र श्री गोपी		
	2. श्री केसरलाल पुत्र श्री किशन जी		स्माल प्लाट

क्रमांक	नाम अवार्डी	अवार्ड क्रमांक	क्षेत्रफल
	3. श्री भंवरीलाल पुत्र श्री किशनलाल		1000
8.	श्री मांगीलाल पुत्र श्री सेडू कुमावत	8	1000
9.	श्री दामोदर, दुर्गालाल, गेन्दीलाल देवीलाल पुत्र श्री चन्दालाल कुमावत	9	1000
	1. श्री नानगराम पुत्र श्री चौथमल		स्माल प्लाट
	2. श्री देवीलाल पुत्र श्री चन्दालाल		स्माल प्लाट
	3. श्री दामोदर पुत्र श्री चन्दालाल		स्माल प्लाट
4.	श्री दुर्गालाल पुत्र श्री चन्दालाल		,, ,,
	5. श्री गेन्दीलाल पुत्र श्री चन्दालाल		,, ,,
10.	श्री नाथु पुत्र श्री नारायण श्री दामोदर, दुर्गालाल गेन्दीलाल, देवीलाल पुत्र श्री चन्दालाल	10	
	श्री नाथुराम पुत्र श्री नारायण कुमावत		स्माल प्लाट
11.	श्री नाथु पुत्र श्री नारायण कुमावत	11	1000
	श्री सुरजन पुत्र श्री जगन्नाथ		स्माल प्लाट
	श्री रामजीवन पुत्र जगन्नाथ		स्माल प्लाट
12.	श्री भौरया	12	1000

क्रमांक	नाम अवार्डी	अवार्ड क्रमांक	क्षेत्रफल
	पुत्र श्री नारायण सुखा पुत्र श्री गणेश जी कुमावत		
	श्री जयनारायण पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण		स्माल प्लाट
	श्री लल्लू पुत्र श्री जय नारायण		स्माल प्लाट
13.	श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री मंगला माली	13	—
	श्री हरिनारायण पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण		स्माल प्लाट
	श्री भौरीलाल पुत्र श्री शिवनारायण		स्माल प्लाट
	श्री ग्यारसीलाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण		स्माल प्लाट
	श्री रामनारायण पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण		स्माल प्लाट
14.	श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री मंगला माली श्री भौरीलाल पुत्र श्री नारायण एवं सुखा पुत्र श्री गणेश कुमावत	14	—
15.	श्री सीताराम बापू, पूरन पुत्र श्री फकीरचन्द कुमावत	15	1000
16.	श्री सीताराम बापू, पूरन पुत्र श्री फकीरचन्द्र कुमावत	16	1000
	श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री मंगला माली		—
17.	श्री भगवान पुत्र श्री नन्दराम माली	17	1000
	श्री भौरीलाल पुत्र कानजी		स्माल प्लाट
	गोपी पुत्र श्री शिवनारायण		" "

क्रमांक	नाम अवार्डी	अवार्ड क्रमांक	क्षेत्रफल	
	श्री कजोड़ पुत्र नारायण		स्माल प्लाट	
18.	**सवाई चक्र**			
	1. श्री रामचन्द्र पुत्र श्री घीसीलाल	18	स्माल प्लाट	
	2. श्री गोविन्दराम पुत्र श्री भौंरीलाल	,,	,,	,,
	3. श्री सुरजन पुत्र श्री घासीराम	,,	,,	,,
	4. श्री नाथूराम पुत्र श्री चन्दाराम	,,	,,	,,
	5. श्री नानगराम पुत्र घीसीराम	,,	,,	,,
	1. श्री कन्हैयालाल पुत्र पांचूलाल	,,	,,	,,
	2. श्री रामनारायण पुत्र बिरधीचन्द	,,	,,	,,
	3. श्री बिरधीचन्द पुत्र श्री रामनारायण	,,	,,	,,
	1. श्री रामसहाय पुत्र मोतीराम	,,	,,	,,
	2. श्री भौंरीलाल पुत्र भूरामल	,,	,,	,,
	3. श्री मांगीलाल पुत्र रामसहाय	,,	,,	,,
	4. श्री ग्यारसीलाल पुत्र रामसहाय	,,	,,	,,
	5. श्री घीसाराम रामसहाय	,,	,,	,,
	6. श्री छोटे लाल पुत्र रामसहाय	,,	,,	,,
	7. श्री पांचुलाल पुत्र रामसहाय	,,	,,	,,
	8. श्री छोटेलाल पुत्र बालजी	,,	,,	,,
	9. श्री पूरणचन्द पुत्र छोटेलाल	,,	,,	,,
	10. श्रीमति पांची पत्नि मूलचन्द	,,	,,	,,
	11. श्री मंगलचन्द्र पुत्र	,,	,,	,,
	12. श्री छोटेलाल पुत्र जीवनराम	,,	,,	,,
	13. श्री नाथुलाल पुत्र आनन्दीलाल	,,	,,	,,
	14. श्री सुरज्ञान	,,	,,	,,
	15. रमेश पुत्र श्री प्रताप	,,	,,	,,
	16. सुरजमल	,,	,,	,,
	17. श्री रामनारायण पुत्र श्री हरबक्श	,,	,,	,,
	18. श्री नानगराम पुत्र श्री रामनाथ	,,	,,	,,

क्रमांक नाम अवार्डी	अवार्ड क्रमांक	क्षेत्रफल
19. श्री भोरीलाल पुत्र सुरजमल	18	स्माल प्लाट
20. श्री फूलचन्द्र पुत्र नारायण	,,	,, ,,
21. श्री रामफूल पुत्र श्री रामनारायण	,,	,, ,,
22. श्रीमती रुकमा पत्नि श्री मालजी	,,	,, ,,
1. श्री मांगीलाल पुत्र श्री गोविन्दराम	,,	,, ,,
2. श्री सुख जी पुत्र श्री चन्दा	,,	,, ,,
3. श्री काना पुत्र श्री घन्ना	,,	,, ,,
4. श्री आनन्दा पुत्र श्री झूंथा	,,	,, ,,
5. श्री मूल चन्द्र पुत्र श्री गोपी	,,	,, ,,
6. श्री बिरदा पुत्र श्री श्योबक्स	,,	,, ,,
7. श्री झूंथा पुत्र श्री ,,	,,	,, ,,
8. श्री गणेश पुत्र श्री ,,	,,	,, ,,
9. श्री सूजा पुत्र श्री ,,	,,	,, ,,
10. श्री लाल जी पुत्र श्री ,,	,,	,, ,,
11. श्री गणेश पुत्र श्री सूआ	,,	,, ,,

सूची–(ब)

क्रम सं.	नाम	अवार्ड नम्बर	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गगज में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री नारायण पुत्र बालजी	5	बी. 63	500	
2.	श्री ईश्वर राम पुत्र श्री पांचू	6	सी. 129	500	
			ई. 239		
			सी. 130	500	
			ई. 240		
3.	श्री सूज्या पुत्र श्री बालू माली	8	डी. 8		
			डी. 9	886	
			डी. 10		
4.	श्री भौरी लाल पुत्र श्री रामचन्द्र	9	बी. 58	500	
5.	श्री गोपाल पुत्र गणेश	11	बी. 27	500	
			बी. 51	500	
			बी. 52	500	
6.	श्री गंगाराम पुत्र श्री भंवर	13	बी. 53	500	
			बी. 54	500	
7.	श्री भौंरी लाल पुत्र श्री मूलचन्द्र	15	बी. 64	500	
	श्री सूरज बक्स, लालचन्द्र पुत्र श्री गंगाराम		बी. 65	500	
8.	श्री गोकुलचन्द्र, गणेशनारायण	20	बी. 48	500	
	लक्ष्मीनारायण, रूपनारायण. गप्पूनारायण नवरतन सिंह पुत्रन सूरज मल		बी. 49	500	

1	2	3	4	5	6
9.	श्रीमती कलावती एरन	22	बी. 41	635–14	
10.	श्री भौरीलाल, कन्हैयालाल, दामोदर, छोटेलाल, गणेशनारायण राधेश्याम पुत्र चौथमल माली	24	6 छोटे भूखण्ड		
11.	श्री काना पुत्र श्री जगराम	10	बी. 59	500	
			बी. 60	500	
12.	श्रीमती ज्योत्सना कुमारी	28	ई. 10	600	
	श्रीमती शकुन्तला		एस. 225	122	
	विपुल संग्राम सिंह		295	600	
	सुश्री शैलबाला		एफ. 27	500	
	श्री विरेन्द्र सिंह		के. 24	200	
13.	श्रीमती चैन कुमारी	29	ई. 2	600 व. ग.	
			के. 25	200 ,,	
	श्री हेम शंकर		ई. 3	600	
	श्रीमती वन्दना कुमारी		ई. 11	600	
14.	कैप्टन राजेन्द्र सिंह	30	ई. 7	600	
	श्री एस. के. शर्मा		ई. 12	600	
	कुमारी मोहनी		एस. 222	122	
	श्री प्रभाकर सिंह		ई. 6	600	

1	2	3	4	5	6
	श्रीमती भुवनेश्वरी		के. 13	200	
15.	श्रीमती रामेश्वरी सेठी	33	एफ 113	500	
			एफ. 114	500	
			एफ. 115	500	
			एफ. 68	500	
16.	श्रीमती फूलादेवी	34	सी. 109	400	
		श्री श्यामलाल	सी. 110	400	
		श्री भौंरीलाल विजयलाल	सी. 111	400	
		श्री नानू लाल	सी. 107	400	
	श्री नानूलाल	42	सी. 108	400	
		श्री वासुदेव	जे. 14	266	
		श्री चन्द्रपाल	जे. 15	266	
17.	श्री राजा नरपतसिंह	श्री शत्रुघन सिंह	एफ 67	500	
		श्रीमती उषा कुमारी	एच 236	375	
18.	श्री अनन्त कुमार गर्ग	39 श्री ऐ. के गर्ग	सी. 71	400	
		श्रीमती कृष्णा देवी	सी. 99	400	
		श्री सुरेश कुमार गर्ग	ई. 885		
			ई. 886		
19.	श्री भगवान दास खेड़ा	40	सी. 113	400	

1	2	3	4	5	6
			सी. 114	400	
			सी. 115	400	
			सी. 116	400	
			सी. 117	400	
20.	श्री लालचन्द	41	जे. 5	266	
		श्रीमती छुट्टन देवी	जे. 56	266	
		श्री दयाशंकर	एफ. 318	500	
		श्री प्रभु नारायण	जे. 53	266	
		श्री भगवान दास	जे. 54	266	
21.	श्रीमती कान्ती देवी	44	एफ. 250	500	
		श्री गुलाब चन्द्र वैष	एफ. 28	500	
22.	श्री प्रहलाद शर्मा	45	एफ. 251	500	
		श्री निहाल चन्द्र जैन	एफ. 5	500	
23.	श्री रामकिशोर	46	एफ. 249	500	
		श्री शान्तीस्वरूप	एफ 4	500	
24.	श्रीमती तुलसी विश्नोई	48 श्री जे. पी. सेठी	एफ. 15	500	
		श्री जे. पी. सेठी	एफ. 132	500	
			एफ. 133	500	
		श्री ग्रार. सोनटके	एफ. 6	500	

242

1	2	3	4	5	6
25.	श्री छोटेलाल	49	एफ. 239	500	
		श्रीमती गुल्ली	एफ. 240	500	
		श्री दौलतराम	एफ. 241	500	
		श्रीमती चन्द्रकान्ता	एफ. 242	500	
26.	श्री रघुवीर सिंह	50 श्री छगना सिंह	एफ. 69	500	
		श्री इन्द्र सिंह	ई. 1	600	
		श्रीमती कमला देवी	एच. 1	375	
27.	श्रीमती विमला देवी जसोरिया	51	बी. 47	500	
28.	श्री अलख प्रसाद	52 श्री वी. सी. कश्यप	एफ. 95	500	
29.	श्री बलवीर प्रसाद भटनागर	53	एफ. 2	500	
30.	श्रीमती डा. शारदा थापर	54	बी. 43	500	
			बी. 44	500	
31.	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी	57	जे. 8	266	
		श्री पुरुषोत्तम दास	जे. 9	266	
		श्री शोभाराम चौधरी	एफ. 17	500	
		श्री मूल सिंह	एल. 2	120	
		श्रीमती प्रेम देवी	एल. 15	120	
		श्री एस. सी. अग्रवाल	के. 9	200	

1	2	3	4	5	6
32.	श्री मोहन बास शोला	59	एफ. 46	500	
		श्रीमती सन्तोष मोहन शीला	एफ. 45	500	
		श्रीमती कमला भण्डारी	एफ. 49	500	
		श्री गणपतसिंह भण्डारी	एफ. 50	500	
33.	श्री मधु कश्यप	60 श्री वधु कश्यप	बी. 45	500	
			बी. 55	500	
		श्री राज सिंह	बी. 56	500	
			एफ. 19	500	
34.	श्री कृष्ण कुमार	61	सी. 122	400	
35.	श्रीमती कमलादेवी	65	सी. 121	400	
36.	श्री ग्रान्या, मोनिया, मंगल्या	70 श्री सुधीर कुमार	एफ. 30	500	
			एफ. 31	500	
37.	श्री सुरेन्द्रकुमार रेलन		एफ. 54	500	
		श्री के. के. बड़ी	एफ. 53	500	
		श्री के. पी. माथुर	एफ. 252	500	
		श्रीमती प्रभा सिंघल	एफ. 52	500	

1	2	3	4	5	6
38.	श्री मूलया पुत्र लाला माली	25 श्री सूवालाल	ई. 745	100	
39.	श्री गुलाब चन्द्र		ई. 746	100	
	श्री रामलाल		ई. 747	100	
	श्री सुरजीवन		ई. 748	100	
	श्री नन्दा पुत्र श्री चन्दालाल प्रभात पुत्र श्री मोती		ई. 755	100	
	श्री भूरजी पुत्र श्री गंगाबक्स		ई. 756	100	
	श्री रामफूल पुत्र श्री रामनारायण		ई. 749	100	
	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री नारायण		ई. 752	100	
	श्री केसर लाल पुत्र श्री घीसीलाल		ई. 753	100	
	श्री भौंरीलाल पुत्र श्री नानगराम		ई. 750	100	
	श्री तुलसीराम पुत्र श्री हरदेव जी		ई. 751	266	
40.	श्री बिरदी चन्द्र व नारायण पुत्र श्री झूथा राम जी माली		ई. 754	266	
41.	श्री विजय लाल पुत्र श्री रामसुख		जे. 45	266	
	श्री शिव राम पुत्र श्री पेमाराम	26	जे. 46	266	
42.	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री घीसीलाल				
	श्री सुरजन पुत्र श्री घीसीलाल		जे. 48	266	
	नानगराम पुत्र श्री घीसीराम गोबिन्दराम पुत्र श्री भौंरीलाल		जे. 47	266	

1	2	3	4	5	6
43.	श्री मलिक सिंह		जे. 323	266	
44.	श्री धन्ना पुत्र चौथमल		ई. 738	100	
45.	श्री छोटेलाल पुत्र चौथमल		ई. 739	100	
46.	श्री गणेश नारायण पुत्र श्री चौथमल		ई. 740	100	
47.	श्री कन्हैयालाल पुत्र चौथमल		ई. 737	100	
48.	श्री भौंरीलाल पुत्र श्री चौथमल		ई. 736	100	
49.	श्री राधेश्याम पुत्र चौथमल		ई. 741	100	

245

246

कार्यालय नगर विकास न्यास, जयपुर

सूची :—'स'

प्रपत्र–1

सूची क्रमांक—1

योजना का नाम—लालकोठी

भूखण्ड का क्षेत्रफल—500 वर्गगज

आवेदक की श्रेणी—अवार्डी/उपअवार्डी

क्र. सं.	आवेदक का नाम	पूर्व आवन्टित भू. संख्या	क्षेत्रफल वर्गगज	लाटरी द्वारा प्रस्तावित भू. संख्या	क्षेत्रफल प्रस्तावित (व. ग.)	वि. वि.
1.	श्री एस. के शर्मा	ई. 12	600	बी. 32	500	
2.	श्री इन्द्र सिंह	ई. 1	600	बी. 30	500	
3.	श्रीमती ज्योत्सना कुमारी	ई. 10	600	बी. 25,32,6	500	
4.	श्री हेम शकर	ई. 3	600	बी. 28	500	
5.	श्रीमती चैन कुमारी	ई. 2	600	बी. 8	500	
6.	श्रीमती वन्दना कुमारी	ई. 11	600	बी. 36	500	
7.	कैप्टीन राजेन्द्र सिंह	ई. 7	600	बी. 24	500	
8.	श्री प्रभाकर सिंह	ई. 6	600	बी. 17	500	
9.	श्री शत्रुघ्न सिंह	एफ. 67	600	बी. 38	500	
10.	श्री गजानन्द पुत्र हेलराम		1000	बी. 26	500	
				बी. 7	500	
11.	श्री छोटू पुत्र श्री झुथा माली		1000	बी. 34	500	
				बी. 35	500	
12.	श्री मांगी लाल पुत्र छेहूराम		1000	बी. 23	500	
				बी. 37	500	
13.	श्री दामोदर, दुर्गालाल, देवीलाल गेन्दी लाल पुत्र श्री नन्दालाल		1000	बी. 50	500	
14.	श्री रघवीर सिंह			बी. 35	500	
			500	बी. 39	500	
15.	श्री बलवीर प्रसाद भटनागर	एफ. 2	500	बी. 29	500	

———

कार्यालय नगर विकास न्यास जयपुर

सूची क्रमांक—2

योजना का नाम—लालकोठी

भूखण्ड का क्षेत्रफल—400 वर्गगज

आवेदक की श्रेणी—अवार्डी/उपअवार्डी

क्र. सं.	आवेदक का नाम	पूर्व आवण्टित भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	लाटरी द्वारा प्रस्तावित भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	वि.
1.	सुश्री शैल बाला	एफ. 27	500	सी. 27	400	
2.	श्री गुलाब चन्द्र वैद	एफ. 28	500	सी. 61	400	
3.	श्री निहाल चन्द्र जैन	एफ. 5	500	सी. 28	400	
4.	श्री रामकिशोर	एफ. 249	500	सी. 70	400	
5.	श्री शान्तीस्वरूप	एफ. 4	500	सी. 95	400	
6.	श्री छोटीलाल	एफ. 239	500	सी 83	400	
7.	श्रीमती गुल्ली	एफ. 248	500	सी. 1	400	
8.	श्री दौलत राम	एफ. 241	500	सी. 31	400	
9.	श्री शीश राम चौधरी	एफ. 17	500	सी. 60	400	
10.	श्री मोहन दास शील	एफ 46	500	सी. 30	400	
11.	श्रीमती सन्तोष मोहन शील	एफ. 45	500	सी. 20	400	
12.	श्रीमती कमल भन्डारी	एफ. 49	500	सी. 54	400	
13.	श्री गणपत सिंह भन्डारी	एफ. 50	500	सी. 22	400	
14.	श्री सुधीर कुमार	एफ. 30 एफ. 31	500 500	सी. 3 सी. 9	400 400	
15.	श्री एस के रेहलन	एफ. 54	500	सी. 97	400	
16.	श्री के के गढी	एफ. 53	500	सी. 63	400	
17.	श्रीमती प्रभा सिंघल	एफ. 52	500	सी. 23	400	
18.	श्री के पी माथुर	एफ. 252	500	सी. 21	400	
19.	श्री जे पी सेठी	एफ. 15 एफ. 132 एफ. 133	500 500 500	सी. 4 सी. 25 सी. 68	400 400 400	
20.	श्री आर सोन्टके	एफ. 6	500	सी. 96	400	
21.	श्री दया शंकर भार्गव	एफ. 248	500	सी. 59	400	

1	2	3	4	5	6	7
22.	श्रीमती कान्ती देवी	एफ. 250	500	सी. 58	400	
23.	श्री प्रहलाद शर्मा	एफ. 251	500	सी. 64	400	
24.	श्रीमती कमल देवी	एच. 1	375	सी. 8	400	
25.	श्रीमती ऊषा कुमारी	एफ. 236	375	सी. 57	400	
26.	श्री सुमेर मल गांधी		500	सी. 93	400	
27.	श्रीमती रामेश्वरी सेठी	एफ. 113 एफ. 114 एफ. 115 एफ. 68	500 500 500 500	सी. 18 सी. 19 सी. 65 सी. 94	400 400 400 400	
28.	श्री राज सिंह	एफ. 19	500	सी. 32	400	
29.	श्री बलबीर प्रसाद भटनागर	एफ. 2	500	सी. 66	400	

कार्यालय नगर विकास न्यास, जयपुर

प्रपत्र–1

सूची क्रमांक–3

योजना का नाम–लालकोठी
भूखण्ड का क्षेत्रफल–272–22 वर्ग गज
आवेदक की श्रेणी—अवार्डी/उप अवार्डी

क्र०सं०	आवेदक का नाम	पूर्व आवण्टित भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	लाटरी द्वारा प्रस्तावित भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल वि०
1.	श्री वासुदेव	जे–14	266–66	डी–13	272–22
2.	श्री चन्द्रपाल	जे–15	,,	डी–11	,,
3.	श्री रामचन्द पुत्र घीसीलाल व सुरजन व घीसीलाल	जे–43	,,	डी–2	,,
4.	नानग राम पुत्र मोतीलाल व गोविन्दराम पुत्र घीसीलाल	जे–47	,,	डी–1	,,

———

280

कार्यालय नगर विकास न्यास, जयपुर

प्रपत्र–I

सूची क्रमांक–4

योजना का नाम–लालकोठी

भूखण्ड का क्षेत्रफल–272–22 वर्गगज

आवेदक की श्रेणी—विनिमय

क्र०सं०	आवेदक का नाम	पूर्व में आवण्टित भू० संख्या	क्षेत्रफल	लाटरी द्वारा प्रस्तावित भू संख्या	क्षेत्रफल
1.	श्री राजेन्द्र कुमार जोशी	जे–207	266–66	डी–16	272–22
2.	श्री पुरुषोतम दास	जे–208	,,	डी–3	,,
3.	श्री दीप चन्द्र शर्मा	जे–206	,,	डी–7	,,
4.	श्री योगराज दीवान	जे–61	,,	डी–6	,,
5.	श्री एस. पी. जैन		272–22	डी–4	272–22
			श्री जैन को न्यास निर्णयानुसार भू० संख्या डी–4 देना पूर्व में ही प्रस्तावित हो चुका था।		
6.	एम. बी. सक्सेना		220	डी–12	272–22

कार्यालय नगर विकास न्यास, जयपुर

प्रपत्र–1

सूची क्रमांक–5

योजना का नाम—लाल कोठी
भूखण्ड का क्षेत्रफल–400 वर्ग गज
आवेदक की श्रेणी— विनिमय

क्र०सं०	आवेदक का नाम	पूर्व आवण्टित भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	लाटरी द्वारा प्रस्तावित भूखण्ड सं०	क्षेत्रफल वि०
1.	श्री जे. एम. खान	एफ–108	500	सी–85	400
2.	श्रीमती चमेली देवी	एफ–7	500	सी–53	400
3.	श्री रावत राम एम. एल. ए.		500	सी–26	400
4.	श्री योगराज दीवान	एफ–18	500	सी–62	400
5.	श्री एस. के. शर्मा		388–8	सी–24	400
6.	श्री वी. एल. शर्मा		388–8	सी–34	400
7.	श्री सरदारी लाल खन्ना		375	सी–69	400
8.	श्री भौंरीलाल जमादार		600	सी–56	400
9.	श्री नत्थी लाल गुप्ता	ई–18	600	सी–2	400
10.	श्रीमती सुशीला गोदिका	एच–192	375	सी–29	400

———

कार्यालय नगर विकास न्यास, जयपुर

सूची क्रमांक–6

योजना का नाम–लाल कोठी

भूखण्ड का क्षेत्रफल–400 वर्गगज

आवेदक की श्रेणी–विनिमय

क्र०सं०	आवेदक का नाम	पूर्व आवन्टित भू० संख्या	क्षेत्रफल	लाटरी द्वारा प्रस्तावित भूखण्ड सं०	क्षेत्रफल वि०
1.	श्री महेश चन्द कुलश्रेष्ठ	एच–187	375	सी–33	400
2.	श्री सतीश कुमार गुप्ता	एच–195	375	सी–67	400
3.	श्री द्वारका नाथ शैली	एच–196	375	सी–55	400
4.	श्री बद्री प्रसाद शर्मा	एफ–189	375	सी–84	400

नोट—लाटरी निकालते समय उपरोक्त व्यक्तियों ने भूखण्डों के आवन्टन से सम्बन्धित दस्तावेजात तथा राशि जमा कराने के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये थे अतः इन व्यक्तियों की सूची मौके पर अतिरिक्त तैयार करके लाटरी निकाली गई।

सूची 'ब'

क्रम संख्या	अवार्डी	अवार्ड क्रमांक	भूखण्ड का क्षेत्रफल
1.	बिदरी पुत्र झूथाराम माली	1	स्माल प्लाट
2.	श्री नारायण पुत्र झुथाराम माली	1	स्माल प्लाट
3.	श्री रामसहाय पुत्र नाथू माली	1	स्माल प्लाट
4.	श्री भैरू पुत्र बिरदीचन्द	1	—
5.	श्री गणेश पुत्र कन्हैया यादव	3	स्माल प्लाट
6.	श्री भोरिया एवं गुल्या पुत्र देवा माली	4	1000 वर्ग
7.	श्री भंवरी लाल पुत्र देवा माली	4	—
8.	श्री गुल्जी पुत्र देवा माली	4	—
9.	श्री श्यामलाल पुत्र श्योबक्स	7	1000
10.	श्री सरजन पुत्र नारायण कुमावत	9	स्माल प्लाट
11.	श्री रामचन्द्र पुत्र विजयलाल	10	स्माल प्लाट
12.	श्री गोपाल पुत्र गणेश	11	1000
13.	श्री रामपाल पुत्र नानगराम	12	—
14.	श्री रामपाल पुत्र नानगराम	14	—
15.	श्री भोरीलाल पुत्र गंगाराम कुमावत	15	—
16.	श्री मंगला पुत्र टेका कुमावत	16	1000
17.	श्रीमति प्रहलादी पत्नी बद्रीनारायण श्रीमति मन्ना देवी पत्नी गोविन्दनारायण श्री सुरजदेवी पत्नी कन्हैयालाल श्री राधेश्याम पुत्र कन्हैयालाल	17	—
18.	श्री गंगाराम एवं सत्यनारायण पुत्र रामचन्द्र	18	1000
19.	श्री गुल्या पुत्र सुरजन	19	1000
20.	श्री कपूरचन्द पुत्र जयनारायण	20	स्माल प्लाट
21.	शिवजी राम पुत्र जयनारायण कुमावत	20	स्माल प्लाट
22.	श्री भोरिया पुत्र गंगाबक्स माली	21	1000
23.	श्री चन्दा पुत्र सुन्ड्या माली	23	—
24.	श्री रामदयाल पुत्र शिवनारायण जोशी	31	2000
25.	श्री राकेशकुमार पुत्र हजारी लाल शर्मा	32	2000

1	2	3	4
26.	श्री गोपाल लाल पुत्र पं. हरसहाय शर्मा श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रवणलाल शर्मा एण्ड श्री मोहनलाल पुत्र प्यारेलाल मेहता	35	2000
27.	श्री धूमसिंह पुत्र गनपतसिंह	37	1000
28.	श्रीमती मालती देवी पत्नी श्री धूमसिंह	38	
29.	श्री भीमसिंह पुत्र समन्दरसिंह	43	500
30.	श्री गणेशनारायण गुप्ता एडवोकेट पुत्र शिवनारायण	47	1500
31.	श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र देवी सिंह	55	2000
32.	श्री फतेहसिंह पुत्र राम सिंह	56	2000
33.	श्री लालचन्द सोनी पुत्र फूलचन्द सोनी	58	2000
34.	श्रीमती रमजान देवी पत्नी जगदीशकुमार एवं श्रीमती सावित्री देवी पत्नी ओम-प्रकाश महाजन	62	2000
35.	श्री रघुनन्दनलाल खण्डेलवाल पुत्र जोहरी-लाल	63	
36.	श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी रघुनन्दन लाल	64	1000
37	श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री महेश प्रसाद भार्गव	66	1000 (डिस्पूटेड)
38.	श्री ओमप्रकाश एवं हरिनारायण पुत्र श्री घीसालाल अग्रवाल	67	1000 (डिस्पूटेड)
39.	श्री रेनूका कुमारी पुत्री श्री चन्नूलाल	68	1000
40.	श्रीमती चन्द्रकला पत्नी चन्नूलाल	69	
41.	श्री भूरा पुत्र श्री किशनलाल	70	—
42.	श्री वाळूराम पुत्र काना	71	—
43.	श्री रामसुख गंगाबक्स, श्योलाल एवं गोपी पुत्र श्री लाखा	72	—
44.	श्री रामसुख पुत्र श्री लाखा	73	—
45.	श्री गंगाबक्स पुत्र लाखा	74	स्माल प्लाट
46.	श्री गोपी पुत्र श्री लाखा	75	स्माल प्लाट
47.	श्री नर्मदा देवी पत्नी श्री ओंकारलाल	77	स्माल प्लाट

1	2	3	4
48.	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री नारायण श्री नाथूराम पुत्र श्री सुखजी	77	स्माल प्लाट
49.	श्री नरसिंह लाल मांगीलाल	4	1000
50.	श्री नानगाराम पुत्र गणेश कुमावत	5	1000
51.	श्री कालूराम पुत्र शंकरलाल	5	स्माल प्लाट
52.	श्री रामचन्द्र पुत्र उदयराम	5	,, ,,
53.	श्री मोतीराम	5	,, ,,
54.	श्री मूलचन्द पुत्र गणेश	5	स्माल प्लाट
55	श्री नानगराम पुत्र गणेश	5	स्माल प्लाट
56.	श्री रूपनारायण पुत्र रामकिशन	5	स्माल प्लाट
57.	श्री रामचन्द पुत्र भूरा कुमावत	6	1000
58.	श्री भौंरीलाल पुत्र किशनलाल एवं कल्याण पुत्र गोपी	7	—
59.	श्री कल्याण पुत्र गोपी राम	7(1)	1000
60.	श्री केशरलाल पुत्र किशनजी	7(2)	100 गज
61.	श्री भंवरीलाल पुत्र किशनलाल	7(3)	1000
62.	श्री मांगीलाल पुत्र शेडूराम	8	1000
63.	श्री नाथू पुत्र नारायण कुमावत	10	100 गज
64.	श्री नाथू पुत्र नारायण कुमावत	11	1000
65.	श्री सुरजन पुत्र जगन्नाथ	11(1)	100
66.	श्री रामजीवण पुत्र जगन्नाथ	11(2)	100
67.	श्री भोरिया पुत्र नारायण श्री सुखा पुत्र गणेश	12	1000
68.	श्री जयनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण	12(1)	100
69.	श्री लल्लू पुत्र जयनारायण	12(2)	100
70.	श्री हरिनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण	13(1)	100
71.	श्री भौंरीलाल पुत्र शिवनारायण	13(2)	100
72.	श्री ग्यारसीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण	13(3)	100
73.	श्री रामनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण	13(4)	100
74.	श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र मंगला माली श्री भोरीलाल पुत्र नारायण श्री सुखा पुत्र गणेश	14	—

(256)

1	2	3	4
75.	श्री सीताराम बाबू पुरन पुत्र फकीरचन्द	15	1000
76.	श्री सीताराम बाबू पुरन पुत्र फकीरचन्द एवं लक्ष्मीनारायण पुत्र मंगला	16	—
77.	श्री भगवाना पुत्र नन्दराम माली	17	1000
78.	श्री भोरीलाल पुत्र कानजी	17(1)	100
79	श्री गोपी पुत्र श्योनारायण	17(2)	100
80.	श्री कजोड़ पुत्र नारायण	17(3)	100
81.	श्री नाथूराम पुत्र चन्दा लाल	17(4)	100
82.	श्री कन्हैयालाल पुत्र पांचूलाल	18(1)	100
83.	श्री रामनारायण पुत्र बिरधीचन्द	18(2)	100
84.	श्री गजानन्द पुत्र रामप्रसाद	77	100
85.	लादूराम पुत्र बिरदा	77	100
86.	श्री छोटू पुत्र जमनालाल	77	100
87.	श्री मंगल चन्द पुत्र	77	100
88.	श्री कालूराम पुत्र जीवनराम	77	100
89.	श्री नाहरसिंह	77	100
90.	श्री मूलचन्द पुत्र गोपी चन्द	77	100
91.	श्री गोपी नाथ पुत्र हरनाथ	77	100
92	श्री गोरीराम पुत्र मंगलाराम	3	—
	श्री रामचन्द्र पुत्र केशरलाल	3	100 व.ग.
93.	श्री नरसिहलल पुत्र मंगलाराम	3	—
	श्री नाथूराम पुत्र चिमनलाल	3	100 वर्ग गज
94.	श्रीमती भाग पत्नी सूरजमल	3	—
	श्रीमती भंवरी पत्नी मांगीलाल	3	100 वर्ग गज
95.	श्री राम सहाय पुत्र मोती राम	18	100 वर्ग गज 371 ख.न.
96.	श्री भौंरीलाल पुत्र भूरामल	18	100
97.	श्री मांगीलाल पुत्र राम सहाय	18	100
98.	श्री भोमाराम पुत्र रामसहाय	18	100
99.	श्री छोटीलाल पुत्र रामसहाय	18	100
100.	श्री पांचूलाल पुत्र रामसहाय	18	100

257

1	2	3	4
101.	श्री छोटेलाल पुत्र बालजी	18	100
102.	श्री पूरनचन्द पुत्र झूंथा लाल	18	100
103.	श्रीमती पांची पत्नी मूलचन्द	18	100
104.	श्री मंगलचन्द	18	100
105.	श्री छोटेलाल पुत्र जीवराम	18	100
106.	श्री नाथूलाल पुत्र आनन्दीलाल	18	100
107.	श्री सुरज्ञान	18	100
108.	श्री रमेश पुत्र प्रताप	18	100
109.	श्री सूरजमल	18	100
110.	श्री रामनारायण पुत्र हरबक्स	18	100
111.	श्री नानगराम पुत्र रामनाथ	18	100
112.	श्री भौरीलाल पुत्र सूरजमल	18	100
113.	श्री फूलचन्द पुत्र नारायण	18	100
114.	श्रीमती रूकमा पुत्री मालजी	18	100
115.	श्री मांगी लाल पुत्र गोविन्दराम	18	100 खसरा नं. 418
116.	श्री सुखजी पुत्र चन्दा	18	100
117.	श्री काना पुत्र धन्ना	18	100
118.	श्री आनन्दा पुत्र झुथा	18	100
119.	श्री मूलचन्द पुत्र गोपी	18	100
120.	श्री बिरदा पुत्र श्योबक्स	18	100
121.	श्री गणेश पुत्र श्योबक्स	18	100
122.	श्री सूजा पुत्र श्योबक्स	18	100
123.	श्री लालजी पुत्र श्योबक्स	18	100
124.	श्री गणेश पुत्र सुगा	18	100 खसरा नं. 371
125.	श्री ग्यारसी लाल पुत्र रामसहाय	18	100

(258)

सिवाय चक भूमि में बैठे हुये व्यक्तियों को अवार्ड में दिये गये भूखण्डों की सूची

1	2	3	4
1.	श्रीमती नर्मदा देवी पत्नी ओंकार लाल खसरा नम्बर 22	77	100 वर्ग गज
2.	श्री रामचन्द्र पुत्र नारायण, नाथुराम पुत्र सुख जी खसरा नम्बर–29	77	100 ,, ,,
3.	श्री भूरजी पुत्र शंकर खसरा नं. 28	77	100 ,, ,,
4.	श्री भैंरुलाल पुत्र गणेश माली	77	100 ,, ,,
	श्री भूरजी पुत्र गंगाराम माली	77	100 ,, ,,
	श्रीमती केशर देवी पत्नी सुवाराम माली खसरा नम्बर 70	77	100 ,, ,,
5.	श्री रघुनाथ प्रसाद पुत्र श्री भूरजी कुमावत	77	100 ,, ,, खसरा नं० 225
6.	श्री राम सहाय पुत्र श्री मूल चन्द कुमावत	77	100 ,, ,,
7.	श्री लाल चन्द पुत्र जोध राज	77	100 ,, ,,
8.	श्री अब्दुल रहमान खां पुत्र करीम खां	77	100 ,, ,,
9.	श्री बसार खां पुत्र बजीरजी	77	100 ,, ,,
10.	श्री नारायण पुत्र शिवनारायण जाली वाला	77	100 ,, ,,
11.	श्री घासी लाल पुत्र गुरुबक्श पुत्र मूल चन्द	77	100 ,, ,,
12.	श्री फूल चन्द पुत्र गोविन्द राम	77	100 ,, ,,
सिवाय चक भूमि			
13.	श्री नन्द किशोर पुत्र सीताराम	77	100 ,, ,,
14.	श्री केशर देव शर्मा	77	100 ,, ,,
15.	श्री दुर्गालाल पुत्र लक्ष्मी नारायण	77	100 ,, ,,
16.	श्री भौंरी लाल पुत्र मूल चन्द	77	100 ,, ,,
17.	श्री भौरीलाल पुत्र नारायण	77	100 ,, ,,
18.	श्री छोटी लाल पुत्र भौरी लाल	77	100 ,, ,,
19.	श्री लल्लू जी पुत्र भौरी लाल	77	100 ,, ,,

1	2	3	4
20.	श्री कन्हैयालाल पुत्र भौंरी लाल	77	100 वर्ग गज
21.	श्री घासी राम पुत्र सवाई राम	77	100 ,, ,,
22.	श्री घीसी लाल पुत्र गणेश जी	77	100 ,, ,, खसरा नं.226
23.	श्री कन्हैयालाल पुत्र माधो लाल	77	100 ,, ,,
24.	श्री देवी नारायण पुत्र रामचंन्द्र	77	100 ,, ,,
25.	श्री मिश्री लाल पुत्र कालू राम जैन	77	100 ,, ,,
26.	श्री मुकटलाल पुत्र घीसीलाल	77	100 ,, ,,
27.	श्री नारायण पुत्र मूलचन्द	77	100 ,, ,,
28.	श्री नारायण पुत्र मूलचन्द	77	100 ,, ,,
29.	श्री जीयालाल पुत्र जगन्नाथ	77	100 ,, ,,
30.	श्री कन्हैया लाल पुत्र जगन्नाथ	77	100 ,, ,,
31.	श्री ग्यारसी पत्नि स्व० सूजी लाल	77	100 ,, ,,
32.	श्री घीसी लाल पुत्र सोहन लाल	77	100 ,, ,,
33.	श्री दुर्गा लाल पुत्र रघुनाथ	77	100 ,, ,,
34.	श्री छाजू पुत्र कल्याण	77	100 ,, ,,
35.	श्री राम सहाय पुत्र मूलचन्द	77	100 ,, ,,
36.	श्री गुलाब चन्द पुत्र मोहन लाल	77	100 ,, ,,
37.	श्री हरीनारायण पुत्र गेन्दी लाल	77	100 ,, ,,
38.	श्री पांचू राम पुत्र नरसिंगदास	77	100 ,, ,,
39.	श्री जगदीश नारायण पुत्र रामलाल	77	100 ,, ,,
40.	श्री हनुमान सिंह पुत्र मोती सिंह	77	100 ,, ,,
41.	श्री हनुमान खाती	77	100 ,, ,,
42.	श्री भंवर लाल पुत्र रघुनाथ	77	100 ,, ,,
43.	श्री बिरदी चन्द पुत्र जगन्नाथ	77	100 ,, ,,
44.	श्री हनुमान पुत्र बीरदाराम	77	100 ,, ,,
45.	श्री लाल चन्द पुत्र फकीर चन्द	77	100 ,, ,,
46.	श्री मूल चन्द पुत्र हजारी लाल	77	100 ,, ,,
47.	श्री ओमकार पुत्र खेमचन्द	77	100 ,, ,,
48.	श्री कालू राम पुत्र जयनारायण कुमावत	77	100 ,, ,,
49.	श्री कल्याण पुत्र गोविन्द राम	77	100 ,, ,,
50.	श्री मादो लाल पुत्र गोविन्द राम	77	100 ,, ,,

260

1	2	3	4
51.	श्री गुरु बक्श पुत्र श्री शिवराम	77	100 वर्ग गज
52.	श्री भूरजी पुत्र छोटेलाल	77	100 ,, ,,
53.	श्री राम सहाय पुत्र गौरीलाल	77	100 ,, ,,
54.	श्री गंगाराम गूजर	77	100 ,, ,,
55.	श्री मूलचन्द पुत्र नैनूराम	77	100 ,, ,,
56.	श्री रामसहाय पुत्र देवी लाल	77	100 ,, ,,
57.	श्री चन्दालाल पुत्र रामनिवास	77	100 ,, ,,
58.	श्री नारायण पुत्र कालू राम	77	100 ,, ,,
59.	श्री जगदीश नारायण पुत्र दूलचन्द	77	100 ,, ,,
60.	श्री गजानन्द पुत्र सेडू	77	100 ,, ,,
61.	श्री लादूराम पुत्र कुन्जीलाल	77	100 ,, ,,
62.	श्री कल्याण पुत्र गोपी लाल	77	100 ,, ,,
63.	श्री रमेश चन्द जोशी	77	100 ,, ,,
64.	श्री रामकरन पुत्र गोपी	77	100 ,, ,,
65.	श्री मदन पुत्र जोधराज	77	100 ,, ,,
66.	श्री लालचन्द पुत्र जोधराज	77	100 ,, ,,
67.	श्री देवाराम पुत्र जोधराज	77	100 ,, ,,
68.	श्री रघुनाथ पुत्र भूर जी	77	100 ,, ,,
69.	श्री मूलचन्द पुत्र सुख राम	77	100 ,, ,,
70.	श्री रामस्वरुप पुत्र बूलजी	77	100 ,, ,,
71.	श्री बनरानलाल पुत्र दूलजी कुमावत	77	100 ,, ,,
77.	श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र भौरी लाल	77	100 ,, ,,
73.	श्री आत्माराम पुत्र भौरी लाल	77	100 ,, ,,
74.	श्री जयराम पुत्र जयनारायण	77	100 ,, ,,
75.	श्री जगदीश पुत्र पांचू राम	77	100 ,, ,,
76.	श्री बनवारी लाल पुत्र हरदेवा	77	100 ,, ,,
77.	श्री बाबू राम पुत्र लादूराम	77	100 ,, ,,
78.	श्री प्रताप पुत्र सुखराम	77	100 ,, ,,
79.	श्री नाथूराम पुत्र कालूराम	77	100 ,, ,,
80.	श्री कालूराम ब्राह्मण	77	100 ,, ,,
81.	श्री नाथू लाल पुत्र भंवरालाल	77	100 ,, ,,
82.	श्री महादेव पुत्र बलदेव यादव	77	100 ,, ,,

1	2	3	4
83.	श्री रुपनारायण पुत्र रतन लाल	77	100 वर्ग गज
84.	श्री शिवनारायण पुत्र शिवजी	77	100 ,, ,,
85.	श्री गोरधन लाल पुत्र बिरधीचन्द	77	100 ,, ,,
86.	श्री बद्रीनारायण पुत्र जगन्नाथ	77	100 ,, ,,
87.	श्री बिरधी चन्द पुत्र त्रिलोकचन्द	77	100 ,, ,,
88.	श्री लादूराम पुत्र बाछूलाल जैन	77	100 ,, ,,
89.	श्रीमती दुर्गादेवी पत्नि लादूराम	77	100 ,, ,,
90.	श्री गोकुल चन्द पुत्र सूरजमल	77	100 ,, ,,
91.	श्री गणेश नारायण पुत्र सूरजमल	77	100 ,, ,,
92.	श्री रुपनारायण पुत्र सूरजमल	77	100 वर्ग गज
93.	श्री नवरतनसिंह पुत्र सूरजमल	77	100 वर्ग गज
94.	श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र सूरजमल	77	100 ,, ,,
95.	श्री सरवन जी पत्र चन्दू यादव	77	100 ,, ,,
96.	श्री नारायण जी पत्र सुख जी	77	100 ,, ,,
97.	श्री भवरी लाल पुत्र नारायण जी	77	100 ,, ,,
98.	श्री नाथू लाल पुत्र घीसी लाल	77	100 ,, ,,
99.	श्री कल्याण पुत्र धन्ना लाल	77	100 ,, ,,
100.	श्री कपूर चन्द पुत्र झूंथामल	77	100 ,, ,,
101.	श्री रामदयाल पुत्र घासी लाल	77	100 ,, ,,
102.	श्री गणेश नारायण पुत्र गुलाब चन्द	77	100 ,, ,,
103.	श्री गप्पूनारायण पुत्र सूरजमल वर्मा	77	100 ,, ,,
104.	श्री नाथूराम पुत्र रघुनाथ	77	100 ,, ,,
105.	श्री रघनाथ पुत्र मंगल यादव	77	100 ,, ,,
106.	श्री बुद्धी प्रकाश पुत्र कल्याणमल	77	100 ,, ,,
107.	श्री गोविन्द राम पुत्र रामसुख	77	100 ,, ,, ख: नं. 396
108.	श्री गणेश पुत्र रामसुख	77	100 ,, ,,
109.	श्री गोपाल पुत्र राम सुख	77	100 ,, ,,
110.	श्री भौंरी लाल पुत्र सूरजमल	77	100 ,, ,,
111.	श्री गुलाब चन्द पुत्र सूवालाल	77	100 ,, ,,
112.	श्री मालीराम पुत्र पनजी	77	100 ,, ,,
113.	श्री नाथूराम पुत्र कल्याण	77	100 ,, ,,
114.	रामचन्द्र पुत्र भूर जी	77	100 ,, ,,

1	2	3	4
115.	श्री नानगराम पुत्र रामसहाय	77	100 वर्ग गज खसरा नं.226
116.	श्री गुलाब चन्द पुत्र हीरालाल	77	100 ,, ,,
117.	श्री लादुराम पुत्र मंगल्या	77	100 ,, ,,
118.	श्री गणेश पुत्र गोविन्दराम	77	100 ,, ,,
119.	श्री छोटू पुत्र लादुराम	77	100 ,, ,,
120.	श्री गंगाराम पुत्र पांचूराम	77	100 ,, ,,
121.	श्री रामसिंह पुत्र प्रभाती	77	100 ,, ,,
122.	श्री बालचन्द पुत्र कानजी	77	100 ,, ,,
123.	श्री मंगाजी पुत्र चांदलाल	77	100 ,, ,,
124.	श्री महावीर पुत्र चन्द्रा	77	100 ,, ,,
125.	श्री सूरज	77	100 ,, ,,
126.	श्री नन्दराम पुत्र गोविन्दराम	77	100 ,, ,,
127.	श्री सुन्दर लाल पुत्र छगन	77	100 ,, ,,
128.	श्री नाथूलाल पुत्र रुडमल	77	100 ,, ,,
129.	श्री झुथा लाल पुत्र चुन्नी लाल	77	100 ,, ,,
130.	श्री स्वरुपनारायण पुत्र शंकर जी	77	100 ,, ,,
131.	श्री रामदास पुत्र नारायण जी	77	100 ,, ,,

परिशिष्ट 5

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

जनजाति क्षेत्रीय कर्मचारियों को क्षेत्रीय भत्ते की स्वीकृति प्रदान करना

373. श्री नन्दलाल मीणा (प्रताप गढ़) एवं श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या जनजाति क्षेत्रीयविकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सेवारत विभिन्न राज्य कर्मचारियों को जनजाति क्षेत्रीय भत्ता देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस रूप में और कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

राज्य सरकार का जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सेवारत विभिन्न राज्य कर्मचारियों को जनजाति क्षेत्रीय भत्ता देने का विचार राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये नहीं है।

राजगढ़ (अलवर) हॉस्पिटल में रैफरल स्कीम व पोस्टमार्टम व्यवस्था प्रारम्भ करना

374. श्री समर्थलाल (राजगढ़) : क्या चिकित्सामन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जिला अलवर के राजगढ़ अस्पताल में रैफरल स्कीम अथवा पोस्ट मार्टम व्यवस्था प्रारम्भ करने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

राजगढ़ चिकित्सालय में ब्रिटिश एड की प्रसवोत्तर सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी (महिला वृत्त) जयपुर के अधीनस्थ अध्यापकों के दावों का भुगतान

375. श्री जगनसिंह (बयाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी, महिला वृत्त, जयपुर के अधीन कार्यरत तृतीय वेतन श्रृंखला की अध्यापिकाओं के गत 2 सालों से बकाया वेतन, यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते तथा प्रसूति अवकाश बकाया आदि के भुगतान हेतु माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा गत सत्र में यह आश्वासन दिया गया था कि उपरोक्त भुगतान 15 अगस्त, 1980 तक कर दिया जावेगा ? यदि हां, तो क्या आश्वासन की क्रियान्विति कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

(2) क्या अब उक्त भुगतान की अविलम्ब व्यवस्था कराने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। पूर्व में अध्यापिकाओं के वेतन, यात्रा, प्रसूति तथा वेतन स्थिरीकरण, अवकाश आदि के 170 प्रकरण पेंडिग थे उनमें से अब 26 प्रकरण पेंडिग हैं जिसका मुख्य कारण अध्यापिकाओं द्वारा नियमानुसार रिकार्ड प्रस्तुत न करना तथा सेवा छोड़कर चला जाना है।

(2) जी हां। यथा शीघ्र पूर्ण भुगतान कर दिया जावेगा।

गरीब तबके के व्यक्तियों को रिहायशी आवास उपलब्ध कराना

376. **श्री बालचन्द आर्य वीर** : (डग) क्या नगर आयोजना एवं नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार गरीब तबके के लोगों को बसाने के प्रयोजन से उनको रिहायशी आवास उपलब्ध कराने की किसी योजना पर कार्य कर रही है ? यदि हां, तो उसकी क्या रूप रेखा है ?

उत्तर

राजस्थान नगर सुधार न्यास (भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के प्रावधान के अधीन अल्प आय वर्ग के व्यक्ति जिनकी मासिक आय 600/ रु. तक है उन्हें नगर न्यासों की स्वीकृत योजनाओं में सुरक्षित खण्डों में 70% भूखण्ड आवंटन का प्रावधान है तथा इन्हीं भूखण्डों में अनु. जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों के लिये 15% भूखण्ड सुरक्षित रखे जाते हैं। नगर विकास न्यास इन नियमों के अनुसार अपनी योजनाओं में अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों को भूखण्ड आवंटन करता है। इसी प्रकार राज. आवासन मण्डल भी अल्प आय वर्ग, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग और अनु. जाति/जन जाति के व्यक्तियों को मकान उपलब्ध कराता है।

सवाई माधोपुर मुख्यालय पर अपर मुंसिफ एवं न्यायिक दण्डनायक का न्यायालय खोलना

377. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर मुख्यालय के मुंसिफ एवं न्यायिक दण्डनायक तथा अपर मुंसिफ एवं न्यायिक दण्डनायक के न्यायालयों में कितने दीवानी एवं फौजदारी के मुकदमे लम्बित हैं ?

(2) क्या इन मुकदमों की संख्या को देखते हुए एक और अपर मुंसिफ एवं न्यायिक दण्डनायक का न्यायालय सवाई-माधोपुर मुख्यालय पर खोला जा सकता है ?

(3) यदि सरकार सवाई माधोपुर में उक्त न्यायालय खोलने का इरादा रखती है, तो कब तक खोल दिया जायगा ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर, मुख्यालय में 31-12-80 तक मुन्सिफ एवं न्यायिक दण्डनायक के न्यायालयों में निम्नलिखित मुकदमे लम्बित थे :—

दीवानी	1589
फौजदारी	2243

(विधि मंत्री)

(2) मुकदमों की संख्या देखते हुये एक और न्यायालय खोला जा सकता है।

(3) सवाई माधोपुर में एक अपर मुन्सिफ एवं न्यायिक दण्डनायक का न्यायालय खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। उच्च न्यायालय से परामर्श पर परीक्षण कर शीघ्र निर्णय लिया जायगा।

अकाल पीड़ित क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों की उपलब्धि

378. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चून्डावत** (भीम) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में खाद्य की स्थिति कैसी है?

(2) क्या अकाल पीड़ित क्षेत्रों में अनाज उपलब्ध है? यदि हां, तो लोगों को राशन में गेहूं किस भाव से मिल रहा है? क्या उसकी मात्रा पर्याप्त है?

(3) क्या यह सही है कि अकाल पीड़ित क्षेत्रों में पर्याप्त गेहूं या अनाज नहीं पहुंच रहा है और जनता काला बाजार में क्रय कर रही है?

उत्तर

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न की उपलब्धि अल्प है परन्तु खुले बाजार में उपभोक्ताओं को आवश्यकतानुसार खाद्यान्न प्रचलित दरों पर उपलब्ध हो रहा है।

(2) राज्य को भारत सरकार से पर्याप्त मात्रा में गेहूं न मिलने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जा रहा है। राशन का गेहूं 1-41 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जा रहा है उसकी मात्रा पर्याप्त नहीं है।

(3) यह सही है कि अकाल पीड़ित क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन का गेहूं भारत सरकार से पर्याप्त मात्रा में आवंटन नहीं होने के कारण नहीं दिया जा रहा है। परन्तु खुले बाजार में इन्हीं दरों पर मक्का, बाजरा तथा ज्वार उपलब्ध है।

पुश्तैनी एवं नीलामी में क्रय किये गये भू-खण्डों पर भवन निर्माण हेतु विचाराधीन नक्शे

379. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई-माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिकाओं द्वारा पुश्तैनी एवं नीलामी में खरीदे गये भू-खण्डों में भवन निर्माण हेतु नक्शे पास किये जाते हैं?

(2) यदि हां, तो सवाई माधोपुर नगरपालिका में दिनांक 1 दिसम्बर, 1980 को ऐसे कितने मामले विचाराधीन थे?

(3) वहां एक वर्ष के तथा 6 माह पूर्व के कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं?

(श्री हंसराज शर्मा)

(4) क्या यह भी सही है कि स्वीकृति समय पर नहीं मिलने के कारण लोग बिना अनुमति के निर्माण कार्य प्रारम्भ कर देते हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 1 दिसम्बर, 1980 को नगरपालिका सवाई माधोपुर में 12 मामले विचाराधीन थे।

(3) अब एक वर्ष के केवल दो ही मामले न्यायालय में मुकदमा होने के कारण अनिर्णीत हैं। छः माह पूर्व का कोई आवेदन अनिर्णीत नहीं हैं।

(4) आंशिक सत्य है। म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 170 की उपधारा 8 के अतिरिक्त जो व्यक्ति बिना स्वीकृति के निमाण कार्य करता है उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

जिला कोटा की मांगरोल डिस्पेन्सरी में कार्यरत डाक्टर का स्थानान्तरण

380. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला कोटा की मांगरोल डिस्पेन्सरी में कार्यरत डाक्टर के स्थानान्तरण के आदेश गत 6 माह में कितनी बार प्रसारित किये गये ?

(2) ये आदेश किन तिथियों में प्रसारित किये गये ? कृपया आदेश की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखें।

(3) उक्त डाक्टर के स्थानान्तरण के कितने आदेश गत 6 मास में निरस्त किये गये ? निरस्त करने के आदेश किन तिथियों में प्रसारित किये गये ? कृपया आदेश की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) 7 बार स्थानान्तरण आदेश तथा निरस्त करने के आदेश प्रसारित किये गये।

(2) मांगरोल डिस्पेंसरी में कार्यरत डाक्टरों के स्थानान्तरण आदेश एव स्थानान्तरण निरस्त आदेश निम्न तिथियों को किये गये। जारी किये गये आदेशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है :—

स्थानान्तरण का दिनांक	स्थानान्तरण निरस्त करने का दिनांक
9–9–80	18–9–80
24–9–80	8–10–80
22–10–80	24–12–80
3–2–81	

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक : संस्था/सी०ए०एस०/एटी/स्थाना०/(2)/80/478 जयपुर,
दिनांक 24-9-80

आदेश

क्र. सं.	नाम	कहां से	कहां को
1	2	3	4
1.	डा. डी. के. दत्ता	राजकीय चिकित्सालय गोनेर (जयपुर)	आदेश क्रमांक 405 दिनांक 3-9-80 में आंशिक संशोधन करते मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर के अधीनस्थ के बजाय राजकीय चिकित्सालय, लालसोट (जयपुर) में।
2.	बाल मुकुन्द शर्मा	राजकीय चिकित्सालय, लालसोट (जयपुर)	प्रा० स्वा० केन्द्र, भाण्डारेज (जयपुर)
3.	डा० ओमप्रकाश गुप्ता	राजकीय चिकित्सालय, मुंडिया (सवाई माधोपुर)	राजकीय चिकित्सालय, सपोटरा (सवाई माधोपुर)
4.	डा. नरेन्द्र कुमार रुपानी	राजकीय चिकित्सालय, सपोटरा (सवाई माधोपुर)	जनरल अस्पताल, प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़)
5.	डा. शेख अब्दुल रहमान	राजकीय चिकित्सालय, बोहत (कोटा)	राजकीय चिकित्सालय, मांगरोल (कोटा)
6.	डा० तेजकरण गालव	राजकीय चिकित्सालय, मांगरोल (कोटा)	राजकीय चिकित्सालय, जाबर (झालावाड़)
7.	डा. राधेश्याम छीपी	राजकीय चिकित्सालय, नीमूचाना (अलवर)	आदेश क्रमांक 247 दिनांक 22-7-80 में आंशिक संशोधन करते हुये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा के अधिनस्थ के बजाय राजकीय अस्पताल, कोटपूतली (जयपुर)

1	2	3	4
8.	डा. तुलछाराम चौधरी	राजकीय चिकित्सालय, मेड़ता सिटी (नागौर)	राजकीय चिकित्सालय, मारोठ, (नागौर)

9. इस निदेशालय के आदेश क्रमांक संस्था/सी०ए०एस०/एटी/स्थाना०(2)/80/439 दिनांक 10–9–80 के द्वारा डा० रामेश्वर नाथ पुरोहित, सी०ए०एस० का स्थानान्तरण राजकीय चिकित्सालय, मेडता सिटी (नागौर) से राजकीय चिकित्सालय, मारोठ (नागौर) को किया गया था, उसे अब निरस्त किया जाता है। अतः डा० पुरोहित राजकीय चिकित्सालय, मेडता सिटी (नागौर) में ही कार्यरत रहेंगे।

क्र०सं० 1, 3, 5 एवं 7 को केवल वास्तविक यात्रा समय ही देय होगा तथा क्र०सं० 2, 4, 6 व 8 को यात्रा भत्ता एवं कार्य ग्रहण अवधि देय होगी।

हस्ताक्षर

निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा०सेवाएं, राज० जयपुर

(269)

राजस्थान सरकार
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय राजस्थान
जयपुर

क्रमांक–संख्या/सी०ए०एस०/एटी/स्थाना० (2)/80/460

जयपुर, दिनांक 18/9/80

आदेश

निम्नलिखित सी०ए०एस० डाक्टरों के स्थानान्तरण तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :—

क्र०सं०	नाम	कहां से	कहां को
1	2	3	4
1.	डा० कनछेदी लाल जैन	प्रा० स्वा० केन्द्र बकानी (झालावाड़)	आदेश क्रमांक 389 दिनांक 28–8–80 में आंशिक संशोधन करते हुये प्रा० स्वा० केन्द्र, मनोहरथाना (झालावाड) के बजाय प्रा० स्वा० केन्द्र, भाण्डारेज (जयपुर)
2.	डा० मुरारीलाल गुप्ता	प्रा०स्वा० केन्द्र बालघाट (सवाई माधोपुर)	आदेश क्रमांक 443 दिनांक 12–9–80 में आंशिक संशोधन करते हुये राजकीय अस्पताल, करौली के बजाय प्रा०स्वा० केन्द्र, हिण्डौन (सवाईमाधोपुर)
3.	डा० बी०एल० मीना	राजकीय चिकित्सालय, करौली (सवाई-माधोपुर)	प्रा०स्वा० केन्द्र हिण्डोन (सवाई-माधोपुर)
4.	डा० श्याम बिहारी भारद्वाज	प्रा०स्वा० केन्द्र, हिण्डौन (सवाई-माधोपुर)	प्रा० स्वा० केन्द्र, बालघाट (सवाई माधोपुर)
5.	डा० विष्णुकुमार गुप्ता	राजकीय चिकित्सालय, जमवारामगढ़ (जयपुर)	आदेश क्रमांक 443 दिनांक 12–9–80 में आंशिक संशोधन करते हुये राजकीय चिकित्सालय, काकोड़ (टौंक) के बजाय राजकीय चिकित्सालय लवाण (जयपुर) डा०

1	2	3	4
			बालमुकुन्द शर्मा के स्थानान्तरण के कारण हुये रिक्त स्थान पर
6.	डा० दर्शन सिंह हुण्डल	प्रा०स्वा० केन्द्र, तालेडा (बूंदी)	आदेश क्रमांक 405 दिनांक 3–9–80 में आंशिक संशोधन करते हुये राजकीय चिकित्सालय, रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) के बजाय राजकीय चिकित्सालय, मौजमाबाद (जयपुर) में ।

7. इस निदेशालय के आदेश क्रमांक संस्था/सी०ए०एस०/एटी/स्थाना०/(2) 80/429 दिनांक 9-9-80 के द्वारा डा० तेजकरण गालव का स्थानान्तरण राजकीय चिकित्सालय, मांगरोल (कोटा) से म०चि० एवं स्वा० अधिकारी झालावाड़ के अधीन को तथा डा० शेख अब्दुल रहमान, सी०ए०एस० का स्थानान्तरण राजकीय चिकित्सालय बोहत से मांगरोल (कोटा) को किया गया था, उसे अब निरस्त किया जाता है । अतः डा० गालब, मांगरोल में तथा डा० रहमान, बोहत (कोटा) में ही कार्यरत रहेंगे । क्र०सं० 4 को यात्रा भत्ता एवं कार्य ग्रहण अवधि देय होगी तथा अन्य डाक्टरों को केवल यात्रा समय ही देय होगा ।

हस्ताक्षर
निदेशक चिकित्सा एवं स्वा० सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय राज० जयपुर

क्रमांक : संस्था/सी० ए० एस०/ एटी/ स्थाना० (2)/ 80/ 429 जयपुर,

दिनांक 9–9–80

आदेश

क्र० सं० नाम	कहां से	कहां को
1. डा० रमेशचन्द उपमन	राजकीय चिकित्सालय, अरनोद (चितौड़गढ)	राजकीय चिकित्सालय, राशमी (चितौड़गढ) में रिक्त पद पर।
2. डा० समीरदास गुप्ता	अब रिजर्व अजमेर जो कि राजकीय चिकित्सालय डिग्गी बाजार, अजमेर में कार्य कर रहे हैं।	अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं ई०एस० आई० राजस्थान, जयपुर के अधिनस्थ।
3. डा० विट्ठलनाथ जोशी	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय ब्यावर (अजमेर)	राजकीय चिकित्सालय, आहुवा (पाली)
4. डा० एस० पी० व्यास	राजकीय चिकित्सालय आहुवा (पाली)	अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ई० एस० आई०) राज. जयपुर के अधिनस्थ
5. डा० शेख अब्दुल रहमान	राजकीय चिकित्सालय बोहत (कोटा)	राजकीय चिकित्सालय, मांगरोल (कोटा)
6. डा० तेजकरण गालव	राजकीय चिकित्सालय मांगरोल (कोटा)	मुख्य चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधि० झालावाड़ के अधिनस्थ
7. डा० आर० एन० जोशी	प्रा० प० क० केन्द्र, किडवाना (झुन्झुनूं)	राजकीय चिकित्सालय, नवलगढ (झुंझुनूं)
8. डा० जगदीश चन्द जोशी	प्रा०स्वा० केन्द्र, कपासन (चितौड़गढ)	प्रा० स्वा० केन्द्र, आबूरोड (सिरोही)
9. डा० श्रीमती कृष्णा सरूपरियां	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के अधीनस्थ कार्यरत हैं।	राजकीय चिकित्सालय, गंगापुर (भीलवाड़ा) महिला डाक्टर के रिक्त पद पर।
10. डा० बी० एल० सोनी	भारतीया अस्पताल, चूरू	राजकीय चिकित्सालय, राजगढ (चूरू) डा० मेघसिंह के स्थानान्तरण के कारण हुये रिक्त पद पर।

1	2	3	4
11.	डा० श्रात्मा राम शर्मा	प्रा० स्वा० केन्द्र, सुल्ताना (झुंझुनूं)	राजकीय चिकित्सालय, हुसामपुर (सीकर)
12.	डा० बाल कृष्ण चौधरी	जनरल अस्पताल, जैसलमेर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधि० श्री गंगानगर के अधिनस्थ।
13.	डा० दिनेश दत्त माथुर	राजकीय चिकित्सालय, रांफ (भरतपुर)	आदेश क्रमांक 410 दिनांक 6–9–80 में आंशिक संशोधन करते हुये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर के अधिनस्थ के बजाय राजकीय चिकित्सालय, तूंगा (जयपुर) में
14.	डा० सुरेन्द्र कुमार पारीक	राजकीय चिकित्सालय, तूंगा (जयपुर)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधि० जयपुर के अधिनस्थ।
15.	डा० राकेश दत्त भार्गव	राजकीय चिकित्सालय, भकराना (अलवर)	आदेश क्रमांक 346 दिनांक 16–8–80 में आंशिक संशोधन करते हुये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधि० बांसवाड़ा के अधिनस्थ के बजाय अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं (इ०एस०आई०) राज० जयपुर के अधिनस्थ।

क्र० सं० 1,2,3,5,7,8,9,10,11,12,13,15 को केवल वास्तविक यात्रा समय ही देय होगा तथा क्र०सं० 4,6 व 14 को यात्रा भत्ता एवं कार्य ग्रहण अवधि देय होगी।

हस्ताक्षर

निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

273

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण निदेशालय, राज० जयपुर

क्रमांक : संस्था/सी०ए०एस०/एटी/स्थाना (2)/80/671 दिनांक 29-12-80

आदेश

इस निदेशालय के आदेश क्रमांक संस्था/सी०ए०एस०/एटी/स्थाना (2)/80/562 दिनांक 22-10-80 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। अतः अब डा० तेजकरण गालव सी०ए०एस० राजकीय चिकित्सालय मांगरोल (कोटा) में तथा डा० शेख अब्दुल रहमान सी०ए०एस० राजकीय चिकित्सालय, बोहत (कोटा) में कार्यरत रहेंगे।

ह०/–

निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा० सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

(274)

राजस्थान सरकार

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: संस्था/सी०ए०एस० /एटी० /स्थाना. । (2)/80/562 दिनांक 22–10–80

आदेश

इस निदेशालय के आदेश क्रमांक संस्था/सी०ए०एस०/ए०टी०/स्थाना (2)/80/478 दिनांक 24–9–80 के द्वारा डा० शेख अब्दुल रहमान, सी०ए०एस० का स्थानान्तरण राजकीय चिकित्सालय, बोहत से मांगरोल (कोटा) को तथा डा० तेजकरण गालब सी०ए०एस० का स्थानान्तरण राजकीय चिकित्सालय, मांगरोल से राजकीय चिकित्सालय, जावर (झालावाड़) को किया था, को आदेश क्रमांक संस्था/सी०ए०एस०/ए०टी०/स्थाना । (2)/80/525 दिनांक 18–10–80 द्वारा निरस्त किया गया । अब एतद् द्वारा प्रत्याहरित (विड्रा) किया जाता है । अतः निदेशालय का पूर्व आदेश क्रमांक 478 दिनांक 24–9–80 प्रभावशील रहेगा ।

ह०/–

निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा० सेवाएँ
राज० जयपुर

275

राजस्थान सरकार

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, राज० जयपुर

क्रमांक : संस्था/सी०ए०एस०/एटी/स्थाना० (2) /81/66 जयपुर,

दिनांक 5–2–81

आदेश

इस निदेशालय के आदेश क्रमांक सी०ए०एस०/एटी/स्थाना (2)/80/671 दिनांक 24–12–80 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है। अतः डा० शेख अब्दुल रहमान सी०ए०एस० का स्थानान्तरण राजकीय चिकित्सालय मांगरोल (कोटा) तथा डा० तेजकरण गालब का स्थानान्तरण राजकीय चिकित्सालय बोहत (कोटा) किया जाता है।

ह०/–

निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं

राजस्थान, जयपुर

276

राजस्थान सरकार

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, राज० जयपुर
क्रमांक : संस्था/सी०ए०एस०/एटी/स्थाना० (2) /80/525 जयपुर,
दिनांक 8–10–80

आदेश

(1) इस निदेशालय के आदेश क्रमांक संस्था/सी०ए०एस०/एटी/स्थाना/(2) 80/440 दिनांक 12–9–80 के द्वारा डा० विजय कुमार खिलनानी तथा डा० (श्रीमती) पुष्पा खिलनानी, सी० ए० एस० का स्थानान्तरण प्रा० स्वा० केन्द्र, भैंसरोडगढ (चितौड़गढ) से प्रा०स्वा०केन्द्र, राजसमन्द (उदयपुर) को किया गया था, उसे निरस्त किया गया, उसे आदेश को अब प्रत्याशित (बिड्रा) किया जाता है। तथा दोनों डाक्टर प्रा०स्वा०केन्द्र, राजसमन्द (उदयपुर) में कार्य करते रहेंगे।

(2) इस निदेशालय के आदेश क्रमांक संस्था/सी०ए०एस०/एटी/स्थाना०/(2) /80/478 दिनांक 24–9–80 के द्वारा डा० शेख अब्दुल रहमान, सी०ए०एस० का स्थानान्तरण राजकीय चिकित्सालय, बोहत (कोटा) से राजकीय चिकित्सालय, मांगरोल (कोटा) को तथा डा० तेजकरण गालव, सी०ए०एस० का चिकित्सालय, मांगरोल (कोटा) से राजकीय चिकित्सालय, जावल (झालावाड़) को किया गया उसे निरस्त किया जाता है। अतः डा० रहमान बोहत में तथा डा० गालब मांगरोल (कोटा) में कार्य करते रहेंगे।

ह०/–

निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

यशवंत उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर के प्रधानाचार्य पद पर पदस्थापन

381. श्री जीतमल जैन (अलवर)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) यशवंत उच्च माध्यमिक विद्यालय, अलवर के प्रधानाचार्य का पद सन् 1980 में किस तिथि को रिक्त हुआ था ?

(2) क्या यह पद आज भी रिक्त है ?

(3) यदि हां, तो यह पद अब कब तक भरा जावेगा ?

(4) क्या वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर किसी जूनियर अध्यापक की नियुक्ति की गई है ?

(5) यदि हां, तो क्या वे इस पद के लिए आवश्यक योग्यता रखते हैं ?

उत्तर

(1) प्रधानाचार्य यशवंत उच्च माध्यमिक विद्यालय का पद 18-9-1980 को रिक्त हुआ था।

(2) जी नहीं। इस पद पर प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय का पदस्थापन किया हुआ है।

(3) पद रिक्त नहीं है।

(4) जी नहीं। एक प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय की पदस्थापना की गई है।

(5) जी हां। वह आवश्यक योग्यता रखते हैं।

जिला जयपुर में जनजाति विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्य

382. श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)—क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनजाति विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला जयपुर में अब तक क्या-क्या कार्य किस-किस ब्लाक में कराये गये ?

(2) क्या यह सही है कि जनजाति विकास कार्य के अन्तर्गत वर्ष 1980 में जो योजना प्रस्तावित थीं, वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण वर्ष की समाप्ति तक उसमें कोई प्रगति नहीं हुई ?

(3) वर्ष 1979-80 व 1980-81 में इस योजना के अन्तर्गत जिला जयपुर में किस किस ब्लॉक में कहां कहां चिकित्सा सुविधा सुलभ करानी थी ?

(4) वर्ष 1979–80 व 1980–81 में जहां राजकीय चिकित्सालय व उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने थे, उनको अब तक नहीं खोलने का क्या कारण है ?

(5) प्रस्तावित योजना समय पर क्रियान्वित हो और इसमें अनावश्यक विलम्ब न हो, इसके लिए क्या सरकार समुचित निर्देश देने का कष्ट करेगी ?

278

उत्तर

जयपुर जिले के लिये जो स्वीकृतियां निकलीं हैं, उनका विवरण वर्षवार व ब्लाक-वार परिशिष्ट (1) में संलग्न है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित स्कीमों का क्रिया-न्वयन किया जा रहा है :—

1. ग्रामीण जल प्रदाय योजना। जलकूप निर्माण एवं गहरे करवाना।

2. शिक्षा

1. आश्रम स्कूल भवनों का निर्माण।

2. जनजाति के बच्चों को मुफ्त पोशाक एवं पुस्तकों का वितरण।

3. प्राथमिक शाला भवन निर्माण।

3. भ्रमणशील चिकित्सा इकाई।

4. जनजाति के व्यक्तियों के लिये व्यक्तिगत लाभ की योजना।

वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये जयपुर जिले को 20, 76, 300 रु० की राशि लघु कृषक विकास अधिकरण, जयपुर के पी० टी० अकाउन्ट में दिनांक 29-1-81 को हस्तान्तरित हुई है जिसके विरुद्ध स्वीकृतियां आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर द्वारा परिशिष्ट (2) के अनुसार जारी की जा चुकी है।

एक चल चिकित्सालय की स्वीकृति 145 लाख रु० की दिनांक 20-12-80 को दी गई है।

इस योजना के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सालय एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र इस जिले में नहीं खोले जाने हैं।

राज्य सरकार पुनः निर्देश जारी करेगी कि इसके अन्तर्गत विभिन्न स्कीमों का क्रिया-न्वयन समय पर हो व उसमें अनावश्यक विलम्ब न हो। राज्य सरकार द्वारा समस्त आवंटित राशि लघु कृषक विकास अधिकरण को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ही उपलब्ध कराई जा रही है।

(279)

परिशिष्ठ 1

तारांकित प्रश्न 382 की सूची

वर्ष 1978–79 में कुल राशि 5·55

पेयजल कूप एवं पुराने कुए की मरम्मत हेतु 2,97,390/–की स्वीकृति दी गई।

क्र.सं. लघु खण्ड का नाम	कार्य का विवरण	स्थान	राशि रुपयों में
1. ग्रामेर	पेयजल कूप निर्माण	1. कांट	10,000
	,,	2. गुनावता	10,000
	,,	3. दंड	10,000
	,,	4. हुरवर	10,000
2. बांदीकुई	पेयजल कूप निर्माण	1. बालाखेड़ा	9,000
3. बस्सी	,,	1. खोरी	10,000
	,,	2. चारणवास	10,000
	,,	3. मुडली	10,000
	,,	4. शंकरपुरा	10,000
4. चाकसू	,,	1. विमलपुरा	5,000
5. दौसा	,,	1. पीपल्या चेनपुरा	7,000
	,,	2. खानवास	8,000
	,,	3. मलवास	8,000
	,,	4. ढढ्ढाका वास	6,500
	,,	5. ग्रभयपुरा	6,000
	,,	6. बागपुरा	6,000
	,,	7. सिंहपुरा	7,000
	,,	8. घुमडी	8,000
6. जमवारामगढ	पेयजल कूप निर्माण	1. दीपपुरा	10,000
	,,	2. रामपुरा	10,000
	,,	3. दोलतपुरा	10,000
	,,	4. काडियावाला	10,000
	,,	5. मानोता	10,000
7. लालसोट	पेयजल कूप निर्माण	1. ग्रावानेरी की ढाणी	6,000
	,,	2. कंवरपुरा	6,000
	,,	3. जीतपुरा ढाणी	6,000

1	2	3	4	5
		पेयजल कूप निर्माण	4. सिधिया	6,000
		,,	5. बांसड़ा	6,000
8.	सिकराय	पेयजल कूप निर्माण	1. सुरेर	7,000
		,,	2. ब्रह्मवाद	7,000
		,,	3. करोडी	7,000
		,,	4. पाडली	7,000
		,,	5. तादरी	7,000
		,,	6. हिंगा	7,000
		,,	7. बनेपुरा	7,000
		,,	8. गैरोटा	7,000
		,,	9. बाढ़बेरा बड़ा	7,000
9.	सांगानेर	पुराने कुए की मरम्मत	1. सवाईजयसिंहपुरा	1,890
				2,97,390
		शिक्षा प्रोत्साहन ..		2,57,610
		कुल योग		5,55,000

(281)

परिशिष्ट (1)

वर्ष 1979–80 में कुल राशि 43, 36, 150

क. संख्या	लघु खण्ड का नाम	कार्य का विवरण	इकाई	राशि रुपयों में
1.	चाकसू-लालसोट-बसवा दौसा	कुओं का निर्माण	68	4,24,000
2.	रामगढ-चाकसू-बस्सी दौसा व सांगानेर	कुओं का निर्माण	22	1,95,000
3.	सिकराय व बसवा	कुओं का निर्माण	14	98,000
				7,17,000

लघु खण्डों के स्थानानुसार दी गई स्वीकृति निम्न प्रकार है :—

लघु खण्ड का नाम	कार्य का विवरण	स्थान		राशि रुपयों में
लालसोट, चाकसू, दौसा, बसवा	1. पेयजल कूप निर्माण	सिसोदिया	(22)	6,000
	2. ,,	अमीरपुरा	(106)	6,000
	3. ,,	कोकमोली रखोली	(25)	6,000
	4. ,,	श्रीया	(120)	6,000
	5. ,,	जंगलियावास	(134)	6,000
	6. ,,	नोरंगपुरा	(112)	6,000
	7. ,,	गोपालपुरा उर्फ बयालपुरा	(95)	6,000
	8. ,,	पालुन्दा	(64)	6,000
	9. ,,	भनोटिया	(44)	6,000
	10. ,,	गोकुलपुरा	(151)	6,000
लालसोट पं.सं. क्षेत्र	11. ,,	थूरीधीरजपुरा	(159)	6,000
	12. ,,	रूपपुरा	(187)	6,000
	13. ,,	ग्योसिंहपुरा	(178)	6,000
	14. ,,	राजपुरा	(190)	6,000
	15. ,,	देवली	(260)	6,000
	16. ,,	मिर्जापुरा	(212)	6,000
	17. ,,	खेरल	(214)	6,000
	18. ,,	नगरियवास 4	(226)	6,000

282

लघुखण्ड का नाम	कार्य का विवरण	स्थान		राशि रुपयों में
	19. पेयजल कूप निर्माण	रलावास	(56)	6,000
	20. "	रायपुरा	(244)	6,000
	21. "	बिलानाखुर्द	(247)	6,000
	22. "	कुशलपुरा	(113)	6,000
	23. "	महाराजपुरा	(192)	6,000
				1,38,000
चाकसू पं. स. क्षेत्र	1. पेयजल कूप निर्माण	महारानीपुरा	(70)	5,000
	2. "	भगवतपुरा	(39)	5,000
	3. "	ब्रजराजपुरा	(37)	5,000
	4. "	महादेवपुरा	(190)	5,000
	5. "	कानकाटा	(192)	5,000
	6. "	जगदीशपुरामय बड़ जुगलपुरा	(237)	5,000
	7. "	श्री किशनपुरा	(55)	5,000
	8. "	नन्दलापुरा	(213)	5,000
	9. "	जगरामपुरा	(61)	5,000
	10. "	जैतपुरा	(227)	5,000
	11. "	कंकरिया	(266)	5,000
	12. "	मालपुरिया	(193)	5,000
	13. "	केशवपुरा	(255)	5,000
	14. "	कुशलपुरा	(234)	5,000
	15. "	हीरापुरा	(250)	5,000
	16. "	त्रिलोकीनाथपुरा	(275)	5,000
	17. "	विमलपुरा	(252)	5,000
	18. "	खेजड़ीपुरा	(278)	5,000
	19. "	महाराजपुरावासन	(226)	5,000
	20. "	गोविन्दपुरा	(196)	5,000
	21. "	बद्रीनाथपुरा	(200)	5,000
	22. "	बुगरीयारा	(30)	5,000

लघुखण्ड का नाम	कार्य का विवरण	स्थान		राशि रुपयों में
	23. पेयजल कूप निर्माण	रामकृष्णपुरा	(35)	5,000
	24. ,,	हरिकिशनपुरा	(36)	5,000
	25. ,,	महेशपुरा	(215)	5,000
				1,25,000
दौसा पं. स. क्षेत्र	1. ,,	हरिपुरा	(79)	8,000
	2. ,,	दौसा रूरल	(74)	8,000
	3. ,,	रासथला	(230)	8,000
	4. ,,	मानपुरा	(211)	8,000
	5. ,,	बादरी	(236)	8,000
	6. ,,	रूडमलकावास	(136)	8,000
	7. ,,	सुरजपुरा	(117)	8,000
	8. ,,	भ्रमटेडा	(137)	8,000
	9. ,,	महेश्वराखर्द	(75)	8,000
	10. ,,	रामसिंहपुरा	(125)	8,000
	11. ,,	हरपट्टीचक	(177)	8,000
	12. ,,	चकविदरखा	(189)	8,000
	13. ,,	कानीवास	(212)	8,000
	14. ,,	बालावास	(237)	8,000
	15. ,,	वजीयावाडी	(223)	8,000
	16. ,,	कालीखड	(226)	8,000
	17. ,,	हफावास	(235)	8,000
	18. ,,	घमंवास	(234)	8,000
	19. ,,	ढिकरियां	(147)	8,000
	20. ,,	शालावास	(130)	8,000
			योग—	1,61,000
			कुल योग	4,24,000
जमवारामगढ़	1. ,,	ढेहवारी	(107)	10,000

लघुखण्ड का नाम	कार्य का विवरण	स्थान		राशि रुपयों में
चाकसू-बस्सी-दौसा-	2. पेयजल कूप निर्माण	मेनधीर	(120)	10,000
सागानेर	3. ,,	कानीखीर	(122)	10,000
	4. ,,	तलेरा	(199)	10,000
	5. ,,	झील	(223)	10,000
	6. ,,	ढोढाडूंगर	(209)	10,000
	7. ,,	ईश्वरीसिंहपुरा	(186)	10,000
	8. ,,	टोडामीणा	(108)	10,000
व	9. ,,	रापुरावडियावाला	(164)	10,000
जमवारामगढ पं. स.	10. ,,	दादियापट्टी	(214)	10,000
क्षेत्र	11. ,,	से खावाला	(183)	10,000
	12. ,,	मेवार	(244)	10,000
				1,20,000
आमेर पं. स. क्षेत्र	1. ,,	नागलतुर्का	(149)	10,000
	2. ,,	खोरामीणा	(62)	10,000
	3. ,,	चाकोठिया	(163)	10,000
	4. ,,	चितुनूकलाखुर्द 4	(35)	10,000
				40,000
बस्सी पंचायत समिति	1. ,,	कासीपुरा	(100)	10,000
क्षेत्र	2. पेयजल कूप मरम्मत	टोडाभाटा	(76)	5,000
				15,000
चाकसू पंचायत	1. पेयजल कूप निर्माण	पाचूड़ा	(18)	5,000
समिति क्षेत्र	2. ,,	चकशिवदासपुरा	(17)	5,000
	3. ,,	नांगलपुरान	(83)	5,000
	4. ,,	माधोसिंहपुरा	(24)	5,000
			योग :—	20,000
			कुल योग :—	1,95,000

285

भूखण्ड का नाम	कार्य का विवरण	स्थान		राशि रुपयों में
सिकराय-बसवा	1. पेयजल कूप निर्माण	पाटन	(124)	7,000
	2. ,,	जोधा	(14)	7,000
	3. ,,	दाधोरा	(112)	7,000
	4. ,,	देनदा वसेरा	(134)	7,000
	5. ,,	नहरखेड़ा	(135)	7,000
	6. ,,	जयसिंहपुरा	(126)	7,000
	7. ,,	केलाई	(88)	7,000
	8. ,,	गुमाना	(127)	7,000
सिकराय पं.स. क्षेत्र	9. ,,	सिमलामीना	(23)	7,000
	10. ,,	जोकरा	(16)	7,000
	11. ,,	पीलोनी	(37)	7,000
	12. ,,	खोदरपुर	(17)	7,000
	13. ,,	सिकरी	(42)	7,000
	14. ,,	नामनेर	(98)	7,000
			योग	98,000
			महायोग	7,17,000

इसके अतिरिक्त दिनांक 24·12·80 को इकजाई राशि 14,51,310/– रुपयों की स्वीकृति दी गई इसका विवरण निम्न प्रकार है :—

क.सं.	जिला	लघुखण्ड नं. लघुखण्ड	राशि रुपयों में
1.	जयपुर	12. चाकसू-लालसोट-बसवा-दौसा	7,01,196
		13. जमवारामगढ-चाकसू-बस्सी दौसा-सांगानेर	6,38,858
		14. सिकराय-बसवा	1,11,256
			14,51,310

शिक्षा प्रोत्साहन — स्वीकृति संख्या एफ–5 (6) एसीटीएडी ल.ख./79–80/1747 दिनांक 23·7·80

क्र.सं.	लघुखण्ड का नाम	राशि रुपयों में
1.	चाकसू-लालसोट-बसवा-दौसा	1,05,200
2.	जमवारामगढ-चाकसू-बस्सी-दौसा-सांगानेर	1,32,000
3.	सिकराय व बसवा	46,000
		2,83,200

आश्रम स्कूल भवन निर्माण हेतु

स्वीकृति संख्या एफ–5 (17) एसीटीएडी, माडा/79–80/3592–97 दिनांक 20·12·80

क्र.सं.	लघुखण्ड का नाम	स्थान	राशि रुपयों में
1.	चाकसू-लालसोट-बसवा-दौसा	(लड़कों के लिये) रालावास	1,50,000
2.	जमवारामगढ-चाकसू-बस्सी-दौसा सांगानेर	झर (लड़कियों के लिये)	1,50,000
3.	सिकराय-बसवा	घुमाना (लड़कों के लिये)	1,50,000
			4,50,000

प्राथमिक शाला भवन निर्माण

क्र.स.	लघुखण्ड का नाम	जनसंख्या	राशि रुपयों में
1.	चाकसू-लालसोट-बसवा-दौसा	1	50,000
2.	जमवारामगढ-चाकसू-बस्सी-दौसा-सांगानेर	1	50,000
3.	सिकराय-बसवा	1	50,000
			1,50,000

287

व्यक्तिगत लाभ की योजना

स्वीकृति संख्या एफ-5 (17) एसीटीएडी/मांडा/79-80/3713-25 दिनांक 24·12·80

क.सं.	लघुखण्ड का नाम	राशि
1.	चाकसू-लालसोट-बसवा-दौसा	5,34,470
2.	जमवारामगढ़-चाकसू-बस्सी-दौसा-सांगानेर	4,34,910
3.	सिकराय-बसवा	1,70,360
		11,39,740

एक भ्रमणशील चिकित्सा इकाई 1,45,500/–

इस प्रकार वर्ष 1979-80 में कुल राशि लघु खण्डवार निम्न स्कीमों में निम्न प्रकार स्वीकृत की गई

लघुखण्ड का नाम	स्कीम					
	पेयजल	शिक्षा प्रो.	आश्रम स्कूल (भवन)	प्रा.शा.	व्यक्तिगत लाभ	भ्रमणशील चिकित्सा इकाई
1	2	3	4	5	6	7
चाकसू-लालसोट बसवा-दौसा	1,25,196	1,05,200	1,50,000	50,000	5,34,470	
जमवारामगढ़-चाकसू-बस्सी-दौसा सांगानेर	8,33,858	1,32,000	1,50,000	50,000	4,34,910	1,45,000
सिकराय-बसवा	2,09,256	46,000	1,50,000	50,000	1,70,360	
योग	21,68,310	4,50,000	1,50,000		11,39,740	1,45,000
		2,83,200				
				कुल योग	43,36,250	

परिशिष्ठ 2

वर्ष 1980–81 में 20,76, 300/5 रुपये की राशि प्रावंटित की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

लघु खण्ड का नाम	स्कीम			
	पेयजल	शिक्षा प्रो.	व्यक्तिगत लाभ की योजना	स्टाफ
1. चाकसू—				
लालसोट-बसवा	3,59,700	1,05,600	4,68,940	
दौसा—				
2. जमवा रामगढ	2,92,650	1,32,600	3,81,590	24,800
चाकसू-बस्सी-दौसा				
व सागांनेर				
3. सिकराय—				
बसवा	1,14,650	46,300	1,49,470	
	7,67,000	2,84,500	10,00,000	24,800

सरकारी जीप संख्या आर. एस. एल. 6343 से दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारियों को राहत

383. श्री अमीन खां (शिव)—क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 28 जून, 1979 को उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (मलेरिया) बीकानेर अपने स्टाफ के साथ अपने अधीन कर्मचारियों को वेतन वितरण हेतु जीप नम्बर आर. एस. एल. 6343 से दौरे पर गये थे ?

(2) यदि हां, तो उक्त जीप में कौन कौन कर्मचारी थे ? कृपया नामों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त जीप का एक्सीडेन्ट प्राइवेट ट्रक नम्बर आर. आर. क्यू. 1051 से दिनांक 28-6-79 को भामटसर गांव (नोखा) के पास हुआ था ?

(4) यदि हां, तो उस एक्सीडेन्ट में कौन कौन दुर्घटनाग्रस्त हुआ ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारियों को राज्य सरकार ने अभी तक राजस्थान सेवा नियमों के नियम 99 के अन्तर्गत कोई राहत प्रदान नहीं की है ?

(6) यदि हां, तो राहत क्यों नहीं दी गई ? यदि सरकार राहत देना चाहती है, तो कब तक और क्या ?

(7) क्या यह सही है कि मलेरिया विभाग के अधिकारियों की प्राइवेट ट्रक मालिक से सांठ गांठ होने के कारण अग्रेतर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ?

(8) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जीप में जो कर्मचारी/अधिकारी थे, उनकी सूची संलग्न है।

(3) जी हां।

(4) उक्त एक्सीडेन्ट में सिर्फ श्री विजय-कुमार मलेरिया सर्वेलेन्स निरीक्षक बीकानेर दुर्घटनाग्रस्त हुए थे।

(5) नियमानुसार उनको विशेष चिकित्सा अवकाश स्वीकृत की गई है।

(6) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(7) जी नहीं।

(8) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

तारांकित प्रश्न 383 की सूची

दिनांक 28–6–79 को वाहन संख्या आर. एल. एल. 6343 में बैठे हुये कर्मचारियों की सूची

---

(1) श्री डा०के०एल० मारू, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (मलेरिया), बीकानेर।

(2) श्री रतनलाल वाहन चालक।

(3) श्री श्रीवल्लभ ओझा मलेरिया निरीक्षक, नापासर

(4) श्री विजय कुमार आचार्य, मलेरिया सर्वेक्षण निरीक्षक बीकानेर।

(5) श्री भैरु बक्स आचार्य, मलेरिया सर्वेक्षण कार्यकर्ता।

जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का सेवा से अनियमित पृथकीकरण

384. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्री इन्द्रसिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह चारण निवासी जैतपुरा पोस्ट धोली तहसील आसीन्द को जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा आदेश क्रमांक नियुक्ति 76/448-1-24 दिनांक 1 नवम्बर, 1976 द्वारा अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर नियुक्त किया गया था ?

(2) क्या उक्त श्री इन्द्रसिंह को जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक नियुक्ति 448 दिनांक 12 नवम्बर, 1979 द्वारा पूर्णकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर पदोन्नत कर माध्यमिक विद्यालय लुहारिया में पदस्थापित किया था ?

(3) क्या उक्त श्री इन्द्रसिंह को जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा ने आदेश क्रमांक 766-68 दिनांक 24 मई, 1980 के अनुसरण में बिना किसी नोटिस तथा कार्यवाही के सेवा से पृथक कर दिया ? यदि हां, तो क्यों और किन नियमों के अन्तर्गत ?

(4) क्या उक्त श्री इन्द्रसिंह के साथ ही एवं उसके बाद पदोन्नत अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अब भी यथावत् कार्य कर रहे हैं ?

(5) क्या सरकार ज़िला अधिकारी, भीलवाड़ा की इस अवैध कार्यवाही की जांच करवा कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। बिना नोटिस दिये सेवा से पृथक करना नियमानुसार नहीं था।

(4) जी हां।

(5) जांच करवाई जाकर दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।

292

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 361 की सूची)

अतारांकित प्रश्न संख्या 4 शि० मं० के भाग (2) व (3) से सम्बन्धित सूचना

कोटा जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में शालाओं एवं शिक्षकों की स्थिति

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	अध्यापकों के रिक्त पदों की संख्या	स्थान कब से रिक्त हैं	प्राथमिक शालाएं जो अध्यापकों के अभाव में बन्द रही सं.	कब से कब तक बन्द रही
1	2	3	4	5	6
1.	बांरा	2	जनवरी, 81	–	कोई बन्द नहीं रही।
2.	इटावा	17	सितम्बर 80, अक्टूम्बर., 80 1 6 नवम्बर 80, दिसम्बर, 80 2 2 जनवरी, 81 मार्च, 81 3 3	8	अक्टूम्बर 80 से नवम्बर, दिस. 3 1 1 जनवरी, 81 मार्च, 81 2 1
3.	छीपाबड़ोद	25	माह अगस्त, 80 (25)	1	केवल एक माह बन्द रही।
4.	छबड़ा	47	जुलाई, अगस्त, नवम्बर, दिस. 16 1 16 3 जनवरी, फरवरी, 81 10 1	21	जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 6 1 1 अक्टू. नवम्बर, जनवरी, 81 1 3 7 फरवरी, 81 2
5.	शाहवाद	10	जुलाई, जनवरी, 81 6 4	–	कोई बन्द नहीं रही।
6.	लाडपुरा	4	नवम्बर, दिसम्बर, मार्च, 81 1 2 1	–	,, ,,
.	अटरू	18	जुलाई, 80 (18)	–	,, ,,

1 2	3	4	5	6
8. सुल्तानपुर	4	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, 81 1 2 1	–	,, ,,
9. सांगोद	25	अगस्त, 80 (25)	1	एक प्राथमिक शाला 3 माह तक बन्द रही।
10. अन्ता	12	जून, सितम्बर, अक्टू, दिस. 2 3 3 4	1	एक पाठशाला, ग्राम गून्दी में जनवरी, 81 से बन्द है इसे चालू करने के आदेश दिये गए है।
11. किशनगंज	21	नवम्बर, 80 (21)	4	दिसम्बर, 80 से बन्द है।
12. चेचट	13	सितम्बर, फरवरी, 81 11 2	–	
योग	198		36	

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 363 की सूची)

अजमेर जिले के वर्तमान पौषाहार केन्द्र व चलाने वालों की सूची

क्रमांक	नाम एवं स्थान	केन्द्र संख्या	माध्यम
1.	अजमेर नगर	40 केन्द्र	केन्द्रीय कारागृह अजमेर
2.	केकड़ी	5 केन्द्र	अनुसूचित/विमुक्त जाति महिला विकास मण्डल, केकड़ी
3.	सारवाड़	5 केन्द्र	,, ,,
4.	विजयनगर	5 केन्द्र	गरीब नवाज महिला एवं बाल कल्याण समिति, अजमेर
5.	ब्यावर	5 केन्द्र	अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद, ब्यावर
6.	,,	5 केन्द्र	हरिजन सेवक संघ, ब्यावर
	,,	5 केन्द्र	माहेश्वरी पंचायत बोर्ड

295

राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 122 1979–80

यह प्रमाणित किया जाता है गांधी जनता सेवा समिति, अजमेर जिला अजमेर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28–1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया है।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक पच्चीस माह जून सन् एक हजार नो सौ उनियासी को जयपुर में दिया गया।

सील

हस्ताक्षर
(अमोलक चन्द जैन)
रजिस्ट्रार संस्थाएं, राजस्थान,
जयपुर

क्रम संख्या	नाम	पद	हस्ताक्षर
1.	श्रीमती जसवन्त कौर	अध्यक्ष	हस्ता. जसवन्तकौर
2.	कु० लीला शर्मा	उपाध्यक्ष	हस्ता. लीला शर्मा
3.	श्री गोपीलाल मित्तल	महामन्त्री	हस्ता. गोपीलाल मित्तल
4.	श्रीमती कृष्णादेवी शर्मा	उप मन्त्री	हस्ता. कृष्णादेवी शर्मा
5.	श्रीमती सुमित्रा देवी	कोषाध्यक्ष	हस्ता. सुमित्रा देवी
6.	श्रीमती सरला देवी	सदस्य	हस्ता. सरला देवी
7.	श्रीमती मलकीत कौर	सदस्य	हस्ता. मलकीत कौर
8.	श्रीमती प्रेमवती	सदस्य	हस्ता. प्रेमवती
9.	श्री दुष्यन्त कुमार मिश्रा	सदस्य	हस्ता. दुष्यन्तकुमार मिश्रा
10.	कु. आशा देवी	सदस्य	हस्ता. आशा देवी
11.	श्री विक्रम सिंह	सदस्य	हस्ता. विक्रम सिंह

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 364 की सूची)

वर्ष 1980–81 में जन जाति उप–योजना क्षेत्र में स्वीकृत औषधालयों की सूची

क्र. संख्या	स्थान का नाम	पं. स. तहसील	जिला	पद्धति
1.	लीलाधर	ह्राडा	उदयपुर	आयुर्वेद
2.	धौवाली	सरवाड़ा	,,	,,
3.	टेंकण	धरियावाद	,,	,,
4.	बन्दनावास	झाडौल	,,	,,
5.	रामगढ़	प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़	,,
6.	दोहितरा	आबूरोड़	सिरोही	,,
7.	देवसोमनाथ	डूंगरपुर	डूंगरपुर	,,
8.	आरा	सागवाड़ा	,,	,,
9.	आंसिया	डूंगरपुर	,,	,,
10.	मेवड़ो	आसपुर	,,	,,
11.	ह्न्दनपुर	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	,,
12.	अडाना	घाटोल	,,	,,
13.	अडबां	बागीडोरा	,,	,,
14.	मूंदड़ी	कुशलगढ़	,,	,,

298

जन जाति उप योजना क्षेत्र में दिनांक 31-3-80 तक संचालित चिकित्सालय औषधालय की तहसीलवार सूची

क्र.सं. 1	नाम औषधालय स्थान 2	पद्धति 3	पंचायत समिति 4	तहसील 5
जिला बाँसवाड़ा :—				
1.	बांसवाड़ा	आयुर्वेद	बाँसवाड़ा (न. पा.)	बांसवाड़ा
2.	चिड़ावाला	,,	तलवाड़ा	,,
3.	छोटी बदरेल	,,	,,	,,
4.	तलवाड़ा	,,	,,	,,
5.	नयागांव	,,	,,	,,
6.	सुरपुरा	,,	,,	,,
7.	सामरिया	,,	,,	,,
8.	तेजपुर	,,	,,	,,
9.	गामड़ी	,,	,,	,,
10.	नयातलाव	,,	बागीडोरा	बागीडोरा
11.	करजी	,,	,,	,,
12.	कांलिजरा	,,	,,	,,
13.	गांगड़तलाई	,,	,,	,,
14.	नौगामा	,,	,,	,,
15.	सल्लोपाट	,,	,,	,,
16.	शेरगढ़	,,	,,	,,
17.	वोड़ीगामा	,,	,,	,,
18.	मोटीटीमी	,,	,,	,,
19.	चान्दरखाड़ा	,,	भूखिया	,,
20.	पलवा	,,	,,	,,
21.	भूखिया	,,	,,	,,
22.	छाजा	,,	,,	,,
23.	अरथूना	,,	गढ़ी	गढ़ी
24.	आसोडा	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
25.	आन्जना	आयुर्वेद	गढ़ी	गढ़ी
26.	आसल	,,	,,	,,
27.	खोडन	,,	,,	,,
28.	खोडा	,,	,,	,,
29.	बोरी	,,	,,	,,
30.	वादरडी	,,	,,	,,
31.	गोपीनाथजी का गड़ा	,,	,,	,,
32.	वस्सी बड़ी	,,	,,	,,
33.	डडूका	,,	,,	,,
34.	भीमपुर	,,	,,	,,
35.	लोहारिया (गढ़ी)	,,	,,	,,
36.	खरेडी बड़ी	,,	,,	,,
37.	रोहिन्डा	,,	,,	,,
38.	कुत्रालिया	,,	,,	,,
39.	रैंवाना	,,	,,	,,
40.	खमेरा	,,	घाटोल	घाटोल
41.	चन्दूजी का गढा	आयुर्वेद	,,	,,
42.	जगपुरा	,,	,,	,,
43.	दूदका	,,	,,	,,
44.	नरवाली	,,	,,	,,
45.	पाडोली राठौड़	,,	,,	,,
46.	नामन पारडा	,,	,,	,,
47.	भूंगडा	,,	,,	,,
48.	मुण्डलैल	,,	,,	,,
49.	मोटा मांव	,,	,,	,,
50.	सेनावाला	,,	,,	,,
51.	देलवाड़ा	,,	,,	,,
52.	डूंगरिया	यूनानी	,,	,,
53.	खेरवा	होम्योपैथिक	,,	,,

1	2	3	4	5
54.	पीपल खूंट	आयुर्वेद	पीपल खूंट	घाटोल
55.	डूंगलावानी	,,	,,	,,
56.	छोटीतेजपुर	,,	,,	,,
57.	छोटी सरवन	,,	,,	,,
58.	दानपुर	,,	,,	,,
59.	सेमलिया	,,	,,	,,
60.	लाम्बा डाबरा	,,	,,	,,
61.	मोहकामपुरा	,,	कुशलगढ़	कुशलगढ़
62.	लोहारिया (कुशलगढ़)	,,	,,	,,
63.	कलींजरा (,,)	,,	,,	,,
64.	बडवास छोटी	,,	,,	,,
65.	करारवाडी	,,	सज्जनगढ़	,,
66.	डूंगरा	,,	,,	,,
67.	तामेसरा	,,	,,	,,
68.	सजनगढ़	,,	,,	,,
69.	बीलडी	,,	,,	,,
70,	रामगढ़	,,	कुशलगढ़	कुशलगढ़
71.	कूपड़ा	,,	तलवाड़ा	बांसवाड़ा

(जिला डूंगरपुर)

72.	डूंगरपुर	आयुर्वेद	डूंगरपुर (न. पा.)	डूंगरपुर
73	न्यूकालोनी डूगरपुर	,,	,,	,,
74.	डूंगरपुर	यूनानी	,,	,,
75	डूंगरपुर(नाहरू)	आयुर्वेद	,,	,,
76	कनवा	,,	बीछीवाड़ा	,,
77.	देवलपाल	,,	,,	,,
78.	गेंजी	,,	,,	,,
79.	मेवाड़ा	,,	,,	,,
80.	चून्डवाडा	,,	,,	,,

1 2	3	4	5
81. आमझरा	आयुर्वेद	बोछीवाड़ा	डूंगरपुर
82. घूघरा	,,	,,	,,
83. बोखला-पाल	,,	,,	,,
84. आंतरी	,,	डूंगरपुर	,,
85. पुनाली	,,	,,	,,
86. मेताली	आयुर्वेद	,,	डूंगरपुर
87. कोलखण्डा	,,	,,	,,
88. बासी (पाल)	,,	,,	,,
89. रघुनाथ पुरा	,,	,,	,,
90. वलोज	,,	,,	,,
91. रतनपुर	,,	,,	,,
92. ओबरी	,,	,,	,,
93. रोहनवाड़ा	,,	,,	,,
94. करावाड़ा	,,	सिमलवाडा	,,
95. पीठ	,,	,,	,,
96. धम्बोला	,,	,,	,,
97. रास्ता	,,	,,	,,
98. सिथल	,,	,,	,,
99. डूंका	,,	,,	,,
100. सरथूना	,,	,,	,,
101. ढूंढरिया	यूनानी	,,	,,
102. गन्दवा	आयुर्वेद	,,	,,
103. डूंगरसारणा	,,	,,	,,
104. बेडसा	होम्योपैथिक	,,	,,
105. घाटा का गांव	आयुर्वेद	,,	,,
106. सांबला	,,	आसपुर	आसपुर
107. आसपुर	,,	,,	,,
108. रामगढ़	,,	,,	,,
109. इन्डोला	,,	,,	,,
110. निठाउदा	,,	,,	,,
111. वोडीगामा	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
112.	मूंगेड़	आयुर्वेद	आसपुर	आसपुर
113.	रीछा	,,	,,	,,
114.	पारडाईटावाड	,,	,,	,,
115.	लोलवासा	,,	,,	,,
116.	तालोड़ा	,,	,,	,,
117.	देवला	,,	,,	,,
118.	नादिया	,,	सागवाड़ा	सागवाड़ा
119.	भिलूड़ा	,,	,,	,,
120.	घाटोद	,,	,,	,,
121.	घाटा सेमलिया	,,	,,	,,
122.	दिवड़ा बडा	,,	,,	,,
123.	बड़गामा	,,	,,	,,
124.	रवड़गदा	,,	,,	,,
125.	चिरवली	,,	,,	,,
126.	चितरी	,,	,,	,,
127.	सिलोई	,,	,,	,,
128.	वूंचिया	,,	,,	,,
129.	रामतोर	,,	,,	,,
130.	जेठाना	,,	,,	,,
131.	कुआं	,,	,,	,,
132.	भेमई	,,	,,	,,
133.	ओवरी	आयुर्वेद	सागवाड़ा	सागवाड़ा
134.	डेंचा	,,	,,	,,
135.	गालिय कोटा	यूनानी	,,	,,
136.	कोकापुर	आयुर्वेद	,,	,,
137.	भासोर	,,	,,	,,
138.	पान्डवा	,,	,,	,,
139.	मान्डव	,,	,,	,,
140	बरदा	,,	,,	,,
141.	सरोदा	,,	,,	,,
142.	गांमडा	,,	,,	.

1	2	3	4	5
143.	ठाकरडा	आयुर्वेद	सागवाड़ा	सागवाड़ा
144.	बादरडी	,,	,,	,,
145.	करीयाणा	,,	,,	,,
146.	सागवाड़ा	,,	,,	,,
147.	वादरा	,,	,,	,,
148.	तालेरा	,,	बाछीवाड़ा	डूंगरपुर
		(जिला चित्तौड़गढ़)		
149.	प्रतापगढ़	,,	प्रतापगढ़ (न. पा.)	प्रतापगढ़
150.	प्रतापगढ़	यूनानी	,,	,,
151.	खेरोड़	आयुर्वेद	,,	,,
152.	रठांजना	,,	,,	,,
153.	गादोला	,,	,,	,,
154.	बरडिया	,,	,,	,,
155,	जमलावद	,,	,,	,,
156,	बलाड	,,	,,	,,
157.	सतारपुरा	,,	,,	,,
158.	सोहागपुरा	,,	,,	,,
159.	झांरसडी	,,	,,	,,
160.	वरमण्डल	,,	,,	,,
161.	ग्यासपुर	,,	,,	,,
162.	चुवना	,,	अचनेरा	,,
163.	बोरदिया	,,	,,	,,
164.	कोटड़ी	,,	,,	,,
165.	सालमगढ़	,,	,,	,,
166.	झांझली	,,	,,	,,
		(जिला सिरोही)		
167.	आबू पर्वत	आयुर्वेद	आबूरोड (न. पा.)	आबूरोड
168.	निचलागढ़	,,	,,	,,
169.	ओर	,,	,,	,,
170.	भैसासिह	,,	,,	,,

304

1	2	3	4	5
171.	जाम्बूरी	श्रायुर्वेद	श्राबूरोड़ (न. पा.)	श्राबूरोड़
172.	वोसा	,,	,,	,,
173.	मूंग थला	,,	,,	,,
		(जिला उदयपुर)		
174.	मदार	श्रायुर्वेद	बड़गांव	गिरवा
175.	चणावदा	श्रायुर्वेद	गिरवा	,,
176.	कानपुर	,,	,,	,,
177.	कुरावड़	,,	,,	,,
178.	तीतरडी	,,	,,	,,
179.	बारापाल	,,	,,	,,
180.	जगत	,,	,,	,,
181.	भंभोरा	,,	,,	,,
182.	नाई	,,	,,	,,
183.	लकड़वास	,,	,,	,,
184.	गुड़ली	,,	,,	,,
185.	वई	होम्योपैथिक	,,	,,
186.	गीगेला	श्रायुर्वेद	सलूम्बर	सलूम्बर
187.	भभराना	,,	,,	,,
188.	झल्लारा	,,	,,	,,
189.	ईन्टाली खेड़ा	,,	,,	,,
190.	करावली	,,	,,	,,
191.	वामनियां	,,	,,	,,
192.	कराकलां	,,	,,	,,
193.	उथरदा	,,	,,	,,
194.	खेराड	,,	,,	,,
195.	श्रललोदा	,,	,,	,,
196.	मैथूड़ी	,,	,,	,,
197.	खराड़ी	,,	,,	,,
198.	बोरिया	,,	झाड़ोल	झाड़ोल
199.	कलासिया	,,	,,	,,
200.	कोल्यारि	,,	,,	,,

1 2	3	4	5
201. गोराणा	आयुर्वेद	झाड़ोल	झाड़ोल
202. भागपुरा	,,	,,	,,
203. ओगणा	,,	,,	,,
204. खाखड़	,,	,,	,,
205. अम्बाबोडिया	,,	,,	,,
206. मानपुरा	,,	,,	,,
207. बदराना	,,	,,	,,
208. नवागांव	,,	,,	,,
209. बांछीवाड़ा	,,	,,	,,
210. मान्डवा	,,	कोटड़ा	कोटड़ा
211. गुरा	,,	,,	,,
212. मालेवा का चोर	,,	,,	,,
213. वाल	,,	,,	,,
214. पड़वलीकलां	,,	,,	,,
215. नयावास	,,	,,	,,
216. पारसोला	,,	दरियावद	लसाड़िया
217. अगगढ़	,,	,,	,,
218. कूण	,,	,,	,,
219. जवाहरनगर	,,	,,	,,
220. लसाड़िया	होम्योपैथिक	,,	,,
221. केसरियावाद	आयुर्वेद	दरियावद	लसाड़िया
222. मान्डवी	,,	,,	,,
223. देवला	,,	,,	,,
224. नई झर	,,	सराड़ा	सराड़ा
225. चावन्ड	,,	,,	,,
226. सेमारी	,,	,,	,,
227. सल्लाड़ा	,,	,,	,,
228. केज्जड़	,,	,,	,,
229. भोराईपाल	,,	,,	,,
230. देवपुरा	,,	,,	,,
231. थाना	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
232.	थान का बाडा	आयुर्वेद	सराड़ा	सराड़ा
233.	इरटोदा	,,	,,	,,
234.	परसाद	,,	,,	,,
235.	खरवरपाल	,,	,,	,,
236.	टोकर	,,	,,	,,
237.	उदवास	,,	,,	,,
238.	सुरपणखेड़ा	,,	,,	,,
239.	ऋषभदेव	,,	खेरवाड़ा	खेरवाड़ा
240.	नयागांव (ऋषभदेव)	,,	,,	,,
241	पाटिया	,,	,,	,,
242.	कल्याणपुर	,,	,,	,,
243.	घोडी	,,	,,	,,
244.	कनबई	,,	,,	,,
245.	भूदर	,,	,,	,,
246.	सुलई	होम्योपैथिक	,,	,,

———

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 371 की सूची)

जनजाति क्षेत्र में सत्र 80–81 में स्वीकृत प्राथमिक वि० की सूची

ज़िला बांसवाड़ा

क्र०सं० प्रा०वि० का नाम	पंचायत समिति	क्र०सं० प्रा०वि० का नाम	पंचायत समिति
1. गणपत पुरा	बांसवाड़ा	2. मूंगफली	बांसवाड़ा
3. बयला	गढ़ी	4. सितथिया	घाटोल
5. मोर	घाटोल	6. भाऊ का गढ़ा	घाटोल
7. टामटिया	,,	8. बावड़ी	आनन्दपुरी
9. रामपुरा	बागीडोरा	10. सिघाला (सिघालों का पारड़ा)	गढ़ी
11. टोडी छोटी बड़ी	गढ़ी	12. बिजौर	घाटोल
13. रोहनिया रामसिंह	सज्जनगढ़	14. केला पाड़ा	पीपलखूंट

जिला-डूंगरपुर

1. पाडलिया फला	सागवाड़ा	2. भवासा	सागवाड़ा
3. पटलीफला	,,	4. आदिवासी बस्ती (पीठ चौरासी)	सीमलवाड़ा
5. मेदा वाड़ा कस्बा चौरासी	बिछीवाड़ा	6. उपला रास्ता	सीमलवाड़ा
7. हीरता होलीलडडा	डूंगरपुर	8. डूंगराफला	डूंगरपुर
9. लेमडी	आसपुर	10. बसी मालावदानी	डूंगरपुर
11. मुतादिया	आसपुर	12. झांगरी (डांगोरवाड़ा)	सागवाड़ा
13. नेड़ा	आसपुर	14. देवकी	डूंगरपुर
15. डूंगराफला	सुराता	16. बावडीखेड़ा	डूंगरपुर
17. छत्रपुरा	सरांदा	18. मोरडोफला	सीमलवाड़ा
19. लिखोछोटी	सीमलवाड़ा	20. पारडो गुजरेश्वर	डूंगरपुर
21. डोलत्तरियों का ओडा	डूंगरपुर		

जिला-उदयपुर

1. जोधपुर खुर्द	सलूम्बर	2. बाम्बखेड़ा	सलूम्बर
3. सरबेड़ी बेरा	,,	4. बस्सी जौहीरा	,,
5. चाटपुर	,,	6. पाड्या तालाब	,,
7. घाड़िया	बरोड़ी	8. रटफ	बलिया
9. भाडया	खिलदेव	10. रेल	बावलवाड़ा
11. कलाखेतर	फलासिया	12. हडमथ	फलासिया
13. सती का चोरा	,,	14. गोरावाड़ा	झाड़ोल
15. वादड़	झाड़ोल	16. पीपली (कन्या)	,,
17. खरवडिया	गिर्वा	18. भीलों की बस्ती	खावली
19. सहपाल	उपरला	20. काटड़ी	देवपुरा

(308)

21. हवनापानी	सींघटवाड़ा	22. काकरवेती	खरवर
23. मेड़ास	नठारा		
जिला–चितौड़गढ़		जिला–सिरोही	
1. बारा	प्रतापगढ़	1. ओरिया	आबू रोड़

जन जाति क्षेत्र में सत्र 80–81 में स्वीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची

क्र०सं०	उ०प्रा०वि० का नाम	पंचायत समिति	जिला
1.	मानपुर	लसाड़िया	उदयपुर
2.	गुराड़	फलासिया	,,
3.	नौली	सलूम्बर	सलूम्बर
4.	सराड़ा (कन्या)	सराड़ा	,,
5.	सुन्दरवास (कन्या)	भूखिया	बांसवाड़ा
6.	भगौरा	बांसवाड़ा	,,
7.	सागवाड़ा	खैरवाड़ा	उदयपुर
8.	नयागांव	चौरासी	डूंगरपुर
9.	बरवूनिया	सागवाड़ा	,,
10.	सींथल	सीमलवाड़ा	,,
11.	बागदरी	डूंगरपुर	,,
12.	कराडा	सागवाड़ा	,,
13.	करजौती	प्रतापगढ़	चितौड़गढ़
14.	मावल	आबूरोड	सिरोही
15.	टुकमाडा	घांटोल	बांसवाड़ा

जन जाति क्षेत्र में सन् 80–81 में स्वीकृत माध्यमिक विद्यालयों की सूची :

जिला–बांसवाड़ा

1. देवड़ा 2. मोडान/घाटोल
3. सलोपाट/बागीदोरा 4. चिड़ियावास
5. घाटोल/कन्या 6. तमेसरा

जिला–डूंगरपुर

1. घाटा का गांव 2. करावाड़ा
3. तामड़ो 4. मूंजपुर 5. सुराता
6. झपोल/सिमलवाड़ा

जिला–उदयपुर

1. झलारां 2. धोरिया/सलूम्बर
3. पाटियां 4. साघड फलासिया
5. सिसारमा 6. ढोमड़ी 7. भोराईपाल

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 374 की तालिका)

1. जयनारायण व्यास नगर योजना—

यू०एन०डी०पी० (यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट) हेतु इस योजना के मानचित्र में परिवर्तन किया गया।

2. माडर्न मार्केट

डिविजनल सुपरिटेंन्ट नर्दन रेलवे के कार्यालय भवन की चार दीवारी को एडजस्ट करने हेतु इस योजना के मानचित्र में परिवर्तन हुआ।

3. सार्दूलगंज योजना—

मेडिकल कालेज बीकानेर के भवन की चारदीवारी को एडजस्ट करने हेतु एवं पराने नाजायज कब्जेदारों को इसी क्षेत्र में बसाने के प्रयोजन से इस योजना के मानचित्र में तबदीलियां की गई।

4. नागनेचीजी योजना—

आवासन मण्डल की रिहायशी योजना, जलदाय योजना, डाक एवं तार विभाग की रिहायशी योजना तथा अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों को रिहायशी भूखण्डों के आवंटन हेतु इस योजना के मानचित्र में परिवर्तन किया गया।

5. इन्द्रानगर योजना—

21 अगस्त, 1971 तक के नाजायज कब्जेदारों को इसी क्षेत्र में बसाने के उद्देश्य से इस योजना के मानचित्र में संशोधन किया गया। इसके अलावा राज० राज्य पथ परिवहन निगम के वर्कशाप, कृषि उपज मण्डी, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग एव ए.डी.डी.पी. के कार्यालय भवनों हेतु इस योजना के मानचित्र में परिवर्तन किया गया।

6. जवाहर नगर योजना—

मौके पर पहले से बने हुये एम. एन. स्कूल के खेल के मैदान एवं पहले से बनी हुई सड़क को एडजस्ट करने के प्रयोजन से योजना के नक्शे में परिवर्तन किया गया।

7. मुक्ता प्रसादनगर योजना

इस योजना क्षेत्र में 21 अगस्त, 1971 के पूर्व की कच्ची बस्ती (रामपुरा बस्ती) को विकसित करने, अल्प आय भोगी व्यक्तियों को सस्ते प्लाट उपलब्ध कराने तथा राज. आवासन मण्डल के आवास योजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के प्रयोजन से इस योजना के मानचित्र में परिवर्तन किया गया।

ह०
सचिव,
नगर विकास न्यास,
बीकानेर।

(311)

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 387 का आदेश)

रजिस्टर्ड–पत्र

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
क्रमांक—शिविरा/प्राथ/डी/19895/पुस्तक/60/79-80/दि० 18-2-80
श्रीमती सीता अग्रवाल
जि० शि० अ० (छात्र सं०)
अजमेर

विषय :— प्राथमिक विद्यालय (शहरी) उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकें रखने हेतु सामग्री क्रय किये जाने हेतु ।

प्रसंग :— शिविरा/बजट/बी-5/25427/79-80/36–40 दिनांक 13-2-80 ।

योजना मद के अन्तर्गत प्राथमिक (शहरी) एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकें रखने हेतु सामग्री क्रय किये जाने हेतु आपको उक्त प्रसंगानुसार पत्र के द्वारा निम्नांकित राशि का आवंटन किया गया है । इस राशि से आपको केन्द्रीय भन्डार क्रय संगठन, जयपुर द्वारा स्वीकृत रेट कान्ट्रेक्ट के अनुसार ही सामग्री क्रय करनी है, जिसका विवरण भी नीचे दिया जा रहा है । आपको उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु एक-एक स्टील बुक केस) दर प्रति केस रु० 575 व प्राथमिक विद्यालय (शहरी क्षेत्र) हेतु एक-एक स्टील ट्रंक) दर प्रति ट्रंक 103 रु० की खरीद करनी है ।

आपके क्षेत्र में जितने भी अधीनस्थ अधिकारी हैं उनकी राशि व विद्यालयों की संख्या निम्न प्रपत्र में अंकित है । चूंकि केन्द्रीय भण्डार क्रय सगठन द्वारा खरीद के इन्डेन्टिग आफिसर आप हैं अतः आपके क्षेत्र की सम्पूर्ण राशि आपको ही आवंटित की गई है ताकि आप आपके अधीनस्थ समस्त विद्यालयों के लिए 25-2-1980 तक नियमानुसार आदेश संबंधित फर्म को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा भेज दें । माल की सप्लाई आपके कार्यालय में ली जावेगी तथा नियमानुसार भुगतान आप ही करेंगे ।

अधिकारी व राशि का विवरण

क्र. सं.	अधिकारी का कार्यालय	प्राथमिक विद्यालय (शहरी)		उ. प्रा. विद्यालय	
		विद्यालय संख्या	आवंटित राशि	विद्यालय संख्या	आवंटित राशि
1.	उप० छात्रा, अजमेर	17	1887	8	4608
2.	,, ,, टौंक	4	444	6	3456
3.	,, ,, सवाई माधोपुर	5	555	6	3456
	योग	26	2886	20	11,520

312

केन्द्रीय भण्डार क्रय संगठन, जयपुर के सरकुलर नं. 96/79 रेट कान्ट्रेक्ट नं. 38/79 स्वीकृति पत्र संख्या एफ 7(282) एफडी/सी. एस. पी.ओ./79 दिनांक 30-10-79 द्वारा एम./एस. अनमोल एन्टरप्राइजेज 5-6, अन्डरस्ट्रीय जयपुर तथा सरकुलर नं० 111/79 रेट कान्ट्रेक्ट नं. 50/79 स्वीकृति पत्र सं. एफ 7(286) एफडी/सी एस-पी. ओ. 79 दिनांक 24-11-79 द्वारा M/S New age Industrial Corporation Shriji Ki Mori Tripolia Bazar Jaipur की स्टील बुक केस जिसकी प्रति केस दर 575/– रु० (बाहर सप्लाई हेतु) (स्थानीय सप्लाई हेतु 525/रु.) से स्वीकृत की गई है।

केन्द्रीय भण्डार क्रय संगठन जयपुर के सरक्यूलर नं. 126/79 रेट कान्ट्रेक्ट 63/79 पत्र क्रमांक एफ ओ/सी. एस. पी. ओ./79 दिनांक 18–12–79 द्वारा M/S Ganerimal Industries A-6 Industrial Estate—Jaipur से प्रति स्टील ट्रंक दर 103/- रु० (बाहर सप्लाई हेतु) (स्थानीय सप्लाई दर) 97·25 पै० स्वीकृत की गयी है अतः आप स्टील ट्रंक की सप्लाई हेतु आदेश उक्त फर्म को देवें।

यदि ये रेट कान्ट्रेक्ट आपके कार्यालय में उपलब्ध न हो तो किसी अन्य स्थानीय कार्यालय या जिलाधीश कार्यालय से प्राप्त कर लें।

स्टील बुक केस तथा स्टील ट्रंक की सप्लाई के जो आदेश आप फर्मों को उक्त निर्देशानुसार भेजें उनकी एक प्रतिलिपि उप निदेशक (प्राथमिक) शिक्षा निदेशालय बीकानेर, को अवश्य भेजें। इस संबंध में कोई कठिनाई हो तो दूरभाष द्वारा सम्पर्क करें।

इस कार्य को व्यक्तिगत स्तर पर सम्पन्न करावें ताकि आवंटित राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 1979-80 में ही हो सके।

(अनिल वैश्य)
निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :— शिविरा/प्राथ/डी/19895/80/79-80 दिनांक 18-2-80

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. ……………………………………………को भेजकर लेख है कि वे प्राथमिक विद्यालय (शहरी) तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की निर्धारित संख्या के नामों का चयन आवश्यकतानुसार कर उनकी सूची जिला स्तरीय अधिकारी, मंडल अधिकारी व निदेशालय को प्रेषित करें।

2. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (महिला/पुरुष) शिक्षा विभाग—

3. अनुभाग अधिकारी योजना/बजट/क्रय शाखा

(अनिल वैश्य)
निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

314

वर्ष 1979–80 में जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) अजमेर के अधीनस्थ विद्यालयों/कार्यालयों को फर्नीचर क्रय करने हेतु आवन्टित राशि का वितरण

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	फर्नीचर
1.	रा. केन्द्रीय बा. उ. मा. वि., अजमेर	5000
2.	रा. बा. उ. मा. वि., ब्यावर	3000
3.	रा. बा. उ. मा. वि., नसीराबाद	4000
4.	रा. बा. मा. वि., आदर्शनगर अजमेर	3000
5.	रा. बा. मा. वि., केकड़ी	4000
6.	रा. बा. मा. वि., किशनगढ़	2000
7.	रा. बा. मा. वि., बिजयनगर	5000
8.	रा. बा. मा. वि., भिनाय	2000
9.	रा. बा. मा. वि., पीसागन	2000
10.	रा. बा. मा. वि., पुष्कर	7000
11.	रा. बा. मा. वि., मसूदा	2000
12.	रा. बा. मा. वि., सरवाड़	2000
13.	रा. बा. मा. वि., रामगंज (अजमेर)	2000
14.	रा. बा मा. वि., डिग्गी (ब्यावर)	2000
15.	रा. बा. मा. वि., श्री नगर	6000
16.	रा. बा. माडल मा. वि. अजमेर	7000
17.	रा. बा. मा. वि., टोंक	4000
18.	रा. बा. मा. वि., देवली	4000
19.	रा. बा. मा. वि., टोडारायसिंह	4000
20.	रा. बा. मा. वि., मालपुरा	4000
21.	रा. बा. मा. वि., निवाई	1500
22.	रा. बा. उ. मा. वि., सवाई माधोपुर	5000
23.	रा. बा. मा. वि. हिण्डौन	2000
24.	रा. बा. मा. वि., गंगापुर सीटी	4000
25.	रा. बा. मा. वि., करौली	4000
26.	रा. बा. मा. वि., मण्डावर	2000
27.	रा. बा. मा. वि., महुवा	2000
28.	रा. बा. मा. वि., टोडाभीम	3000

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	फर्नीचर
29.	रा. बा. मा. वि., रामगंज (अजमेर)	7165
30.	रा. बा. मा. वि., डिग्गी (ब्यावर)	7165
31.	रा. बा. मा. वि., श्रीनगर	7165
32.	रा. बा. मा. वि., गुलाबबाड़ी	5000
33.	रा. बा. मा. वि., सावर	5000
34.	रा. बा. मा. वि., टोडभीम	7165
35.	रा. बा. मा. वि., सपोटरा	3980
36.	रा. बा. मा. वि., खण्डहार	3980
37.	रा. बा. मा. वि., बोली	3980
38.	रा. बा. मा. वि., उनियारा	3980
		1,52,000

316

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 388 की सूची)

नाम तहसील 1	नाम केन्द्र 2	पूर्व उचित मूल्य के दुकानदार 3	वर्तमान 4	परिवर्तन कारण 5
तहसील गिर्वा	बली	श्री भंवरलाल पिता लक्ष्मीलाल	श्री कल्याणसिंह पिता मोडसिंह	स्वेच्छा से त्याग पत्र
,,	भावर	श्री रामेश्वर पिता फूल जी	लैम्प, बारापाल को दिया गया	उचित मूल्य के दुकानदार के विरुद्ध दोषारोपण होने से।
,,	मटूण	ग्राम सेवा सहकारी समिति, लकड़वास	श्री पृथ्वीराज पिता गोपालजी कोठारी	समिति द्वारा पंचायत मुख्यालय पर चीनी वितरण करने में असमर्थता प्रकट करने के कारण परिवर्तन।
,,	अलसीगढ़	श्री धीरा पिता बक्ता मीणा	बैजनाथ, ग्राम सेवा सहकारी समिति	स्वयं के निवेदन पर
,,	उन्दरी	श्री उमा पिता उमरा गमेती नि० उन्दरी	,, ,,	,,
,,	भलों का गुडा	श्री मांगीलाल पिता कालूलाल जैन निवासी भलों का गुडा	ग्राम सेवा सहकारी समिति, साकरोदा	सहायक पंजीयन अधिकारी के लिखे अनुसार समिति को दिया गया।
,,	साकरोदा	श्री रोडसिंह पिता गमेर सिंह	,, ,,	,, ,,
,,	बड़गांव	श्री अमरसिंह पिता प्यारचंद	,, ,,	निजी विक्रेता के विरुद्ध दोषारोपण होने

1	2	3	4	5
,,		कोठारी, निवासी उदयपुर	बड़गांव	से तथा समिति द्वारा मांग करने से।
,,	बम्बोरा	श्री कारूलाल निर्मलकुमार जैन निवासी बम्बोरा	ग्राम सेवा सहकारी समिति, बम्बोरा	राज्य सरकार के निर्देशानुसार सहकारी समिति को प्राथमिकता के आधार पर दिया गया।
,,	गुड़ली	श्री तेजपाल पिता नवानजी महाजन निवासी गुड़ली	,, ,,	,, ,,
,,	वल्लभ	श्री प्रेमचन्द पिता सवा पटेल	,, ,,	,, ,,
,,	फिला	श्री खेमा पिता भीमा डांगी निवासी पातूखेड़ा	,, ,,	,, ,,
,,	कुराबड़	श्री हरीसिंह, सरपंच कुराबड़	लैम्प्स कुराबड़ को दिया गया	कुराबड़ में अस्थाई व्यवस्था श्री हरिसिंह के नाम पर की गई बाद में लैम्प को दिया गया।
,,	बलीचा	श्री चन्द सिंह	बैजनाथ ग्राम सेवा सह० समिति	निलम्बित हो जाने से दिया गया।
,,	बड़ी	श्री विरेन्द्र कुमार अग्रवाल	ग्राम सेवा सहकारी समिति, बड़गांव	राज्य सरकार के निर्देशानुसार सहकारी समिति को प्राथमिकता के आधार पर दिया गया।
तहसील सराड़ा	रठौड़ा	श्री हेमचन्द पिता हरचन्द, निवासी हठौंडी	लैम्प, सेमारी को दिया गया।	आपसी विवाद एवं शिकायत होने से

1	2	3	4	5
तहसील नाथद्वारा	खमनोर	श्री सोहनलाल पिता मोहनलाल माण्डोत मंत्री, ग्राम सेवा सहकारी समिति, खमनोर	ग्राम सेवा सहकाही समिति, सलोदा को दिया गया	ग्राम सेवा सहकारी समिति के दोषारोपण होने से।
	कदमाल	श्री चम्पालाल पिता अमरचन्द जैन, निवासी कदमाल	ग्राम सेवा सहकारी समिति, लोसिंग को नियुक्त	आपस में विवाद होने के कारण तथा जनता में असन्तोष होने से परिवर्तन
तहसील मावली	सनवाड़	श्री शोभालाल पिता मेघराज सिंघवी, निवासी फतहनगर	ग्राम सेवा सहकारी समिति, सनवाड़ को दिलाई गई	नया विक्रेता नियुक्त करते समय समिति को न देकर निजी को दुकान आवंटन की गई तो वापस परिवर्तन किया गया।
तहसील कुम्भलगढ़	काकरवा	श्री सेफुदिम	ग्राम सेवा सहकारी समिति, कांकरवा	पूर्व में समिति कार्यरत थी, परन्तु व्यवस्थापक न होने से निजी को दिया गया इसलिये वापस समिति को दिया गया।

———

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 389 का विवरण

नाम नगर परिषद/पालिका	कार्य विवरण	
1. बीकानेर :	1. सड़कों की पेच रिपेयरिंग का खर्चा	1,31,35·50 रु.
	2. नालियों की मरम्मत	66,768·00 ,,
	3. हरिजन बस्ती (विनोबा बस्ती) डामर किया गया	19,317·75 ,,
	4. नथूसर गेट मालियों का बास सड़क मरम्मत	7,824·00 रु.
	कुल योग सड़क मरम्मत	1,58,524·25
	कुल योग नालियों की मरम्मत	66,760·00
2. भीनासर :	1. नगरपालिका क्षेत्र भीनासर में वर्ष 1980-81 में नाली निर्माण कार्य वार्ड नं० 1 मोहल्ला कुम्हारान में आनन्द सागर कुएं से लेकर बल्लाराम माली के बाडे तक एक बड़े नाले का निर्माण कार्य करवाया गया जिसकी कुल लम्बाई 900 फुट तथा इस नाले की गहराई $1\frac{1}{2}$ फुट है, जिस पर रु० 23,926·20 व्यय हुए हैं।	
	2. नगरपालिका भीनासर में वर्ष 1980-81 में बिजली की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित वार्ड व मोहल्लों में राशि व्यय की गई :—	
	वार्ड नं० 1 मोहल्ला कुम्हारान	रु० 1810·00
	वार्ड नं० 2 मोहल्ला मेगवालान	910·00
	वार्ड नं० 4 मोहल्ला हरीजन व मेगवालान	5460·00
	वार्ड नं० 5 मोहल्ला नायकान बस्ती	910·00
	मोहल्ला नोखा रोड से पश्चिम की तरफ	5460·00
	वार्ड नं० 6 मोहल्ला ब्राह्मणान	910·00
	वार्ड नं० 7 मोहल्ला ब्राह्मणान	2730·00
	वार्ड नं० 8 मोहल्ला विश्मीदेसर	1810·00
	योग	रु० 20,000 00
3. गंगाशहर	शून्य	
4. देशनोक	शून्य	

320

Office of the Urban Improvement Trust
Bikaner.

Details of roads/Drains constructed/under construction
U.I.T. during 80-81 (upto 2/81).

S. No.	Name of work and place.	Amount of roads drains.
1.	Construction of B/T road in Kamla Colony.	90,347.17
2.	Const. of road and drain from Aurvedic College to industrial area.	69,602.49
3.	Const. of road in Sadul Colony.	15,360.33
4.	Widening of road from Gurudwara to Gangashahar road.	10,502.13
5.	Const. road a drains from Jailwall to Gangashahar road.	35,502.78
6.	Const. of remaining road works in Sadul ganj.	
7.	Const. of B/T road link road of Gajner road through R.S.E.B.	19,051.62
8.	Const. of road Gujaran ka Kabristan to Bangali Mataji Temple.	6,548.68
9.	Const. of road from Rani Bazar, Gouga gate to Bramcha-ays Asarma.	16,682.56
10.	Const. of road and drain near T.N. Saxana house to upward puchmukha hanumanji Temples.	25,103.15
11.	Const. road in Jawahar nagar scheme.	40,838.76
12.	Const. of road in Nagnachiji scheme.	55,678.38
13.	Const. of road from Bagoachiji DK. II deposited work.	1,86,039.70
14.	Const. ruction of road in J.N.V.N. Scheme.	—
15.	Const. of road drain outside papubari.	12,196 51
16.	Const. of road behind Bunglow No. 10 Katchi Basti.	11,179.72
17.	Const. of road in Subhashpura Katchi Basti.	—

324

1	2	3
18.	Widening of culvert and road of link road of R. S. E. B. Bikaner.	15,571,98
19.	Const. of road in J. N. V. N. scheme.	—
20.	Const. of road behind Dhola Maru Tourist Bungalow.	7,801.51
21.	Const. S/T road from Gajner to house of Shri Jeevan khan at Far Bazar.	6,775.91
22.	Widening of road from Chakhutey Rly. crossing to Jassusar gate (Northern side)	61,125.89
23.	Const. of road in Maghwalan a Nalian nagar Jassusar Gate, katchi basti.	14,951.11
24.	Const. of drain in Batiman basti Bari Guwar,	14,862.03
25.	Providing L/T road in J. N. V. N. scheme.	—
26	Const. of drains in Amarsinghpura, katchi basti.	—
27.	Const. of road in Rampura, katchi basti.	—
28.	Const. of road in Maghwalan, katchi basti.	—
29.	Const. of roads in Subhashpura, katchi basti.	—
30.	Const. of drain crosse a near hariji Dharamshala, katchi basti.	—
31.	Const. of drain in Jasslal Maghwalan katchi basti.	—
32.	Const. of road to Harizan Basti Bari svwar.	—
33.	Const. of road in Sudul Ganj, katchi Basti.	—
34.	Const. of drain in Subbashpura katchi Beasti.	—
35.	Const. road & drain in ward No. 31 from Rassian ki bari to Pabubari.	—
36.	Const. of road & drain Gangashahar road to Bidasar Bari Jailwell to station road.	—

(322)

1	2	3
37.	Const. of road and drain in Mohalla Hindu chipan ward No. 35.	—
38.	Const. of road in Nagharam vaid colony.	—
39.	Const. road in J. N. V. N. Scheme Sector III.	—
40.	Const. of road in J. N. P. V. Sheme Sec'or	—
41.	Patch repair and filling of shoulcera from M. S. College Rly. crossing to Lalgarh Rly. station.	—
42.	Const. of road & drains in Ragwas mohalla near chokhuti Rly. Crossing.	—
43.	Repair of culvert behind Municipal office Ginani.	—
44.	Const. of road from Rly. Crossing Hospital Road to P. W. D. Rest House back side.	
45.	Providing dividing strips on road from chokhuti Rly. crossing to Jassu ar gate.	—
46.	Extension of culvert near Pabubari from between Chakuty Rly. crossing to Jassusar gate.	—
47.	Const. of road in Amarsinghpura katchi basti.	—
48.	Const. of drain at Malgodown.	—
49.	Const. of drain in Gajner road, katchi Basti.	—
50.	Const. of drain in Malian and Maghwalan near Jassusar gate, katchi Basti.	—
51.	Const. of drain in Gaug gate, Harijan Basti.	—
52.	Const. of drain in Chati Guwar, Harijan basti.	—
53.	Reconsoliation and carpeting of road near Hanuman Das charan house to Bangali Mataji temple,	—
54.	Const. of drain Lali Bai artiea to Lalibai park.	—
55.	Const. of road at Malgodown road.	
56.	Const. of road in Naikhana Gangashahar road, katchi Basti.	11, 618.19
57.	Const. of road in Sarvodaya katchi Basti.	—
58.	Const. of road in Nathusar gate katchi Basti.	—

1	2	3
59.	Const. of road in Naikan Gujar road katchi Besti.	—
60.	Const. of road in Pabubari Maghwalan katchi basti.	—
61.	Const. drain in Pabubari Maghwalan katchi basti	—
	Total	7,27,340.68

Note :—जिन कार्यों के आगे राशि शून्य दिखाई गई है उन कार्यों के कार्य आदेश दिये हुये है। कार्य चालू है परन्तु व्यय अभी तक नहीं हुआ है।

ह०
सचिव
नगर विकास न्यास, बीकानेर

Office of the Urban Improvement Trust, Bikaner.
Details of expenditure during 80–81 (up to 2/81)
on electric arrangement by U. I. T.

S. No.	Name of Basti/Scheme.	Amount.
1.	Gaungagate Harijan Basti.	8,000/–
2.	Naikan Guangshahar road.	17,000/—
3.	Sadul Ganj.	17,000/–
4.	Naikan Gajner road.	3,000/–
5.	Sheeriji Dharamshala.	5,244/—
6.	Sarvodai Besti.	39,096/—
7.	Jassusar gate Meghwalan.	4,000/—
8.	Amarsinghpura.	18,784/—
9.	Subhashpura.	29,686/—
10.	Rampura.	34,841/—
11.	Chatti. Guwar.	—
12.	Pabubari.	—
13.	Nathusar gate Harijan basti.	—
14.	Jassalal Maghwal.	—
15.	Outside Jassusar gate Near Kabristan.	5,862/—
16.	Out side Jassusar gate.	9,260/—
17.	Adarsha colony.	494/—
18.	Gepeswar basti.	5,097/—
19.	Jai Narain Vyas Nagar Scheme.	42,398/—
20.	Indranagar.	3,054/—
21.	Sadul ganj.	9,241/—
22.	Nagnachiji.	10,832/—
23.	Mukta Prasad Scheme.	1,470/—
		2,64,866/—

sd—
Secretary
Urban Improvement Trust
Bikaner.

Office of the Urban Improvement Trust Bikaner.

Details of expenditure during 80-81 (up to 2/81)
on water supply arrangement by U. I. T.

S. No.	Name of Basti/Scheme.	Amount
1,	Harijan Basti Ganga gate.	18,000/—
2.	Chatti Guwar Harijan Basti.	3,000/—
3.	Jansusar gate Maghwalan & Malian.	2.000/—
4.	Pabubari Maghwalan.	3,000/—
5.	Nathusar gate Harijan Basti.	3,000/—
6.	Gajner road Naihan.	3,000/—
7.	Amarsinghpura.	6,710/—
8.	Subhashpura.	50,000/—
9.	Rampura.	6,999/—
10.	Sarvodai Basti.	5,000/—
11,		5,000/—
12.	Sudul Ganj.	14.000/—
13.	Naikan Gangashahar road.	3,000/—
14.	Jai Narain Vyas Nagar scheme.	95,754/—
15.	Indranagar.	3,054/-
16.	Nagnachiji.	10,832/—
	Total.	2,51,249/—

26/—

Sucretry
Urbun Improvement Trust.
Bikaner.

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 390 के आंकड़े)

1.	गत वर्ष (79–80) में नगरपरिषद के सामने कर्मचारियों के वेतन पर व्यय की गई राशि	1, 26, 58,100/–रु०
2.	वर्ष 79–80 में सफाई कर्मचारियों के वेतन हेतु रखा गया बजट प्रावधान	1,32,93,700/–रु.
3.	वर्ष 79–80 में सफाई कर्मचारियों के अतिरिक्त नगरपरिषद के अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों पर वेतन व भत्तों पर व्यय	68, 38, 700/–रु.
4.	वर्ष 79–80 में सफाई कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों हेतु रखा गया बजट प्रावधान	92, 58, 400/–रु.

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 391 की सूची)

1978–79

माह	कर्मचारियों की संख्या	अवधि
अक्टूम्बर–नवम्बर, 78	100	28 दिन के लिये
जनवरी, 79	25	25 दिन के लिये
1979–80		
	किसी को नहीं रखा	
1980–81		
अप्रैल–मई, 80	100	45 दिन के लिये
फरवरी–मार्च, 81	150	28 दिन के लिये

कार्यालय नगर परिषद्, उदयपुर (राज.)

क्रमांक:— दिनांक

वर्ष	माह	नाम कर्मचारी	अवधि
78–79 जनवरी, 79	फरवरी, 79	(25 कर्मचारी)	15 दिन

1. मेमुना पिता अहम्मद जी
2. हमीदा पिता वंशी
3. दुर्गा पिता अम्बाजी
4. मन्जू पिता बन्सीलाल
5. सीता पिता छोगा जी
6. सीता पिता रूपा
7. नैनी पिता मोहनजी
8. काली पिता सुकाजी
9. पवन पिता ओनार
10. सीता पिता रतन
11. तारा पिता नाथू
12. कमला पिता कन्जू
13. ऊदी पिता कजोड़
14. तुलसी पिता मांगीलालजी
15. लाली पिता मोठू
16. भागवन्ती पिता चमन
17. शान्ति पिता गुरबक्स
18. शान्ति पिता देवकिशन
19. शान्ता पिता किशन
20. सायरी पिता चन्द्रा
21. बदरी पिता नाथू
22. सरवनी पिता मांगीलाल
23. कमला पिता केरिण
24. सुशीला पिता मोहन
25. केलासी पिता सुडा